लोक-सभा

वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ३८, १९६०/१८८१ (शक)

[८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 8/11/83
Parliament Library

दसवां सत्र, १९६०/१८८१ (शक)

(खण्ड ३८ में अंक १ से १० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय–सूची

[द्वितीय माला, खण्ड ३८—अंक १ से १०—८ से १९ फरवरी, १९६०/१९ से ३० माघ, १८८१ (शक)] पृष्ठ

अंक १—सोमवार ८ फरवरी १९६०/१९ माघ, १८८१(शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . १

राष्ट्रपति का अभिभाषण—सभा पटल पर रखा गया १—९

संसदीय समितियां—कार्य सारांश . . . ९

दहेज निषेध विधेयक—

राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाये गये रूप में सभा पटल पर रखा गया ९

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ९–१०

श्री एम० सी० शाह का निधन . १०

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . १०—१२

दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १२

त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . . . १३

मनीपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक—

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन . १३

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय का बढ़ाया जाना। १३

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १४—१७

अंक २—मंगलवर, ९ फरवरी, १९६०/२० माघ १८८१(शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से १९ . १९—४४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २० से ३१ . ४४—४९

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २३ ४९—५९

स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . ५९—६२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६२—६४

विषय	पृष्ठ
विशेषाधिकार का प्रश्न--	
लोक सभा की कार्यवाही से निकाले गये अंश का फ्री प्रैस जरनल, बम्बई द्वारा प्रकाशन	६४
भारत-पश्चिमी पाकिस्तान सीमा सम्मेलन के बारे में वक्तव्य--	
भारत-पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य	६५–६६
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	६६–६७
जिनेवा अभिसमय विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	६७–८८
खंड २ से २० और १	८७
संशोधित रूप में पारित करने के लिये प्रस्ताव	८७--८८
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	८८--१०२
कार्य मंत्रणा समिति--	
सैंतालीसवां प्रतिवेदन	१०२
दैनिक संक्षेपिका	१०३--०७
अंक ३-- बुधवार, १० फरवरी, १९६०/२१ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ३२ से ४४	१०९--३४
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ४५ से ६४	१३४--४२
अतारांकित प्रश्न संख्या २४ से ५३	१४२--५७
औचित्य प्रश्न के बारे में	१५७–५८
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१५८--६१
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
पचपनवां प्रतिवेदन	१६१
तारांकित प्रश्न संख्या ९२३ के उत्तर की शुद्धि	१६१
सदस्य के निलम्बन का समाप्त किया जाना	१६१--६५
दो विमान दुर्घटनाओं के बारे में वक्तव्य	१६५
खम्भात में तेल के कुएं की दुर्घटना के बारे में वक्तव्य	१६६

विषय	पृष्ठ
कार्य मंत्रणा समिति--	
सतालीसवां प्रतिवेदन	१६७
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) दूसरा संशोधन विधेयक—	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	१६७–२११
खण्ड २ से १२ तथा १ . .	२०४–११
पारित करने के लिये प्रस्ताव . . .	२११
निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव	२११–१८
सुपरकांस्टीलेशन विमानों को यात्री मालवाही विमानों में बदलने के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२१८–२०
दैनिक संक्षेपिका	२२१–२७
अंक ४—गुरुवार, ११ फरवरी, १९६०/२२ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५ से ६९, ७१ से ७५, ७८, ८० तथा ८१	२२९–५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७६, ७७, ७९ तथा ८२ से ८९ . .	२५१–५८
अतारांकित प्रश्न संख्या ५४ से ७७ तथा ७९ से ८१ .	२५८–६८
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ के उत्तर में शुद्धि . .	२६८
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२६८–७०
राज्य सभा से सन्देश	२७१
राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक—सभा पटल पर रख गये . .	२७१
(१) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, १९६० ।	
(२) रुई परिवहन (संशोधन) विधेयक, १९६० ।	
अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
एयर-इंडिया इन्टरनेशनल निगम के विमान चालकों द्वारा हड़ताल ..	२७१-७२
सदस्य द्वारा पद-त्याग . .	२७२
सभापति तालिका	२७२–७३
निष्क्रांत सम्पत्ति का प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक--	
विचार करने के लिये प्रस्ताव . . .	२७३–९०

विषय	पृष्ठ
खंड २ से ६, ८ और ९, ७ और १ . . .	२८८–९०
संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव . . .	२९०
दहेज निषेध विधेयक—	
राज्य सभा के संशोधनों पर विचार करने के लिये प्रस्ताव . .	२९१––९७
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	२९७––३१२
दैनिक संक्षेपिका	३१३—१८
अंक ५–– शुक्रवार, १२ फरवरी, १९६०/२३ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९० से १०३ . .	३१९––४३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १०४ से ११९ .	३४३––४९
अतारांकित प्रश्न संख्या ८२ से १०८ . .	३४९––५९
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	३५९––६१
सभा का कार्य . .	३६१
विधि व्यवसायी विधेयक—	
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन का समय बढ़ाया जाना . .	३६१–६२
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	३६२––७८
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
पचपनवां प्रतिवेदन	३७९
शिक्षा संस्थाओं में अनिवार्य सैनिक प्रशिक्षण के बारे में संकल्प . .	३७९––४००
भारत के राष्ट्र मंडल से अलग होने के बारे में संकल्प . .	४०२–०३
दैनिक संक्षेपिका	४०४—०८
अंक ६—सोमवार, १५ फरवरी, १९६०/२६ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १२० से १२४, १२६ से १३०, १३३ और १३४ .	४०९––३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या १२५, १३१, १३२ और १३५ से १४६ .	४३३—४०
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९ से १६० . .	४४०—६४

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव--	
१. केरल में विधि तथा व्यवस्था की स्थिति . . .	४६४—६८
२. मिज़ो हिल्स डिस्ट्रिक्ट में भुखमरी से कथित मृत्यु . .	४६८—७०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४७०—७१
राज्य सभा से संदेश	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (सामान्य) १९५९–६० . .	४७१
अनुदानों की अनुपूरक मांगें आय-व्ययक (रेलवे) १९५९–६० .	४७१
खमरिया के आयुध कारखाने में विस्फोट के बारे में वक्तव्य . .	४७१—७३
तारांकित प्रश्न संख्या ६७१ के उत्तर की शुद्धि . .	४७३
भारत-पाक नहरी पानी विवाद के बारे में वक्तव्य . . .	४७३–७४
बाग़ान श्रमिक (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित . . .	४७४
वेतन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . . .	४७४–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	४८३—५१३
दैनिक संक्षेपिका	५१४—१८
अंक ७--मंगलवार, १६ फरवरी, १९६०/२७ माघ, १८८१ (शक) .	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर —	
तारांकित प्रश्न संख्या १४७ से १५४, १६० तथा १६३ से १६६ .	५१९—४२
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १५५ से १५९, १६१, १६२ तथा १६७ से १७५ .	५४२—४९
अतारांकित प्रश्न संख्या १६१ से १८७ . . .	५४९—५९
स्थगन प्रस्ताव--	
चीन सम्बन्धी नीति में तथाकथित परिवर्तन . . .	५६०—६२
सभा पटल पर रखे गये पत्र	५६२–६३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	५६३—९९
दैनिक संक्षेपिका	६०८—१३
अंक ८--बुधवार, १७ फरवरी, १९६०/२८ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या १७६ से १८७	६०५—२८
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १	६२८—३१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २१०	६३२—४३
अतारांकित प्रश्न संख्या १८८ से २३७ और २३९ से २४२ .	६४३—७१
अतारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर में शुद्धि . .	६७१
स्थगन प्रस्ताव—	
सहारा में फ्रांसीसी परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम-सक्रिय बादल के भारत पर से गुजरने की संभावना	६७२–७३
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६७४
पशु निर्दयता निवारण विधेयक—	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा गया.	६७४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
दमुआ कोयला खान में अचानक पानी भर जाना . .	६७४–७५
तारांकित प्रश्न संख्या ६१७ के उत्तर की शुद्धि .	६७५–७६
रेलवे आय-व्ययक, १९६०–६१—उपस्थापित किया गया .	६७६—९८
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	६९८—७२८
दैनिक संक्षेपिका	७२९—३३
अंक ९—गरुवार, १८ फरवरी, १९६०/२९ माघ, १८८१ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २११ से २१५, २१७ से २१९, २२१, २२२, २२४ से २२७ और २३० . .	७३५—५९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या २१६, २२०, २२३, २२८, २२९ और २३१ से २३७	७५९—६४
अतारांकित प्रश्न संख्या २४३ से २८१ . .	७६४—८१
सभा पटल पर रखा गया पत्र . .	७८१
राज्य सभा से संदेश	७८२–८३
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव	७८३—८२८
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था के डा० जोज़ेफ द्वारा आत्म-हत्या के बारे में आध घंटे की चर्चा	८२८—३४
दैनिक संक्षेपिका . .	८३४—३८

पृष्ठ

अंक १०—शुक्रवार, १६ फरवरी, १६६०/३० माघ, १८८१ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४०, २४२ से २४६, २४८ से २५०, २५२ और २५६ से २६२ . . . . ८३६—६६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४१, २४७, २५१, २५३ से २५५ और २६३ से २६६ ८६६—७१

अतारांकित प्रश्न संख्या २८२ से ३०८ . . . ८७१—८८

स्थगन प्रस्ताव—

१. मुरादनगर स्थित दूध ठंडा करने की मशीन में कथित ख़राबी . ८८२—८५

२. भिलाई इस्पात कारखाने में श्रमिकों सम्बन्धी गड़बड़ . . ८८५—८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . ८८७—८६

राज्य सभा से संदेश ८८६

कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका . . ८८६

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति— . . . . . ८८६—६१

सहारा में फ्रांस द्वारा परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम सक्रिय बादल से भारत को संभावित ख़तरे के बारे में वक्तव्य . ८६१—६३

सभा का कार्य ८६४

समवाय (संशोधन) विधेयक—

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति . . ८६४–६५

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव ८६५–६१६

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक–(धारा १४ का संशोधन)—श्री बाल्मीकी का—अस्वीकृत ६१६–१७

पिछड़ी जातियां (धार्मिक-संरक्षण) विधेयक—श्री प्रकाश वीर शास्त्री का— विचार करने के लिये प्रस्ताव . . . . ६१७—४७

नोट :—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

अ

अंजनप्पा, श्री ब० (नेल्लोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अगाड़ी, श्री स० अ० (कोप्पल)

अग्रवाल, श्री मानकभाई (मन्दसौर)

अचमम्बा, डा० को (विजयवाड़ा)

अचल सिंह, सेठ (आगरा)

अजित राम, श्री (पटियाला)

अजित सिंह, श्री (भटिण्डा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अणे, डा० माधव श्री हरि (नागपुर)

अनिरुद्ध सिंह, श्री (मधुबनी)

अब्दुर्रहमान, मौलवी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल रशीद, बख्शी (जम्मू तथा काश्मीर)

अब्दुल लतीफ, श्री (बिजनौर)

अब्दुल सलाम, श्री (त्रिरुचिरापल्ली)

अमजद अली, श्री (धुबरी)

अम्बलम्, श्री सुब्बया (रामनाथपुरम)

अय्यंगार, श्री म० अनन्तशयनम् (चित्तर)

अय्यर, श्री ईश्वर (त्रिवेन्द्रम)

अय्याक्कण्णु, श्री (नागपट्टिनम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरुमुगम, श्री रा० सी० (श्री विल्लीपुत्तुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अरूमुगम्, श्री स० र० (नामक्कल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

अवस्थी, श्री जगदीश (बिल्हौर)

अशण्णा, श्री (आदिलाबाद)

आ।

आचार, श्री क० र० (मंगलौर)

आल्वा, श्री जोकीम (कनारा)

आसर, श्री प्रेमजी र० (रत्नागिरी)

इ

इकबाल सिंह, सरदार (फीरोजपुर)
इलयापेरुमाल, श्री ल० (चिदाम्बरम्—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
इलियास, श्री मोहम्मद (हावड़ा)

ई

ईयाचरण, श्री व० (पालघाट)

उ

उइके, श्री मं० गा० (मंडला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
उपाध्याय, पंडित मुनिश्वरदत्त (प्रतापगढ़)
उपाध्याय, श्री शिव दत्त (रीवा)
उमराव सिंह, श्री (घोसी)

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नामनिर्देशित—आंग्ल भारतीय)

ओ

ओंकार लाल, श्री (कोटा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
ओझा, श्री घनश्याम लाल (झालावाड़)

क

कटकी, श्री लीलाधर (नौगांव)
कट्टी, श्री द० अ० (चिकोडी)
कनकसबै, श्री (चिदाम्बरम्)
कमल सिंह, श्री (बक्सर)
कयाल, श्री परेश नाथ (बसिरहाट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
करमरकर, श्री द० प० (धारवाड़—उत्तर)
कर्णी सिंह, जी, श्री (बीकानेर)
कानूनगो, श्री नित्यानन्द (कटक)
कामले, डा० देवराव नामदेवराव (नांदेड़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
कामले, श्री बा० चं० (कोपरगांव)
कार, श्री प्रभात (हुगली)
कालिका सिंह, श्री (आजमगढ़)
कासलीवाल, श्री नेमीचन्द्र (कोटा)

क–(क्रमशः)

किलेदार, श्री रघुनाथ सिंह (होशंगाबाद)

किस्तैया, श्री सुरती (बस्तर––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

कुन्हन, श्री (पालघाट––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुमारन, श्री मेलकुलन्जरा कन्नन (चिरयिन्कील)

कुम्भार, श्री बनमाली, (सम्बलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कुरील, श्री बैजनाथ (रायबरेली––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृपालानी, आचार्य (सीतामढ़ी)

कृपालानी, श्रीमती सुचेता (नई दिल्ली)

कृष्ण, श्री मं० र० (करीम नगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कृष्ण चन्द्र, श्री (जलेसर)

कृष्णप्पा, श्री मो० वें० (तमकुर)

कृष्णमाचारी, श्री ति० त० (मद्रास दक्षिण)

कृष्णराव, श्री मं० वें० (मसुलीपट्टनम्)

कृष्णस्वामी, डा० (चिगलपट)

कृष्णया, श्री दू० बलराम (गुडिवाडा)

केदरिया, श्री छगनलाल म० (मांडवी––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

केशव, श्री न० (बंगलौर नगर)

केसकर, डा० बा० वि० (मुसाफिरखाना)

केसर कुमारी देवी, श्रीमती (रायपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोडियान, श्री (क्विलोन––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

कोरटकर, श्री विनायकराव (हैदराबाद)

कोट्टुकप्पल्ली, श्री जार्ज थामस (मवात्तुपुजा)

ख

खां, श्री उस्मान अली (कुरनूल)

खां, श्री शाहनवाज़ (मेरठ)

खां, श्री सादत अली (वारगंल)

खाडिलकर, श्री र० के० (अहमदनगर)

खादीवाला, श्री कन्हैयालाल (इन्दौर)

खीमजी, श्री भवनजी अ० (कच्छ)

खुदाबख्श, श्री मुहम्मद (मुर्शिदाबाद)

खेडकर, श्री गोपाल राव, (अकोला)

ख्वाजा, श्री जमाल (अलीगढ़)

ग

गंगा देवी, श्रीमती (उन्नाव—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गणपति, श्री (तिरुचिन्दूर)

गणपति राम, श्री (जौनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गांधी, श्री फीरोज़ (रायबरेली)

गांधी, श्री मानिकलाल मगनलाल (पंच महल)

गायकवाड़, श्री भाऊराव कृष्णराव (नासिक)

गायकवाड़, श्री फतेहसिंह राव प्रतापसिंह राव (बड़ौदा)

गुप्त, श्री छेदा लाल (हरदोई)

गुप्त, श्री रामकृष्ण (महेन्द्रगढ़)

गुप्त, श्री साधन (कलकत्ता—पूर्व)

गुह, श्री अरुण चन्द्र (बारसाट)

गोडसोरा, श्री शम्भूचरण (सिंहभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

गोपालन, श्री अ० क० (कासरगोड)

गोरे, श्री नारायण गणेश (पूना)

गोविन्द दास, सेठ, (जबलपुर)

गोहेन, श्री चौखामून (नामनिर्देशित—आसाम आदिम जाति क्षेत्र)

गोहोकर, डा० देवराव यशवन्तराव (यवतमाल)

गौंडर, श्री षनमुघ (तिंडीवनम्)

गौंडर, श्री दुरायस्वामी (तिरुपत्तूर)

गौंडर, श्री क० देरियास्वामी (करूर)

गौतम, श्री (बालाघाट)

घ

घारे, श्री अंकुशराव वेंकटराव (जालना)

घोडासर, श्री फतहसिंहजी (कैरा)

घोष, श्री अतुल्य (आसनसोल)

घोष, श्री विमल कुमार (बैरकपुर)

घोष, श्री नलिनी रंजन (कूच बिहार)

घोष, श्री महेन्द्र कुमार (जमशदपुर)

घोष, श्री सुबिमन (बर्दवान)

घोषाल, श्री अरविन्द (उलुबेरिया)

च

चक्रवर्ती, श्रीमती रेणु (बसिरहाट)

चतुर्वेदी, श्री रोहनलाल (एटा)

चन्दा, अनिल कु० (वीरभूम)

चन्द्रशंकर, श्री (भड़ौच)

चन्द्रामणि कालो, श्री (सुन्दरगढ़—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

चावन, श्री दा० रा० (कराड़)

चांडक, श्री बी० ल० (चिन्दवाड़ा)

चावदा, श्री अकबर भाई (बनस्कंठा)

चुनीलाल, श्री (अम्बाला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चेट्टियार, श्री रामनाथन् (पुदुकोटै)

चौधरी, श्री चन्द्रामणि लाल (हाजीपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

चौधरी, श्री त्रिदिब कुमार (बरहामपुर)

चौधरी, श्री सु० चं० (दुमका)

ज

जगजीवन राम, श्री (सहसराम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जयपाल सिंह, श्री (रांची-पश्चिम—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

जांगड़े, श्री रेशम लाल (विलासपुर)

जाधव, श्री यादव नारायण (मालेगांव)

जीनचन्द्रन्, श्री (टेल्लीचेरी)

जेना, श्री कान्हुचरण (बालासोर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

जैन, श्री अजित प्रसाद (सहारनपुर)

जैन, श्री मूल चन्द (कैथल)

जोगेन्द्र सिंह, सरदार (बहराइच)

जोगेन्द्र सेन, श्री (मंडी)

जोशी, श्री आनन्द चन्द्र (शाहडोल)

जोशी, श्री लीलाधर (शाजापुर)

जोशी, श्रीमती सुभद्रा (अम्बाला)

ज्योतिषी, पंडित ज्वाला प्रसाद (सागर)

झ

झुनझुनवाला, श्री बनारसी प्रसाद (भागलपुर)

झूलन सिंह, श्री (सीवन)

ट

टांटिया, श्री रामेश्वर (सीकर)

ठ

ठाकुर, श्री मोतीसिंह बहादुरसिंह (पाटन)

ड

डांगे, श्रीपाद अमृत (बम्बई नगर-मध्य)

डामर, श्री अमर सिंह (झाबुआ—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

डिन्डोड, श्री जाल्जीभाई कोयाभाई (दोहद—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

त

तंगामणि, श्री (मदुरै)

तारिक, श्री अली मुहम्मद (जम्मू तथा काश्मीर)

ताहिर, श्री मुहम्मद (किशनगंज)

तिम्मय्या, श्री डोडा (कोलार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तिवारी, पंडित द्वारका नाथ (केसरिया)

तिवारी, पंडित बाबूलाल (निमाड़—खंडवा)

तिवारी, श्री द्वारिका नाथ (कचार)

तिवारी, श्री राम सहाय (खजुराहो)

तुलाराम, श्री (इटावा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

तेवर, श्री उ० मथुरमलिंग (श्री विल्लीपुत्तूर)

त्यागी, श्री महाबीर (देहरादून)

थ

थामस, श्री अ० म० (एरणाकुलम)

द

दलजीत सिंह, श्री (कांगड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दातार, श्री ब० ना० (बेलगाम)

दामानी, श्री सू० र० (जालोर)

दास, श्री कमल कृष्ण (वीरभूम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, श्री नयन तारा (मुंगेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दास, डा० मन मोहन (आसनसोल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

द—(क्रमशः)

दासगुप्त, श्री विभति भूषण (पुरुलिया)

दासप्पा, श्री (बंगलौर)

दिगे, श्री शंकरराव खंडेराव (कोल्हापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दिनेश सिंह, श्री (बांदा)

दुबे, श्री मूलचन्द (फर्रुखाबाद)

दुबलिश, श्री विष्णु शरण (सरधना)

देब, श्री दशरथ (त्रिपुरा)

देव, श्री नरसिंह मल्ल (मिदनापुर)

देब, श्री प्रताप केसरी (कालाहांडी)

देशमुख, डा० पंजाबराव शा० (अमरावती)

देशमुख, श्री कृ० गु० (रामटेक)

देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)

दोरा, श्री दि० स० (पार्वतीपुरम्)

द्रोहड, श्री शिवदीन (हरदोई—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

दौलता, श्री प्रताप सिंह (झज्जर)

द्विवेदी, श्री म० ला० (हमीरपुर)

द्विवेदी, श्री सुरेन्द्रनाथ (केन्द्रपाड़ा)

ध

धनगर, श्री बन्शी दास (मैनपुरी)

धर्मलिंगम, श्री (थिरुवन्नामलाई)

न

नंजप्पा, श्री (नीलगिरी)

नथवानी, श्री नरेन्द्र भाई (सोरठ)

नंदा, श्री गुलजारी लाल (सबरकांठा)

नरसिंहन्, श्री च० र० (कृष्णगिरि)

नलदुर्गकर, श्री वैंकटराव श्रीनिवासराव (उस्मानाबाद)

नल्लाकोया, श्री कोविलाट (नामनिर्देशित—लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीप)

नाथ पाई, श्री (राजापुर)

नादर, श्री थानुलिंगम (नागरकोईल)

नायक, श्री मोहन (गंजम—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

न–(क्रमशः)

नायडू, श्री गोविन्द राजुलू (तिरुवल्लूर)

नायडू, श्री मुत्तुकुमारसामी (कडलूर)

नायर, डा० सुशीला (झांसी)

नायर, श्री कुट्टिकृष्णन् (कोज़ीकोड)

नायर, श्री च० कृष्णन् (बाह्य दिल्ली)

नायर, श्री वें० प० (क्विलोन)

नायर, श्री वासुदेवन् (तिरुवल्ला)

नारायणदीन, श्री (शाहजहांपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नारायणस्वामी, श्री (पेरियाकुलम्)

नास्कर, श्री पूर्णेन्दु शेखर (डायमण्ड हार्बर)

नेगी, श्री नेकराम (महासू—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

नेसवी, श्री ति० रु० (धारवाड़-दक्षिण)

नेहरू, श्री जवाहरलाल (फूलपुर)

नेहरू, श्रीमती उमा (सीतापुर)

प

पटनायक, श्री उमाचरण (गंजम)

पटेल, श्री नानूभाई निच्छाभाई (बलसार—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पटेल, श्री पुरुषोत्तमदास र० (मेहसाना)

पटेल, श्री राजेश्वर (हाजीपुर)

पटेल, सुश्री मणिबेन बल्लभभाई (आनन्द्र)

पट्टाभिरामन्, श्री चे० रा० (कुम्बकोणम्)

पद्मदेव, श्री (चम्बा)

पन्नालाल, श्री (फैजाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री करसन दास उ० (अहमदाबाद—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परमार, श्री दीनबन्धु (उदयपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

परागीलाल, श्री (सीतापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

परूलकर, श्री शामराव विष्णु (थाना)

पलनियाण्डी, श्री (पैरम्बलूर)

पहाड़िया, श्री जगन्नाथ प्रसाद (सवाई माधोपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

पांगरकर, श्री नागराव क० (परभणी)

पांडे, श्री काशीनाथ (हाता)

पांडे, श्री च० द० (नैनीताल)

प–(क्रमशः)

पाण्डय, श्री सरजू (रसरा)

पाटिल, श्री उत्तमराव ल० (धूलिया)

पाटिल, श्री नाना (सतारा)

पाटिल, श्री बाला साहेब (मिराज)

पाटिल, श्री र० ढ़ो० (भीर)

पाटिल, श्री स० का० (बम्बई नगर–दक्षिण)

पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (पुरी)

पादलू, श्री कनकपति वीरन्ना (गोलुगोंडा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

पार्वती कृष्णन्, श्रीमती (कोयम्बटूर)

पालचौधरी, श्रीमती इला (नवद्वीप)

पिल्ले, श्री एन्थनी (मद्रास–उत्तर)

पिल्ले, श्री पे० ति० थानु (तिरुनेलवेली)

पुन्नस, श्री (अम्बल पुजा)

पोकर साहेब, श्री (मंजेरी)

प्रधान, श्री विजय चन्द्रसिंह (कालाहांडी—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

प्रभाकर, श्री नवल (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब

बजाज, श्री कमलनयन (वर्धा)

बदन सिंह, चौ० (बिसौली)

बनर्जी, डा० रामगोति (बांकुरा)

बनर्जी, श्री पुनिल बिहारी (लखनऊ)

बनर्जी, श्री प्रमथ नाथ (कण्टाई)

बनर्जी, श्री सत्येन्द्र मोहन (कानपुर)

बरुआ, श्री प्रफुल्ल चन्द्र (शिवसागर)

बरुआ, श्री हेम (गोहाटी)

बर्मन, श्री उपेन्द्र नाथ (कूच बिहार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बलदेव सिंह, सरदार (होशियारपुर)

बसु मतारी, श्री धरनीधर (ग्वालपाड़ा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

बहादुर सिंह, श्री (लुधियाना—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बांगझी ठाकुर, श्री (त्रिपुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

बाकलीवाल, श्री मोहनलोल् (दुर्ग)

बाबूनार्थसिंह, श्री (सरगुजा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

ब–(क्रमशः)

बारूपाल, श्री पन्नालाल (बीकानेर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बालकृष्ण, श्री स० चि० (डिंडीगल—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बाल्मीकी, श्री कन्हैयालाल (बुलन्दशहर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
बासप्पा, श्री चि० र० (तिपतुर)
बिदरी, श्री रामप्पा बालप्पा (बीजापुर–दक्षिण)
बिष्ट, श्री जंग बहादुर सिंह (अल्मोडा)
बीरबल सिंह, श्री (जौनपुर)
बेक, श्री इगनेस (लोहरदगा—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)
बैरो, श्री (नामनिदशित—आंग्ल-भारतीय)
ब्रजराज सिंह, श्री (फिरोजाबाद)
'ब्रजेश', पंडित ब्रज नारायण (शिवपुरी)
ब्रजेश्वर प्रसाद, श्री (गया)
ब्रह्म प्रकाश, चौ० (दिल्ली सदर)

भ

भंजदेव, श्री लक्ष्मी नारायण (क्योंझर)
भक्त दर्शन, श्री (गढ़वाल)
भगत, श्री ब० रा० (शाहबाद)
भगवती, श्री बि० (दरंगि)
भटकर, श्री लक्ष्मण रावजी श्रवन जी (अकोला—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
भट्टाचार्य, श्री चपलकांत (पश्चिम दीनाजपुर)
भदौरिया, श्री अर्जुन सिंह (इटावा)
भरूचा, श्री नौशीर (पूर्व खान देश)
भार्गव, पंडित ठाकुरदास (हिसार)
भार्गव, पंडित मुकुट बिहारी लाल (अजमेर)
भोगजी भाई, श्री (बांसवाड़ा––रक्षित—अनुसूचित जातियां)

म

मंजुला देवी, श्रीमती (ग्वालापाड़ा)
मंडल, डा० पशुपति (बांकुरा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)
मंडल, श्री जियालाल (खगरिया)
मजीठिया, सरदार सुरजीत सिंह (तरनतारन)

म–(क्रमशः)

मणियंगाडन, श्री मैत्यु (कोट्टयम्)

मतीन, काजी (गिरिडीह)

मतेरा, श्री लक्ष्मण महादु (थाना––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मनायन, श्री (दार्जिलिंग)

मफीदा अहमद, श्रीमती (जोरहाट)

मलिक, श्री धीरेन्द्र चन्द्र (धनबाद)

मलिक, श्री वैष्णव चरण (केन्द्रपाड़ा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मल्लय्या, श्री उ० श्रीनिवास (उदीपी)

मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत लाल (जम्मू तथा काश्मीर)

मसानी, श्री मी० रु० (रांची––पूर्व)

मसुरिया, दीन, श्री (फूलपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महन्ती, श्री सुरेन्द्र (ढेंकानाल)

महागांवकर, श्री भाऊसाहेब रावसाहेब (कोल्हापुर)

महादेव प्रसाद, श्री (गोरखपुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

महेन्द्र प्रताप, राजा (मथुरा)

माईति, श्री नि० वि० (घाटल)

माझी, श्री रामचन्द्र (मयूरभंज––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

माथुर, श्री मथुरा दास (नागौर)

माथुर, श्री हरिश्चन्द्र (पाली)

माने, श्री गो० का० (बम्बई नगर-मध्य––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालवीय, पंडित गोविन्द (सुल्तानपुर)

मालवीय, श्री कन्हैयालाल भेरूलाल (शाजापुर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मालविया, श्री केशव देव (बस्ती)

मालविया, श्री मोतीलाल (खजुराहो––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिनिमाता अगमदास गुरु, श्रीमती (बलोदा बाजार––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मिश्र, श्री भगवानदीन (केसरगंज)

मिश्र, श्री मथुरा प्रसाद (बेगू सराय)

मिश्र, श्री रघुबर दयाल (बुलन्दशहर)

मिश्र, श्री राजा राम (फैजाबाद)

मिश्र, श्री ललित नारायण (सहरसा)

मिश्र, श्री विभूति (बगहा)

मिश्र, श्री श्याम नन्दन (जयनगर)

मुकर्जी, श्री हीरेन्द्र नाथ (कलकत्ता––मध्य)

म–(क्रमशः)

मुत्तुकृष्णन्, श्री मु० (वल्लोर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मुनिस्वामी, श्री न० रा० (वेल्लोर)

मुरुमू, श्री पाइका (राजमहल––रक्षित––अनुसूचित आदिम जातियां)

मुरारका, श्री राधेश्याम रामकुमार (झुंझनूं)

मुसाफिर, ज्ञानी गुरमुख सिंह (अमृतसर)

मुहम्मद अकबर, शेख (जम्मू तथा काश्मीर)

मुहीउद्दीन, श्री (सिकन्दराबाद)

मूर्ति, श्री ब० सू० (काकिनादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

मूर्ति, श्री मि० सू० (गोलुगोंडा)

मेनन, डा० क० ब० (बडागरा)

मेनन, श्री वें० कृ० कृष्ण (बम्बई नगर-उत्तर)

मेनन, श्री नारायणन् कुट्टि (मुकुन्दपुरम्)

मेलकोटे, डा० (रायचूर)

मेहता, श्री अशोक (मुजफ्फरपुर)

मेहता, श्रीमती कृष्णा (जम्मू तथा काश्मीर)

मेहता, श्री जसवन्त राज (जोधपुर)

मेहता, श्री बलवन्तराय गोपालजी (गोहिलवाड़)

मेहदी, श्री सैं० अहमद (रामपुर)

मोरे, श्री ज० घ० (शोलापुर)

मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)

मोहीदीन, श्री गुलाम (डिंडीगल)

य

याज्ञिक, श्री इन्दूलाल कल्हैयालाल (अहमदाबाद)

यादव, श्री राम सेवक (बारांबांकी)

र

रंगा, श्री (तेनाली)

रंगाराव, श्री (करीम नगर)

रघुनाथसिंह जो, श्री (बाड़मेर)

रघुनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)

रघुबीर सहाय, श्री (बदायूं)

रघुरामैया, श्री कोता (गुण्टर)

रणवीर सिंह, चौ० (रोहतक)

र–(क्रमशः)

रहमान, श्री मु० हिफजुर (अमरोहा)

राउत, श्री भोला (चम्पारन––रक्षित––अनूजित जातियां)

राउत, श्री राजा राम बालकृष्ण (कोलाबा)

राजबहादुर, श्री (भरतपुर)

राजय्या, श्री देवनपल्ली (नलगोंडा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राजू, श्री द० स० (राजामुंद्री)

राजू, श्री विजयराम (विशाखापटनम्)

राजेन्द्र सिंह, श्री (छपरा)

राज्य लक्ष्मी, श्रीमती ललिता (हज़ारीबाग)

राधामोहन सिंह, श्री (बलिया)

राधा रमण, श्री (चांदनी चौक)

राने, श्री शिवराम रंगो (बुलडाना)

रामकृष्णन्, श्री पी० रा० (पोल्लाची)

रामगरीब, श्री (बस्ती––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामधनीदास, श्री (नवादा––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामपुरे, श्री महादेवप्पा (गुलबर्गा)

रामन्, श्री उद्दाराजू (नरसापुर)

राम सुभग सिंह, डा० (सहसराम)

रामस्वामी, श्री क० स० (गोबी चट्टिपलयम्)

रामस्वामी, श्री पु० (महबूबनगर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

रामस्वामी, श्री सें० वें० (सैलम)

रामशंकर लाल, श्री (डुमरियागंज)

राम शरण, श्री (मुरादाबाद)

रामानन्द तीर्थ, स्वामी (औरंगाबाद)

रामौला, श्री शिवानन्द (महासू)

राय, श्री खुशवक्त (खेरी)

राय, श्रीमती रेणुका (मालदा)

राय, श्री विश्व नाथ (सलेमपुर)

राय, श्रीमती सहोदरा बाई (सागर––रक्षित––अनुसूचित जातियां)

राव, श्री इ० मधुसूदन (महबूबाबाद)

राव, श्री त० ब० विट्ठल (खम्मम्)

राव, श्री सिरुमल (काकिनाडा)

र–(क्रमशः)

राव, श्री देवुलपल्ली वेंकटेश्वर (नलगौंडा)

राव, श्री रा० जगन्नाथ (कोरापट)

राव, श्री बी० राजगोपाल (श्रीकाकुलम्)

राव, श्री रामेश्वर (महबूबनगर)

राव, श्री हनुमन्त (मेदक)

रुंसुंगग सुइसा, श्री (बाह्य मनीपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

रूप नारायण, श्री (मिर्जापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

रेड्डी, श्री क० च० (कोलार)

रेड्डी, श्री रो० नरपा (ओंगोल)

रेड्डी, श्री नानी (अनन्तपुर)

रेड्डी, श्री बाली (मरकापुर)

रेड्डी, श्री राम कृष्ण (हिन्दूपुर)

रेड्डी, श्री रामी (कड़पा)

रेड्डी, श्री रे० लक्ष्मी नरसा (नेल्लोर)

रेड्डी, श्री विश्वनाथ (राजमपेट)

ल

लक्ष्मण सिंह, श्री (नामनिर्देशित—अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह)

लक्ष्मीबाई, श्रीमती (विकाराबाद)

लच्छीराम, श्री (हमीरपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाइकर, श्री निवारण चन्द्र (कचार—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

लाहिरी, श्री जितेन्द्रनाथ (श्रीरामपुर)

व

वर्मा, श्री बि० बि० (चम्बारन)

वर्मा, माणिक्य लाल (उदयपुर)

वर्मा, श्री राम सिंह भाई (निमाड़)

वर्मा, श्री रामजी (देवरिया)

वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (बलरामपुर)

वाडीवा, श्री ना० (छिन्दवाड़ा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

वारियर, श्री कृ० की० (त्रिचूर)

वाल्वी, श्री लक्ष्मण वेदू (पश्चिमी खानदेश—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

वासनिक, श्री बालकृष्ण (भंडारा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विजय राजे, कुंवरानी (छतरा)

विल्सन, श्री जान न० (मिर्जापुर)

व–(क्रमशः)

विश्वनाथ प्रसाद, श्री (आजमगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

विश्वास, श्री भोला नाथ (कटिहार)

वीरेन्द्र सिंह जी, श्री (रायपुर)

वेद कुमारी, कुमारी मोत्ते (एलुरु)

वेंकटा सुब्बैया, श्री पेन्देकान्ति (अडोनी)

वैरावन, श्री अ० (तंजोर)

बोडयार, श्री क० गु० (शिमोगा)

व्यास, श्री रमेश चन्द्र (भीलवाड़ा)

व्यास, श्री राधे लाल (उज्जैन)

श

शंकर देव, श्री (गुलबर्गा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शंकरपांडियन, श्री (टंकासी)

शंकरप्पा, श्री मैसूर)

शकुन्तला देवी, श्रीमती (बंका)

शर्मा, पंडित कृष्ण चन्द्र (हापुड़)

शर्मा, श्री दीवन चन्द (गुरुदासपुर)

शर्मा, श्री राधा चरण (ग्वालियर)

शर्मा, श्री हरिश्चन्द्र (जयपुर)

शास्त्री, श्री प्रकाशवीर (गुड़गांव)

शास्त्री, श्री लाल बहादुर (इलाहाबाद)

शास्त्री, पंडित ही० (सवाई माधोपुर)

शास्त्री, स्वामी रामानन्द (बारांबांकी—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शाह, श्री मनुभाई (मध्य सौराष्ट्र)

शाह, श्री मानवेन्द्र (टेहरी गढ़वाल)

शाह, श्रीमती जयाबेन वजुभाई (गिरनार)

शिव, डा० गंगाधर (चित्तूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शिवनंजप्पा श्री (मंडया)

शिवराज, श्री (चिंगलपट—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

शुक्ल, श्री विद्याचरण (बलौदा बाजार)

शोभा राम, श्री (अलवर)

श्री नारायण दास, श्री (दरभंगा)

स

सगण्णा, श्री तो० (कोरापट—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

संबंदम्, श्री (नागपट्टिनम)

सक्सेना, श्री शिब्बन लाल (महाराजगंज—उत्तर प्रदेश)

सतीश चन्द्र, श्री (बरेली)

सत्य नारायण, श्री बिद्दिका (पार्वतीपुरम्—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सत्यभामा देवी, श्रीमती (नवादा)

सम्पत्, श्री (नामक्कल)

सरदार, श्री भोली (सहरसा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सरहदी, श्री अजित सिंह (लुधियाना)

सहगल, सरदार अमर सिंह (जंजगीर)

साधूराम, श्री (जालन्धर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सामन्त, श्री सतीश चन्द्र (तामलुक)

सामन्तसिंहार, डा० न० च० (भुवनेश्वर)

सालंके, श्री बाला साहेब (खेड़)

साहू, श्री भगवत (वालासोर)

साहू, श्री रामेश्वर (दरभंगा—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिंह, श्री क० ना० (शहडोल—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सिंह, श्री चन्डिकेश्वर शरण (सरगूजा)

सिंह, श्री दिग्विजय नारायण (पपरी)

सिंह, श्री दिनेश प्रताप (गोंडा)

सिंह, श्री प्रभु नारायण (चन्दौली)

सिंह, श्री बनारसी प्रसाद (मुंगेर)

सिंह, श्री त्रि० ना० (चन्दौली)

सिंह, श्री महेन्द्र नाथ (महाराजगंज बिहार)

सिंह, श्री लैसराम अचौ (आन्तरिक मनीपुर)

सिंह, श्री सत्यनारायण (समस्तीपुर)

सिंह, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद—बिहार)

सिंह, श्री हर प्रसाद (गाज़ीपुर)

सिंहासन सिंह, श्री (गोरखपुर)

सिदय्या, श्री (मैसूर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सिद्धनंजप्पा, श्री (हसन)

सिन्धिया, श्रीमती विजय राजे (गुना)

स–(क्रमशः)

सिन्हा, श्री कैलाशपति (नालन्दा)

सिन्हा, श्री गजेन्द्र प्रताप (पालामऊ)

सिन्हा, श्रीमती तारकेश्वरी (बाढ़)

सिन्हा, श्री सारंगधर (पटना)

सुगन्धि, श्री सु० मु० (बीजापुर—उत्तर)

सुन्दर लाल, श्री (सहारनपुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सुब्बरायन, डा० (तिरुचेंगोड)

सुब्रह्मण्यम्, श्री टेकुर (बेल्लारी)

सुमत प्रसाद, श्री (मुज्जफरनगर)

सुल्तान, श्रीमती मैमूना (भोपाल)

सूपकार, श्री श्रद्धाकर (सम्बलपुर)

सूर्य प्रसाद, श्री (ग्वालियर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सेठ, श्री बिशन चन्द (शाहजहांपुर)

सेन, श्री अशोक कु० (कलकत्ता–उत्तर-पश्चिम)

सेन, श्री फणि गोपाल (पूर्निया)

सैलकू, श्री मारदी (पश्चिमी दीनाजपुर—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

सैयद महमूद, उ० (गोपाल गंज)

सोनावने, श्री तयप्पा (शोलापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

सोनुले, श्री हरिहरराव (नांदेड)

सोमानी, श्री ग० घ० (दौसा)

सोरेन, श्री देवी (दुमका—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

स्नातक, श्री नरदेव (अलीगढ़—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

स्वर्ण सिंह, सरदार (जालंधर)

स्वामी, श्री (चांदा)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर—रक्षित–अनुसूचित आदिम जातियां)

हजरनवीस, श्री रा० म० (भंडारा)

हजारिका, श्री जोगेन्द्र नाथ (डिब्रूगढ़)

हरवानी, श्री अन्सार (फतेहपुर)

हाथी, श्री जयसुखलाल लालशंकर (हालर)

ह–(क्रमशः)

हाल्दर, श्री कन्सारी (डायमण्ड हार्बर—रक्षित—अनुसूचित जातियां)

हिनिटा,—श्री हूवर (स्वायत जिले—रक्षित—अनुसूचित आदिम जातियां)

हुक्म सिंह, सरदार (भटिण्डा)

हुडा, श्री ह० चं० (निजामाबाद)

हुमराज, श्री (कांगड़ा)

लोक-सभा

अध्यक्ष

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर

उपाध्यक्ष

सरदार हुक्म सिंह

सभापति तालिका

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन

श्री जयपाल सिंह

सचिव

श्री महेश्वर नाथ कौल, बैरिस्टर-एट-ला

कार्य मंत्रणा समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—सभापति

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री शिवराम रंगो राने

श्री श्रीनारायण दास

श्री तंगामणि

श्रीमती सुचेता कृपालानी

श्री म० ला० द्विवेदी

श्री रघुबीर सहाय

श्री तिरुमल राव

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्री ब्रजराज सिंह

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

विशेषाधिकार समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति,**

श्री सत्य नारायण सिंह

श्री अशोक कुमार सेन

श्री शिवराम रंगो राने

डा० सुब्बरायन

श्री नेमीचन्द्र कासलीवाल

श्रीमती जयाबेन बजूभाई शाह

श्री ना० वाडीवा

श्री सारंगधर सिन्हा

श्री च० द० पांडे

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री मी० रू० मसानी

श्री विमल कुमार घोष

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री फतसिंह घोडासर

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

श्री मूलचन्द दुबे—**सभापति**

श्रीमती शकुन्तला देवी

श्री व० ना० स्वामी

श्री अय्याकण्णु

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री सु० हंसदा

श्री र० सिं० किलेदार

श्री रूंग सुंग सुइसा

श्री बी० ल० चांडक

श्री क० र० आचार

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही

श्री षनमुघ गौंडार

श्री वै० च० मलिक

श्री हरिश्चन्द्र शर्मा

श्री इगनेस बेक

प्राक्कलन समिति

श्री दासप्पा—सभापति

डा० सुशीला नायर

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री न० रं० घोष

श्री जगन्नाथ प्रसाद पहाड़िया

श्रीमती मफीदा अहमद

काजी मतीन

श्री नरेन्द्रभाई नथवानी

श्री राजेश्वर पटेल

श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री शंकरपाण्डियन

श्री झूलन सिंह

श्री हेम बरूआ

श्री बासप्पा

श्री प्रताप केसरी देव

श्री द० अ० कट्टी

श्री भाऊ साहब रावसाहब महाशंकर

श्री मुत्तुकृष्णन्

श्री कुट्टिकृष्णन् नायर

श्री नागी रेड्डी

श्री बुतुकुरु रामी रेड्डी

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री दिनेश सिंह

सरदार इकबाल सिंह

श्री रघुनाथ सिंह

श्री तय्यपा हरि सोनावने

श्री सुन्दर लाल

श्री अ० मु० तारिक

श्री मं० गा० उइके

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

पंडित ठाकुर दास भार्गव—**सभापति**

श्री अनिरुद्ध सिंह

श्री विश्वनाथ राय

श्री वासुदेवन नायर

श्री चि० र० बासप्पा

श्री सुब्बया अम्बलम्

श्रीमती इला पालचौधरी

श्री नवल प्रभाकर

श्री जसवंत राज मेहता

श्री मोती लाल मालवीय

श्री कमल सिंह

श्री अटल बिहारी वाजपेयी

श्री रामजी वर्मा

श्री बी० दासगुप्त

श्री गणपति राम

याचिका समिति

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—**सभापति**

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्रीमती उमा नेहरू

पंडित द्वारिका नाथ तिवारी

श्रीमती कृष्णा मेहता

श्री अब्दुल सलाम

श्री जियालाल मंडल

श्री अं० वै० घारे

श्री प्रमथ नाथ बनर्जी

श्री पेन्देकान्ति वंकटासुब्बैया

श्री प्रताप सिंह दौलता

श्री छ० म० केदरिया

श्री शिवनंजप्पा

श्री रामचन्द्र माझी

श्री अर्जुन सिंह भदौरिया

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—सभापति

सरदार अमर सिंह सहगल

श्री नरेन्द्र भाई नथवानी

श्री राम कृष्ण गुप्त

श्री बीरबल सिंह

श्री झूलन सिंह

श्री यादव नारायण जाधव

श्री स० अ० अगाड़ी

डा० पशुपति मंडल

श्री सुन्दर लाल

श्री ईश्वर अय्यर

श्री बाला साहेब पाटिल

श्री थानूलिंगम् नांदर

श्री श्रद्धाकर सूपकार

श्री शम्भूचरण गोडसोरा

लोक-लेखा समिति

लोक-सभा

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन—सभापति

श्री मनायन

पंडित ज्वाला प्रसाद ज्योतिषी

श्री रामेश्वर साहू

श्री तो० संगण्णा

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री कोरटकर

श्री परूलकर

श्री नेसवी

श्री राधा रमण

श्री अरविन्द घोषाल

श्री यादव नारायण जाधव

श्री जयपाल सिंह

श्री श्रद्धाकर सूपकार

लोक-लेखा समिति—(क्रमशः)

राज्य-सभा

राजकुमारी अमृत कौर

श्री अमोलक चन्द

श्री टी० आर० देवगिरीकर

श्री एस० वेंकटरामन

श्री सुरेन्द्र मोहन घोष

श्री रोहित मनु शंकर दवे

श्री जसवन्त सिंह

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति

सरदार हुक्म सिंह—**सभापति**

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्री अजित सिंह सरहदी

श्री क० स० रामस्वामी

श्री सिंहासन सिंह

श्री न० रं० घोष

श्री नारायणन् कुट्टि मेनन

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

श्री बहादुर सिंह

श्री विश्वनाथ रेड्डी

श्री कन्हैया लाल भेरूलाल मालवीय

श्री अरविन्द घोषाल

श्री मोहम्मद इमाम

डा० कृष्णस्वम्मी

श्री ले अचौ० सिंह

सामान्य प्रयोजन समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगर—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री उपेन्द्र नाथ बर्मन

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती

श्री दासप्पा

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

सामान्य प्रयोजन समिति—(क्रमशः)

श्री मूल चन्द दुबे

श्री सत्य नारयण सिंह

श्री श्रीपाद अमृत डांगे

आचार्य कृपलानी

श्री इन्दुलाल कन्हैया लाल याज्ञिक

श्री जयपाल सिंह

श्री ब्रजराज सिंह

श्री प्र० के० देव

श्री शिवराज

डा० कृष्णस्वामी

श्री मोहम्मद इमाम

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

आवास समिति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या— सभापति

श्री स० चं० सामन्त

श्री दिग्विजय नारायण सिंह

श्री राजेश्वर पटेल

श्री माणिकलाल मगनलाल गांधी

श्री मि० सू० मूर्ति

श्रीमती मैमूना सुलतान

श्रीमती सहोदरा बाई राय

श्री बैरो

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

श्री खुशवक्त राय

श्री भाऊसाहेब रावसाहेब महागांवकर

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति

लोक-सभा

श्री सत्य नारायण सिंह—सभापति

श्री उ० श्रीनिवास मल्लय्या

श्री दीवान चन्द शर्मा

श्री चपलकान्त भट्टाचार्य

संसद्-सदस्यों के वेतन और भत्ते सम्बन्धी संयुक्त समिति—(क्रमशः)

लोक-सभा—(क्रमशः)

श्री कन्हैया लाल खादीवाला

श्री रघुबर दयाल मिश्र

श्री दुरायस्वामी गौण्डर

श्री नारायण गणेश गोरे

श्री लक्ष्मी नारायण भंजदेव

श्री कोडियान

राज्य-सभा

श्रीमती अम्मु स्वामिनाधन्

श्री जसपत राय कपूर

डा० आर० पी० दुबे

श्री टीका राम पालीवाल

श्री रोहित एम० दवे

नियम समिति

श्री म० अनन्तशयनम् अय्यंगार—**सभापति**

सरदार हुक्म सिंह

श्री सत्यनारायण सिंह

पंडित ठाकुर दास भार्गव

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्

श्री शिवराज

श्री राधेलाल व्यास

श्री तय्यापा हरि सोनावने

श्री घनश्याम लाल ओझा

श्रीमती उमा नेहरू

श्री शंकरय्या

श्री पुरुषोतम दास पटेल

श्री अमजद अली

श्री मी० रू० मसानी

श्री त्र० ब० विट्ठल राव

लाभ पद सम्बन्धी समिति

लोक-सभा

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्—सभापति

डा० मा० श्री अणे

श्री प्रेमजी आसर

डा० क० ब० मेनन

श्री राधेश्याम रामकुमार मुरारका

श्रीमती उमा नेहरू

श्री राधाचरण शर्मा

श्री हीरेन्द्र नाथ मुकर्जी

श्री सिद्धनंजप्पा

श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा

राज्य-सभा

दीवान चमन लाल

श्री टी० एस० अविनाशलिंगम चेट्टियार

श्री अमोलक चन्द

डा० राज बहादुर गौड़

श्री राजेन्द्र प्रताप सिन्हा

भारत सरकार

मंत्री-मंडल के सदस्य

प्रधान-मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री तथा अणुशक्ति विभाग के भारसाधक मंत्री—श्री जवाहरलाल नेहरू

गृह-कार्य मंत्री —श्री गोविन्द बल्लभ पन्त

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री—श्री लाल बहादुर शास्त्री

रेलवे मंत्री—श्री जगजीवन राम

वित्त मंत्री—श्री मोरारजी देसाई

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री—श्री गुलजारी लाल नन्दा

परिवहन तथा संचार मंत्री—डा० प० सुब्बरायन

विधि मंत्री—श्री अ० कु० सैन

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री—सरदार स्वर्ण सिंह

सिंचाई और विद्युत् मंत्री—हाफिज मुहम्मद इब्राहीम

निर्माण, आवास और संभरण मंत्री—श्री क० च० रेड्डी

खाद्य तथा कृषि मंत्री—श्री स० का० पाटिल

प्रतिरक्षा मंत्री—श्री वे० कृ० कृष्णमेनन

राज्य-मंत्री

संसद्-कार्य मंत्री—श्री सत्य नारायण सिंह

सूचना और प्रसारण मंत्री—डा० बा० वि० केसकर

स्वास्थ्य मंत्री —श्री द० प० करमरकर

कृषि मंत्री—डा० पंजाबराव शा० देशमुख

खान और तेल मंत्री—श्री केशव देव मालवीय

पुनर्वास तथा अल्पसंख्यककार्य मंत्री—श्री मेहर चन्द खन्ना

वाणिज्य मंत्री —श्री नित्यानन्द कानूनगो

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री राज बहादुर

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री—श्री ब० ना० दातार

उद्योग मंत्री—श्री मनुभाई शाह

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री—श्री सुरेन्द्र कुमार डे

शिक्षा मंत्री —डा० का० ला० श्रीमाली

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री—श्री हुमायून् कबिर

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री—डा० बे० गोपाल रेड्डी

उपमंत्री

प्रतिरक्षा उपमंत्री—सरदार सुरजीत सिंह मजीठिया

श्रम उपमंत्री—श्री आबिद अली

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री—श्री अनिल कु० चन्दा

कृषि उपमंत्री—श्री मौ० वें० कृष्णप्पा

सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री—श्री जयसुख लाल लालशंकर हाथी

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री—श्री सतीश चन्द्र

योजना उपमंत्री—श्री श्याम नन्दन मिश्र

वित्त उपमंत्री—श्री ब० रा० भगत

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री—डा० मनमोहन दास

रेलवे उपमंत्री—श्री शाहनवाज खां

रेलवे उपमंत्री—श्री सें० वें० रामस्वामी

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री—श्रीमती लक्ष्मी मेनन

गृह-कार्य उपमंत्री—श्रीमती वायलेट आल्वा

प्रतिरक्षा उपमंत्री—श्री कोत्ता रघुरामैया

असैनिक उड्डयन उपमंत्री—श्री मुहीउद्दीन

खाद्य तथा कृषि उपमंत्री—श्री अ० म० थामस

पुनर्वास उपमंत्री—श्री पू० शे० नास्कर

विधि उपमंत्री—श्री हजरनवीस

वित्त उपमंत्री—श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार उपमंत्री—श्री ब० सू० मूर्ति

सभा-सचिव

वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री सादत अली खां

वैदेशिक कार्य मंत्री के सभा सचिव—श्री जो० ना० हजारिका

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री जी० राजगोपालन

श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव—श्री ललित नारायण मिश्र

प्रतिरक्षा मंत्री के सभा सचिव—श्री फतेहसिंहराव प्रतापसिंहराव गायकवाड़

सूचना और प्रसारण मंत्री के सभा सचिव—श्री आ० चं० जोशी

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा सचिव—श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा

सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री के सभा सचिव—श्री श्यामघर मिश्र

लोक-सभा

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९६०

३० माघ, १८८१ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

आगरा के समीप भारतीय वायु सेना के जहाज का गिरना

+

†*२३८. श्री सुबोध हंसदा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री खुशवक्त राय :
श्री रामेश्वर तांतिया :
श्री श्री नारायण दास :
श्री राधा रमण :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सै० अ० अहमद मेहदी :
श्री लीलाधर कटकी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री हेम राज :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री गोरे :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा के समीप २३ दिसम्बर, १९५९ को भारतीय वायु बल के एक विमान के गिरने के बारे में, जिसमें बहुत से भारतीय वायु बल के पदाधिकारियों की जानें गयीं, बैठायी गयी जांच न्यायालय ने क्या निष्कर्ष निकाला; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) विमान के गिरने के परिणामस्वरूप धन के रूप में कितनी हानि हुई ?

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया)**: (क) यह दुर्घटना हवा में मशीन के कुछ हिस्सों के फेल हो जाने के कारण हुई। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में इस असफलता का ठीक कारण निश्चित नहीं किया जा सका।

(ख) २६,०६,६६४·६९ रुपये।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या मृतक के परिवारों को कोई सहायता दी गयी थी ?

†**सरदार मजीठिया** : जी, हां। परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता दी गयी थी। आरम्भ में उन को भारतीय वायु बल सहायता निधि में से कुछ राशि दी गयी जो कि पदाधिकारियों के निकटतम सम्बन्धी को ६०० रुपये और अन्य पदों के निकटतम सम्बन्धी को ३०० रुपये। इसके अतिरिक्त उनको ७५ प्रतिशत परिवारों को उपदान दिया गया जो कि विधवाओं को दिया जाता है। जो भी पूरी रकम बाकी है, उसे देने के लिये कार्यवाही में शीघ्रता की जा रही है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या सरकार इन परिवारों को स्थायी रूप से सहायता देगी ?

†**सरदार मजीठिया** : जी, हां। उपदान दिया जा चुका है और नियमों के अधीन जो कुछ उनको दिया जाना है, वह दिया जायेगा।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : इस विमान की पिछली बार कब जांच की गयी थी ?

†**सरदार मजीठिया** : इस विमान की उसी दिन सफाई की गयी थी और परीक्षण के रूप में इसकी उड़ान की गयी थी।

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : जब तक इसकी हर बार परीक्षा न हो जाये, किसी भी विमान को उड़ाया नहीं जाता है।

†**श्री स० चं० सामन्त**: ३६ लाख रुपये की हानि का अनुमान किस प्रकार लगाया गया है ? इसमें कौन कौन सी मदें शामिल हैं ?

†**सरदार मजीठिया** : यह राशि २६ लाख रुपये के आस-पास है, ३६ लाख रुपये नहीं। विवरण इस प्रकार है : विमान की लागत २६ लाख रुपये है, सफाई के सामान की लागत ६,२७०.६९ रुपये है और असैनिक सम्पत्ति अर्थात खड़ी फसल को ३९४ रुपये की हानि हुई।

†**श्री न० रा० मुनीस्वामी** : उपमंत्री महोदय ने बताया कि यह कुछ मशीन की खराबी के कारण हुआ। हम इसका मतलब नहीं समझते। यह बड़ी संदिग्ध बात है। क्या वे इसकी व्याख्या करेंगे कि वास्तव में उनका मतलब क्या है ?

†**सरदार मजीठिया** : यह संदिग्ध नहीं है क्यों कि मैं ने बताया कि यह उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार है। विमान बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। यह ६०० फुट से भी अधिक ऊंचाई पर था और जब उन व्यक्तियों से जांच पड़ताल की गयी जो कि उस समय भूमि पर थे तब इसका पता लगा। उस से यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मशीन के कुछ हिस्सों के बिगड़ने के कारण हुआ। इसीलिये विमान टूट गया और पूर्णतः जल गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन** : इस समिति का प्रतिवेदन कब तक प्राप्त होने की आशा है ?

†**सरदार मजीठिया** : समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है और उसी प्रतिवेदन के आधार पर मैं उत्तर दे रहा हूं ।

सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा

*२३९. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :

क्या गृह-कार्य मंत्री २२ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा को दिल्ली में किसी उपयुक्त स्थान पर प्रतिष्ठित करने का जो प्रश्न विचाराधीन था, उसके बारे में क्या निश्चय किया गया है; और

(ख) उस निश्चय को कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) और (ख). मूर्ति लगाने का सुझाव देने वालों से मूर्ति के लिये उपलब्ध रकम, शिल्पकार का नाम और अन्य सम्बन्धित बातों के बारे में पूछ-ताछ की जा रही है ।

†**श्री आचार** : इस प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जाये ।

(इसके पश्चात् उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा गया)

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो विचार किया जा रहा है, सरकार का क्या अनुमान है कि कब तक उस पर निर्णय हो जायेगा और कब तक मूर्ति की स्थापना हो जायेगी ?

श्री गो० ब० पन्त : मूर्ति की स्थापना में कितना समय लगेगा यह कहना तो कठिन है । मूर्ति के बनने और उस के तैयार होने में जितना भी समय लगे, निर्णय होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, पिछले वर्षों में कुछ प्रश्नों का उत्तर देते हुए शासन की ओर से यह बतलाया गया था कि नई दिल्ली में विदेशी शासकों की जो मूर्तियां हैं, खास कर संसद् भवन को चारों ओर से जो घेरे हुये खड़ी हैं, उनको हटाने का विचार किया जा रहा है और उनको राष्ट्रीय संग्रहालय में रक्खा जायेगा तो क्या सरदार पटेल की मूर्ति उन में से किसी एक स्थल पर लगाई जायेगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह अलग बात है ।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि इंडिया गैट के सामने सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापित की जाय ।

श्री गो० ब० पन्त : कुछ सुझाव हुए थे जिन में कुछ जगहों की तजवीज की गई थी । उन सब को ऐडवाइजरी कमेटी ने देखा है और अब सारे मामले पर विचार हो रहा है कि किस जगह हो, कहां ठीक होगी । जहां तक मैं समझता हूं, उचित निर्णय होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री हेडा :** प्रस्तावक कौन हैं और क्या सरकार इस परियोजना से क्रियात्मक ढंग से सम्बन्धित रहेगी ?

†**श्री गो० ब० पन्त :** मुझे ऐसी आशा है कि इस कार्य में अधिक समय नहीं लगेगा क्योंकि अब यह सरकार के हाथ में है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं यह जानना चाहता हूं कि इस मूर्ति की स्थापना के बारे में किन किन स्थानों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

श्री गो० ब० पन्त : इस बारे में जो ऐडवाइजरी कमेटी बनाई गई है उस ने चार, पांच स्थानों की तजवीज की थी कि उनमें से किसी एक जगह बनाई जाय । उस पर भी विचार हो रहा है कि कौन स्थान ठीक होगा ।

निर्वाचन व्यय

+

†*२४०. { **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री भक्त दर्शन :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज : }

क्या **विधि** मंत्री १७ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १०११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय में कमी करने के बारे में दिये गये सुझावों पर निर्वाचन आयोग ने विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है; और

(ग) क्या आगामी आम चुनावों में कोई नई प्रक्रिया अपनाई जाने वाली है ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) :** (क) राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन व्यय में कमी करने के सम्बन्ध में दिये गये सुझाव अभी निर्वाचन आयोग के विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रश्न के इस भाग का सही सही तात्पर्य स्पष्ट नहीं है । फिर भी यह कहा जा सकता है कि आगामी आम चुनावों में निर्वाचन आयोग जिस नई प्रक्रिया को अपनाने का विचार कर रहा है वह है अधिकांश क्षेत्रों में मतदान की चिन्हांकन प्रणाली और विभिन्न राज्यों में दूर-दूर स्थित स्थानों में जिन तक पहुंच सकना कठिन है और जो पिछड़े हुए उनमें पुरानी मतदान प्रणाली लागू रखना है। निर्वाचन आयोग का विचार मत देने के दिनों और मतदान में लगने वाले कुल समय एवं मतों की गणना में लगने वाले समय में कमी करने का है ।

†**श्री स० चं० सामन्त :** पिछले दो चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा व्यय का गलत हिसाब प्रस्तुत करने के कितने मामलों का पता लगा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री अ० कु० सेन : मुझे खेद है कि यह प्रश्न मुख्य प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†श्री त्यागी : निर्वाचन में व्यय कम करने की दृष्टि से, क्या सरकार अपने व्यय पर मतदाताओं को उनकी पंजीबद्ध क्रम संख्या देने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है क्योंकि उम्मीदवारों को सबसे अधिक व्यय प्रत्येक व्यक्ति के घर जा कर उसकी क्रम संख्या बताने में ही करना पड़ता है ।

†श्री अ० कु० सेन : निस्सन्देह वास्तव में यह प्रश्न उससे उत्पन्न नहीं होता जब तक कि माननीय सदस्य का यह कहना न हो कि दल, स्वयं उम्मीदवार को यह व्यय करना पड़ता है । किन्तु मैं समझता हूं कि यह पहले से ही एक स्थायी नियम है जिसके द्वारा मतदाता को लगभग एक रुपया शुल्क दे कर मतदाता पंजी से अपनी क्रम संख्या मालूम हो सकती है ।

†श्री त्यागी : जान पड़ता है कि माननीय सदस्य ने मेरे प्रश्न को गलत समझा है । मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि क्या सरकार प्रत्येक मतदाता को उसके स्थान पर जा कर उसकी पंजीबद्ध क्रम संख्या बताने की व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है जिससे मतदान के समय मतदाता आ कर अपनी पंजीबद्ध क्रम संख्या बता सके क्योंकि चुनाव में उम्मीदवार को इन संख्याओं का वितरण करने में काफी खर्च करना पड़ता है ।

†श्री अ० कु० सेन : मैं नहीं जानता कि यह सुझाव विशेष निर्वाचन आयोग ने समझ लिया है अथवा नहीं किन्तु यदि उम्मीदवार को इसी काम के लिये अधिकांश व्यय करना पड़ता है तो निस्सन्देह ही इस पर विचार किया जायेगा ।

†श्री जीनचन्द्रन : क्या यह सच नहीं कि केरल में पिछली बार जो आम चुनाव हुये थे, कम्यूनिस्ट उम्मीदवारों ने कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में लाखों रुपया खर्च किया था ?

†श्री अ० कु० सेन : इस प्रश्न का मुख्य प्रश्न से कोई संबंध नहीं है ।

†अध्यक्ष महोदय : इस मामले पर निर्वाचन आयोग विचार कर रहा है । माननीय सदस्य इस पर बाद में सामान्य वाद-विवाद कर सकते हैं । ये मामले ऐसे हैं जिनको प्रश्न काल में नहीं निबटाया जा सकता है ।

कर्मचारियों की भर्ती

+

†*२४२. { **श्री प्र० गं० देव :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्रीमती इला पालचौधरी :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री राम गरीब :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री हेम बरुआ :

क्या गृह-कार्य मंत्री १४ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भिन्न-भिन्न मंत्रालयों को नये उत्पन्न किये गये काम के लिये कर्मचारियों की भर्ती करने के सम्बन्ध में कोई निदेश जारी किये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वे निदेश किस प्रकार के हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). सरकार द्वारा जारी किये गये निदेशों की एक प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६६]**

†**श्री प्र० गं० देव** : सरकारी स्थायी और अस्थायी कार्यालयों में कर्मचारियों की वर्तमान स्थिति कैसी है ?

†**श्री दातार** : मेरे पास इस समय उसके आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री प्र० गं० देव** : उनमें कितने कर्मचारी फालतू हैं ?

†**श्री दातार** : इसका पता लगाया जा रहा है । माननीय सदस्य को कार्यालय के ज्ञापन से पता लगेगा कि उन्हें ये निदेश हैं कि यदि कोई व्यक्ति फालतू हैं तो उसकी सूचना एक केन्द्रीय निकाय को दी जानी चाहिये ।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार के पास उन मंजूर स्थानों की कोई सूची है जिन्हें छः मास पक खाली पड़ा रखा जायेगा । यदि ऐसा है, तो कितने स्थान खाली पड़े रहने दिये गये हैं ?

†**श्री दातार** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं किन्तु मैं बताना चाहूंगा कि यदि किसी मंजूर स्थान को छः मास या उससे अधिक समय से नहीं भरा गया है तो स्वाभाविक है कि उसे आगे तब तक नहीं भरा जायेगा जब तक कि एक वर्ष का विद्यमान प्रतिबन्ध काल समाप्त न हो जाये ।

†**श्री प्र० गं० देव** : विभिन्न मंत्रालयों के बीच फालतू कर्मचारियों का आदान-प्रदान करने के बारे में क्या नियम हैं ?

†**श्री दातार** : इसमें कोई नियम की आवश्यकता नहीं है । बहुधा ऐसा होता है कि कुछ व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है और बाद को वे फालतू हो जाते हैं । जब वे फालतू हो जाते हैं तो फिर प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्या उनकी छंटनी कर दी जानी चाहिये । कहा गया है कि ऐसे सभी मामलों में फालतू व्यक्तियों को केन्द्रीय प्राधिकार को दे दिये जायें कि जिससे उन्हें कहीं और काम में लगाया जा सके ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या शासन के ध्यान में यह बात आई है कि ऐसे सरकुलरों के बावजूद भी अभी तक अधिकांश दफ्तरों में इसका पालन केवल तीसरी और चौथी श्रेणियों के कर्मचारियों की नियुक्ति न करने और उन्हें निकालने में किया जा रहा है और गजेटेड पोस्ट्स बढ़ाई जा रही है ?

†**श्री दातार** : ये प्रश्न सामान्य प्रकार के हैं । सरकार राजपत्रित और अराजपत्रित पदाधिकारियों में कोई भेद नहीं रखती । जब भी वे फालतू होते हैं तो या तो उनकी छंटनी करनी होती है और या उस बारे में कोई और प्रबन्ध करना पड़ता है ।

†मूल अंग्रेजी में

बैंकरों का अन्तर्राष्ट्रीय मिशन

+

†*२४३. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री श्रीनारायण दास :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री महन्ती :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक के अध्यक्ष के सुझाव पर ब्रिटेन, अमरीका और पश्चिमी जर्मनी के प्रमुख बैंकरों का एक प्रतिनिधि मण्डल भारत की आर्थिक आवश्यकताओं का अध्ययन करने के लिये यहां आ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त मिशन क्या होगा ;

(ग) क्या प्रतिनिधिमण्डल ने भारत सरकार को इस बारे में कुछ बताया है कि वह आर्थिक आवश्यकता के किन-किन पहलुओं के बारे में जानना चाहेगा ; और

(घ) यदि हां, तो वे पहलू कौन-कौन से हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) जी हां ।

(ख) मिशन भारत की आर्थिक अवस्था का अध्ययन करेगा और हमारे विद्यमान नियोजित विकास कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा । आशा यह की जाती है कि इस प्रकार के अध्ययन से औद्योगिक रूप से विकसित देशों को हमारी विकास सम्बन्धी कठिनाइयों के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा ।

(ग) और (घ). जी नहीं किन्तु देश के आर्थिक विकास से सम्बन्धित मामलों के बारे में आशा है कि मिशन से बातचीत की जा सकेगी ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार ने विश्व बैंक मिशन को प्रस्तुत करने के लिये तृतीय पंच वर्षीय योजना के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी, इसका मोटे तौर से अथवा कोई संक्षिप्त प्राक्कलन तैयार कर लिया है ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : वह तैयार किया जा रहा है ।

†**श्री तंगामणि** : इस मिशन के भारत आने की कब तक आशा है और वह कब तक यहां ठहरेगा ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मिशन यहां २४ फरवरी की शाम को पहुंचेगा और यहां से २५ मार्च को जायेगा । इस बीच ५ और ८ मार्च के बीच वह पूर्वी पाकिस्तान भी जायेगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : क्या भारतीय नौवहन के प्रश्न पर भी उससे वार्ता की जायेगी ?

†**श्री मोरारजी देसाई** : मैं नहीं समझता कि मिशन किसी विशेष समस्या अथवा समस्याओं के बारे में भी जांच करेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : भारतीय नौवहन बड़ा महत्वपूर्ण विषय है और विदेशी मुद्रा के कारण उसमें कमी आती जा रही है ।

†**श्री मोरारजी देसाई** : सभी संगत बातों पर विचार किया जायेगा । मैं नहीं कह सकता कि वह किन-किन विषयों पर विचार करेगा ।

रत्नागिरि में पुरातत्व संबंधी खुदाई

†*२४४. **श्री प्र० के० देव** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के रत्नागिरि में भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा की गई खुदाई में हाल में क्या मिला है ; और

(ख) उनके संरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) कटक जिले के रत्नागिरि नामक स्थान में १९५८–५९ में पिछली बार जो खुदाई हुई उसका संक्षिप्त प्रतिवेदन "इण्डियन आरकियोलाजी १९५८–५९—ए रिव्यू" के पृष्ठ ३३—३६ में प्रकाशित हुआ है, जिसकी एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) रत्नागिरि में वहीं पर एक संग्रहालय स्थापित करके प्राचीन वस्तुओं का संरक्षण और प्रदर्शन करने का विचार है ।

†**श्री प्र० के० देव** : इन विभिन्न स्मारकों की धूप, वर्षा और जिस स्थान पर वे इस समय रखे हुये हैं वहां से हटाकर उनके संरक्षण के लिये क्या कार्रवाई की जा रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं पहले ही अपने उत्तर में कह चुका हूं कि वहीं पर शीघ्र ही एक संग्रहालय बनाया जाने वाला है । उसके लिये योजना तैयार की जा चुकी है जो कुछ ही समय के भीतर बन कर तैयार हो जायेगी जिससे मूर्त्तियों का पर्याप्त संरक्षण किया जा सकेगा ।

†**श्री प्र० के० देव** : क्या सरकार उस स्थान को मिलाने वाली सड़क की दशा को सुधारने पर विचार कर रही है ?

†**डा० म० मो० दास** : मैं समझता हुं कि यह राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : मिलाने वाली सड़क के बनवाने के लिये राज्य सरकार ने संघ सरकार से कहा था । क्या संघ सरकार ने इस मिलाने वाली सड़क के लिये कुछ राशि देना मजूंर कर लिया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : यह सड़क पुरातत्व विभाग अथवा मंत्रालय द्वारा नहीं बनाई जायेगी अपितु हमने परिवहन तथा संचार मंत्रालय के पर्यटन विभाग को इसकी सिफारिश कर दी है ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पुरातत्व वेत्ताओं ने सर्वप्रथम इस स्थान को कब देखा था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक मुझे ज्ञात है सर्वप्रथम इसका उल्लेख श्री राजेन्द्रलाल मेहता ने अपनी पुस्तक में इसका उल्लेख किया था जो 'एण्टीक्वीटीज आफ उड़ीसा' नाम से १८८० में प्रकाशित हुई थी।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : रत्नागिरि में जो पुरातत्वीय संग्रहालय स्थापित करने का विचार है उस पर कितना खर्च होगा और क्या सरकार का विचार उड़ीसा में १९६०–६१ में और जांच कर के पुरातत्व विभाग के कार्यकलापों को बढ़ाने का है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : इस अवस्था में लागत नहीं बताई जा सकती क्योंकि उसके लिये विस्तृत प्राक्कलन तैयार करना होगा। जहां तक कार्यकलापों के बढ़ाने का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य जानते हो हैं कि उड़ीसा में बहुत सी प्राचीन वस्तुयें पाई जाती हैं। हम कोणार्क में एक संग्रहालय बनाने जा रहे हैं और रत्नागिरि में जो खुदाई हुई है उससे बड़े महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं।

†**श्री शिवनंजप्पा** : नवीनतम जो चीजें मिली हैं उनसे क्या पता लगा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : उससे एक महत्वपूर्ण बौद्धकालीन स्थान का पता लगा है जिसके बारे बारे में पांच-छः साल पहले हमें कुछ भी पता नहीं था।

†**श्री स० चं० सामन्त** : खुदाई पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†**डा० म० मो० दास** : अब तक खुदाई पर लगभग ५४,७०० रुपया व्यय हुआ है।

†**सेठ गोविन्द दास** : उड़ीसा के इसी क्षेत्र से लगा हुआ छत्तीसगढ़ का क्षेत्र भी है और वहां पर कलचुरी और हय हय वंश के राज्यों का विकास बहुत पुराने जमाने में हुआ और क्या इस एक्सकवेशन वर्क को उस तरफ भी बढ़ाने का विचार किया जा रहा है ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : यह जो खुदाई का काम किया गया है यह रत्नागिरी, कटक जिले में किया गया है और समुद्र के वह नजदीक है। यह जो छत्तीसगढ़ है यह वहां से थोड़ा दूर है। उड़ीसा से लगा हुआ जरूर है लेकिन उड़ीसा एक बड़ा प्रान्त है और अगर उसके एक किनारे में खुदाई का काम हो तो दूसरे किनारे में जाना मुश्किल है।

शस्त्रास्त्र कारखाने में उत्पादन

†*२४५. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी शस्त्रास्त्र कारखाने में उतना उत्पादन नहीं होता जिससे देश की असैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ,

†**प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैय्या)** : (क) प्रश्न का तात्पर्य बिल्कुल स्पष्ट नहीं है किन्तु यदि वह शिकार वाली बंदूकों और खेलकूद की राइफलों के निर्माण के सम्बन्ध में है, तो उसका उत्तर "नहीं" है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या प्रतिरक्षा पुनर्गठन समिति ने गोला बारूद बनाने वाले कारखानों का उत्पादन बढ़ाने के बारे में कुछ सुझाव दिये हैं । यदि ऐसा है, तो वे सिफारिशें क्या हैं और उस सम्बन्ध में क्या कार्रवाई की गई है ?

†**श्री रघुरामैया** : मैं नहीं जानता कि माननीय मित्र किस पुनर्गठन समिति का उल्लेख कर रहे हैं । विभिन्न विभागीय समितियों द्वारा समय-समय पर उत्पादन क्षमता की जांच की जा रही है । मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ठीक-ठीक क्या पूछना चाहते हैं ।

†**श्री प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : इन कारतूसों के कम संभरण होने के बारे में कोई भी शिकायत नहीं की गई है । राष्ट्रीय आवश्यकता के कारण आयात बन्द कर दिया गया है । प्रतिरक्षा कारखानों में इस समय जितना उत्पादन हो रहा है उनकी उत्पादन क्षमता उससे कहीं अधिक है किन्तु कागज़ की कमी है । उस कागज़ का आयात करना पड़ेगा । इसमें विदेशी मुद्रा और आयात लाइसेंस का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

दूसरे यदि सारी आवश्यकता की पूर्ति करनी है तो हमें दो पारियों में काम करना पड़ेगा । ऐसा हो तो सकता है लेकिन सामान के बिना नहीं । सामान के संभरण में कमी एक राष्ट्रीय कठिनाई है । हम यथाशक्ति उसे दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं । यदि कागज़ उपलब्ध हो जाता है अथवा वैज्ञानिक लोग उसके स्थान पर प्रयुक्त होने वाली दूसरी चीज़ ढूंढ निकालने के प्रयोग में सफल हो जाते हैं, तो हम आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : माननीय सदस्य किस प्रकार के कागज़ का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : एक विशेष प्रकार का कारतूस बनाने का कागज़ जिसका आयात करना पड़ता है ।

हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की चादरें

+

*२४६. { **श्री पद्म देव** :
श्री भक्त दर्शन :

क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में १९५९ में लोहे की चादरों की कितनी मांग थी ;

(ख) वह कहां तक पूरी की गई ;

(ग) अनेक विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुये सरकार ने हिमाचल प्रदेश को अधिक लोहे की चादरें देने के लिये क्या प्रबन्ध किया है ; और

(घ) यदि कोई प्रबन्ध नहीं किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) ३,६५० टन ।

(ख) १,६३८ टन ।

(ग) और (घ). विकास योजनाओं की इस्पात की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये जहां तक हो सकता है हर प्रकार से कोशिश की जा रही है ।

†**एक माननीय सदस्य** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जाये ।

अध्यक्ष महोदय : जितने लोग हिमाचल प्रदेश से आते हैं वह सब हिन्दी जानते हैं । सवाल हिमाचल प्रदेश के बारे में ही है । जो माननीय सदस्य हिन्दी नहीं जानते हैं धीरे धीरे उन्हें भी हिन्दी सीखनी चाहिये ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, शासन के उत्तर से यह स्पष्ट है कि जितनी मांग की गई थी उसकी आधी की भी पूर्ति नहीं की गई । अतः क्या कोई व्यवस्था की जा रही है कि जो मांग है उसकी पूर्ति हो सके, और जो आगे आने वाली मांग है वह भी पूरी की जा सके ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : यह केवल हिमाचल प्रदेश के साथ ही नहीं है । हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेट्स के साथ भी यही बात है । अभी बाहर से जो शीट्स मंगाने की बात थी वह भी जितने मंगाना चाहते थे नहीं आ सके हैं और यहां के उत्पादन में भी कुछ कमी हुई है । बावजूद इसके पहले से आज हालात अच्छे हैं और कोशिश की जायेगी कि आगे से ज्यादा दिया जाय ।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि कोशिश की जाएगी । तो इस बारे में उनकी कोशिश कब तक सफल हो सकेगी ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : रूरकेला स्टील प्लांट के चालू होने से यह मुश्किल बहुत दूर तक ठीक हो जाएगी ।

रूस से मिट्टी के तेल का आयात

†*२४८. **श्री आचार** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रूस से मिट्टी के तेल का आयात करने पर विचार कर लिया है अथवा कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार और रूस की सरकारों के बीच कोई समझौता हो गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) और (ख). रूस से, रुपयों में भुगतान करके जिसका उपयोग भारत से रूस को अधिक निर्यात करके किया जा सकता है, पेट्रोल उत्पाद जैसे मिट्टी के तेल की जितनी कमी है, आयात करने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है । यद्यपि अभी कोई समझौता नहीं हुआ है, फिर भी आशा यह है कि यथाशीघ्र इस प्रकार का कुछ प्रबन्ध हो जायेगा ।

†**श्री आचार** : यदि यह चीज पक्की हो जाती है तो क्या मिट्टी के तेल का भाव सस्ता हो हो जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मामले पर बात चीत की जा रही है। मूल्य के बारे में क्या स्थिति होगी, यह मैं अभी कुछ नहीं कह सकता।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या आयात की कोई मात्रा का अनुमान कर लिया गया है अथवा वह भी अभी विचाराधीन है।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जी हां, हम लगभग १००,००० टन मिट्टी का तेल आयात करने की संभावना पर बात-चीत कर रहे हैं। आयात के बारे में हमारा कुछ विचार है। इन सब मामलों पर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय और सोवियत रूस के प्रतिनिधियों द्वारा विचार किया जायेगा।

†**श्री मुरारका :** सरकार की सोवियत रूस अथवा अन्य देशों से मिट्टी का तेल आयात करने के बारे में क्या नीति है ? आयात केवल सरकारी क्षेत्र के द्वारा किया जायेगा अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के द्वारा भी ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** पेट्रोल उत्पादों के आयात करने के बारे में सरकार की नीति उन्हें सस्ते से सस्ते भाव पर और यथासंभव अनुकूल शर्तों पर प्राप्त करना है। इस उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुये सरकार का विचार जैसा कि हम अभी तक करते आये हैं उसके अलावा अन्य सूत्रों से आयात की संभावनायें ढूंढ निकालना है। जहा तक सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के द्वारा आयात का सम्बन्ध है, तेल वितरण करने वाली कम्पनियां जितना तेल आयात करती हैं उनके अलावा प्रमुख रूप से पेट्रोल उत्पादों का आयात सरकारी क्षेत्र के द्वारा करने का है किन्तु यदि पेट्रोल उत्पादों का आयात गैर-सरकारी क्षेत्रों के द्वारा करने के लिये कोई प्रस्ताव है, तो उस पर भी विचार किया जायेगा।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** गैर-सरकारी तेल कम्पनियों को भारत में तेल की कमी को पूरा करने के लिये मिट्टी का तेल आयात करने के हेतु कितनी विदेशी मुद्रा उपलब्ध कराई गई थी और अब तक उन्होंने कितनी मात्रा में इसका आयात किया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मिट्टी के तेल के आयात के लिये विदेशी मुद्रा का आवंटन समय-समय पर आवश्यकतानुसार किया जाता है। ये आवंटन तदर्थ होते हैं। इस समय मेरे सामने इसके आंकड़े नहीं हैं। यदि माननीय सदस्य उन्हें जानने में चाव रखते हैं, तो वह अलग से पूर्व-सूचना दे दें और मैं उसका उत्तर दूंगा।

†**श्री मुरारका :** भारत में इस समय लगभग कितने मूल्य का मिट्टी के तेल का आयात होटा है।

†**श्री के० दे० मालवीय :** मोटे तौर से यह राशि १७–१८ करोड़ रुपये है।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** भारत में आज मिट्टी के तेल की कितनी कमी है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** आयात लगभग १७–१८ करोड़ रुपये के मूल्य का किया जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** जितना आयात होता है उतनी ही कमी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस समझौते में इस बात का भी ध्यान रखा जायगा कि रूस से जो तेल हिन्दुस्तान में इम्पोर्ट किया जाए उस में से कम से कम ५० प्रतिशत तेल हिन्दुस्तानी टेंकर्स के द्वारा इम्पोर्ट किया जाए ?

श्री के० दे० मालवीय : मैं इसके बारे में इस समय कुछ नहीं कह सकता क्योंकि मुझे मालूम नहीं हैं कि हिन्दुस्तानी टेंकर्स की उस वक्त क्या स्थिति होगी ।

श्री रघुनाथ सिंह : इंडियन शिपिंग में टेंकर्स हैं ।

श्री के० दे० मालवीय : हैं तो जरूर उनके मारफत आना चाहिए, और मेरा खयाल है कि आएगा भी ।

†**श्री त्यागी :** भारत को मिट्टी के तेल का संभरण करने वाले इन विदेशी समवायों को कितना प्रतिशत लाभ दिया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मुझे इस उन शर्तों की जानकारी नहीं है जिन पर पेट्रोल उत्पादों का आयात किया जा रहा है । यदि माननीय सदस्य पृथक सूचना दें, तो मैं उत्तर दे सकता हूं ।

†**श्री त्यागी :** क्या उन्हें कोई निश्चित प्रतिशत लाभ दिया जा रहा है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** उन्हें जितने प्रतिशत लाभ दिया जा रहा है, उसके लिये कोई प्रतिशत निश्चित नहीं किया गया है । जहां जैसी स्थिति होती है उसी के अनुसार लाभ दिया जाता है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** गत वर्ष जो पेट्रोल उत्पाद मंगाये गये होंगे उन पर कितना लाभ दिया गया था ? उन को कुछ भी नहीं मालूम ।

कोई भी उत्तर नहीं दिया गया

†**श्री आचार :** वार्ता के पूरे होने में कितना समय और लगगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वार्ता लगभग पूरी हो चुकी है और हमें आशा है कि हम कुछ पेट्रोल उत्पाद रूस से मंगायेंगे ?

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** गत वर्ष पेट्रोल उत्पाद मंगाये गये होंगे । इस वर्ष नहीं तो गत वर्ष उन पर उन्हें कितना लाभ दिया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि उनको कितना लाभ मिल रहा है । अथवा यह कि वे मनमाना मूल्य लगा सकते हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** मैं बिना जानकारी के प्रतिशत लाभ के बारे में उत्तर नहीं दे सकता ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** किन्तु सरकार ने गत वर्ष भी पैट्रोल उत्पाद मंगाये थे ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** माननीय सदस्य पृथक प्रश्न की सूचना दें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मद्रास राज्य में इस्पात संयंत्र

+

†*२४९. श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री पांगरकर :
श्री मधुसूदन राव :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री तंगामणि :
श्री सम्पत् :
श्री अय्याकण्णु :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि सलेम के लौह अयस्क और नेवेली लिगनाइट का उपयोग करने के लिये मद्रास राज्य में इस्पात का एक कारखाना स्थापित करना कहां तक ठीक होगा ; और

(ख) क्या इस संबंध में प्रारम्भिक जांच पड़ताल करने के लिये पूर्वी जर्मनो के विशेषज्ञ बुलाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) सलेम के लौह अयस्क और नेवेली के लिगनाइट के आधार पर लौह और इस्पात का एक कारखाना स्थापित करना कहां तक ठीक होगा इस पर विचार किया जा रहा है ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

†**श्री तंगामणि** : क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्र की संभावना पर विचार करने के लिये मद्रास और संघ के मंत्रियों की एक प्रविधिक समिति स्थापित की गई है और यदि हां, तो वह समिति, अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत करेगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : एक प्रविधिक समिति स्थापित की गई है । इसने काम करना शुरू कर दिया है, किन्तु मैं यह नहीं कह सकता कि वह कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ?

†**श्री तंगामणि** : क्या इस काम को शीघ्र न करने का एक कारण यह है कि कोकिंग कोयला उपलब्ध नहीं है और क्या धनबाद की ईंधन अनुसंधान संस्था तथा जमशेदपुर की प्रयोगशाला से यह जांच करने को कहा गया है कि क्या कोयले के चूरे के डिल्ले इस काम में आ सकते हैं ? यदि हां तो उन्होंने क्या पता लगाया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ठीक है कि मुख्यतः कोकिंग कोयले के न मिलने के कारण में ही दक्षिण में इस्पात संयंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता । वस्तुतः लौह अयस्क दक्षिण में हो

---

†मूल अंग्रेजी में

उपलब्ध नहीं है अपितु देश के कुछ अन्य भागों मुख्यतः पश्चिमी भारत में भी उपलब्ध है। किन्तु कोकिंग कोयले के न मिलने को वजह से ढलाई का काम नहीं हो सकता। ईंधन अनुसंधान संस्था धनबाद, और राष्ट्रीय धातु विज्ञान संबंधी प्रयोगशाला, जमशेदपुर, दोनों में कुछ प्रयोग इस संबंध में हो रहे हैं कि क्या लिगनाइट के मिश्रण ढलाई के काम के लिये इस्तैमाल किये जा सकते हैं। किन्तु अभी प्रयोग हो रहे हैं और अभी यह बताना कठिन है कि क्या यह प्रक्रिया सफल सिद्ध होगी।

†**श्री तंगामणि :** क्या माननीय मंत्री ने १९-१-६० को यह नहीं कहा था कि सलेम में मिलने वाला लौह अयस्क बढ़िया किस्म का है और उस क्षेत्र से राष्ट्रीय सम्पति के विकास के लिये उसको उपयोग में लाने के हेतु कार्यवाही की जानी चाहिये ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह सच है कि लौह अयस्क अच्छी किस्म का है किन्तु उसको इस्तैमाल करने के लिये कोई ऐसा भी पदार्थ चाहिए जिस से उसकी ढलाई हो सके। मैंने अपने पहले वाले उत्तर में यही कहा था।

†**श्री ना० रा० मुनिस्वामी :** सलेम के लौह अयस्क में लोहे की जितनी मात्रा है उसकी उसकी दृष्टि से वहां का लौह अयस्क संसार में सब से अच्छी किस्म का है। क्या मंत्रालय ने योजना आयोग से विशेष रूप से इसके लिये कहा है कि वह उस क्षेत्र में इस्पात परियोजना की शीघ्र स्थापना की व्यवस्था करें।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** यह प्रश्न बिल्कुल भी नहीं उठता। यह सोचना व्यर्थ है कि वहां इस्पात संयंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। यदि वहां कोकिंग कोयला उपलब्ध होता तो निश्चय ही संयंत्र स्थापित किया जाता। किन्तु वहां कोकिंग कोयला बिल्कुल भी नहीं है अतः लौह अयस्क कितना भी अच्छा क्यों न हो वह कोकिंग कोयले का स्थान नहीं ले सकता।

†**श्री आचार :** क्या ऐसा कोई अनुमान लगाया गया है कि लौह अयस्क वाले स्थानों को कोक ले जाने में कितनी लागत आयेगी ? कोक ले जाने के कारण कितनी अतिरिक्त लागत आयेगी ? क्या इन बातों का अनुमान लगा लिया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। माननीय सदस्य जिस राज्य के रहने वाले हैं, वहां एक इस्पात संयंत्र है और वहां उस क्षेत्र से, जहां मुख्य रूप से कोक का उत्पादन होता है, कोक ले जाना होता है। इस प्रकार कोक भेजने में काफी लागत आती है। यह भी स्वीकार करना चाहिए कि दूर के स्थानों के लिए कोयला भेजने के भाड़े की दरों में उत्तरोत्तर कमी होती जाती है और उस में एक प्रकार से सहायता का भाव छिपा हुआ है।

†**श्री त० ब० विठ्ठल राव :** माननीय मंत्री ने कहा कि कुछ प्रयोग किया जा रहा है। निम्न उदग्र[1] की जो प्रक्रिया जमशेदपुर में काम में लाई जा रही है क्या उसी से यह प्रयोग किया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने यही कहा था कि जमशेदपुर में निम्न उदग्र प्रक्रिया काम में लाई जा रही है। जैसा मैंने पहले सभा में कहा था, ये प्रयोग विभिन्न तरह के लौह अयस्क तथा लिग-नाइट के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के ईंधन से किये जा रहे हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर नहीं दिया गया है जिसमें यह पूछा गया था कि क्या जांच करने के लिए पूर्वी जर्मनी से विशेषज्ञ बुलाये गये हैं। इसके अतिरिक्त,

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Low Sahft.

क्या अन्य देशों से भी जांच करने के लिए विशेषज्ञ बुलाये जाते हैं और यदि हां तो उन देशों के नाम क्या-क्या हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : हमारे अपने विशेषज्ञ जांच कर रहे हैं।

†**श्री मुरारका** : माननीय मंत्री का कहना है कि इस बात की जांच की जा रही है कि मद्रास राज्य में कारखाने की स्थापना करना कहां तक ठीक होगा। कौन से व्यक्ति वस्तुतः इस सम्बन्ध में जांच कर रहे हैं और उन्होंने इस कारखाने की स्थापना की संभावना की जांच के सम्बन्ध में कितनी प्रगति कर ली है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैंने इस सम्बन्ध में तीन बातें बताई हैं। एक यह है कि प्रविधिक समिति नियुक्त की गई है, दूसरी यह है कि जमशेदपुर में प्रयोग किया जा रहा है और तीसरी यह है कि ईंधन अनुसंधान संस्था, द्वारा धनबाद में प्रयोग किया जा रहा है।

†**श्री रामनाथन् चेट्टियार** : यह देखते हुए कि दक्षिण में विशेषतः मद्रास में कोई बड़ा इस्पात संयंत्र नहीं है, जहां बहुत अच्छा लौह अयस्क पाया जाता है और यह देखते हुए कि सरकार ने प्रविधिक समिति स्थापित की है, इस काम को शीघ्र करने तथा मद्रास राज्य में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने की दिशा में सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह वही प्रश्न है जो दूसरे शब्दों में पूछा गया है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जो पग इस समय उठाये गये हैं उनके अतिरिक्त हम और कुछ नहीं कर सकते। आगे की कार्यवाही इस बात पर निर्भर रहेगी कि जिन प्रक्रियाओं की जांच की जा रहीं हैं वे कहां तक सफल होती हैं।

औद्योगिक वित्त निगम

\+

†*२५०. { **श्री वासुदेवन नायर :**
श्री नागी रेड्डी : }

क्या **वित्त** मंत्री ११ सितम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या १३९४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में औद्योगिक वित्त निगम के कार्यालय के लिए खरीदी गई भूमि के बेचने से हुई हानि की जांच क्या इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या पता लगा है; और

(ग) क्या सामूहिक अथवा व्यक्तिगत रूप से किन्हीं व्यक्तियों को इसके लिए उत्तरदायी ठहराया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ती तारकेवरी सिन्हा)** : (क) से (ग). सरकार ने जांच पूरी कर ली है और जच के लिए लेखा-परीक्षा विभाग को टिप्पण का जो प्रारूप भेजा गया था वह अभी वापस आया है। यह लोक लेखा समिति को सौंपा जा रहा है।

†**श्री वासुदेव नायर** : इसके पूरे होने में कितना समय लगेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : सरकार निर्णय कर चुकी है और उसे लोक लेखा समिति को भेज रही है । जांच होने के बाद यह लेखा-परीक्षा विभाग से लौट आया है और लोक लेखा समिति को सौंपा जा रहा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : इसमें कितनी हानि हुई थी ?

†**श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा** : यही प्रश्न कई बार पूछा गया है । इस में लगभग २ लाख रुपये अर्थात् ठीक-ठीक १,९८,४६६ रुपये की हानि हुई ।

नई दिल्ली में टायरों का कारखाना

†*२५१. **श्री प्र० गं० देव** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य निर्यात-आयात बैंक ने नई दिल्ली में रबड़ टायरों के एक कारखाने के निर्माण में सहायता देने तथा उसके लिए धन जुटाने के लिए २२५ करोड़ रुपये का ऋण स्वीकार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और यह ऋण किसको दिया गया है ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) जी नहीं, श्रीमान् निर्यात-आयात बैंक, वाशिंगटन द्वारा प्राधिकृत ऋण की राशि २२५ लाख रुपये है २२५ करोड़ रुपये नहीं । इस रुपये की सहायता से औद्योगिक संयंत्र बल्लभगढ़, जिला गुड़गांव, पंजाब में स्थापित किया जायेगा ।

(ख) बैंक ने सिद्धान्त स्वरूप पी एल ४८० रुपये की निधि में से, जो उसके द्वारा व्यापारिक सार्थों को उधार देने के लिए नियत की जाती है, गुडइयर टायर एण्ड रबड़ कम्पनी आफ इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड के लिए ऋण देना स्वीकार किया है । इस राशि का उपयोग रबड़ की वस्तुयें बनाने वाले कारखाने की स्थापना तथा उसके संचालन के सम्बन्ध में भारत में भूमि प्राप्त करने, भवनों का निर्माण करने तथा भारतीय उद्भव की मशीनें बनाने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए किया जायेगा । इस ऋण का भुगतान लगभग १८ छमाही किश्तों में, जो १५ फरवरी, १९६३ से पूर्व आरम्भ नहीं होंगी, किया जायेगा । ६ प्रतिशत की दर से ब्याज लिया जायेगा जो हर छः महीने बाद देना पड़ेगा ।

†**श्री राधा रमण** : इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ? क्या उसका कुछ भाग केन्द्र द्वारा अथवा राज्य सरकारों द्वारा अथवा दिल्ली प्रशासन द्वारा भी वहन किया जायेगा ?

†**श्री ब० रा० भगत** : कौन सी योजना, श्रीमान् ?

†**श्री राधा रमण** : टायरों की योजना ।

†**श्री ब० रा० भगत** : यह गैर-सरकारी उद्योग है । राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

---

†मूल प्रश्न अंग्रेजी में

हिन्दी-निदेशालय

+

*२५६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री पांगरकर

क्या **शिक्षा** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२६ के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शिक्षा मंत्रालय के अधीन हिन्दी के लिए अलग निदेशालय खोलने के प्रश्न के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ख) उक्त निदेशालय को क्या कार्य सौंपे जा रहे हैं ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) यह निदेशालय ३१ मार्च, १९६० तक खोलने के लिए कार्यवाही की जा रही है ।

(ख) इस निदेशालय के निम्नलिखित मुख्य कार्य होंगे :—

(१) हिन्दी को समृद्ध बनाने के लिए शब्दावली बनाना और हिन्दी शब्दकोश, विश्वकोश इत्यादि तैयार करना;

(२) साहित्य तैयार करना, प्रमाणिक पुस्तकों के अनुवाद आदि द्वारा हिन्दी के विकास सम्बधी कार्य;

(३) हिन्दी भाषा के प्रचार और प्रसार को प्रोत्साहन देना ।

[इसके बाद उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा गया]

श्री भक्त दर्शन: श्रीमन्, जब कि यह प्रश्न भारत सरकार के विचाराधीन पिछले अनेक वर्षों से रहा है, तो वे कौन सी खास अड़चनें हैं, जिन की वजह से इस की स्थापना नहीं हो पाई है ?

डा० का० ला० श्रीमाली: पिछले वर्षों से तो नहीं, पिछले महीनों में इस पर विचार हो रहा है और फ़ाइनेंस मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री से इस बारे में मशवरा करना था और अब वह निश्चय हो गया है । मैं आशा करता हूं कि ३१ मार्च से पहले पहले डायरेक्ट्रेट स्थापित हो जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि इस निदेशालय का अधिकारक्षेत्र क्या होगा, क्या यह सीधे माननीय मंत्री जी के आदेश के अनुसार चलेगा या फिर वही क्रम चलेगा, कि अंडर सेक्रेट्री, फिर डिप्टी सेक्रेट्री, फिर ज्वायंट सेक्रेट्री, फिर एडिशनल सेक्रेट्री और फिर सेक्रेट्री होंगे और इन छलनियों में छनते छनते चीज़ समाप्त हो जायेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : डायरेक्टोरेट को काम करने की काफी स्वतंत्रता होगी लेकिन मोटी मोटी पालिसीज़ का जहां तक प्रश्न है, यह तो स्वाभाविक है कि उनका फैसला मिनिस्ट्री से राय ले करके हो । लेकिन जहां तक काम का ताल्लुक है, काम करने वालों को काफी स्वतंत्रता होगी इसलिए कि यह काम आसानी से आगे बढ़ सके । इसी दृष्टि से अलग डायरेक्टोरेट स्थापित किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेठ गोविन्द दास : अभी अभी भाषा आयोग की रिपोर्ट और संसदीय भाषा समिति की रिपोर्ट पर भी लोक सभा में और राज्य सभा में बहस हुई थी और इस सम्बन्ध में भी आगे काम किस प्रकार चलाना है इस विषय में गृह मंत्रालय और हमारे राष्ट्रपति जी कुछ विचार कर रहे होंगे। क्या इस निदेशालय के पास यह काम भी सोंपा जाएगा कि इस सम्बन्ध में सरकार जो कुछ भी निर्णय करे, उसको भी शीघ्र से शीघ्र कार्यरूप में परिणत किया जाए ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी हां, जो भी निर्णय होंगे हिन्दी के प्रसार और प्रचार के सम्बन्ध में, वे काम यह डायरेक्टोरेट लेगा। अगर कोई नया काम बढ़ा और नई जिम्मेदारी आई तो जहां तक डायरेक्टोरेट का सम्बन्ध है वह उसको उठाने का प्रयत्न करेगा।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, अभी तक सब से बड़ी शिकायत यह रही है कि जिन अधिकारियों के हाथों में हिन्दी का काम रहा है हिन्दी के भूत, वर्त्तमान और भविषय के बारे में उनको कोई विश्वास नहीं रहा है, न उनकी कोई आस्था रही है। तो क्या इस डायरेक्टोरेट का काम ऐसे व्यक्तियों के हाथों में दिया जाएगा जिन के अन्दर काम करने का एक उत्साह हो, हिन्दी के प्रति लगन हो ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जी नहीं, आपका यह अनुमान ठीक नहीं है। इन पिछले दो एक सालों से जो भी व्यक्ति हिन्दी का काम करते रहे हैं,उनको हिन्दी का बहुत अच्छा ज्ञान है, हिन्दी के वे प्रेमी हैं और जैसा आप रिपोर्टों में देखेंगे पिछले कुछ समय से काफ़ी प्रगति हिन्दी के प्रसार में हुई है।

श्री ब्रज राज सिंह : क्या इस निदेशालय के कर्त्तव्यों में से एक कर्त्तव्य यह भी होगा कि यह निदेशालय ऐसी व्यवस्था करे कि १९६५ तक हिन्दी को पूर्ण रूप से समृद्ध बनाया जा सके और सभी क्षेत्रों में अंग्रेज़ी के स्थान पर हिन्दी में काम किया जा सके ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो कुछ भी पार्लियामेंट का इस सम्बन्ध में आखिरी फ़ैसला होगा प्रेज़ीडेंट साहब की और पार्लियामेंट की जो भी इस मम्बन्ध में नीति होगी, उसको कार्यान्वित करने में यह योग देगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या इस निदेशालय को हिन्दी के अतिरिक्त और भी जो भारतीय भाषायें हैं जिन को कि हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है, उनके सम्बन्ध में भी और उनके विकास के सम्बन्ध में भी कुछ करने का अधिकार रहेगा या यह केवल हिन्दी के सम्बन्ध में ही कार्य करेगा ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो डायरेक्टोरेट स्थापित किया जा रहा है, यह तो हिन्दी के लिए ही स्थापित किया जा रहा है।

राष्ट्रीय सेवा परियोजनायें

+

†*२५७. श्री भक्त दर्शन :
श्री मती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री ० च० का० भट्टाचार्य :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **शिक्षा** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अग्रिम राष्ट्रीय सेवा परियोजनाओं के रूप तथा व्याप्ति की व्याख्या करने के लिए डा० सी० डी० देशमुख के सभापतित्व में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई समिति ने क्या अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उनकी कार्यान्विति के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

(ग) राष्ट्रीय सेवा का एक विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक कार्यकारी दल नियुक्त किया जा रहा है ।

विवरण

राष्ट्रीय विस्तार समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं :—

१. **अनिवार्य**—व्यक्तियों में सुधार लाने के लिए, जिनकी देश के लिए आवश्यकता है, राष्ट्रीय सेवा की किसी भी योजना को अनिवार्य बनाना होगा और तभी वह प्रभावी सिद्ध हो सकती है । किसी भी आधार पर किसी को भी छूट नही देनी चाहिए ।

२. **अवधि**—राष्ट्रीय सेवा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए एक वर्ष में कम से कम नौ महीने अवश्य मिलने चाहिएं ।

३. **अवस्था**—राष्ट्रीय सेवा में युवकों को लगाने के लिए सर्वोत्तम अवस्था यह है जब वे हायर सेकेन्डरी स्कूल से अथवा विश्वविद्यालय से पूर्व की परीक्षा पास करके निकलते हैं और जीवन में अपना विश्वविद्यालय में प्रवेश करने के लिए तैयार होते हैं । वर्त्तमान माध्यमिक शिक्षा में जो कमी छूट जाती है वह एक वर्ष की राष्ट्रीय सेवा से पूरी हो जायेगी और उससे युवक जीवन तथा विश्वविद्यालय दोनों के लिए अधिक योग्य बन जायेगा ।

४. **विषय**—विषय इस प्रकार चुना जाना चाहिए जिससे युवक के सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा चरित्र का सुधार हो । इसमें सैनिक अनुशासन, राष्ट्रीय सेवा तथा शारीरिक श्रम और सामान्य शिक्षा सम्मिलित हो ।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. **संगठन**––कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिए एक संगठन की आवश्यकता होगी। यह संगठन उदार तथा स्वतंत्र होना चाहिए। राष्ट्रीय सेवा की योजना बनाने, उसे कार्यान्वित करने तथा उसका मूल्यांकन करने के लिए एक राष्ट्रीय बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए। इसके पहले युवकों के लिए काम एक विस्तृत योजना सावधानी से तैयार कर लेने चाहिए और इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षाविदों, प्रशासकों, प्रतिरक्षा विशेषज्ञों आदि के प्रतिनिधियों का एक कार्यकारी दल स्थापित कर लिया जाये।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जब यह कमेटी श्री देशमुख जी के सभापतित्व में नियुक्त की गई थी उस समय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि इस सामाजिक सेवा के कार्य को अनिवार्य न बनाया जाए। अब इस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें कहा है कि इसको अनिवार्य बनाया जाए। ऐसी स्थिति में क्या यह प्रश्न फिर शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में या शिक्षा विशेषज्ञों के सम्मेलन में रखा जाएगा और क्या इस कारण इसमें देरी होगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसको सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड के सामने रखा गया था जिस में सब राज्यों के मंत्री और प्रतिनिधि और कुछ वाइस चांसलर भी थे। सैंट्रल एडवाइज़री बोर्ड ने इस नेशनल सर्विस स्कीम को माना और उन्होंने यह सिफारिश की कि जितनी जल्दी हो, इसको कार्यान्वित किया जाए।

†**श्री भक्त दर्शन** : श्रीमान्, माननीय मंत्री जी ने कहा था कि जितनी जल्दी हो इसको कार्यान्वित किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं कि कितनी जल्दी इसमें की जाएगी, और कब तक यह स्कीम लागू हो सकेगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : वर्किंग ग्रुप नियुक्त हो रहा है, जो इसकी डिटेल्स, खर्चा वगैरह कितना लगेगा, किस तरह से स्कीम को कार्यान्वित करना है, यह सब देखेगा। यह बहुत बड़ी स्कीम है और इस सम्बन्ध में जितनी जल्दी हो सकेगा, फसला किया जाएगा।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या यह जो योजना कार्यान्वित की जायेगी उस पर कितना व्यय होगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : योजना पर कितना व्यय होगा इसका अनुमान लगाया जा रहा है। एक कार्यकारी दल स्थापित कर दिया गया है और वह इस मामले को देख रहा है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : ऐसा प्रतीत होता है कि किसी भी आधार पर कोई छट नहीं दी जाती है। क्या लड़कियों तथा असमर्थ लड़कों को छट है ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : समिति की सिफारिशें यह हैं कि बीमारी के आधार को छोड़कर और किसी भी आधार पर छूट नहीं दी जानी चाहिए।

†**श्री अरविन्द घोषाल** : क्या एक सम्मेलन में राज्य के मंत्रियों ने यह निर्णय किया था कि राष्ट्रीय सेवा स्वेच्छिक हो तथा अग्रिम परियोजनाओं द्वारा की जानी चाहिए।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : यह मंत्रियों के सम्मेलन का मूल सुझाव था। इस समिति ने, जिसने इस संम्पूर्ण प्रश्न की जांच की थी, यह सुझाव दिया था कि जब तक योजना अनिवार्य नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

बना दी जाती, यह प्रभावी सिद्ध नहीं होगी । जैसा मैंने कहा इस प्रतिवेदन पर केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड ने विचार किया था और उसने देशमुख समिति की सिफारिशों का अनुमोदन किया । अब कार्यकारी दल प्रतिवेदन की जांच कर रहा है ।

†**श्री त्यागी** : इस योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व क्या सरकार इसको परीक्षा के लिए सभा के समक्ष रखना चाहती है ताकि इस योजना में रुचि लेने वाले विभिन्न राजनैतिक दल तथा व्यक्ति इस पर अपने विचार प्रकट कर सकें ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : मैंने पहले ही एक बार यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही योजना बन कर तैयार हो जायेगी संसद् को उस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा । यह मुख्य योजना है और सभा में इस पर पूरी तरह से चर्चा की जायेगी ।

†**श्री त्यागी** : इस योजना के कार्यान्वित होने पर क्या साधु समाज, भारत सेवक समाज तथा इसी प्रकार के अन्य समाज इस योजना के साथ ही जोड़ दिये जायेंगे या इसके साथ-साथ वे भी काम करते रहेंगे ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : हमें भारत सेवक समाज अथवा साधु समाज से कोई सरोकार नहीं है । उनकी अपनी इच्छानुसार काम करने की स्वतंत्रता है ।

†**श्रीमती रेणुका राय** : अभी माननीय सदस्य श्री न० रा० मुनिस्वामी ने कहा था कि लड़कियों तथा असमर्थ लड़कों को छूट होनी चाहिए तो माननीय मंत्री ने हां में उत्तर दिया था ।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : जी नहीं । माननीय सदस्या मेरी बात नहीं समझीं । मैंने स्पष्ट शब्दों में यह कहा था कि सिफारिश यह की गई है कि बीमारी के आधार के अलावा और किसी को भी छूट नहीं देनी चाहिए ।

†**श्री त्यागी** : माननीय सदस्या यह पूछना चाहती हैं कि असमर्थ व्यक्तियों की श्रेणी में लड़कियां आती हैं अथवा नहीं . . (**अन्तर्बाधा**)

†**अध्यक्ष महोदय** : इस तरह से दूसरों का अपमान करना है ।

†**श्री तंगामणि** : इस सिफारिश को देखते हुए कि प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त समय विश्वविद्यालय जाने से पूर्व का समय है, क्या कम से कम आने वाले वर्ष में यह योजना, इसके पूर्व कि इसको अन्तिम रूप दिया जाये, राष्ट्रीय सेनाछात्र दल को सौंपी जायेगी ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : इसको राष्ट्रीय सेनाछात्र दल को सौंपने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह बिल्कुल दूसरी योजना है । राष्ट्रीय सेनाछात्र दल का कार्यक्रम सैनिक शिक्षा के लिए है और यह योजना राष्ट्रीय सेनाछात्र दल के अन्तर्गत नहीं आती ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह काम के लिए एक सुझाव है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पु० क० पटेल** : ग्रामीण क्षेत्रों में जो योजना चलाई जायेगी वह क्या एक स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा चलाई जायगी यद्यपि विकास बोर्ड अथवा भारत सेवक समाज या साधु समाज इत्यादि जैसे अन्य अभिकरण विद्यमान है ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या एक स्वतन्त्र अभिकरण द्वारा यह योजना चलाई जायेगी। इसके अतिरिक्त मैं यह जानना चाहता हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार का काम किया जायेगा ?

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : सभा के लाभ के लिये प्रतिवेदन के छपते ही मैं उसकी प्रतियां संसद् पुस्तकालय में रख दूंगा।

†**श्री जाधव** : श्रीमान्, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं ? मैंने कई बार अपनी ओर आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको कोई अन्य अवसर दे दूंगा।

†**श्री जाधव** : आपका ध्यान आकर्षित करना बड़ा कठिन होता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं सबकी ओर ध्यान देता हूं। प्रतिवेदन संसद् पुस्तकालय में रख दिया जायेगा और सभा को उस पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा। मैं उस समय माननीय सदस्य को अवश्य ध्यान रखूंगा। अगला प्रश्न।

ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्रण

†*२५८. **श्री हेम राज** :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ८७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवालामुखी में तेल के लिये छिद्रण के कार्य में और कितनी प्रगति हुई ;

(ख) उनका अभी तक क्या नतीजा निकला है ;

(ग) क्या उस क्षेत्र में पाई गई प्राकृतिक गैस के सम्बन्ध में कोई निर्धारण किया गया है ; और

(घ) और अधिक कुएं खोदने के सम्बन्ध में क्या कार्यक्रम निर्धारित किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) ज्वालामुखी के गहरे कुएं नम्बर १ से प्राप्त होने वाले तेल का अभी तक परीक्षण किया जा रहा है। तीन और स्थानों का भी परीक्षण किया जा चुका है। छिद्र संख्या ५ को (जिसकी गहराई ६२१ मीटर है) बढ़ाने का कार्य पूरा हो गया है। अब उस छिद्र को चारों ओर से पक्का किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) एक उस स्थान के अतिरिक्त जिससे लगभग एक वर्ष पूर्व गैस निकली थी, एक और स्थान के परीक्षण से भी गैस उपलब्ध हुई है और दो अन्य स्थानों से नमकीन पानी निकला है।

(ग) जी, नहीं। निर्धारण इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता।

(घ) गहरे कुओं के लिये दो स्थान निश्चित कर लिये गये हैं। ज्वालामुखी कुआं संख्या १ का परीक्षण पूरा हो जाने के बाद इन में से एक छिद्रण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

†**श्री हेम राज :** पिछली बार जब प्रश्न पूछा गया था, उस समय हमें यह बताया गया था कि लगभग तीन सप्ताहों तक परीक्षणों से कोई नतीजा निकल आयगा। हम जानना चाहते हैं कि उनसे क्या-क्या नतीजा निकला है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : ज्वालामुखी गहरे कुएं संख्या १ का गत १२ महीनों से परीक्षण किया जा रहा है। पिछली बार जब मैंने उत्तर दिया था उस समय तक चार स्थानों के सम्बन्ध में परीक्षण किये जा चुके थे। उसके बाद तीन और कुओं का भी परीक्षण किया जा चुका है। यह एक अत्यन्त लम्बी प्रक्रिया होती है। अभी कुछ दिन पूर्व ही एक और स्थान से कुछ गैस निकली है। दो स्थानों में इस गहरे कुएं संख्या १ से यह गैस निकली है। इस बारे में अन्तिम निर्धारण करना अभी बाकी है।

†**श्री दलजीत सिंह :** इस समय ज्वालामुखी में कितने विदेशी विशेषज्ञ तेल के लिये भूमि छिद्रण का कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** कुछ एक रूमानिया के विशेषज्ञ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग की सहायता कर रहे हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई अनुमान लगाया है कि देश में तेल के कुल कितने निक्षेप हैं ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, नहीं, अभी तक नहीं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या उस क्षेत्र में कोई और कुआं भी खोदा जायेगा ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** हमारा विचार यही है कि इस छिद्र से परिणाम ज्ञात होते ही उस क्षेत्र के आस पास कई और छेद भी किये जायेंगे। हमने कुछ एक स्थानों का पता लगा लिया है और तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग नये कुओं के स्थानों के सम्बन्ध में विचार कर रही है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या १६६० में ज्वालामुखी क्षेत्र में कुछ और कुएं खोदने की कोई संभावना है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां। हमारा इस वर्ष ज्वालामुखी क्षेत्र में एक या दो और कुएं खोदने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संयुक्त राष्ट्र आपात सेना

+

†*२५६. { **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती फीदा अहमद :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह **बताने की कृपा** करेंगे कि :

(क) क्या यह **सच है कि** ५ जनवरी, १९६० की रात को गाजा पट्टी में एक दुर्घटना में संयुक्त राष्ट्र आपात सेना के साथ गश्त करते हुए दो भारतीय सैनिक मारे गये थे और ९ घायल हो गये थे ; **और**

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) जी, हां ।

(ख) ५ जनवरी, १९६० के प्रातःकाल को संयुक्त राष्ट्र आपात सेना की सहायता करने वाले ४ कुमाऊं दस्ते के कुछ एक सैनिकों ने गुरु गोविन्द सिंह का जन्म दिन मनाने के लिये रफाह के गुरुद्वारा में जाने के लिये 'डेर-अल्-बल्लाह' स्थित अपने मुख्यालय से प्रस्थान किया था। वह ट्रक रफाह से वापिस आने के लिये १० बजे रात को चला। वापिस आते हुए एक रेल के फाटक को पार करते हुए वह ट्रक एक माल गाड़ी के इंजन से टकरा गया। उससे ट्रक की पिछली धुरी निकल गई और वह ट्रक लगभग एक हजार गज तक स्वयं ही खिंचता गया और ड्राइवर उसे रोक न सका, जिसके परिणामस्वरूप ९ व्यक्ति ट्रक से बाहर गिर गये और उन्हें गहरी चोटें आईं ; शेष दो व्यक्ति जो ट्रक में ही रह गये थे, मारे गये ।

एक जांच न्यायालय नियुक्त कर दिया गया है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या मारे गये सैनिकों के परिवारों को संयुक्त राष्ट्र संघ से प्रतिकर दिया जायेगा ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** इस सम्बन्ध में संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत सरकार में एक विशेष प्रकार की व्यवस्था निर्धारित की गयी है। इससे उन्हें कोई हानि नहीं होगी।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** उस जांच न्यायालय के कौन-कौन सदस्य हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन :** वह तो सैनिक नियमों के अनुसार ही नियुक्त किया जाता है। उसमें उस यूनिट का कमांडिंग अफसर या उसके द्वारा निर्देशित कोई और व्यक्ति रखा जायेगा उसमें कोई भी असैनिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होगा।

आंध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेप

†*२६०. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के भूत्तवीय सर्वेक्षण ने आंध्र प्रदेश के बितसैंटा के निकट तांबे के निक्षेपों के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ; और

(ग) क्या भारतीय खान ब्योरो उन निक्षेपों की मात्रा के सम्बन्ध में कोई जांच करने के बारे में कोई कार्यवाही करने का विचार रखता है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी, हां ।

(ख) उसका परणाम उत्साहवर्धक नहीं है। भारत के भुतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किये गये कार्यों के परिणामस्वरूप ऐसा कोई संकेत नहीं मिला है जिससे यह ज्ञात हो सके कि वहां पर अधिक मात्रा में तांबा पाया जाता है।

(ग) क्योंकि अभी तक उपलब्ध हुए संकेतों से यह ज्ञात नहीं होता कि वहां पर पर्याप्त मात्रा में धातु पाई जाती है। इस लिये फिलहाल वहां पर धातु की मात्रा जानने के लिये जांच करने का हमारा कोई इरादा नहीं है, परन्तु फिर भी उस क्षेत्र को छोड़ने से पहले उस प्रदेश का निरीक्षण करने के लिये एक दल भेजने का विचार है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** माननीय सभा-सचिव ने बताया है कि प्राप्त होने वाले परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं। उस क्षेत्र से पाये गये आयस्क में तांबे का कितना अंश है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :** मेरे पास इस समय ये आंकड़े नहीं हैं, परन्तु उस क्षेत्र की अच्छी प्रकार से जांच कर ली गई है और प्राप्त होने वाले परिणाम अनुकूल नहीं हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** उनके पास व्योरे नहीं हैं, उनके पास केवल परिणाम हैं।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या यह सच है कि इस अयस्क के प्राप्त होने वाला तांबा घटशिला से प्राप्त होने वाले तांबे से बहुत बढ़िया है ?

श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा : यदि यह बढ़िया होता, तो वहां से तांबा निकालने के प्रश्न पर अवश्य विचार किया जाता ।

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि आन्ध्र प्रदेश में तांबा निकालने के काम को क्यों छोड़ दिया गया है ।

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा इस क्षेत्र का सर्वेक्षण किया गया था । यहां पर प्राप्त होने वाले तांबे के अयस्क की मात्रा इतनी कम है कि सभी प्रौद्योगिकीय दृष्टियों से विचार करने के बाद हम इसी परिणाम पर पहुंचे हैं कि वहां से तांबा निकालना लाभदायक सिद्ध नहीं होगा । फिर भी हम उस क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करने के लिए एक अधिक शक्ति सम्पन्न दल भेज रहे हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह भी एक सामान्य सा बयान दिया गया है ।

†**श्री के० दे० मालवीय :** श्रीमन्, यह कोई सामान्य बयान नहीं है अपितु यह तो एक प्रौद्योगिक बयान है । जिस भी स्थान पर तांबा अधिक मात्रा में नहीं मिलता है वहां हम उसकी मात्रा का निर्धारण नहीं करते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमें प्रति वर्ष लगभग १५ करोड़ रुपयों की कीमत का तांबा आयात करना पड़ता है, क्या सरकार इस क्षेत्र की गहन खोज करने का यत्न करेगी ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : जी हां, हम तांबे के लिए गहन खोज कर रहे हैं और इसके लिए एक विशेष यूनिट स्थापित किया गया है । यदि आवश्यकता हुई तो हम इस क्षेत्र की पुनः जांच करायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि प्रश्न के भाग (ख) का उत्तर पूरा नहीं है । सर्वेक्षण के परिणाम के सम्बन्ध में पूछे गये इस प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री कह सकते थे कि वहां से प्राप्त अयस्क की किस्म बढ़िया नहीं है या उसकी मात्रा पर्याप्त नहीं है । परन्तु उन्होंने ऐसा उत्तर नहीं दिया है । उत्तर ऐसा होना चाहिए जो कि माननीय सदस्यों को संतुष्ट कर सके ।

†**श्री के० दे० मालवीय** : यदि माननीय सदस्य अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा पेश की गयी रिपोर्ट सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यही चाहते हैं ।

रामागिरी स्वर्ण निक्षेप

+

†*२६१. { **श्री वासुदेवन् नायर :**
श्री नागी रेड्डी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश की रामागिरि स्वर्ण पट्टी में स्वर्ण की संभाव्यता का निर्धारण करने के सम्बन्ध में खोज सम्बन्धी छिद्र किये गये हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो वह कार्य कब किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री के सभा-सचिव (श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) आशा है कि यह कार्य १९६०-६१ में किया जायेगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह सर्वेक्षण गत पांच वर्षों से किया जा रहा है । परन्तु अयस्क की खोज के लिए उस क्षेत्र में गहरे छिद्रण करने के कार्य में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : जांच अभी भी जारी है परन्तु अभी तक प्राप्त हुई रिपोर्टों से यही ज्ञात होता है कि वे परिणाम उत्साहवर्धक नहीं हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : उस का सर्वेक्षण भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा किया जा रहा है या कि भारतीय खान ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है ?

†**श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण द्वारा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में पॉलिटेक्निक संस्थायें

+

†*२६२. { **श्री हेम राज :**
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २२ दिसम्बर, १६५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या १६०१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिरसा, हमीरपुर और बटाला में केन्द्रीय पॉलिटेक्निक संस्थायें कब खोली जायेंगी; और

(ख) क्या सरकार को राज्य द्वारा चलाई जाने वाली पॉलिटेक्निक संस्था के स्थान के सम्बन्ध में सुझाव प्राप्त हो गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायून् कबिर)** : (क) केन्द्रीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं के स्थानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार से प्राप्त सुझावों पर अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा की उत्तरी प्रादेशिक समिति द्वारा विचार किया जा रहा है । राज्य सरकार से यह भी निवेदन किया गया है कि वह हमीरपुर में एक संस्था स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करे । स्थान के बारे में निर्णय हो जाने पर उन्हें स्थापित कर दिया जायेगा; उनकी लागत आदि का अनुमान लगा लिया गया है ।

(ख) राज्य सरकार ने इस संस्था को झज्जर में स्थापित करने का प्रस्ताव किया है ।

†**श्री हेम राज :** क्या माननीय मंत्री को पंजाब के मुख्य मंत्री से यह सुझाव प्राप्त हुआ है कि वहां के लोगों के लिए पॉलिटेक्निक संस्था का होना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि वह एक पहाड़ी क्षेत्र है और संचार के साधन बहुत अपर्याप्त हैं ?

†**श्री हुमायून् कबिर** : मुझे वहां के मुख्य मंत्री से एक पत्र प्राप्त हुआ है और उस सुझाव की दृष्टि से इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भिलाई इस्पात कारखाने के लिये खनन के ठेके

†* २४१. **श्री विद्या चरण शुक्ल** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ६ दिसम्बर, १६५६ के तारांकित प्रश्न **संख्या** ७४५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भिलाई इस्पात कारखाने के खनन सम्बन्धी ठेके देने के सम्बन्ध में और कितनी प्रगति हुई है और दिये गये ठेकों के लिए औपचारिक करार करने के सम्बन्ध में कितनी प्रगति हुई है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : राज्य सरकार ने अपनी ७४.८५ एकड़ भूमि के दो और ठेके देने का फैसला किया है । परियोजना प्राधिकारियों द्वारा औपचारिक करार करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पारिश्रमिक के रूप में राज्य सरकार को तदर्थ आधार पर ४ लाख रुपयों की एक और राशि दे दी गयी है।

दुग्धा में कोयला धोने का कारखाना

†*२४७. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दुग्धा के कोयला धोने के कारखाने की स्थापना के सम्बन्ध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) दिसम्बर, १९५९ तक इस पर कुल कितनी राशि खर्च की गयी थी; और

(ग) कारखाने में कार्य कब से आरम्भ हो जायेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

कोयला धोने के कारखाने के लिए डिजाइन, संभरण और निर्माण करने का ठेका नवम्बर, १९५८ में दिया गया था।

कारखाने और बस्ती के लिए आवश्यक भूमि प्राप्त कर ली गयी है। वहां तक पहुंचाने वाली सड़क भी पूरी कर ली गयी है। वहां जाने के लिए रेलवे लाइन भी बिछा दी गयी है। मार्शलिंग यार्ड में भी कुछ लाइनें बिछा दी गयी हैं और शेष लाइनें बिछाई जा रही हैं। अस्थायी दफ्तर, स्टोर और कैम्प के लिए स्थान का प्रबन्ध कर दिया गया है। निर्माण के लिए जल और विद्युत का भी संभरण प्रारम्भ कर दिया गया है। स्थान पर असैनिक इंजीनियरिंग कार्य भी प्रारम्भ कर दिये गये हैं और कारखाने के विभिन्न सेक्शनों में निर्माण कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। कई यंत्रों का, जिन्हें अमरीका से मंगवाना है, निरीक्षण कर लिया गया है और आशा है कि वह सामान शीघ्र ही वहां से जहाज़ पर लाद दिया जायेगा। वहां से सामान प्राप्त होने पर कारखाने का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। आशा है कि कारखाने में १ वर्ष के अन्दर कार्य प्रारम्भ हो जायेगा।

दिसम्बर, १९५९ तक लगभग १.५० करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे।

सरस्वती और नर्मदा की घाटियों में खुदाई

†*२५१. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री प्रभात कार :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५१ में पुरातत्व विभाग के महा निदेशक द्वारा सरस्वती अथवा घाघर घाटी में प्रारम्भ किये गये खोज सम्बन्धी कार्य को और आगे नहीं बढ़ाया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि हस्तिनापुर के मध्य में स्थित टीले में महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति की संभावना होने पर भी गत आठ वर्षों में उस स्थान की खुदाई नहीं की गयी है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या सरस्वती और नर्मदा की घाटियों में खुदाई के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उप मंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, नहीं । राजस्थान की सरस्वती और द्रिशादवती (घग्घर) की घाटियों में खुदाई का कार्य १९५२-५३ में पूरा कर दिया गया था ।

(ख) हस्तिनापुर के मध्य में सब से ऊंचे स्थान की खुदाई १९५०—५२ में की गयी थी ।

(ग) जी, नहीं ।

भिलाई इस्पात का लागत व्यय

†*२५३. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री ४ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ५९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भिलाई इस्पात के लागत व्यय का कोई हिसाब लगा लिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : जी, नहीं । इस्पात का उत्पादन अभी हाल ही में तो प्रारम्भ हुआ है ।

सिक्कों का विमुद्रीकरण

†*२५४. **श्री हेम राज** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सफ़ेद रंग की गिलट की दुअन्नियों, इकन्नियों, अधन्नों और पैसों के सिक्कों की ढलाई कब तक बन्द कर दी जायेगी; और

(ख) इस समय ऐसे कुल कितने सिक्के चल रहे हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : (क) क्यूप्रोनिकल के दुअन्नियों और अधन्नों को बन्द कर देने का प्रश्न विचाराधीन है । शेष पुराने सिक्कों को बन्द करने के प्रश्न पर बाद में विचार किया जायेगा ।

(ख) मोटे अनुमान के अनुसार नवम्बर, १९५९ के अन्त तक ११४ करोड़ क्यूप्रोनिकल के सफ़ेद रंग के कुल ऐसे सिक्के चल रहे थे, उन में से ६८ करोड़ दुअन्नियां और अधन्ने थे और ४६ करोड़ इकन्नियां थीं ।

लंदन में जीवन बीमा निगम का व्यापार

†*२५५. **श्री सैं० अ० मेहदी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लन्दन में जीवन बीमा निगम का व्यापार को बढ़ाने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिंहा)** : (क) और (ख). ब्रिटेन में सीधे जीवन बीमा का व्यापार करने का प्रस्ताव अभी भारत के जीवन बीमा निगम के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

शिक्षा का स्तर

*२६३. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में बैठने वाले उम्मीदवारों के शिक्षा-स्तर और सामान्य ज्ञान में गिरावट को रोकने के लिए संघ लोक सेवा आयोग का शिक्षा मंत्रालय के साथ जो परामर्श चल रहा था उस में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार) : इस मामले पर अभी शिक्षा मंत्रालय की सलाह से विचार हो रहा है ।

गृह-निर्माण के लिये जीवन बीमा निगम से ऋण

†*२६४. श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० गं० देव :
श्री दामानी :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री पांगरकर :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री महन्ती :
श्री सै० अ० मेहदी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री राधा रमण :
श्री श्रीनारायण दास :

क्या **वित्त** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या २२३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम ने बीमाधारी व्यक्तियों को गृह निर्माण के लिए ऋण देने का निश्चय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो ये ऋण किन शर्तों पर दिये जायेंगे; और

(ग) यह योजना कब लागू होगी ?

†**वित्त उपमंत्री (श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा)** : (क) हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) एक विवरण पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

१. **कार्यान्विति-क्षेत्र** : ऋण बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली और हैदराबाद में स्थित सम्पत्तियों की प्रतिभूति पर ही दिये जायेंगे ।

२. **बीमाधारी व्यक्ति ऋण के पात्र हैं** :केवल उन बीमाधारियों को ऋण मिलेगा जिनकी पालसियां ऋण के लिए प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने की तारीख में ऐसी अभारग्रस्त पालिसियां होंगी जो कम से कम पांच वर्ष से रही हों और जिन पर अधतन देय सभी प्रीमियम दे दिये गये हों । इसके अतिरिक्त यदि एन्डांडमेन्ट अस्योरेंस पालिसियां हों जो ऋण के भुगतान की तारीख के बाद प्राप्य न होती हों, तो उन पर भी इस योजना के अन्तर्गत ऋण दिया जायेगा, परन्तु प्राप्त बोनस सहित, यदि कोई हो तो पालिसी का अंकित मूल्य ऋण की राशि और उसके एक दसवें भाग से कम न हो । ऋण लेते समय पालिसियां निगम को दे दी जायेंगी और पालिसीधारी नियमित रूप में उनके प्रीमियमों का भुगतान करके उन्हें चालू रखेंगे ।

३. **सम्पत्ति कैसी हो** : ऋण केवल शाश्वत सम्पत्ति या पट्टाधृत सम्पत्ति पर दिये जायेंगे । परन्तु पट्टाधृत सम्पत्ति के मामले में उसकी शेष अवधि ३० वर्ष से कम नहीं होना चाहिए और पट्टे में पट्टेधारी द्वारा कोई असाधारण प्रसंविदा करने का उल्लेख न हो ।

४. **ऋण की मात्रा** : ऋण भूमि तथा इमारत के मूल्य के कुल ७० प्रतिशत तक दिये जायेंगे; शेष ३० प्रतिशत ऋणी को प्राप्त करना होगा ।

५. **ऋण की न्यूनतम व अधिकतम राशि** : ऋण की न्यूनतम राशि २०,००० रु० और अधिकतम राशि १,००,००० रु० होगी ।

६. **राशि कैसे दी जायगी** : ऋण उन इमारतों के लिए दिये जायेंगे जो अभी बननी हैं या बन रही हैं । निगम ऋणी को समय समय पर धन देगा जो निगम के मूल्य निर्धारिकों के अनुसार भूमि और मजूरी तथा इमारत में प्रयुक्त सामान के मूल्य के ७० प्रतिशत से अधिक न होगा । रहन नामे में एक उपबन्ध होगा कि गिरवी रखने वाले को निगम द्वारा दिया गया धन केवल इमारत के निर्माण में प्रयोग करना चाहिए, अन्य किसी कार्य में नहीं ।

७. **ब्याज की दर** : ७ प्रतिशत वार्षिक, और नियत भुगतान पर $\frac{1}{2}$ प्रतिशत छूट ।

८. **ऋण काल** : अधिकतम २० वर्ष परन्तु ऋणी की आयु ७० वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

९. **आग बीमा** : ऋणी को निगम की किसी सहायक शाखा से सम्पत्ति का आग बीमा कराना होगा और नियमित रूप में पालिसी का नवीनीकरण करा कर बीमा चालू रखना होगा ।

१०. **मूल्य निर्धारक शुल्क तथा टिकट शुल्क व पंजीयन शुल्क सहित गिरवी के लिये सालिसिटर की फीस** : ये शुल्क व व्यय ऋणी को उठाने होंगे ।

(ग) योजना लगभग दो मास में कार्यान्वित की जायेगी ।

दिल्ली के लिये पृथक असैनिक सेवा पदाली

†*२६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के लिए पृथक असैनिक सेवा पदाली बनाने के प्रस्ताव में क्या प्रगति हुई है; और

(ख) प्रस्ताव की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). दिल्ली और हिमाचल प्रदेश की आवश्यकतापूर्ति के लिए एक पृथक भारतीय प्रशासन सेवा पदाली बनाई गई है । दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के लिए राज्य असैनिक सेवा की भांति असैनिक सेवा बनाने के प्रारूप नियमों पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से विचार किया जा रहा है ।

जनपथ में चोरी

†*२६६. **श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री ९ दिसम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ७३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि २२ नवम्बर, १९५९ को जनपथ में आभूषणों की दुकान में हुई संधिभेद की पुलिस जांच पड़ताल का क्या परिणाम रहा ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: एक लाख रु० के मूल्य की सम्पत्ति प्राप्त हो गई है और आठ व्यक्ति पकड़े गये हैं । मामले की अग्रेतर जांच हो रही है ।

टैक्निकल शिक्षा के लिये कनाडा से सहायता

२८२. { **श्री मोहन स्वरूप** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **वित्त** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अधीन कनाडा से प्राप्त वस्तुओं के विक्रय से बनी रुपया निधि के एक भाग का प्रयोग करने के लिए टेक्निकल शिक्षा की भिन्न भिन्न योजनायें कनाडा के प्राधिकारियों के परामर्श से चुन ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : योजनायें अभी विचाराधीन हैं तथा उनके यथासम्भव शीघ्र निश्चित होने की आशा है ।

अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत अभियोग

†२८३. { **श्री मधुसूदन इ० राव** :
श्री सिदय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी-जुलाई १९५९ में अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम, १९५५ के अन्तर्गत भारत में चलाये गये अभियोगों के बारे में सूचना मिली है; और

---

†मूल अंग्रेजी में,

(ख) यदि हां, तो आंकड़े क्या हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों/प्रशासनों से अद्यतन प्राप्त अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ६७]**। बम्बई, मध्य प्रदेश, मद्रास और उड़ीसा की सरकारों से अभी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त होने पर दे दी जायेगी।

कच्छ में खनिज तेल सर्वेक्षण

†२८४. **श्री हेम बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के विशेषज्ञ कच्छ जिले के बरूनी क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की खोज कर रहे हैं ; और

(ख) क्या इस खोज से पहले भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण ने कोई प्रारम्भिक जांच पड़ताल की थी ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री क० दे० मालवीय)** : (क) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण कच्छ जिले में बन्नी रान में भूज और खवडा के बीच मोरन्डियाला क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के लिए १९५७ से परावर्तन भूकम्पीय खोज कर रहा है।

(ख) उपरोक्त तथा आस पास के क्षेत्रों का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण के भूतत्वताओं ने पहिले सर्वेक्षण किया था। इस क्षेत्र में भू-जल के लिए गहरे छिद्रण कार्य करते समय प्राकृतिक गैस विद्यमान होने का आभास मिलने के फलस्वरूप भूकम्पीय जांच पड़ताल की गई थी।

भिलाई में छोटी छड़ों का उत्पादन

†२८५. **श्री हेम बरुआ** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई इस्पात कारखाने के बिलेट मिल में अनुमानतः प्रति वर्ष छोटी छड़ों का कितना उत्पादन होता है ; और

(ख) इस उत्पादन का देश में छोटी छड़ों की मांग से क्या अनुपात रहेगा ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) दस लाख टन प्रक्रम में बनने वाली ७७०,००० टन तैयार इस्पात की वस्तुओं में से १५०,००० टन छोटी छड़ों के रूप में होगी।

(ख) जमशेदपुर, बर्नपुर और दुर्गापुर में छोटी छड़ों के उत्पादन सहित इससे देश को वर्तमान मांग की पूर्ति होने की आशा है।

दिल्ली में पुरातत्वीय खुदाई

†२८६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० में दिल्ली में कोई पुरातत्वीय खुदाई हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री म० मो० दास)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) (१) **लालकोट** ––आदम खां के मकबरे के पश्चिम में लालकोट दीवार और भीतरी दीवार के मिलान पर, जो पिछले वर्ष दिखाई पड़ा था, खुदाई करने से विदित हुआ है कि हाल में देखी गई दीवार प्रचीन दुर्ग का एक भाग थी, क्योंकि लालकोट की उंची दीवार इसके समक्ष मिलती है। इसके अतिरिक्त भीतरी दीवार के भाग जिनके ऊपर चमकीले पत्थर आदि लगे थे और जो खाइयों में एक दूसरे के समानान्तर पड़े मिले थे, वे खाइयों के बीच छोड़े हुए भागों के हटाये जाने पर जुड़े पाये गये। बिना खुदे भाग के हटाने से भी ४५ और ७० फ़ीट के बीच के अनियमित अन्तर पर आर्ध-व्यास के रूप में दुर्ग की रक्षा के लिए बने उभरे भागों का पता लगा है। कुतुब मीनार के पूर्व में लाल-कोट दीवारों की सफाई से जो पिछले वर्ष आरम्भ हुई थी और अब भी जारी है, पता लगा है कि लालकोट के अन्दर का किला अबतक जैसा समझा गया था उससे अधिक सघन था। जिन उंची दीवारों को ग़ज़नी ने तोड़ा था वे और रणजीत द्वारा बाद में बने थे। ये प्रतिरक्षा या वृहद नगर के जन साधारण को नगर-दीवार के भीतर रखने के उद्देश्य से बनाई गई थीं।

(२) **कोटला फीरोजशाह**––कोटला फ़ीरोजशाह में उत्तरी अहाते की पूर्वी दीवार का पता लगा। विदित दीवार से अधिक सामान्य उभरे हुए भागों की बजाये छोटे आफसेटों से जोड़ों में परि-वर्तन का पता लगता है।

तैयार इस्पात का उत्पादन

†२८७. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में १९५९ में तैयार इस्पात का उत्पादन तेज़ी से बढ़ा है; और

(ख) यदि हां, तो १९५७ और १९५९ के तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) १९५७ १,४०८,५२७ टन ।
१९५८ १,३९१,२२५ टन ।
१९५९ १,७६७,९९३ टन ।

आयकर अधिनियम

†२८८. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **वित्त** मंत्री १ दिसम्बर १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर के संबंध में विधि आयोगों के प्रतिवेदन पर विचार हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार का क्या निश्चय है; और

(ग) उसकी कार्यान्विति के लिए क्या कार्यवाही की जायेगी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) से (ग). आयकर के संबंध में विधि आयोग का प्रतिवेदन अभी सरकार के विचाराधीन है।

---

†मूल अंग्रेजी में

वाणिज्य शिक्षा

†२८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

†क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री २३ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नियुक्त उप-समितियों ने पालीटेक्निकों में माध्यमिक स्तर पर डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में वाणिज्य शिक्षा, वाणिज्य के विद्यार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण और व्यावसायिक निकायों तथा शिक्षा सांस्थाओं में समन्वय के लिए विस्तृत प्रस्ताव बना लिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). वाणिज्य विद्यार्थियों के व्यवहारिक प्रशिक्षण संबंधी उप-समिति ने अपना प्रतिवेदन पूरा कर लिया है और निम्न सिफारिशें की हैं :

(१) विद्यार्थियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण शिक्षा सम्बन्धी आवश्यकता न समझी जाय परन्तु वाणिज्य के पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमने व्यवहारिक होने चाहियें। कालेजों और विश्वविद्यालयों में वाणिज्य "कर्मशालायें" और प्रयोगशालायें बनाई जानी चाहियें ताकि विद्यार्थी व्यवहारिक उपकरणों, अभिलेखों, उसके लिए प्रयुक्त फ़ार्मों और अन्य डिज़ाइनों से परिचित हो जायें;

(२) वाणिज्य विद्यार्थियों और अध्यापकों को पारस्परिक समस्याओं पर विचारविमर्श करने के लिए नियमित रूप से औद्योगिक तथा व्यापारिक उपक्रमों में जाने के लिए प्रोत्साहन देना चाहिय, और विचारविमर्शों, संगोष्ठियों, गोष्ठियों, आदि में भाग लेने के लिए संस्थाओं को उद्योगों के विशेषज्ञों को बुलाना चाहिय ;

(३) व्यवसाय और उद्योग की प्रविधियों को समझने के लिए अध्यापकों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये ;

(४) प्रत्येक कालिज और विश्वविद्यालय को यथासंभव सहकारी स्टोर, केन्टीन और ऐसी अन्य संस्थायें रखनी चाहियें जो वाणिज्य विद्यार्थियों द्वारा चलाई जाती हों तथा उन्हीं का वहां प्रबन्ध हो ; और

(५) वाणिज्य के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को आंशिक-काल अध्यापकों के रूप में रखा जाना चाहिये ।

अन्य तीन उप-समितियों ने अभी अपने प्रतिवेदन तैयार नहीं किये हैं ।

कानपुर में सेना अधिकारियों का क्लब

†२९०. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २३, नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विधि की दृष्टि से कानपुर में क्लब की सम्पत्ति सरकार को देने पर विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या करण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) हां, श्रीमान्। सरकार को बताया गया है कि यह नहीं समझा जा सकता कि १९५९ में उन्हें सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर दिया गया था। स्थिति को नियमित करने के लिये आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक मान्यतायें

†२९१. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री रा० च० माझी :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५३९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने परामर्शदात्री समिति के उन विचारों को, जो उसने प्रथम और द्वितीय बैठक में प्रकट किये थे और जिनका सम्बन्ध पूर्वी तथा पश्चिमी सांस्कृतिक मान्यताओं की पारस्परिक जानकारी की बड़ी परियोजना से था, स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) क्या इन सिफारिशों की कार्यान्विति आरम्भ कर दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली)** : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) परामर्शदात्री समिति ने दो प्रकार की सिफारिशें की हैं।

(१) वे जिन पर युनेस्को को कार्यवाही करनी है ;

(२) वे जिन पर भारतीय राष्ट्रीय आयोग और भारत सरकार को कार्यवाही करनी है।

प्रथम सिफारिशों को उचित कार्यवाही के लिये युनेस्को को बता दी गई है। बाद की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और उन पर प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया है।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण

†२९२. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री मधुसूदन इ० राव :
श्री हेम राज :
श्री सिद्धय्या :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सूची के पुनरीक्षण के लिये राज्य सरकारों से प्राप्त हुई सूचियों की नवीनतम स्थिति क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : केवल अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियों के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है। मध्य प्रदेश और राजस्थान को छोड़ कर अन्य सभी राज्य सरकारों से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के पुनरीक्षण के लिय सुझाव प्राप्त हुए हैं।

प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें

†२९३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तीनों सेवाओं के पदाधिकारियों के अलावा अन्य कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें देने के हेतु अंशदायी योजना बनाने के सम्बन्ध में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) यदि योजना अन्तिम रूप से तैयार हो गई हो, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कब कार्यान्वित की जायेगी ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) से (ग). तीन सेवाओं के मुख्य कार्यालयों में सम्मिलित रूप से इस योजना पर अब भी विचार किया जा रहा है।

छावनी अधिनियम, १९२४

†२९४. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के तारांकित प्रश्न संख्या ३२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि छावनी अधिनियम, १९२४ में संशोधन करने के प्रस्ताव के बारे में इस बीच और क्या प्रगति हुई है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : सैनिक भूमि तथा छावनियों के संचालक द्वारा प्रस्तावित कुछ शेष संशोधनों की जांच इस बीच पूरी हो गई है।

राउरकेला इस्पात संयंत्र

†२९५. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री सैं० अ० मेहदी :
श्री आचार :
श्री परूलकर :
श्री कोडियान :
श्री स० मो० बनर्जी :
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी जर्मनी के इस्पात उद्योग के एकाधिकारी श्री क्रुपवान बोदलेन इस वर्ष जनवरी में दिल्ली आये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में रूरकेला इस्ताप संयंत्र के विस्तार के लिये पश्चिमी जर्मनी की सहायता के बारे में क्या उन्होंने कोई प्रस्ताव किये थे ; और

(ग) यदि हां, तो संक्षेप में उनका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आयुध सामग्री का उत्पादन

†२९६. { **श्री राम सुभग सिंह** :
श्री प्र० गं० देव :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न आयुध कारखानों में १९५९ में विभिन्न प्रकार की आयुध सामग्री का कुल कितना उत्पादन हुआ ; और

(ख) पिछले वर्षों के मुकाबले में यह उत्पादन कम हुआ या अधिक और १९६० के लिये कुल कितना लक्ष्य रखा गया है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख). प्रत्येक सामग्री का कितना उत्पादन हुआ यह बताना लोक हित में नहीं है।

आयुध कारखानों में प्रति वर्ष निम्नलिखित मूल्य के सामान का उत्पादन हुआ :—

निम्नलिखित तारीख को लगाये गये हिसाब के अनुसार —

३१-३-५६	१४.०६ करोड़ रुपये
३१-३-५७	१४.०७ करोड़ रुपये
३१-३-५८	१८.०९ करोड़ रुपये
३१-३-५९	१९.५७ करोड़ रुपये
३१-३-६०	लगभग २६ करोड़ रुपये के उत्पादन की आशा है। २६ करोड़ रुपये की इस राशि का अनुमान उत्पादन की आजकल की कम लागत के आधार पर लगाया गया है। अतः पहले के वर्षों में इतनी ही धनराशि से जितना उत्पादन दिखाया गया है उससे अधिक मात्रा में सामान तैयार किया जायेगा।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

†२९७. **श्री रामेश्वर टांटिया :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वतंत्रता आन्दोलन के प्रथम खण्ड के लिखने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) यह कब प्रकाशित किया जायेगा ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री (श्री हुमायूं-कबिर):** (क) और (ख). स्वतंत्रता आन्दोलन के इतिहास का १८५७ तक का प्रथम खंड लगभग तैयार है और इस वर्ष प्रकाशित कर दिया जायेगा।

विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग

†२९८. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कलकत्ता, नागपुर और पंजाब विश्वविद्यालयों के पत्रकारिता विभागों को 'उनके अपने समाचार पत्र और प्रैस' की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सहायता देने के बारे में कोई योजना बनायी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

आन्ध्र प्रदेश को लड़कियों की शिक्षा के लिये अनुदान

†२९९. **श्री इ० मधुसूदन राव :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-१९५९ में आन्ध्र प्रदेश की सरकार को लड़कियों की शिक्षा के लिये कितना धन दिया गया था ;

(ख) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने उस अनुदान के लिये प्रार्थना की थी ; और

(ग) यदि हां, तो उस सरकार द्वारा कितनी राशि मांगी गयी थी ?

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) :** (क) ५,६८,७५० रुपये।

(ख) जी, हां। आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा ५,४८,७५० रुपयों के सम्बन्ध में सुझाव भेजे गये थे।

(ग) योजना के अनुसार ७५ प्रतिशत केन्द्रीय राशि अर्थात् ४,११,५६३ रुपये की राशि मंजूर की गयी थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सहकारी ऋण समितियां

†३००. **श्री महन्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिजर्व बैंक द्वारा ग्राम्य सेक्टर में सहकारी ऋण संस्थाओं के लिये मंजूर किये गये ऋण की पूरी राशि नहीं ली जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) जी हां, पूरी ऋण की पूरी राशि अभी नहीं ली जा रही है ।

(ख) सहकारी समितियों द्वारा मंजूर किये गये प्राथमिक ऋणों की कुल राशि इतनी अधिक नहीं है कि रिजर्व बैंक से शीर्ष बैंकों का निर्धारित सीमाओं तक ऋण देने की आवश्यकता हो। स्वीकार्य जमानतों की कमी के कारण, जिस पर की प्राथमिक समितियों से ऋण लिये जा सकते हैं, आवेदन पत्रों के निपटाने में विलम्ब हो रहा है और कुछ समितियों के पास इतना वित्त नहीं है, कि वे केन्द्रीय बैंकों से अधिक राशि उधार ले सकें, उक्त दोनों कारणों से किसानों को ऋण देने के लिये काम में विलम्ब हो रहा है।

लोहा तथा इस्पात संभरण

†३०१. **श्री पांगरकर :** क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में बम्बई, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की लोहे और इस्पात की मांग की दृष्टि से कितना प्रतिशत संभरण किया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** जानकारी निम्नलिखित है :—

राज्य	मांग	आवंटन	प्रतिशत मात्रा
बम्बई	३६३,६३५	२१०,४२४	५७.८६ प्रतिशत
मध्य प्रदेश	१६८,३३३	९०,९९४	५४.०५ प्रतिशत
उड़ीसा . .	४०,२३१	३८,०९१	९४.६८ प्रतिशत

मराठवाड़ा (बम्बई) में बकाया आयकर

†३०२. **श्री पांगरकर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९५९ को मराठवाड़ा (बम्बई) में जिलावार बकाया कितना आयकर रह गया था ?

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

विवरण

जिला	**राशि** (लाख रुपये)
नान्देड	५.४७
परभनी	६.२०
लातूर (उस्मानाबाद जिला)	०.७२
औरंगाबाद	१०.८३
भीर	२.२०
कुल	२५.४२

मराठवाड़ा (बम्बई) में तम्बाकू की खेती

†३०३. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ में बम्बई के मराठवाड़ा प्रदेश में कुल कितने एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : तम्बाकू की खेती सम्बन्धी आंकड़े पत्री वर्ष के आधार पर नहीं, फसल-वर्ष के आधार पर रखे जाते हैं। तद्नुसार, १७५९–६० के फसल-वर्ष (दिसम्बर, १९५८ के अन्त तक) में बम्बई राज्य के मराठवाड़ा प्रदेश में २४७४ एकड़ भूमि में तम्बाकू की खेती की गयी थी। लेकिन इसमें केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क नियम, १९४४ के नियम १५ और १६ के अधीन की गयी घोषणाओं से इस प्रदेश के तम्बाकू वाले जिस क्षेत्र को छूट दे दी गयी थी वह क्षेत्र इसमें शामिल नहीं है।

यात्री भाड़ा–कर

†३०४. **श्री पांगरकर** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९ में यात्री-भाड़ा कर के रूप में कितनी राशि जमा हुई है ; और

(ख) इस अवधि में इस राशि में से कितनी-कितनी राशि राज्यों को दी गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) १२.४७ करोड़ रुपये।

(यह आंकड़े अस्थायी हैं और नियंत्रक महा लेखा परीक्षक द्वारा इसका प्रमाणिक किया जाना शेष है)।

(ख) १२.०५ करोड़ रुपये।

†मूल अंग्रेज़ी में

विदेशों में राष्ट्रीय बचत-आन्दोलन का अध्ययन

†३०५. **श्री अरविन्द घोषाल :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय बचत आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये किसी व्यक्ति को विदेश भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का अध्ययन किन-किन देशों में किया जायगा ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). जी हां । कोलम्बो योजना की प्रविधिक सहकारिता योजना के अधीन राष्ट्रीय बचत संगठन के एक अधिकारी को तीन महीने तक ब्रिटेन के बचत आन्दोलन का अध्ययन करने के लिये भेजा गया था ।

पंजाब में आय-कर कर्मचारी

†३०६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ और १९५९-६० में अब तक पंजाब के प्रत्येक जिले के कितने आय-कर कर्मचारी भ्रष्टाचार के मामलों में फंसे ; और

(ख) अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

गणतंत्र दिवस

†३०७. **श्री राम गरीब :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) १९६० के गणतंत्र दिवस पर सरकारी इमारतों पर की गयी रोशनी की व्यवस्था पर हुए खर्च समेत कुल कितना व्यय हुआ है ; और

(ख) पिछले पांच वर्षों के व्यय की तुलना में यह व्यय कैसा बैठता है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) :** (क) और (ख). १९६० के गणतंत्र दिवस समारोह सम्बन्धी व्यय का हिसाब किताब अभी बना नहीं है । हिसाब-किताब अंतिम रूप से तैयार होते ही १९६० के व्यय का विवरण पिछले ५ वर्षों के व्यय के तुलनात्मक विवरण के साथ सभा-पटल पर रख दिया जायगा ।

आसाम में पैट्रोलियम-उत्पादों का मूल्य

†३०८. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **इस्पात, खान और इंधन** मंत्री आसाम में पैट्रोलियम उत्पादों के भावों का, जो २१ जनवरी, १९६० से बढ़ा दिये गये हैं, विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : आसाम में मुख्य पैट्रोलियम उत्पादों के विक्रय मूल्य निम्नलिखित हैं :—

तिनसुकिया के मुख्य संस्थापन से रेल पर्यंत निःशुल्क भाव

उत्पाद	यूनिट	२१-१-६० से पहले	२१-१-६० से	२१-१-६० से हुई वृद्धि
मोटर स्पिरिट (थोक) .	इम्पीरियल गैलन	२.९२	२.९६	०.०४
मिट्टी का तेल (बढ़िया) थोक	८ इम्पीरियल गैलन	१०.९६	११.०१	०.०५
मिट्टी का तेल (घटिया) थोक	८ इम्पीरियल गैलन	१०.८४	१०.८९	०.०५
एच० एस० डी० (बैरेलों में)	इम्पीरियल गैलन	१.९६	१.९७	०.०१
एल० डी० ओ० (टैंक वैगनों में)	इम्पीरियल गैलन	१.१५	१.१६	०.०१
वेपराइजिंग आयल (बैरलों में)	इम्पीरियल गैलन	१.९०	१.९१	०.०१
फरनेस आयल (बैरलों में)	टन	१७०.८५	१७२.४९	१.६४
बिटुमन/अस्फ्हाल्ट (वापस न हो सकने वाले बैरलों में) डिगबोई से				
स्ट्रेट ग्रेड	टन	३३०.०	३३१.६०	१.६१
कट बैक्स	टन	३८५.००	३८६.६१	१.६१

मोटर स्पिरिट और मिट्टी के तेल का बिक्रय मूल्य (बिक्री कर को छोड़ कर) सम्पूर्ण आसाम, मनीपुर, त्रिपुरा और लूशाई पहाड़ियों में एक सा है। अन्य उत्पादों के भाव ढुलाई शुल्क के आधार पर अलग-अलग स्थानों के लिये अलग-अलग हैं।

२. उपर्युक्त सभी मूल्य बिक्री-कर के अलावा हैं।

३. वृद्धि के कारण लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर में (जो १६-२-१९६० को दिया गया था) पहले ही बताये जा चुके हैं।

स्थगन प्रस्ताव

मुरादनगर स्थित दूध ठंडा करने की मशीन में खराबी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझ श्री गोरे, श्री जाधव तथा कई अन्य सदस्यों से एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है। इसमें दिल्ली दुग्ध वितरण योजना की मुरादनगर में दूध ठंडा

---

†मूल अंग्रेजी में

करने की मशीन में संयंत्र के नीचे के फर्श के धंस जाने के कारण हुई खराबी के सम्बन्ध में बताया गया है। कहा गया है कि एसा हो जाने से मशीन ठीक प्रकार काम नहीं कर रही है और इस कारण अब दूध ठीक प्रकार से ठंडा नहीं हो पाता है और दूध की उत्तमता पर पूरा नियंत्रण नहीं रह पाता है। श्री ब्रजराज सिंह का भी इस के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव है। कुल तीन स्थगन प्रस्ताव इस सम्बन्ध में आए हैं। क्या स्थिति है? क्या भारी मशीन के नीचे से फर्श धंस गया है?

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : श्रीमान्, दिल्ली दुग्ध वितरण योजना से दिल्ली के नागरिकों को बड़ा लाभ हो रहा है। लेकिन हमें इस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं कि निर्माण-कार्य ठीक प्रकार का नहीं हुआ है और हो सकता है कि इन खराबियों से आने वाली गर्मियों में हमें ठंडा दूध बिल्कुल ही न मिले। इस योजना में तीन करोड़ रुपये लग जाने पर भी दिल्ली के नागरिकों को उत्तम दूध नहीं मिला तो बड़े ही खेद की बात होगी।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : हाल में ही समाचारपत्रों में इस खराबी का समाचार प्रकाशित हुआ है। मैं दूध की किस्म के बारे में पहले भी शिकायत कर चुका हूं। हमें बहुत घटिया दूध दिया जा रहा है। यदि ३ करोड़ रुपये व्यय करने पर भी अच्छे किस्म का दूध हमें नहीं मिल पाया तो यह ३ करोड़ रुपये व्यय करना ही व्यर्थ रहा है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : समाचारपत्रों में स्पष्टतया कहा गया है कि फर्श धंस रहा है और यदि फर्श इसी प्रकार धंसता गया तो संभवतया दूध ठंडा करने की मशीन बिल्कुल काम न कर सकेगी। दूसरा समाचार और भी चिन्ताजनक है। डेरी तक दूध पहुंचाने वाले टैंकों में दूध अब सीधे ही पम्प कर दिया जाता है, जिसका अर्थ यह है कि अब दूध पूरी तरह से ठंडा नहीं हो पाता है जिसके कारण दूध की किस्म पर नियंत्रण नहीं हो पाता। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह समाचार ठीक हैं और यदि ठीक है तो क्या इसका दूध की किस्म पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

माननीय प्रधान मंत्री ने भ्रष्टाचार के कुछ मामले बताये जाने के बारे में कहा था। तीन महीने पहले बनाई गई इमारत धंसने लगे तो क्या यह भ्रष्टाचार का जीता-जागता मामला नहीं बन जाता।

†**कृषि उपमंत्री (श्री भों० वें० कृष्णप्पा)**: दिल्ली दुग्ध वितरण योजना गत दीपावलि के दिन से चालू की गई थी। मुख्य संयंत्र पटेल नगर में अवस्थित है जिस पर एक करोड़ रुपया व्यय हुआ है। इस मुख्य संयंत्र के लिए उत्तर-प्रदेश, दिल्ली राज्य तथा पंजाब के तीस केन्द्रों से दूध एकत्रित किया जाता है। जहां दूध एकत्रित किया जाता है हम उस दूध को वहीं पर ठंडा करने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार दूध को ठंडा करना आवश्यक तो नहीं होता परन्तु हम, सरकारी संस्था होने के नाते अतिरिक्त सावधानी बरतते हैं और देहातों में इकट्ठे किए गए दूध को वहीं पर ठंडा करते हैं। मुरादनगर का संयंत्र भी इसी प्रकार का संयंत्र है। वह मुख्य संयंत्र नहीं है। मुख्य संयंत्र दिल्ली में है। इस संयंत्र में कोई खराबी नहीं आई है। यह बिल्कुल ठीक है। लेकिन तीस केन्द्रों में से मुरादनगर में स्थित एक केन्द्र पर, जहां ३ लाख रुपये की लागत पर एक इमारत बनाई गई थी तथा मशीन लगाई गई थी, कुछ खराबी का पन्द्रह दिन पहले पता लगा। वहां पर काम करने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मों० वे० कृष्णप्प]

वाले एक कर्मचारी ने देखा कि दूध इकट्ठा किए जाने वाले टैंक का फर्श धंस रहा है। मामले की रिपोर्ट की गई और परसों रात मैं वहां गया था। टैंक के काम में न आने पर भी वहां दूध बराबर लाया जा रहा है और ठंडा करके डेरी में भेजा जाता है। टैंक में तो दूध इकट्ठा किया जाता है, जब तक वाहन उसे डेरी तक लाने के लिए न आ जाय। इसलिए यह कहना कि पूरी प्रक्रिया नहीं होती, ठीक नहीं है। वहां पर उसको ठंडा किया जाता था। अब टक के बेकार हो जाने पर वाहनों में दूध सीधा भर दिया जाता है। यह दूध दिल्ली में नीरोगित (पैस्च्योराइज्ड) होता है। नीरोगित किए जाने से पूर्व सावधानी के लिए इसको ठंडा किया जाता था। टैंक के ठीक हालत में न होने पर भी दूध को ठंडा किया जा रहा है और डेरी मे भेजा जा रहा है। मुझे विश्वास है कि टैंक शीघ्र ही ठीक कर लिया जायेगा।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)**: आज प्रातः हमने समाचार-पत्रों में यह समाचार पढ़ा कि दिल्ली दुग्ध वितरण योजना के मुरादनगर की दूध ठंडा करने की मशीन के नीचे का फर्श धंस जाने के कारण दूध ठंडा नहीं किया जा रहा है। मेरे मित्र, कृषि उपमंत्री ने दूध की किस्म तथा उसके वितरण के बारे में स्थिति स्पष्ट की है। मैं केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं। मामले की जांच अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर अधीक्षक इंजीनियर तथा मुख्य प्रविधिक परीक्षक के एक विशेषज्ञ दल ने घटनास्थल पर जा कर की। यद्यपि निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने किया था परन्तु संयंत्र आदि की स्थापना एक गैर-सरकारी फ़र्म ने की थी। यह पता लगा है कि दूध इकट्ठा किए जाने वाले टैंक के नीचे का फर्श धंस गया है। इन विशेषज्ञों से शीघ्र एक ब्यौरावार प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। देखने पर जैसा मालूम होता है उससे पता लगता है कि यंत्र के अत्यधिक भार के कारण फर्श धंस गया है और यह जांच से ही पता लग सकता है कि फर्श पर पड़ने वाले भार की अधिकता के आधार पर नींव का डिज़ायन बनाया गया था अथवा निर्माण कार्य में कोई खराबी रह गई थी। मुख्य प्रविधिक परीक्षक, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग से अलग पदाधिकारी हैं और उनको आदेश दिए गए हैं कि ब्यौरेवार जांच करें और शीघ्र प्रतिवेदन दें। जैसा कि मेरे मित्र ने बताया है फर्श के धंसने का दूध ठंडा किए जाने पर अथवा पटेल नगर की दिल्ली डरी में आने वाले दूध की किस्म पर कोई असर नहीं पड़ा है। मुख्य प्रविधिक परीक्षक का प्रतिवेदन ज्यूंही मिलेगा, मैं एक पूरा विवरण सभा-पटल पर रख दूंगा।

†**श्री राधा रमण** (चांदनी चौक) : हमको बार बार इस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं कि गैर-सरकारी फ़र्मों अथवा केन्द्रीय लोग निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई इमारतों से वह उद्देश्य पूरा नहीं होता जिस उद्देश्य के लिए उनको बनाया जाता है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में कोई कार्यवाही कर रही है जिससे इस प्रकार की घटनायें दुबारा न हो पायें।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: (खम्मम) : माननीय निर्माण, आवास और संभरण मंत्री ने यह नहीं बताया कि इमारत बनाने से पूर्व मिट्टी का परीक्षण किसने किया था।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : ठेकेदार कौन था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सम्बन्ध में दो प्रश्न उठाये गये हैं। पहला तो यह कि क्या फर्श के धंस जाने से दूध की किस्म पर कोई असर पड़ेगा। माननीय उपमंत्री ने बताया कि यह केवल दूध इकट्ठा करने का टैंक है जिसका दूध ठंडा करने पर कोई असर नहीं पड़ता है। इसके बाद दूध को यहां नीरोगित किया जाता है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि इससे दूध की किस्म खराब होने की कोई संभावना नहीं है।

दूसरा प्रश्न निर्माण कार्य से सम्बन्धित है। निर्माण कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने एक ठेकेदार को सौंप दिया था। इस समय यह नहीं बताया जा सकता है कि इस सम्बन्ध में जिम्मेदार कौन था। एक समिति नियुक्त की गई है और मिट्टी-परीक्षण आदि सभी सुझावों पर समिति विचार करेगी। मामले की गंभीरता के बारे में बताया गया कि इस मशीन में ३ लाख रुपये लगे हैं। ३ करोड़ रुपये नहीं लगे हैं। मुख्य संयंत्र यहां पर है। मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इसकी उचित जांच करेंगे और प्रतिवेदन मिलने पर उसे सभा-पटल पर रख देंगे। मैं इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

भिलाई इस्पात कारखाने में श्रमिकों संबंधी गड़बड़

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे निम्नलिखित विषय का एक और स्थगन प्रस्ताव मिला है :—

> "भिलाई इस्पात कारखाने के मज़दूरों पर गोली चलाने, आंसू गेस छोड़ने, आदि से उत्पन्न स्थिति; भिलाई इस्पात कारखाने के मज़दूरों ने हाल ही में बेहतर सुरक्षा उपायों की मांग की, जिनके न होने के कारण कहा जाता है, वहां कई दुर्घटनायें हुईं और उत्पादन कार्य में बाधा पड़ी।"

†**श्री वाजपेयी** (बलरामपुर) : सभी समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि मज़दूरों संबंधी किसी गढ़बड़ के कारण उत्पादन कार्य में कुछ बाधा पड़ी है। स्थानीय समाचार पत्रों ने यह भी बताया है कि संयंत्र को भी नुक्सान पहुंचा है। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री हमें आश्वासन दें कि मज़दूरों की सुरक्षा के लिये पर्याप्त उपाय किए गए हैं। और किसी भी कारण उत्पादन कम नहीं होगा।

†**श्री राजेन्द्र सिंह**: (छपरा) : समाचारपत्रों में यह समाचार भी प्रकाशित हुआ है कि भिलाई इस्पात कामगार संघ के जनरल सेक्रटरी ने १० फरवरी से भूख हड़ताल की थी क्योंकि संयंत्र बन जाने के बाद कई दुर्घटनायें हो चुकी हैं और अधिकारियों ने सुरक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाये। इसके अतिरिक्त जो लोग मर गए हैं उनके परिवारों को सरकार ने कोई प्रतिकर भी नहीं दिया है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुरम) : हम सभी को वहां पर हुई हड़ताल का खेद है क्योंकि निश्चित रूप से उत्पादन बढ़ना चाहिए। परन्तु सबसे प्रमुख बात यह भी है कि मज़दूरों की मांगों पर बिचार करने के लिए या बातचीत करने के लिये कोई व्यवस्था हो वहां ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। मैं यही जानना चाहता हूं कि सरकार हमें बताये कि वह सरकारी क्षेत्र में मज़दूरों की मांगों पर बिचार करने के लिए क्या व्यवस्था अपनाने का निश्चय कर रही है।

---

†मूल अंग्रज़ी में।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मुझे यह बताते हुए बड़ा खेद है कि भिलाई इस्पात कारखाने में परसों से विधि तथा व्यवस्था संबंधी काफ़ी गड़बड़ चल रही है। मंत्रालय सामान्य प्रबन्धक से सम्पर्क बनाये हुए हैं और मैंने स्वयं मुख्य मंत्री डा० काटजू से बात की है।

अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार भिलाई इस्पात कामगार संघ के जनरल सेक्रेटरी श्री देवशरण दुबे ने १० फरवरी को निर्माण कार्य के मज़दूरों की संभावित छंटनी के विरुद्ध तथा आवास, जल संभरण और सुरक्षा संबंधी कथित अपर्याप्त सुविधाओं के विरुद्ध भूख हड़ताल की। १२ और १३ तारीख को निर्माण कार्य में लगे कुछ मज़दूरों ने काम बन्द कर दिया परन्तु उनको काम करने के लिए राजी कर लिया गया। पुनः १६ तारीख को खुली भट्टी बनाने में लगे हुए तथा रेलवे डिवीजन में काम करने वाले कई सौ मज़दूरों ने काम करना बन्द किया परन्तु उनमें से अधिकांश ने पुनः काम करना आरम्भ कर दिया।

परन्तु १७ तारीख के प्रातः निर्माण कार्य में लगे हुए मज़दूरों की एक भीड़ ने एक इंजीनियर को घेर लिया और उससे पदोन्नति, उत्तम मजूरी तथा इसी प्रकार की अन्य बातों की मांग की। जब उसने उनको समझाने का प्रयत्न किया तो उसको मारा पीटा गया और उसकी जीप तथा एक और जीप को आग लगा दी गई। इसके बाद मज़दूरों की भीड़ अन्य क्षेत्रों में इकट्ठा होना आरम्भ हो गई। जिलाधीश तथा पुलिस सुपरिन्टेंडेंट एक पुलिस दस्ते के साथ वहां पर आ गए। परन्तु फिर भी भीड़ ने पत्थर फैंकना जारी रखा और अन्य कर्मचारियों के पास तक जाने का प्रयत्न किया जिससे उनको भी काम करने से रोका जा सके। कोयला फेंकने वाले यंत्र तथा धमन भट्टियों से तरल लोहा ले जाने वाले इंजनों को भी उन्होंने घेर लिया। इस कारण कोयला फेंकने का काम तथा दोनों धमन भट्टियों का काम बन्द कर देना पड़ा। १७ तारीख को रायपुर डिवीजन के कमिश्नर घटनास्थल पर आगए और उन्होंने पुलिस के और दस्तों का तुरन्त प्रबन्ध किया।

१८ तारीख की प्रातः स्थिति और भी गंभीर हो गई। १०·३० बजे प्रातः तथा दोपहर में बिजली घर के निकट बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे होने लगे और उन्होंने तरल ईंधन ले जाने वाले पाइप को काट दिया और ऐश पम्प हाउस पर कब्जा कर लिया। इस कारण बिजली घर तथा बायलर में काम बन्द कर देना पड़ा। जिलाधीश ने इसके बाद दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १४४ लागू कर दी जिसके अनुसार इस्पात कारखाने के क्षेत्र में पांच व्यक्तियों से अधिक इकट्ठे नहीं हो सकते थे। पुलिस के और दस्ते आ जाने से धीरे धीरे स्थिति पर काबू पा लिया गया। ऐसा करने के लिए पुलिस को 'केन' प्रहार करना पड़ा और आंसू गैस छोड़ना पड़ा। कुछ आदमियों के चोटें आईं और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया।

शाम के समय कोयला फेंकने, बिजली घर तथा पहली धमन भट्टी का काम आरम्भ कर दिया गया। बाद में दूसरी धमन भट्टी भी चालू हो गई। रात में पुलिस ने पहरा दिया और कोई घटना नहीं हुई। अब तक संयंत्र को कोई भारी नुक्सान नहीं पहुंचा है। स्थानीय प्राधिकारियों का विचार है कि शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिए वहां पर पर्याप्त पुलिस है। मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि इस प्रकार की परिस्थिति में सरकार का पहला कर्त्तव्य शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने का है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय :** यह वास्तव में बड़े खेद का विषय है क्योंकि हम सभी का यह मत था कि यह एक ऐसा कारखाना है जहां कोई गड़बड़ नहीं है। इस महीने की तीसरी अथवा चौथी तारीख को ही मैं वहां पर गया था। बाद में माननीय वित्त मंत्री तथा रूस के प्रधान मंत्री भी वहां पर गये थे। माननीय सदस्य ने कहा कि हमें हर जगह गड़बड़ का पूर्वानुमान लगा लेना चाहिए और गड़बड़ दूर करने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। परन्तु किसी सदस्य ने मजदूरों को यह सलाह नहीं दी कि काम करना आवश्यक है अतः काम करो। देश के स्वाधीन होने के बाद स्थिति में अन्तर आ गया है और अब तो हमें लोगों से देश के हित में अधिक काम करने के लिये ज़ोर देकर कहना चाहिये।

मैंने स्वयं भी कुछ रूसी इंजीनियरों से पता लगाया है और उन्होंने मुझे सूचित किया है कि वहां पर कोई गड़बड़ नहीं है। परन्तु यदि फिर भी गड़बड़ हुई और किसी व्यक्ति ने भूख हड़ताल की तो इसका यह मतलब तो नहीं कि केवल भूख हड़ताल होने पर ही सभा में कोई प्रश्न उठा दिया जाये। मैं इस प्रकार के प्रश्नों की अनुमति नहीं दे सकता ; मुझे आश्चर्य है कि इस प्रकार की घटनाओं पर ध्यान दिया गया है। मैं स्थगन प्रस्ताव को अपनी अनुमति नहीं देता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६६ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०–१९००/६०]

अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) :** श्री दातार की ओर से, मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति पुनः सभा पटल पर रखता हूं :—

(क) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ९५७।

(ख) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ९५८।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० –१५८१/५९]

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ब० रा० भगत]

(ग) अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ९८३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०—१६०१/५९]

मैं अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति भी सभा-पटल पर रखता हूं :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १२९।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३०।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०—१९०१/६०]

समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम और औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम के अधीन जारी की गई अधिसूचनायें

†**श्री ब० रा० भगत :** मैं निम्नलिखित पत्रों को सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) समुद्र सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३२।

(ख) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३३।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी०—१९०२/६०]

(२) समुद्र-सीमा शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उपधारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३४।

(ख) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३५।

(ग) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३६।

(घ) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३७।

(ङ) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३८।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—१९०३/६०]

†मूल अंग्रेजी में।

(३) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी०एस०आर० १३९ की एक प्रति।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-१९०४/६०]

राज्य सभा से संदेश

†**सचिव :** मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा के सचिव से यह संदेश मिला है कि लोक-सभा द्वारा १० फरवरी, १९६० को पारित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९६० को राज्य-सभा ने अपनी १६ फरवरी, १९६० की बैठक में बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है।

कोल्हू से निकाले गये तेल पर उत्पादन शुल्क के बारे में याचिका

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लौर) : मैं कोल्हू से निकाले गए निर्गन्ध वनस्पति तेलों पर उत्पादन शुल्क के बारे में एक याचिका कार द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** (नासिक) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह इसके संबंध में एक वक्तव्य दें :—

"बम्बई तथा अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थियों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के भुगतान में तथाकथित विलम्ब।"

†**शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली):** भारत में मैट्रिकोत्तर अध्ययन के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों तथा अन्य पिछड़ी जातियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की भारत सरकार की योजना का वर्ष १९५९-६० से विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और छात्रवृत्ति देने तथा छात्रवृत्ति की राशियों को बांटने का काम राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को सौंप दिया गया है। अब इन जातियों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां सम्बद्ध राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों द्वारा—इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित कुछ सिद्धान्तों के अनुसार—दिये जाते हैं। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों को धन दे दिया गया है। इस धन की पहली किस्त अगस्त, १९५९ में और दूसरी किस्त अक्टूबर, १९५९ में दी गयी थी। अन्तिम किस्त जनवरी, १९६० में दी गयी है। सभी राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों पर जोर डाला गया है कि

†मूल अंग्रेजी में

[डा० क० ला० श्रीमाली]

विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिये जाने वाले सभी सम्भव विलम्ब को दूर किया जाना चाहिए ताकि उन्हें किसी अनुचित कठिनाई का सामना न करना पड़े ।

२. राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से यह भी कहा गया था कि छात्रवृत्ति देने संबंधी योजना की प्रगति बताने वाले त्रैमासिक विवरण इस मंत्रालय को भेजे जायें। ३१ दिसम्बर, १९५९ को समाप्त होने वाले तीन महीनों की प्रगति के विवरण निम्नलिखित राज्य सरकारों/संघ प्रशासनों से प्राप्त हो गये हैं, जिनमें बताया गया है कि ३१ दिसम्बर, १९५९ तक उन्होंने कितनी छात्रवृत्तियां दी हैं :—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	छात्रवृत्तियों की संख्या
१. आन्ध्र प्रदेश .	२,५८२
२. बिहार	५,६८५ (जनवरी १९६० के मध्य तक)
३. बम्बई .	२,६१६ ,,
४. मद्रास	८३१ ,,
५. पश्चिमी बंगाल	२,४३८ ,,
६. हिमाचल प्रदेश	९९ ,,
७. मनीपुर	१८७ ,,
८. त्रिपुरा	१०६ ,,
९. उड़ीसा .	१,०२३ (सितम्बर, १९५९ के अन्त तक)

शेष राज्यों/संघ प्रशासनों के प्रगति के विवरणों की प्रतीक्षा की जा रही है । उन्हें स्मरण करा दिया गया है ।

३. इस सम्बन्ध में यह भी बताया जा सकता है कि अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के विद्यार्थी शिक्षा-फीस से मुक्त हैं ।

४. विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का भुगतान करने के सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति (योजना को विकेन्द्रीकृत करने के पूर्व अर्थात् १९५८-५९ और पूर्व के वर्षों में) रही है कि विद्यार्थियों को राशि समान मासिक किस्तों में दी जाय और बीते हुए महीनों की राशि एक मुश्त दी जाय ।

५. उपरोक्त बात से पता लग जायगा कि १९५९-६० में छात्रवृत्तियों के भुगतान में यदि कोई विलम्ब हुआ है, तो उस के लिये केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता । अब यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे नियमित रूप से छात्रवृत्तियों का वितरण करायें और इस सम्बन्ध में उन्हें आदेश भी दे दिया गया है ।

†**श्री नारायणन्कुट्टि मेनन** (मुकुन्दपुर) : माननीय मंत्री ने कहा कि वर्ष १९५९-६० के लिये राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। पर वर्ष १९५८-५९ में भी केरल राज्य के कुछ विद्यार्थियों को अभी तक छात्रवृत्तियां नहीं मिली हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्रालय को लिखा भी, पर उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला है। मेरा निवेदन है कि जिस वर्ष की छात्रवृत्ति हो, उसी वर्ष में विद्यार्थियों को दी जाय, ताकि उन्हें कठिनाई न हो। बाद के वर्ष पुरानी छात्रवृत्ति देने से कोई लाभ नहीं।

†**डा० का० ला० श्रीमाली** : वर्ष १९५८-५९ के सम्बन्ध में यदि माननीय सदस्य को कोई मामले मालूम हों, तो वे मेरे पास भेज दें। मैं वायदा करता हूं कि मैं उन की छानबीन करूंगा।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : माननीय मंत्री ने कहा कि छात्रवृत्तियों का वितरण देर से होता है, इस के लिये केन्द्र उत्तरदायी नहीं है बल्कि राज्य सरकारें उत्तरदायी हैं। पर क्या केन्द्र की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि राज्यों को ठीक समय पर किस्तें दी जायें और विद्यार्थियों को ठीक समय पर छात्रवृत्तियां दी जायें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह सुझाव अच्छा है कि केन्द्र ठीक समय पर राज्यों को किस्तें दे। माननीय मंत्री इस बात की व्यवस्था करेंगे कि राज्यों को ठीक समय पर किस्तें मिलें और वे ठीक समय पर विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दें। यह आवश्यक है।

माननीय सदस्य अपने सुझाव माननीय मंत्री को दे दें। शिक्षा मंत्रालय सम्बन्धी वाद-विवाद का उत्तर देते समय वह उन का उत्तर देंगे।

सहारा में फ्रांस द्वारा परमाणु विस्फोट से उत्पन्न रेडियम सक्रिय बादल से भारत को संभावित खतरे के बारे में वक्तव्य

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : फ्रांसीसी सरकार ने १३ फरवरी, १९६० को सहारा में जो परमाणु विस्फोट किया था, उस के परिणामों के सम्बन्ध में चूंकि माननीय सदस्यों ने कुछ चिन्ता प्रकट की थी, अतः मैं ने अणु शक्ति आयोग के चेयरमैन डा० होमी भाभा से निवेदन किया था कि वे इस विस्फोट से भारत को होने वाली संभाव्य हानि के बारे में जानकारी भेजें। पिछले कुछ वर्षों में हुए परमाणु परीक्षणों से भारत को होने वाली हानि के बारे में उन्हों ने एक टिप्पण भेजा है।

अभी हाल में फ्रांस ने जो परमाणु परीक्षण किया है, उस के बारे में उन्होंने बताया है कि रेडियम-सक्रिय बादल को भारत पर से गुजरने में शायद कुछ दिन लगेंगे। अभी तक वातावरण की रेडियम-सक्रियता में इस परीक्षण से कोई वृद्धि हुई नहीं दिखाई पड़ी है। यदि आगामी कुछ दिनों में ऐसी कोई वृद्धि होगी, तो उस का अध्ययन अवश्य किया जायेगा। उन के विचार के अनुसार ऐसी आशा नहीं है कि यह खतरे के स्तर तक पहुंच जायेगी।

डा० भाभा द्वारा भेजा गया टिप्पण इस प्रकार है :—

"पिछले कुछ वर्षों में रूस, अमरीका और ब्रिटेन अणु शस्त्रों का परीक्षण करते रहे हैं। अमरीका ने बिकिनी, मार्शल द्वीप समूह, जान्सटन द्वीपसमूह और नेवादा में

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

अपने परीक्षण किये ; रूस ने साईबेरिया, दक्षिणी रूस तथा उत्तरी ध्रुव क्षेत्र में अपने परीक्षण किये और ब्रिटेन ने क्रिसमस द्वीपसमूह, मारलिंग द्वीपसमूह, मान्टे बेलो और वोमेरा (आस्ट्रेलिया) में अपने परीक्षण किये । अनुमान है कि अभी तक लगभग २०० अणु बमों तथा ५० उद्जन बमों का विस्फोट हो चुका है ।

इस बात पर कड़ी नजर रखने के लिये कि हवा, पानी, खाने-पीने की चीजों तथा भूमि पर रेडियम-सक्रियता का क्या प्रभाव पड़ता है, भारत के अणु शक्ति विभाग ने भारत में ३० नमूना स्टेशन खोल दिये हैं, जिन से दूध के नमूने इकट्ठे किये जाते ने, यह जांचने के लिये कि उस में रेडियो सक्रिय तत्वों का अर्थात् सेसियम १३७ और स्ट्रान्टियम ९० का क्या प्रभाव पड़ा है ।

इस के अतिरिक्त श्रीनगर, दिल्ली, कलकत्ता, नागपुर, बम्बई, बंगलौर और उटकमंड में ७ स्थायी मानिटरिंग स्टेशन भी स्थापित कर दिये गये हैं, जो सम्पूर्ण भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहते हैं ।

सिक्किम सरकार के मांग किये जाने पर अभी हाल में हम ने गंगटोक, सिक्किम में एक स्थायी मानिटरिंग स्टेशन स्थापित कर दिया है । हवा में से इकट्ठा की गयी धूल को ये केन्द्र लगातार ट्राम्बे भेज रहे हैं जहां इस का परीक्षण किया जाता है । इस के अतिरिक्त वर्षा के पानी के नमूने भी इन केन्द्रों से ट्राम्बे को भेजे जा रहे हैं ताकि उन की जांच की जा सके कि उस में रेडियम-सक्रियता की कितनी मात्रा है । इन मानिटरिंग स्टेशनों की मदद से अणु शक्ति आयोग अणु-शस्त्र परीक्षणों द्वारा उत्पन्न होने वाले रेडियम-सक्रिय प्रभाव के स्तरों पर पूरी निगाह रख पाता है । अभी तक हम ने जो जांच की है उस से सिद्ध होता है कि हवा, पानी, खाने पीने की चीजों तथा पेड़-पौदों पर रेडियम-सक्रिय प्रभाव धीरे-धीरे बढ़ रहा है और उस स्तर से ज्यादा है जितना सामान्यतया इन में होना चाहिये ।

मनुष्य के पैदा होने वाले बच्चे में स्ट्रांटियम ९० का स्तर १—माइक्रो-माइक्रो क्युरी/ग्राम कैशलियम होता है, जबकि रेडियम धर्मिता संरक्षण के अन्तर्राष्ट्रीय आयोग के अनुसार अधिकतम स्तर लगभग १० माइक्रो माइक्रो क्युरी/ग्राम कैलशियम तक ठीक है । दूध में स्ट्रांटियम का स्तर बढ़ कर ६ माइक्रो माइक्रो क्युरी/ग्राम कैलशियम हो गया है, जबकि अधिकतम स्तर लगभग ५० माइक्रो माइक्रो क्युरी/ग्राम तक ठीक है । हवा में अधिकतम सक्रियता अभी तक लगभग ९ माइक्रो माइक्रो क्युरी /क्यूबिक मीटर तक देखी गयी है जबकि अधिकतम स्तर १०० माइक्रो माइक्रो क्युरी/ क्युबिक मीटर है ।

अभी तक इकट्ठा किये गये आंकड़ों से यह हिसाब लगाया जा सकता है कि विभिन्न वस्तुओं में रेडियम-सक्रियता का स्तर बढ़ा है फिर भी यह बढ़ा हुआ स्तर अभी उस उच्चतम स्तर से बहुत कम है, जो मनुष्यों के लिए हानिकारक नहीं है ।

१३ फरवरी, १९६० को सहारा में जो फ्रांसीसी परमाणु विस्फोट परीक्षण हुआ था, उस में अनुमान है २०,००० टन टी० एन० टी० के बराबर विस्फोटक शक्ति थी । इस परीक्षण के रेडियम-सक्रिय बादल वायुमंडल में ५०,००० से ६०,००० फुट की अधिकतम ऊंचाई तक उठ सकते हैं ।

बताया गया है कि यह बादल वायुमंडल के सामान्य परिभ्रमण के साथ विश्व का चक्कर लगा रहा है। इन बादलों को भारत पर से गुजरने में ३ से ४ दिन का समय लग सकता है। अभी तक हमें इस परीक्षण के फलस्वरूप वातावरण में रेडियम-सक्रियता में कोई वृद्धि नहीं दिखाई पड़ी है पर यदि आगामी दिनों में कोई वृद्धि दिखाई पड़ेगी, तो उस का अवश्य पता लग जायेगा।

फ्रांस ने जहां परीक्षण किया है, वह स्थान भारत से उतना नजदीक नहीं है, जितना नजदीक वह स्थान था (मध्य एशिया) जहां रूस ने परीक्षण किये थे। फ्रांस ने जहां परीक्षण किया है, वह स्थान उन्हीं अक्षांशों में है, जिन में भारत है और यह कोई असंभव बात नहीं है कि रेडियम-सक्रिय बादल भारत के ऊपर से गुजरे।

यदि यह बादल विश्व का चक्कर लगाते हुए भारत के ऊपर से गुजरता है तो हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए रेडियम-सक्रियता में कुछ वृद्धि हो जाय। इस सक्रियता की मात्रा उस सक्रियता की तुलना में कुछ अधिक नहीं होगी, जो हम पिछले परीक्षणों के परिणामस्वरूप अभी भुगत रहे हैं। पिछले परीक्षणों का प्रभाव इसलिये पड़ा कि उद्जन बमों के परीक्षणों की रेडियम-सक्रियता वायु-मंडल में एकत्रित हो गयी है। यह सक्रियता धीरे-धीरे कई वर्षों में पृथ्वी पर आती रहेगी। आशा है कि फ्रांसीसी परमाणु परीक्षण से उत्पन्न रेडियम-सक्रियता ४० से ५० दिनों में भूमि तक पहुंचेगी।

यदि वर्षा के कारण रेडियम-सक्रिय धूल जमीन पर आ जायगी तो भूमि पर तथा वायुमंडल में सक्रियता का स्तर बहुत बढ़ सकता है। वर्षा ही एक मुख्य साधन है, जो रेडियम-सक्रियता को वायु-मंडल से जमीन पर लाती है। फिर भी रेडियम-सक्रियता में जो वृद्धि होगी वह इतनी अधिक नहीं होगी जो मनुष्यों के लिये खतरनाक हो। जहां ऐसी कोई गड़बड़ी का पता लगेगा, प्रधान मंत्री को सूचित कर दिया जायेगा। भारत में भयभीत होने का कोई कारण नहीं है।"

भारतीय अणु शक्ति विभाग भारत की वायु में विद्यमान रेडियम-सक्रियता के प्रभावों का परीक्षण करता रहा है और उस की रिपोर्ट अणुविक विकिरण के प्रभावों सम्बन्धी राष्ट्र संघ की वैज्ञानिक समिति के पास भेजता रहा है। ऐसे चार प्रतिवेदन जो राष्ट्र संघ के सामने उपस्थापित किये गये हैं, संसद् के पुस्तकालय में संदर्भ के लिये रख दिये गये हैं। वे प्रतिवेदन निम्न है :

(१) भारतीय और विदेशी दूध में सेसियम १३७ की मात्रा ;

(२) अणु शस्त्र परीक्षण विस्फोटों के विस्फोटक तत्वों के भूमि पर जमने की मात्रा ;

(३) भारत में वायु में रेडियम-सक्रियता की मात्रा।

(४) भारत में दूध तथा मनुष्य की हड्डी में स्ट्रांटियम ९० की मात्रा।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : क्या प्रधान मंत्री ने आज के समाचार पत्र में एक खबर पढ़ी है कि जापान में सहारा से उठने वाले रेडियम-सक्रिय बादलों का प्रभाव कल देखा गया है। ऐसा लगता है कि ये बादल जापान पहुंच गये हैं और भारत के ऊपर से गुजर चुके हैं।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं ने एक पूरा वक्तव्य पढ़ कर सुना दिया है। बिना अग्रेतर जानकारी प्राप्त किये मैं माननीय सदस्य की बात का जवाब नहीं दे सकता।

†**अध्यक्ष महोदय** : हमारे स्टेशनों पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। मुझे विश्वास है कि यदि कोई विशेष बात होगी, तो इस सभा को उस की सूचना दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

सभा का कार्य

†**संसद-कार्य मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह)** : श्रीमान्, आपकी अनुमति से मैं २२ फरवरी को आरम्भ होने वाले सप्ताह में लिये जाने वाले सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं, जो इस प्रकार होगा :—

(१) राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद-प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा ।

(२) १६५६-६० के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) पर चर्चा और मतदान ।

(३) दहेज निषेध विधेयक, १६५६ में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर अग्रेतर विचार ।

(४) निम्न विधेयकों पर विचार तथा उन्हें पारित किया जाना :—

(क) आयात तथा निर्यात (नियंत्रण) संशोधन विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में ;

(ख) दिल्ली जोत (अधिकतम सीमा) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ;

(ग) मनीपुर भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ;

(घ) त्रिपुरा भू-राजस्व और भूमि सुधार विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

(५) श्री हरिश्चन्द्र माथुर तथा अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले एक प्रस्ताव पर संगठन और रीति विभाग के वर्ष १६५८-५६ के वार्षिक प्रतिवेदन पर २२ फरवरी को ३.०० बजे चर्चा ।

जैसाकि सदस्यों को पहिले से ज्ञात है, रेलवे आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा, २५ फरवरी, १६६० को, प्रश्नोत्तर काल के पश्चात् आरम्भ होगी ।

सम्वाय (संशोधन) विधेयक

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री एच० डी० राजा की मृत्यु से समवाय (संशोधन) विधेयक, १६५६ सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्ति के लिये राज्य-सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा श्री एच० डी० राजा की मृत्यु से समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ सम्बन्धी संयुक्त समिति में हुई रिक्ति के लिये राज्य-सभा का एक सदस्य नियुक्त करे और राज्य-सभा द्वारा संयुक्त समिति में इस प्रकार नियुक्त किये गये सदस्य का नाम इस सभा को बताये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा १५ फरवरी, १९६० को श्री विश्वनाथ रेड्डी द्वारा प्रस्तुत और श्री अन्सार हरवानी द्वारा अनुमोदित इस प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी कि :—

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य, राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये, जिसे उन्हों ने ८ फरवरी, १९६० को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उन के अत्यन्त आभारी है ।"

†**श्री सुब्बया अय्यलम** (रामनाथपुरम्) : मैं राष्ट्रपति को उन के अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं । राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में पिछले वर्ष किये गये कार्यों का ब्यौरा दिया है उन्हों ने उन कार्यों और दायित्वों का भी संकेत किया है जो भविष्य में हमारे देश को वहन करने हैं । वस्तुतः हमें देश में समृद्धि और शान्ति बनाये रखने के लिये इन समस्याओं पर सावधानी से विचार करना है ।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि अभिभाषण प्रेरणादायक नहीं है । उन्हों ने अभिभाषण में प्रयुक्त कुछ शब्दों पर आपत्ति की है । मेरे विचार से उन का यह कथन अनुचित है इस से उन के दल की प्रतिष्ठा में कोई वृद्धि नहीं होती । वस्तुतः चीन जैसे देश ने भारत पर जो एकतरफा सैनिक हमला किया है उस के लिये विश्वासघात के अतिरिक्त और किसी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है । हमारे साम्यवादी मित्रों का यह रवैया अप्रत्याशित नहीं है । इतिहास इस का साक्षी है । उन का यह कहना कि वे देश के प्रति सच्चे और ईमानदार हैं, देश को धोखा देना है । वस्तुतः सरकार को चीनी सरकार तथा साम्यवादी दल के प्रति कड़ा रुख अपनाना चाहिये ।

भारत के प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री को अभी हाल जो पत्र लिखा उस के सम्बन्ध में सभा में बहुत कुछ कहा गया । प्रधान मंत्री ने इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह आश्वासन दिया है कि हम अपनी नीति नहीं बदल रहे हैं । रूस के प्रधान मंत्री ने भी इस सम्बन्ध में आशा प्रगट की है कि यह मामला शांति से सुलझ जायेगा ।

कुछ सदस्यों ने पूर्वी एशियायी देशों अथवा पाकिस्तान के साथ एक संयुक्त प्रतिरक्षा संगठन बनाने की बात कही है । मेरे विचार से वर्तमान स्थिति में इस का कोई मूल्य नहीं है क्योंकि विश्व के बड़े राष्ट्र निःशस्त्रीकरण और आणविक शस्त्रों के प्रयोगों को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं ऐसे समय भारत की तटस्थ रहने की नीति को त्यागना उचित नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सुब्बया अम्बलम्]

राष्ट्रपति ने देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि और विकास के लिये खाद्य उत्पादन की वृद्धि को आवश्यक बताया है । निसन्देह हमारा देश विदेशों से खाद्यान्नों का आयात करने के लिये करोड़ों रुपये प्रतिवर्ष व्यय कर रहा है जिस से हमारी अर्थव्यवस्था पर आघात हो रहा है अतः यह आवश्यक है कि हम सहकारी प्रयत्नों तथा व्यक्तिगत श्रम द्वारा अधिक अन्न उत्पादन करने का प्रयत्न करें ।

राष्ट्रपति ने कहा है कि राष्ट्र के विकास कार्यों की सफलता हमारे प्रशासन की किस्म पर निर्भर करती है । प्रशासन देश के कल्याण का एक साधन है । समस्याओं तथा उन को क्रियान्वित करने का ढंग मानवीय होना चाहिये । प्रशासन को चाहिये कि वह जनता की मांगों को पूरा करे और जनता को उस पर विश्वास हो ।

कृषि देश का सब से बड़ा उद्योग है । लेकिन उसे उद्योग या व्यवसाय के रूप में नहीं लिया जाता है अपितु उसे जीवित रहने का एक साधनमात्र समझा जाता है । यही कारण है कि कृषकों का कुल ४/५ भाग वर्ष के दो तिहाई भाग में बिल्कुल या आंशिक रूप से बेकार रहते हैं । खेतीहर मजूरों की अवस्था उन से भी बुरी है उन की दैनिक मजूरी १ रु० से १ १/४ रु० तक है । उन लोगों की अवस्था में सुधार करने के लिये सरकार क्या काम कर रही है । इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि सरकार सिंचाई की सुविधाओं की ओर अधिक ध्यान दे, बंजर जमीन को आबाद करे तथा पिछड़े इलाके में नये उद्योग खोले ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में तेल की खोज का जिक्र किया है । आज के युग में विकास कार्यों के लिये तेल का स्थान महत्वपूर्ण है । माननीय तेल तथा ईंधन मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया है कि तेल के बरमों के लिये विदेशों को आर्डर भेजे गये हैं । उन के आते ही कावेरी के मैदान और डेल्टा में तेल की खोज का काम प्रारम्भ हो जायेगा । मुझे आशा है इस से दक्षिण की अर्थव्यवस्था में काफी परिवर्तन आयेंगा । हमें आशा है कि दक्षिण में धीमी धमन भट्टी (लो शैफ्ट फरनैश) के किस्म का एक इस्पात संयंत्र भी स्थापित किया जायेगा ।

माननीय शिक्षा मंत्री ने हमें यह आश्वासन दिया है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में निशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा लागू की जायेगी जिस में ३०० करोड़ रुपये व्यय होंगे । इस के लिये लगभग ५ लाख अध्यापकों की आवश्यकता होगी । हमें केवल योग्य और रुचि रखने वाले व्यक्तियों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिये तथा उन्हें अधिक वेतन देना चाहिये । स्कूलों में नैतिक शिक्षा देना भी आवश्यक है ।

कालेज के अध्यापकों में भी अपने वेतन के सम्बन्ध में असंतोष है । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने उन के वेतन स्तरों में संशोधन की सिफारिश की है तथापि ये सिफारिशें कुछ राज्यों ने इस कारण अस्वीकार कर दीं कि ये सरकारी कालेजों में लागू नहीं होंगी । यह असंगत बात है । इन्हें सभी शिक्षा संस्थाओं में लागू होना चाहिये ।

अब मैं हथकरघा उद्योग को लेता हूं । केवल मद्रास में इस उद्योग पर २० लाख व्यक्तियों की आजीविका निर्भर है । इस बीच सूत की कीमतों में वृद्धि होने से यह उद्योग खतरे में पड़ गया है अतः सरकार को चाहिये कि उचित कीमत में सूत देने का तत्काल प्रबन्ध करें केन्द्रीय सरकार उपकर निधि से उन हथकरघा मजूरों को सहायता देती है जो किसी सहकारी समिति के सदस्य होते हैं । अभी हाल के वर्षों से सहकारी समितियों की संख्या में बहुत वृद्धि हुई है अतः केन्द्रीय सरकार से निवेदन है कि आर्थिक सहायता की राशि को और बढ़ाया जाय ।

†श्री प्रो० चं० मलिक (धनबाद): मैं राष्ट्रपति को उनके अभिभाषण के लिये धन्यवाद देता हूं। मैं इस सभा का नया सदस्य हूं अतः मुझे सभा में उपस्थित विद्वानों और महान नेताओं के सम्मुख बोलने में कुछ हिचकिचाहट हो रही है।

सर्वप्रथम मैं चीन का विषय लेता हूं। पाश्चात्य देशों ने चीन को अस्पृष्य मान कर उसका राष्ट्र संघ से बहिष्कार कर रखा था। हमारे प्रधान मन्त्री ने चीन का पक्ष लिया और बांडुंग सम्मेलन में एशिया के अन्य राष्ट्रों के समक्ष उसकी हिमायत की। उस समय चीन ने पंचशील का समर्थन किया। तथापि उसी समय चीन ने भारतीय इलाके पर कब्जा कर लिया और अब चीन उस प्रदेश को किसी हालत में भी लौटाने को तैयार नहीं है। निसंदेह इस समस्या का हल युद्ध के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन आज का युद्ध केवल दो राष्ट्रों तक ही सीमित नहीं रहेगा अपितु वह बहुत शीघ्र अन्तर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लेगा जिसके परिणाम बहुत भयावह हो सकते हैं। अतः प्रधान मन्त्री ने चीन के प्रधान मन्त्री को निमन्त्रित कर उचित ही किया है हमें शान्तिपूर्ण बातचीत द्वारा इस विवाद को निपटाने का पूरा प्रयत्न करना चाहिये तथापि यदि युद्ध छिड़ जाये तो लड़ने से भी नहीं डरना चाहिये।

औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैं वहां के कोयला मजदूरों की दशा का उल्लेख करना चाहता हूं। दुख का विषय है कि मजदूरों की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है वे आज भी उतने ही गरीब हैं तथा वैसी ही गन्दी जगहों में रहते हैं जैसे आज से कुछ वर्ष पहिले रहते थे। उनके लिये उपयुक्त आवास का कोई प्रबन्ध नहीं है। यद्यपि वहां खान स्वास्थ्य बोर्ड और झरिया पानी बोर्ड इत्यादि विभाग हैं तथापि खान मालिकों के असहयोग तथा अधिकारियों में भ्रष्टाचार के कारण मजूरों को उनका कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है। उक्त दोनों विभागों सम्बन्धी अधिनियम ३० वर्ष पुराने हो गये हैं। अतः उनमें संशोधन की आवश्यकता है। जब तक उनमें संशोधन नहीं किया जायेगा और उन के उल्लंघन पर कड़े दण्ड की व्यवस्था नहीं की जायेगी तब तक उनसे कोई ठोस लाभ नहीं हो सकता है। उदाहरणार्थ झरिया पानी बोर्ड अधिनियम में कई त्रुटियां हैं। उक्त अधिनियम के अनुसार ५० मजूरों के लिये एक नल लगना चाहिये। वास्तव में स्थिति यह है कि ५०० मजूरों के लिये केवल एक दो नल लगे हैं जबकि अधिकारियों के बंगलों में कई कई नल लगे हुए हैं। सरकार का यह कर्त्तव्य है कि मजूरों को उचित सुविधायें उपलब्ध हों।

अब मैं कृषकों का प्रश्न लेता हूं। सरकार करोड़ों रुपया सिचाई की छोटी योजनाओं पर व्यय कर रही है। हमारे क्षेत्र में भी यह काम किया गया। परन्तु व्यवहारतः जब इन योजनाओं का निरीक्षण किया गया, तो ज्ञात हुआ कि आधा कार्य तो हुआ ही नहीं और जो काम हुआ भी वह इस ढंग का था कि उससे कृषकों को कोई भी लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार अधिकारियों में भ्रष्टाचार के कारण करोड़ों रुपये खटाई में पड़ गये।

वहां के सूदखोर गरीब मजदूरों को खूब लूट रहे हैं। वे रुपये में दो आने प्रति सप्ताह के हिसाब से सूद लेते हैं। इन सूदखोरों में कुछ तो मजूर नेता हैं और कुछ अधिकारी या खान मालिक जो बेनाम यह कार्य कर रहे हैं। यद्यपि मजूर कल्याण निधि में काफी रुपया पड़ा हुआ है तो भी इस कार्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जाता है। सहकारी समितियां बनाने के लिये वहां कोई आर्थिक सहायता नहीं दी जा रही है परिणाम यह होता है कि दुकानदार लोग मजूरों को बहुत महंगे दाम में खाद्यान्न बेच रहे हैं। वहां चावल का भाव ३० रुपया प्रति मन और चीनी का भाव डेढ़ रुपया प्रति सेर है। अतः सरकार को चाहिये कि वह इस बात का प्रबन्ध करे कि मजूरों को प्रतिदिन की आवश्यक वस्तुएं उचित दरों में उपलब्ध हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री धी० चं० मलिक]

यद्यपि मजूरों के बारे में प्रगतिशील विधान मौजूद है तथापि उसे क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है । इसका कारण यह है कि खानों के मालिक अपने धन के बल से कानूनों का उल्लंघन करने में समर्थ हैं । और अधिकारी वर्ग भ्रष्टाचार के कारण इस मामले में उपेक्षा बरत रहा है । अतः सरकार का कर्तव्य है कि वह अधिकारियों से भ्रष्टाचार को दूर करे ।

हम विदेशों से ऋण ले रहे हैं । ऋण लेने में कोई हानि नहीं है क्योंकि जब तक हम विदेशों से ऋण नहीं लेंगे तब तक हम अपनी अर्थव्यवस्था का विकास नहीं कर सकते हैं । तथापि हमें इस ऋण को उचित कामों में लगाना चाहिये । इस्पात के उद्योग में रुपया लगाना लाभप्रद है । कठिनाई केवल अच्छे कोयले की है । मेरे क्षेत्र में कोयला, चूने का पथर, कच्चा लोहा इत्यादि सभी वस्तुएं उचित मात्रा में पायी जाती हैं अतः सरकार को चाहिये कि वह इस उद्योग का और विकास करे । जिस से कि हम इस्पात के उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जायं ।

अब मैं मुस्लिम लीग के सम्बन्ध में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में सभा में बहुत हो हल्ला मचाया गया है । तथापि मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि वर्तमान मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की मुस्लिम लीग में बहुत अन्तर है । अब उनका उद्देश्य पाकिस्तान बनाना नहीं है अपितु केवल मुस्लिम समाज का सुधार करना है अतः मैं सोचता हूं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग समझौता में कोई दोष नहीं है ।

अन्त में मैं एक बार पुनः राष्ट्रपति को धन्यवाद देकर अपना भाषण समाप्त करता हूं ।

†**श्री स० मो० बेनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चीन के प्रधान मन्त्री को भारत आने का निमन्त्रण दिया । कुछ लोगों ने इस पर अप्रसन्नता प्रकट की है तथापि मैं समझता हूं कि प्रत्येक शान्तिप्रिय नागरिक इस निमन्त्रण से सहमत होगा । मुझे पूरी आशा है कि चीन के प्रधान मन्त्री इस निमन्त्रण को स्वीकार करेंगे । इस प्रकार दोनों प्रधान मन्त्री एक दूसरे के निकट आयेंगे और इस विवाद का कोई न कोई हल निकल आयेगा । इस सम्बन्ध में कुछ लोग युद्ध की बातें करते हैं वस्तुतः आज के जमाने में युद्ध की बातें वही लोग कर सकते हैं जो उसकी भयावहता से पूरी तरह परिचित नहीं हैं ।

हमारा देश पंचशील और अहिंसा के सिद्धान्तों का अनुयायी है । इस समय विश्व में शान्ति की सम्भावनायें भी बढ़ती जा रही हैं । ऐसे समय युद्ध और विध्वंस की बातें करना बिल्कुल अनुचित है । मैं प्रधान मन्त्री की चीन सम्बन्धी नीति का बिल्कुल समर्थक हूं ।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में प्रतिरक्षा उत्पादन की प्रशंसा की है, इससे मुझे बहुत हर्ष हुआ। विशेषतः इसलिये कि मैंने स्वयं प्रतिरक्षा उत्पादन विभाग में १५ वर्ष कार्य किया है । १९५६ में इस विभाग में बहुत छंटनी हुई थी । इस वर्ष मुझे यह देख कर प्रसन्नता हुई कि वहां १७०० व्यक्तियों की नियुक्ति की गई । जो मशीनें बेकार पड़ी थीं उनसे भी पूरी क्षमता में उत्पादन हो रहा है । प्रतिरक्षा उत्पादन कारखानों में ट्रैक्टर बने हैं और वे इस समय दण्डकारण्य में काम कर रहे हैं। मैंने जबलपुर का कारखाना भी देखा है इस समय तक वहां ७०० ट्रक बन गये हैं । निसन्देह पूरा ट्रक नहीं बन सका है इसका कारण यह है कि इस्पात की चादरें मिलने में कठिनाई हो रही है । यदि यह कठिनाई हल हो सके तो ट्रक उत्पादन का कार्य और भी तेजी से चल सकता है । वस्तुतः मैं प्रतिरक्षा संस्थानों के ढाई लाख कर्मचारियों की ओर से प्रधान मन्त्री को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि वे इस कार्यक्रम को और भी अधिक शक्ति से पूरा करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम कानपुर में सैनिक बूटों का निर्माण करने के लिये एक संयंत्र लगाना चाहते थे। लेकिन मैसर्स कूपर ऐलन एण्ड कम्पनी जो उस समय बूट बनाने का एक मात्र एजेंट थे वे इस में बाधा देते रहे। आज मुझे प्रसन्नता है कि जीकोस्लावेकिया की एक फर्म के सहयोग से वहां पूरे बूटों का निर्माण किया जा रहा है। और उनका उत्पादन भी २४ प्रतिशत बढ़ गया है।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में वेतन आयोग का भी जिक्र किया है वित्त मंत्री ने कहा है कि इस आयोग को क्रियान्वित करने में ३१ करोड़ रुपये प्रतिवर्ष व्यय होंगे। मैं वित्त मंत्री से केवल यह पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली में ५६ नये पैसे में ३२ आउन्स भोजन, जिसकी एक व्यक्ति को आवश्यकता है प्राप्त हो जायेगा यदि नहीं तो मैं वेतन आयोग की सिफारिशों से सहमत नहीं हूं।

राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में अनुशासन का भी जिक्र किया है। वस्तुतः अनुशासन का उल्लंघन नियोजकों के द्वारा ही अधिक होता है। मैं इसके आपको कई उदाहरण दे सकता हूं। बैंक विवाद के सम्बन्ध में श्रम मन्त्री यह चाहते थे कि कर्मचारियों, नियोजकों व सरकार का एक त्रिपक्षीय सम्मेलन हो जाय। तथापि बैंक के नियोजक लोग इस बात पर तैयार नहीं हुए। हमारी सरकार उन्हें उस सम्मेलन में भाग लेने के लिये तैयार नहीं कर सकी। हमें इस बात का प्रयत्न करना चाहिये कि देश में औद्योगिक शान्ति रहे और सभी विषयों का निपटारा शान्ति पूर्वक हो तथापि इस सम्बन्ध में नियोजक अपना सहयोग नहीं करते हैं।

देश में बेकारी की समस्या दिनों दिन गम्भीर रूप धारण करती जा रही है। १९५४ के अन्त में काम दिलाऊ दफ्तरों में पंजीयित व्यक्तियों की संख्या ६०९७८० थी जो सितम्बर १९५९में बढ़ कर १४०८९०३ हो गई। बेकारी की इस गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कोई भी जिक्र नहीं किया है। शिक्षा मन्त्री ने इस सम्बन्ध में यह आश्वासन दिया था कि शिक्षित वर्ग में बेकारी की समस्या दूर करने के लिये ६०००० अध्यापकों की नियुक्ति की जायेगी। इस सम्बन्ध में क्या किया गया है। सभा में यह प्रश्न भी पूछा गया था कि क्या सरकार बेकार लोगों को कुछ राशि दान स्वरूप देने का विचार कर रही है इसके उत्तर में सरकार ने अपनी असहमति प्रगट की। दुःख की बात है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के बारह वर्ष पश्चात भी देश में बेकारी की समस्या गम्भीर रूप में वर्तमान है।

अब मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। श्री ही० ना० मुकर्जी और अशोक मेहता ने सभा में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा। इस सम्बन्ध में प्रधान मन्त्री ने देशमुख से यह कहा कि वे उन्हें कुछ विशेष मामले देवें जिनकी वे जांच करेंगे।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

इस सम्बन्ध में मैं प्रधान मन्त्री से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करने के लिये एक न्यायाधिकरण या समिति नियुक्त करें और जिसको भ्रष्टाचार का जो मामल दिखायी दे उसकी तत्काल जांच की जाय अब मैं सभा के सामने भ्रष्टाचार के दो तीन मामले रखना चाहता हूं। पहिले मैं आपके समक्ष कानपुर की एक घटना रखूंगा, जिसमें एक स्त्री के साथ बलात्कार किया गया। जब अधिकारी को जनता ने मुअत्तिल करने की मांग की तो वहां हत्याकाण्ड हुआ यह मामला इस समय एक आयोग के विचाराधीन है। अतः मैं इस सम्बन्ध में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लखनऊ विश्वविद्यालय के कुछ विद्यार्थियों ने जब वहां के भ्रष्टाचार के कुछ मामलों की जांच करने को कहा तो सारे विद्यालय को एक बन्दीगृह में बदल दिया गया। अलीगढ़ में भी यही हाल है। दिल्ली में दूध ठण्डा करने के संयंत्र का नया नया बना हुआ फर्श धंस गया। इस प्रकार कई घटनाओं के उदाहरण दिये जा सकते हैं। वस्तुतः प्रधान मन्त्री को यह घोषणा करनी चाहिये कि भ्रष्टाचार के मामलों पर यथोचित जांच की जायेगी।

[श्री स० मो० बनर्जी]

अब मैं चीनी और खाद्यान्न की कीमतों के प्रश्न को लेता हूं । उड़ीसा और बंगाल में खाद्यान्न की कीमतों में वृद्धि हुई है । अभी तक कीमत स्थायीकरण समिति की नियुक्ति भी नहीं की गई । मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि सरकार द्वारा खाद्यान्नों के व्यापार की योजना को क्रियान्वित किया जायेगा कि नहीं । मैं नहीं कह सकता कि इससे कीमतों में वृद्धि होगी या नहीं तथापि इतना जानता हूं कि यद्यपि स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त हमारी अर्थव्यवस्था में काफी तरक्की हुई है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है तथापि हमारा चरित्र गिरा है, यदि ऐसा न होता तो मुनाफाखोर को आज जमा करने और वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि करने का साहस नहीं होता ।

†श्री **रामी रेड्डी** (कड़प्पा) : उपाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं दो तीन बातों के सम्बन्ध मे कुछ निवेदन करना चाहता हूं ।

सबसे पहले मैं जीवन की आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों के प्रश्न को लेता हूं जिसका निर्देश श्री बनर्जी ने किया था । खाद्यान्न का अभूतपूर्व उत्पादन होने पर भी भाव निरन्तर बढ़ते जा रहे हैं । आन्ध्र प्रदेश और उड़ीसा जैसे राज्यों में भी भाव बहुत चढ़े हुए हैं जिनमें आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है । मेरा निवेदन है कि मूल्यों को स्थिर रखने का प्रयत्न किया जाना चाहिये अन्यथा हमारे औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

इस सम्बन्ध में मैं आन्ध्र के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं । अनुमान है कि वहां ६ लाख टन से ८ लाख टन तक आवश्यकता से अधिक चावल होता है । फिर भी वहां चावल का भाव बहुत ज्यादा है । राज्य सरकार गत दो तीन वर्षों से केन्द्र सरकार से दक्षिणी खाद्य क्षेत्र को तोड़ कर आन्ध्र प्रदेश को पृथक कर देने का आग्रह कर रही है । मद्रास राज्य भी पृथक् होना चाहता है । परन्तु केन्द्रीय सरकार ने अभी तक अपनी नीति नहीं बदली है । मेरे विचार से कम पैदावार वाले राज्यों को अधिक पैदावार वाले राज्यों से सम्बद्ध करने का सिद्धान्त ठीक नहीं है । यह इस बात से स्पष्ट है कि जब उडीसा और पश्चिमी बंगाल को एक क्षेत्र में सम्बद्ध किया गया तो उड़ीसा में भाव बढ़ गये जहां आवश्यकता से अधिक पैदावार होती है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिये और आन्ध्र प्रदेश का एक पृथक् क्षेत्र बनाया जाना चाहिये ।

दूसरी बात जिसका उल्लेख मैं करना चाहता हूं उद्योगों के विकास से सम्बन्धित है । हमें गर्व है कि इस सम्बन्ध में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है । अनेक नई योजनायें चालू हुई हैं । परन्तु इसके सम्बन्ध में सरकार ने प्रादेशिक संतुलन की ओर ध्यान नहीं दिया है । औद्योगीकरण से देश की अर्थ व्यवस्था तभी लाभान्वित हो सकेगी जब विभिन्न क्षेत्रों के स्तरों की असमानता को दूर किया जाएगा । एक ही क्षेत्र में उद्योगों का केन्द्रित किया जाना ठीक नहीं है । प्रादेशिक विकास के बिना राष्ट्रीय विकास नहीं हो सकता । खेद है कि सरकार ने अभी तक इस ओर ध्यान नहीं दिया है । मेरा निवेदन है कि उद्योगों के आवण्टन में प्रादेशिक संतुलन रखा जाना चाहिये ।

उदाहरण के लिये आन्ध्र राज्य को ले लीजिए । कृषि के सम्बन्ध में वह बहुत उन्नत है परन्तु उद्योगों की दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ है । उद्योगों के आवण्टन में उसको समुचित भाग नहीं मिला है । दूसरी योजना में उद्योगों के विकास के लिये निर्धारित लगभग ८९० करोड़ रुपये की राशि में से आन्ध्र को केवल १४ करोड़ रुपए का आवण्टन किया गया है जो राज्य के व्यय का केवल ७ प्रतिशत होता है । आन्ध्र जैसे विशाल राज्य के लिये यह आवण्टन बहुत कम है । खनिज संसाधनों की दृष्टि से आन्ध्र की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लौह अयस्क, कोयला और मैंगनीज के उत्पादन में उसका चौथा स्थान

†मूल अंग्रेजी में

है और अभ्रक के उत्पादन में तीसरा। कच्ची सामग्री को ढोने के लिये राज्य में परिवहन की सुविधायें भी अपर्याप्त नहीं हैं। इसलिये यह नहीं कहा जा सकता कि राज्य में औद्योगीकरण के साधनों का अभाव है। परन्तु फिर भी वहां इन खनिजों के उपयोग के लिये किसी उद्योग की स्थापना नहीं की गई है। परिणामस्वरूप राज्य के लोगों के रहन सहन का स्तर बहुत नीचा है। राज्य सरकार ने अनेक प्रकार के उद्योगों की स्थापना के प्रस्ताव पेश किये हैं परन्तु उन पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। लोगों के रहन सहन का स्तर रोजगार पर निर्भर है और रोजगार तभी मिल सकेगा जब नए नए उद्योगों की स्थापना होगी।

इसलिये मेरा निवेदन है कि विभिन्न क्षेत्रों के आर्थिक विकास की असमानताओं को दूर किया जाना चाहिये। मैं चाहता हूं कि तीसरी योजना में आन्ध्र प्रदेश जैसे पिछड़े हुए क्षेत्रों की ओर विशेष ध्यान दिया जाय। विनियोजन इस प्रकार किया जाना चाहिये जिससे सब क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। आन्ध्र प्रदेश जैसे पिछड़े हुए राज्यों में कुछ बड़े और कुछ बीच के आकार के उद्योगों की स्थापना की जानी चाहिये।

इसके बाद मैं सत्ता की विकेन्द्रीकरण के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण का प्रयोग किया गया है। आन्ध्र प्रदेश में खण्ड स्तर पर पंचायत समितियां बनाई गई हैं जिन्हें सामुदायिक विकास कार्यक्रम और प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य सौंपा गया है। इन समितियों में कोई भी सरकारी सदस्य नहीं है। खण्ड विकास अधिकारी केवल कार्यकारी प्रशासक है जो समिति के आदेशानुसार कार्य करता है। इसी प्रकार जिला स्तर पर जिला परिषदों की स्थापना की गई है तथा उनमें भी कोई सरकारी सदस्य नहीं है। जिला परिषद् जिले के अन्तर्गत विभिन्न पंचायत समितियों के कार्यों की देखभाल और समन्वय करती है।

समितियों और परिषदों की नियमित बैठकें होती हैं जिनमें जिला पदाधिकारियों को आमंत्रित किया जाता है। पहला घण्टा प्रश्नों के लिये निश्चित रहता है और बाद में विभिन्न विषयों की चर्चा होती है। विभिन्न योजनाओं में होने वाले विलम्ब के सम्बन्ध में अधिकारियों से पूछताछ की जाती है। इसलिये इन संस्थाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वोत्तम और अनुभवी व्यक्ति आकृष्ट हुए हैं। मेरा विचार है कि इस प्रयोग से योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाला विलम्ब और भ्रष्टाचार दूर हो जाएगा और भावी विधायक तथा संसद्-सदस्य तैयार होंगे। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि अन्य राज्यों में भी इस प्रकार का विकेन्द्रीकरण प्रारम्भ किया जाना चाहिये।

जहां तक योजनाओं के लिये केन्द्र की मंजूरी का प्रश्न है मैं समझता हूं कि ३० या ४० लाख रुपए तक की लागत की योजनायें राज्य सरकारों पर छोड़ दी जानी चाहियें। केन्द्र की मंजूरी प्राप्त करने में अनावश्यक विलम्ब होता है और योजना का व्यय भी बढ़ जाता है। केन्द्र में भी बहुत से अधिकारी राज्य सरकारों से चुने गये होते हैं। मेरा विचार है कि केन्द्र को राज्य सरकार पर अधिक विश्वास करके ऐसी योजनायें उन्हीं पर छोड़ देनी चाहिये।

जहां तक खेती का सम्बन्ध है आज पैदावार बढ़ाना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये हमारा लक्ष्य १,१०० लाख टन खाद्यान्न है। हमें युद्ध के स्तर पर इसकी प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिये। मेरे विचार से किसानों की सबसे बड़ी समस्या उर्वरकों और औजारों की कमी है। चालू वर्ष में हमें १९ लाख टन उर्वरकों की आवश्यकता है जबकि देशी उत्पादन केवल ४.२५ लाख टन है और ७.७५ लाख टन आयातों से मिल सकेगा। मेरा विचार है कि खाद्यान्नों के आयात पर जो व्यय किया जाता है यदि उसे उर्वरकों की आवश्यकता की पूर्ति में लगाया जाय तो वह अधिक लाभकारी होगा। अगले वर्ष २३ लाख टन उर्वरकों की जरूरत होगी। इसमें से ६.५ लाख टन

[श्री रामी रेड्डी]

देशी उत्पादन से मिलने की सम्भावना है और ७ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा आयात के लिये उपलब्ध की गई है । इस राशि से केवल ८ लाख टन उर्वरक मिल सकेंगे । इस प्रकार १०–१२ लाख टन उर्वरकों की कमी रहेगी । मैं चाहता हूं कि उर्वरकों के आयात के लिये अधिक विदेशी मुद्रा उपलब्ध की जाय ताकि किसानों की उर्वरकों की आवश्यकता पूरी की जा सके ।

†**श्री तिम्मया** (कोलार-रक्षित अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की सफलताओं का उल्लेख किया है । जहां तक चीनी अतिक्रमण का सम्बन्ध है यह अत्यन्त खेदजनक विषय है । भारत हमेशा चीन को मित्र मानता रहा है और उसे राष्ट्र संघ में सम्मिलित किये जाने की वकालत करता आया है । ऐसी स्थिति में चीन का यह कार्य विश्वास-घात ही समझा जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कहा है । कुछ विरोधी दल के सदस्यों ने इस शब्द पर आपत्ति की है । मैं उसे अनुचित नहीं मानता क्योंकि एक मित्र के साथ ऐसा करना विश्वासघात नहीं है तो क्या है ? हमें अपने सीमान्त की रक्षा का भरसक प्रयत्न करना चाहिये ।

भारत हमेशा अहिंसा की नीति का समर्थक रहा है । हम शांतिपूर्ण वार्ता द्वारा ही अपने विवादों को निपटाना चाहते हैं । पंचशील की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसे विश्व व्यापी आंदोलन का रूप दिया जाय । सरकार को तटस्थ अफ्रीकी तथा एशियाई देशों की बैठक आमंत्रित करनी चाहिए जिसमें पंचशील के सिद्धान्तों का प्रचार किया जाय । मैं आशा करता हूं कि हमारे प्रधान मंत्री इसके लिए भरसक प्रयत्न करेंगे ताकि पंचशील का प्रचार समस्त विश्व में हो सके ।

राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आय का निर्देश भी किया है । उन्होंने कहा है कि तीसरी योजना में राष्ट्रीय आय दुगुनी हो जाएगी । मेरा निवेदन है कि राष्ट्रीय आय बढ़ जाना ही पर्याप्त नहीं है वरन् सरकार और आयोजकों को यह भी देखना चाहिए कि उससे जनसाधारण को वास्तविक लाभ भी हो ।

जहां तक कृषि का संबंध है अनेक राज्यों में भूमि सुधार कानून बनाए जा रहे हैं । मैं समझता हूं कि कुछ राज्य जान बूझ कर देर कर रहे हैं । केन्द्रीय सरकार को ऐसे कदम उठाने चाहिएं जिससे समस्त राज्यों में भूमि सुधार शीघ्र क्रियान्वित हो सके । परन्तु भूमि सुधारों से समस्या पूर्णतः हल नहीं होगी । भूमि सुधारों के बाद सरकार को किसानों को वे सुविधायें प्रदान करनी चाहिएं जिनसे वे उत्पादन बढ़ा सकें । किसानों को आवश्यक चीजें दिलाने के संबंध में लालफीताशाही के कारण बहुत विलम्ब होता है । पैदावार न बढ़ सकने का यह भी एक प्रमुख कारण है । इसलिए सरकार को किसानों को आवश्यक वस्तुयें शीघ्र उपलब्ध करानी चाहिएं ताकि उन्हें उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा मिल सके ।

बेरोजगारी की समस्या भी अत्यन्त जटिल है । देश में बेकारी बढ़ती जा रही है । सरकार कहती है कि योजना के अन्तर्गत आठ लाख लोगों को रोजगार मिल सकेगा । यह ठीक है कि सरकार ने कुछ उद्योग खोले हैं । जिनमें लोगों को रोजगार मिलेगा । परन्तु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए क्या किया गया है ? मेरा निवेदन है कि सरकार को छोटे पैमाने के उद्योग प्रारंभ करने की प्रेरणा देनी चाहिए । बड़े बड़े उद्योग केवल शहरी क्षेत्रों के लिए लाभकारी हो सकते हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए तभी वहां की बेकारी दूर की जा सकेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

छोटे उद्योगों के संबंध में सरकार ने जिस जापानी विशेषज्ञ दल को आमंत्रित किया था उसने यह सिफारिश की है कि उनके लिए एक ऋण संगठन स्थापित किया जाना चाहिए जिससे लोगों को ऋण मिल सके। कुछ राज्यों में इस प्रकार के संगठन स्थापित हो चुके हैं। मेरा अनुभव है कि इन संगठनों से लिया जाने वाला ऋण अनेक मामलों में छोटे पैमाने के उद्योगों की स्थापना के काम में नहीं लाया जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ऋण जिस काम के लिए दिया जाता है उसी में लगाया जाय।

जहां तक पंचायतों का संबंध है अभी केवल आन्ध्र प्रदेश और राजस्थान में उनकी स्थापना हुई है। अन्य राज्यों में उनकी स्थापना अभी बाकी है। उनकी स्थापना हो जाने पर ही गांधी जी का पंचायत राज पूरा होगा जिसकी बात स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले की जाती थी। इस संबंध में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे देश में जातीयता की भावना बहुत है। इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पंचायतों के सत्ताधारी अपनी सत्ता का प्रयोग अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के अहित में न कर सकें। इसके लिए अनुसूचित जातियों के लोगों को पंचायतों में नामनिर्देशित किया जा सकता है।

फिर कुछ माननीय सदस्यों ने शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार का निर्देश किया। मेरा विचार है कि कड़ी कार्यवाही किए बिना भ्रष्टाचार को खत्म नहीं किया जा सकता जैसा कि जनरल अयूब ने पाकिस्तान में की है। सरकार ने हाल में रेलवे के लिए एक भ्रष्टाचार जांच समिति नियुक्त की थी जिसने अनेक सुझाव दिए हैं। मैं समझता हूं कि उनमें से कुछ सुझाव बहुत अच्छे हैं तथा उन्हें क्रियान्वित किया जाना चाहिए। भ्रष्टाचार का मुख्य कारण कार्य निपटाने में देर करने की गुंजाइश है। यदि कार्यों के निपटारे के लिए कोई समयावधि निश्चित कर दी जाये तो स्थिति में काफी सुधार हो सकता है। मैं समझता हूं कि सेवानिवृत्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति भी भ्रष्टाचार की पोषक है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को सेवानिवृत्त हो जाने के पश्चात् सरकारी नौकरी में फिर से नहीं रखा जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त मंत्रियों को अधिकारियों पर कठोर नियंत्रण रखना चाहिए क्योंकि अधिकारीगण उनकी ढिलाई का अनुचित लाभ उठाते हैं। मैं समझता हूं कि इन बातों के पालन से भ्रष्टाचार काफी हद तक दूर हो सकता है।

श्री भ० दी० मिश्र (केसरगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के भाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर विचार करते हुए प्रायः सभी क्षेत्रों के माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये हैं, और उन विचारों में एक कम्यूनिस्ट पार्टी को छोड़ कर बाकी प्रायः सभी सदस्यों ने चीन के अतिक्रमण के सम्बन्ध में अपना रोष प्रकट किया है। और यह भी प्रकट किया है कि राष्ट्रपति जी अपनी संयत भाषा में, शिष्ट भाषा में, चीन के अतिक्रमण के सम्बन्ध में जो भाषण दे सकते थे उसी का प्रयोग उन्होंने किया है। उन्होंने यह कह दिया है कि हमारी अरक्षित सीमा पर फौज के द्वारा अतिक्रमण कर के चीन ने मैत्री भाव रखते हुए भी जो व्यवहार प्रकट किया है वह विश्वासघात है। मैं समझता हूं कि हमारे माननीय सदस्य श्री ही० ना० मुकर्जी को, जो कि बंग देश के रहने वाले हैं, यह जानना ही चाहिये कि इस आक्रमण के लिये शिष्ट से शिष्ट भाषा में भी विश्वास-घात के अतिरिक्त और किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता था। ऐसी अवस्था में चीन के अतिक्रमण का जहां तक सम्बन्ध है, इस पूरे सदन की यह राय है कि चीन के द्वारा मैत्री भाव प्रकट करते हुए, पंचशील के सिद्धान्त को मानते हुए भी इस अतिक्रमण से जो व्यवहार किया गया है वह निन्दनीय है और वास्तव में हमारे प्रति विश्वासघात किया गया। उस के लिये देश के एक कोने से ले कर दूसरे कोने तक लोगों में बेचैनी है। उस बेचैनी को देख कर हमारे राष्ट्रपति जी ने

[श्री भ० दी० मिश्र]

अपने भाषण में जो प्रथम स्थान चीन के अतिक्रमण को दिया है, वह सर्वथा उपयुक्त है । मैं समझता हूं कि उस के अन्दर यह भी स्पष्ट रूप से दिखला दिया गया है कि हम मैत्री भाव को रखते हुए पंचशील के सिद्धान्त को मानते हुए आज भी तैयार हैं कि हम हर तरह से वार्ता के ज़रिये इस सीमा की समस्याओं को हल करें । हमारे प्रधान मंत्री ने इस बीच में एक पत्र भी लिखा है और उस पत्र के सम्बन्ध में हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने अपना रोष प्रकट किया है कि उस परिस्थिति को देखते हुए जो अब तक हमारे सामने थी और जिस परिस्थिति में हमारे प्रधान मंत्री ने बात करना उचित नहीं समझा था उस को देखते हुए चीन के प्रधान मंत्री को बुलाना किसी तरह से उचित नहीं है । लेकिन मैं बड़ी नम्रता के साथ यह निवेदन करना चाहूंगा कि पंचशील के सिद्धान्त को ले कर दुनिया की समस्याओं को शान्ति के पथ से हल करने का मार्ग प्रदर्शित करने वाला पूज्य बापू जी का अनुयाई हमारा देश है और हमारे प्रधान मंत्री जवाहरलाल जी हैं । ऐसी अवस्था में जवाहरलाल जी के द्वारा उस पत्र का लिखा जाना किसी तरह से असंगत नहीं कहा जा सकता है । जब चीन के प्रधान मंत्री चाऊ एन लाई के द्वारा यह कहा गया कि आप रंगून आइये और हम बात चीत करने के लिये तैयार हैं, उस पर हमारे प्रधान मंत्री ने परिपत्र के जरिये यह बात जाहिर की थी कि जब तक कोई सिद्धान्त न निश्चित कर लिया जाय तब तक बात करना कहां तक उपयोगी सिद्ध होगा । लेकिन इस बात से इन्कार करने के बाद भी, अपने परिपत्र में अपने इस सिद्धान्त पर अटल रहते हुए और बार बार यह कहते हुए कि अपनी सीमा की एक इंच भूमि हम किसी तरह से छोड़ने के लिये तैयार नहीं हैं, उस परिपत्र के साथ हमारे प्रधान मंत्री के द्वारा चाऊ एन लाई को बुलाने को पत्र दिया गया है तो यह किसी तरह से असंगत नहीं है । वह हमारे पंचशील के सिद्धान्त पर दुनियां को चलाने के लिये, दुनियां को उस पर प्रवृत्त करने के लिये एक संकेत है । दुनियां के लोगों ने हमारे पंचशील सिद्धान्त को स्वीकार किया । चाऊ एन लाई ने भी हमारे इस पंचशील सिद्धान्त का समर्थन किया है, लेकिन उस पंचशील के सिद्धान्त को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा कर, उस के द्वारा देश की समस्याओं को हल करने का जो सन्देश है वह भारतीय परम्परा के अनुसार है और उसे हमारे प्रधान मंत्री ने दिया है । इस तरह का पत्र देना हमारे लिये कोई अनुचित बात नहीं है । मैं समझता हूं कि इस पत्र का देना सर्वथा उचित हुआ है और हमारे ही पक्ष से नहीं, इस चीज का समर्थन हर तरफ से सदन के सदस्यों ने किया है ।

जहां तक हमारे कम्यूनिस्ट सदस्यों की बात है, मैं इस सम्बन्ध में अधिक क्या कहूं ? इतना ही कहना पर्याप्त होगा उन लोगों के लिये कि पहले तो उनको यह समझना चाहिये कि "जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी" जन्मभूमि को पहला स्थान देना चाहिये, भले ही पार्टी को वह दूसरा स्थान दे दें । वे भारतीय हैं यह उन को नहीं भूलना चाहिये और अगर भारत पर किसी देश के द्वारा अतिक्रमण किया गया है तो उन्हें प्रथम भारतीय हो कर उस अतिक्रमण की निन्दा करनी चाहिये । लेकिन खेद की बात है कि किसी भी साहसी कम्यूनिस्ट मेम्बर ने, एक सदस्य ने भी, खुले दिल से इस चीनी अतिक्रमण की निन्दा नहीं की है ।

इसके अतिरिक्त जहां तक दूसरी समस्याओं का सम्बन्ध है, हमारे सामने स्वराज्य प्राप्ति के बाद अनेक समस्यायें आई हैं और उन समस्याओं को हल करने में हमारे प्रधान मंत्री और हमारे देश ने अपने सिद्धान्तों पर हमेशा अटल रह कर हल करने की चेष्टा की है और उन को हम ने इस तरह से हल किया है । आज भी पाकिस्तान के साथ १२ वर्ष के तनाव के बाद हमारे सामने इस समय जो समझौते की समस्यायें हैं वह सर्वथा सन्तोषजनक रूप से हल हो रही हैं और हम आशा करते हैं कि जो भी समस्यायें बाकी हैं--सीमा

सम्बन्धी समस्यायें तो हल हो गई हैं, पानी की समस्या है, वह भी हल होने वाली है। मैं विश्वास करता हूं कि जनरल अयूब खां इसी प्रकार दूसरी समस्यायें भी हल करना चाहेंगे। कश्मीर की समस्या भी निकट भविष्य में हल हो जायेगी और जिस तरह से वह भारत का अंग बन गया है वह उस को स्वीकार कर लेंगे।

इस के अतिरिक्त एक विशेष समस्या जो हमारे देश के सामने है वह अन्न की समस्या है। अन्न की समस्या एक ऐसी समस्या है जिस को हम किसी तरह से भी दृष्टि से ओझल नहीं कर सकते। पूज्य बापू ने यह कहा था कि वास्तव में स्वराज्य प्राप्त करना तो इस लिये आवश्यक है कि हम अन्न के विषय में कम से कम किसी तरह से भी परवालम्बी न बनें। लेकिन खेद की बात है कि इन १२ वर्षों में सब समस्याओं को हल करने के बाद भी जिन में हम परावलम्बी थे, जैसे लोहे में, सीमेंट में, कपड़े में, अन्न की समस्या विकट रूप से हमारे सामने है। लेकिन उस समस्या को हल करने में भी हमारी सरकार लगी है। मैं स्पष्ट शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि उस समस्या को हल करने के लिये जो योजनायें बनाई गई हैं वे केन्द्र से चल कर राज्य सरकारों तक आधे स्वरूप में रह जाती हैं और राज्य सरकारों से चल कर उन का रूप करीब करीब अस्तप्राय हो जाता है। इसलिये वास्तव में जो प्राथमिकता अन्न की समस्या को हल करने के लिये दी जानी चाहिये उसे योजनाओं में होते हुए भी, हमारी सरकार किसी तरह से नहीं दे सकी है। इस लिये आवश्यक है कि हम इस वर्ष में, जब कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्तप्राय है, यह दृढ़ निश्चय कर लें कि सब समस्याओं को गौण रूप से देखते हुए, अन्न की समस्या को प्रथम स्थान दे कर हल करें। बापूजी का सन्देश है कि अन्न की समस्या का प्रधान होना हमारे स्वराज्य के लिये कलंक है, इस लिये हम को उसे दूर करना चाहिये।

हमारे राष्ट्रपति के भाषण में औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में काफी संकेत किया गया है और मैं मुक्त कंठ से यह कहने के लिये तैयार हूं कि हमारे देश ने औद्योगिक धन्धों के सम्बन्ध में हर तरह से प्रगति की है। हमारी रेलों की योजनायें बहुत ज्यादा प्रगतिशील रही हैं। हमारे यहां कुछ ऐसे विभाग भी खोले गये हैं, जैसे ऐटमिक विभाग है, जिन के द्वारा हम काफी उन्नति कर सकते हैं। इस के अतिरिक्त और भी विभाग पूरी तरह से काम कर रहे हैं। हमारे उद्योग मंत्री जी ने कहा है कि निर्यात में भी हम ने काफी प्रगति की है और हम आयात की अपेक्षा काफी निर्यात करने लगे हैं अपने माल का। लेकिन यह कहा जाता है कि हम अपने माल का निर्यात कर के जितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं उसे हमारी यह अन्न की समस्या खा जाती है। इस लिये बिना अन्न की समस्या को हल किये हुए हमारा देश कभी पनप नहीं सकेगा। इस बात को याद रख कर हमारी सरकार को अन्न के उत्पादन को प्रथम स्थान देना चाहिये। जहां तक अन्नोत्पादन की बात है, मैं स्पष्ट रूप से यह कहना चाहता हूं, केन्द्रीय सरकार से और राज्य सरकारों से भी यह पूछना चाहता हूं कि अन्न की समस्या को हल करने के लिये आप ने किसानों के वास्ते क्या कोई मदद दी ?

मैं देखता हूं कि किसानों की आज भी वही पहले की सी हालत है। आप अपनी जगह पर खूब अच्छी तरह से कहते हैं कि हम ने उनकी खातिर इतने ट्यूबवैल्स खोले हैं, हम ने इतने बीज भंडार तैयार किये हैं, हम इतने फर्टिलाइजर्स और खाद दे रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि उसमें आप ने किसानों को क्या दिया है ? ट्यूबवैल्स की वह हालत है कि उनमें जो चार्जेज आपने किया है तो पुर्जे की घिसाई में जितना कम होता है और इस चीज में कितना कम खर्च पड़ता है और हमारी तनख्वाह में कितना दिया है, पूरे चार्जेज किसानों पर लगा कर देते हैं। उस के बाद जो हमारे सुपीरियर आफिसर्स हैं जो हमारे जिलों के कर्मचारी हैं वह उसकी देखरेख किस तरह करते हैं। इसे देखने के बाद बिलकुल जिस को पानी देना चाहते हैं देते हैं और जितनी देर तक देना चाहते

[श्री भ० दी० मिश्र]

हैं उतनी देर तक देते हैं। उस के बाद कोई भी सुपीरियर आफिसर देखने वाला नहीं है कि फसलों में पानी पूरी तरह से पहुंच रहा है कि नहीं।

जहां तक किसानों के लिए उत्तम बीज सस्ते और उचित मूल्य पर मुहैय्या करने का सवाल है आपको यह देखना चाहिए और हम स्पष्ट रूप से राज्य सरकारों को भी कह चुके हैं कि बीज में जो सवाई की प्रथा किसानों के साथ ब्रिटिश पीरियड में चलती थी वह आज भी बन्द नहीं हुई है और जारी है। बीज अगर वह उधार लेता है तो ६ महीने के बाद सवाई उसको देनी चाहिए। आज भी वह प्रथा जारी है जब कि हम अन्न की समस्या को हल करने का दावा करते हैं। आज अगर किसान को इतने भी सुविधा दी जाय कि तीन वर्ष तक अगर उत्तम बीज किसान पेश करेगा तो उस को हतना ही बीज देना पड़ेगा, सवाई बीज नहीं देना पड़ेगा, तो भी उनको कुछ राहत मिलेगी और प्रोत्साहन मिलेगा। उसमें जो कमी खर्च की आती है वह हमारी गवर्नमेंट को बर्दाश्त करनी चाहिए जो कि करोड़ों रुपया इस दिशा में खर्च कर रही है।

फर्टिलाइजर्स की भी वही बात है। आज किसानों की माली हालत अच्छी नहीं है। किसानों से आप यह कैसे उम्मीद करते हैं कि वे यह फर्टिलाइजर्स जिनमें कि बहुत से कीमती भी होते हैं और बहुत से ऐसे भी हैं जो कि कुछ कम कीमत के होते हैं, उन का सही सही इस्तेमाल अपने पूरे खेतों के लिए कर सकते हैं क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा आज किसानों के पास पैसा नहीं है। इसलिए आज जरूरत इस बात की है कि दो वर्ष के लिए तीन वर्ष के लिए आधी कीमत पर, चौथाई कीमत पर फर्टिलाइजर्स देकर किसानों को प्रोत्साहित किया जाय। उसकी जो माली कमी है उसको पूरा कर के अन्न की समस्या को हल करने की कोशिश की जाय अन्न की समस्या हल हो सकती है अन्यथा नहीं। फाइलों में अन्न की समस्या तो जरूर हल होती रहेगी लेकिन देश में वास्तविक तौर पर अन्न की समस्या का हल होना कठिन होगा।

भ्रष्टाचार का जिक्र यहां पर काफी किया गया है और काफी तरीके से किया गया है। उसका उत्तर यह दिया जाता है कि हमारे सामनै अगर कोई सवाल आयेंगे तो हम अवश्य देखेंगे। वास्तव में सही बात भी यह है। इस में कोई सन्देह नहीं कि हवा में बातें उड़ा देना किसी तरह मुनासिब नहीं हैं लेकिन मैं अपनी सरकार से भी नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि :—

"अतथ्यस्तथ्यो वा दूराति महिमानं जनरव :"

अगर जनता में एक ऐसी आवाज पैदा हो जाय, सही हो या गलत हो तो उस से महिमा, शक्ति और यश कम हो जाया करता है। हमारी सरकार के विरुद्ध इस तरह की आवाजें कुछ लोग लगा लगा करके और कुछ उसका वातावरण पैदा कर के, कुछ वस्तुस्थिति के द्वारा यह बात पैदा हो गई है कि वास्तव में भ्रष्टाचार हर कोने में चल रहा है और मुझे यह बड़े खेद के साथ कहना पड़ता है कि वह भ्रष्टाचार देश में सर्वत्र सब दिशा में पनपते हुए देख रहे हैं लेकिन हम उसको कम करने और अपने बीच में से हटाने की दिशा में कुछ उन्नति नहीं कर सके हैं।

दूसरी चीज मुझे यह कहनी है कि हमारे वहां अनुशासन की बहुत कमी दिखाई पड़ती है। मैं रोज देखता हूं कि हमारे देश के नौजवान गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं, अनुशासनहीन तो होते ही जा रहे हैं और साथ ही आत्म हत्यायें भी कर रहे हैं। उनमें उच्चश्रंखलता बढ़ रही है। वे बिल्कुल काम नहीं करते हैं और जब उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है तो हर तरीके से बलवा करते हैं, हड़तालें होती हैं और भूख हड़तालें होती हैं। आखिर यह सब क्या है ? यह वास्तव में जो भौतिक वाद की हवा में पल कर अध्यात्मवाद की हम ने उपेक्षा की है, हमारी गवर्नमेंट ने

उपेक्षा की है, यह उसकी देन है। आज हमारे देश के नौजवान आत्महत्या करते हैं। अब आत्महत्या से बढ़ कर कोई और दूसरा जघन्य पाप नहीं हो सकता। किसी को भी किसी भी विपत्ति में आत्महत्या करने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए और ऐसा करना किसी साहसी पुरुष का काम नहीं है।

इस के अलावा हमारे यहां चरित्र की कितनी बड़ी कमी है। हम अपने लड़कों से, अपने विद्यार्थियों से कैसे इस बात की आशा कर सकते हैं कि वे अनुशासित और चरित्रवान हों जब कि उनके आचार्य और अध्यापक ही अनुशासित और चरित्रवान न हों। उनके द्वारा शिक्षित किये जाने वाले छात्रों से हम यह कैसे आशा कर सकते हैं कि उन्होंने अपने अध्यापकों से सच्चरित्रता और अनुशासन को सीखा होगा। आज हमारे बीच नैतिकता की कमी इसलिए है कि हमने अध्यात्मवाद की उपेक्षा की है। आज हम भौतिकवाद में चाहे जितने ऊंचे चले जायें, जा सकते हैं और जायेंगे भी लेकिन अमेरिका और रूस यह भौतिकवाद के क्षेत्र में आज इतने ऊंचे जा चुके हैं कि हमको फिर भी पीछे ही रहना होगा। हमारी वह भारतीय संस्कृति "स्वं स्वं चरित्तं शिक्षरेन् पृथिव्यां सर्व मानववा" वह हमारी भारतीय संस्कृति थी जहां बड़े बड़े देशों से लोग आ आ करके चरित्र की शिक्षा लिया करते थे। मैं अपनी सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आप धर्म की शिक्षा अवश्य प्रचारित करें, नैतिकता की शिक्षा अवश्य दें तभी यहां पर लोगों में अनुशासन आयेगा और आज जो नैतिकता की कमी दिखाई पड़ती है वह दूर होगी अन्यथा नहीं।

भ्रष्टाचार के बारे में मैं केवल एक सुझाव देना चाहता हूं .....

उपाध्यक्ष महोदय: अब तो नहीं देना चाहिए क्योंकि आपका समय समाप्त हो गया है और वक्त फालतू नहीं है।

श्री भ० दी० मिश्र: उपाध्यक्ष महोदय, आपकी इजाजत से केवल आधा मिनट और लेकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए मेरा यह सुझाव है कि प्रत्येक मुख्य मंत्री दो-दो गुप्तचर हर जगह मुकर्रर करे जो एक दूसरे को जानते न हों और उनकी रिपोर्ट पर किसी भी सरकारी कर्मचारी कांग्रेसी या गैरकांग्रेसी की रिपोर्ट ले कर अगर हमारे प्रधान इस दिशा में काम करना शुरू कर देते तो बहुत कुछ भ्रष्टाचार की कमी हो सकती है इसमें कोई सन्देह नहीं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी के भाषण पर जो धन्यवाद दिया गया है उसका समर्थन करता हूं।

†**श्री अं० वें० घारे** (जालना): मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रतिपादित वैदेशिक नीति का समर्थन करता हूँ। यद्यपि चीन का अतिक्रमण एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है परन्तु उसके संबंध में जो कार्यवाही की गई है वह ठीक है। प्रधान मंत्री ने चीनी प्रधान मंत्री को बातचीत के लिए निमंत्रित करके ठीक ही किया है। इस प्रकार की बातचीत से ही यह समस्या भली प्रकार सुलझ सकेगी। मैं समझता हूँ कि पंचशील की नीति का समर्थन संसार के सभी देश करते हैं—कुछ देशों को छोड़कर—जिसका प्रतिपादन राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया गया है। हमें यथासंभव पंचशील की नीति पर ही चलना चाहिए। जो लोग अन्य उपायों कीबात करते हैं वे अपने राजनैतिक लाभ के लिए इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं। मेरा विचार है कि हमें सर्वसम्मति से सरकार की विदेश नीति का समर्थन करना चाहिए। हमें उन लोगों के सामने झुकना नहीं चाहिए जो हमें पाकिस्तान से समझौता करने का सुझाव दे रहे हैं। सरकार को तटस्थ ही बने रहना चाहिए क्योंकि ईश्वर और न्याय हमारे पक्ष में है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अं० वं० घारे]

जहां तक बम्बई के विभाजन के निर्णय का संबंध है मैं राष्ट्रपति को धन्यवाद देता हूँ। यह निर्णय कुछ देर में अवश्य किया गया है परन्तु है बहुत अच्छा क्योंकि उससे विकास कार्यों में महाराष्ट्र की जनता का सहयोग प्राप्त हो सकेगा। मेरे विचार से इस निर्णय से समस्या पूरी तरह नहीं सुलझती है परन्तु मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में उसके पूर्ण हल के लिए भी प्रयत्न किया जाएगा।

मैंने एक संशोधन की सूचना दी है कि निर्वाचनों के दौरान मंत्रिगण देश में दौरा न किया करें क्योंकि हमारे देश में अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत है और वे मंत्रियों की बात सहज ही मान लेते हैं। स्वतंत्र मतदान के लिए यह आवश्यक है कि मंत्रियों के दौरे पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

इसके अतिरिक्त केरल में चुनावों के संबंध में मुस्लिमलीग के साथ जो गठबन्धन किया गया वह बहुत हानिकर है। धर्म निरपेक्ष राज्य में साम्प्रदायिक शक्तियों को बढ़ावा देना अत्यन्त अनुचित है। यदि प्रधान मंत्री के जीवित रहते इस प्रकार के दुष्कार्य किए जा सकते हैं तो भविष्य की स्थिति का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। साम्प्रदायिक शक्तियों के साथ गठबन्धन का विरोध समस्त दलों द्वारा किया जाना चाहिए।

जहां तक पंचवर्षीय योजनाओं का संबंध है यदि हम उनके क्रियान्वयन संबंधी विकास बोर्डों पर दृष्टिपात करें तो ज्ञात होगा कि उनमें केवल कांग्रेस दल के सदस्य भरे हुए हैं। इतना ही नहीं, ये कांग्रेस के सदस्य भी वे हैं जो राजनैतिक प्रयोजनों के लिए अयोग्य घोषित हो चुके हैं। इस प्रकार के अयोग्य व्यक्तियों के कारण योजना कार्य की गति बहुत मंद रही है। इन बोर्डों में योग्य व्यक्ति रखे जाने चाहिएं और उनके काम में सरकारी अधिकारियों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तभी कार्य की गति में शीघ्रता आ सकेगी।

इसके अतिरिक्त विकास कार्यों में पिछड़े क्षेत्रों को अधिमान्यता दी जानी चाहिए। परन्तु खेद है कि ऐसा नहीं किया जा रहा है। बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है जो बहुत पिछड़ा हुआ है। मैं आशा करता हूँ कि भविष्य में इन क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा।

इसी प्रकार अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की ओर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। परन्तु खेद है कि उनके संबंध में किसी विशेष कार्यवाही का संकेत राष्ट्रपति के अभिभाषण में नहीं है।

अन्त में मेरा निवेदन है कि जनता के प्रतिनिधियों को विकास कार्यों के संबंध में अधिक जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। अभी वे केवल विधायन कार्य में भाग लेते हैं। विकास कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में भी उनको शक्तियां प्रदान की जानी चाहिएं। सरकारी यंत्र मन्द गति के लिए विख्यात है। विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए उनके क्रियान्वयन में जनता के प्रतिनिधियों को संबद्ध किया जाना चाहिए।

श्री रूप नारायण (मिर्ज़ापुर—रक्षित—अनुसूचित जातियां): उपाध्यक्ष जी, तीन रोज से राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहस हो रही है और काफी लोग इस पर अपने मत व्यक्त कर चुके हैं।

यह बात सभी लोगों ने कही है कि हमारी सीमा का जो चीन ने अतिक्रमण किया है उससे देशवासियों को बहुत दुःख हुआ है। राष्ट्रपति जी ने बड़े अच्छे ढंग से पूर्ण स्थिति से अवगत होकर अपनी चिन्ता प्रकट की है। लेकिन कुछ विरोध के भाई और कुछ कांग्रेस के लोग भी इस बात से सहमत नहीं हुए हैं कि चाऊ एन लाई को भारत आने का निमंत्रण दिया जाए। जो निमंत्रण हमारे प्रधान मंत्री

जी ने उनको भेजा है इन लोगों ने उसका विरोध किया है। उनका कहना यह है कि जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह स्टेंड ले लिया था कि वह बिना किसी आधार के मिलना उचित नहीं समझते तो फिर उनको क्यों बुलाया गया। प्रधान मंत्री जी ने तो यह समझ करके पहले पत्र में लिखा था कि सचमुच बिना कोई आधार के कोई बात होना ठीक नहीं है, और उनको यह उम्मीद थी कि शायद चीन के प्रधान मंत्री जी कोई बात सोचें और कोई आधार निकालें। लेकिन चीन की तरफ से कोई खास बात नहीं आयी और कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ। एक डैडलाक सा पड़ गया, इस लिए हमारे प्रधान मंत्री जी को यह बात सोचनी पड़ी। मैं प्रधान मंत्री जी की इस नीति का तहे दिल से समर्थन करता हूँ और मैं समझता हूँ कि उन्होंने यह बहुत ही महत्वपूर्ण और सूझ-बूझ का काम किया है। कई बार जब जब हमारे देश पर संकट आया है तब-तब हमारे प्रधान मंत्री जी ने रास्ता सुझाया है। कई बार जब हम को कोई रास्ता नहीं सूझता था तब उन्होंने बड़े आश्चर्यजनक ढंग से कोई न कोई रास्ता निकाला है और बड़े अच्छे ढंग से कार्य किया है।

आपको मालूम है कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान से हमारी काफी दुश्मनी थी और रोज सीमा पर घटनाऐं होती रहती थीं और पाकिस्तान हमको उस समय धमकियां भी देता था। इससे बहुत परेशानी थी। इसी बीच अमरीका ने भी हमको एक धक्का दिया, उसने पाकिस्तान से मिलिटरी पैक्ट कर लिया और साथ में यह भी कहा कि भारत भी हमारे साथ ऐसा ही पक्ट कर ले। उस वक्त लोगों में बड़ी बेचैनी फैली थी और लोग समझते थे कि बहुत बड़ा संकट आने वाला है। लेकिन जो चीज किसी के दिमाग में नहीं आयी वह प्रधान मंत्री जी के दिमाग में आयी, और उन्होंने इस हाउस में ललकारा था कि हम किसी से मिलिटरी पैक्ट नहीं कर सकते, हम स्वयं अपनी रक्षा करेंगे। उस संकट के समय उन्होंने पंचशील के सिद्धान्त का एक बड़ा उदाहरण पेश किया था।

इसी तरह से आज हमारे ऊपर एक संकट और आया है। चीन के प्रधान मंत्री जी किसी आधार के लिए तैयार नहीं होते। प्रधान मंत्री जी ने यही सोच कर एक मौका और दिया है कि शायद चीनी प्रधान मंत्री के यहां आने पर कोई रास्ता निकल आए। हमारे देश के मित्र रूसी प्रधान मंत्री जी भी यहां आए, मिस्टर ख्रुश्चेव। लोगों को बड़ी आशा थी कि वह यहां आकर कोई तात्कालिक हल निकाल लेगें लेकिन वह चले गए। वह भी संसार के एक महान् व्यक्ति हैं और जिस तरह से हमारे प्रधान मंत्री जी का आज संसार में महत्व है उसी प्रकार उनका भी है, यद्यपि मैं तो कहता हूँ कि आज संसार में अगर कोई पहला व्यक्ति है तो हमारे प्रधान मंत्री जी है। संसार में जहां जहां संकट उपस्थित हुआ उस समय हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपनी आवाज़ उठायी और सफल हुए हैं। जैसे कि मिस्र में। इसी प्रकार श्री ख्रुश्चेव जी भी संसार के एक महान व्यक्ति हैं। उन्होंने भी पंचशील के सिद्धान्त की पुष्टि की है और हमारे प्रधान मंत्री जी की बहुत भारी सहायता की है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : दोनों में कौन बड़ा है ?

श्री रूप नारायण : पिछले समय जब देश के सामने संकट आया था तो श्री ख्रुश्चेव ने बहुत बड़ा काम किया था इसलिए जब वह इस बार भारतवर्ष में आए तो लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि वह कोई न कोई हल निकालेगें और अपनी स्पष्ट बात कहेंगे। हो सकता है कि उन्होंने कोई हल सोचा हो, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं कही। पहले जब वह आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा था और कहा था कि पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि वह भारत पर हमला करे और जिस दिन वह भारत पर हमला करेगा उस दिन हम फौरन आएंगे और उहोंने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान गलती पर है। लेकिन चीन ने भी गलती की है कि उसने हमारी सीमा का अतिक्रमण किया है और इसको दुनिया जानती है, लेकिन ख्रुश्चेव जी ने उसके बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा, वह कहा करते हैं कि हम स्पष्ट वक्ता हैं लेकिन चीन के बारे में उन्होंने कोई स्पष्ट बात

[श्री रूप नारायण]

नहीं कही । इसका कारण यह हो सकता है कि चीन उनका बड़ा मित्र है और हो सकता है कि एक मित्र की हैसियत से वह इस मसले को हल करें । हमें इसकी पूरी उम्मीद है । इसलिए जो श्री चाऊ एन लाई को यहां आने का निमंत्रण दिया गया है मैं उसका स्वागत करता हूँ ।

हमारे बहुत से भाइयों ने कहा कि हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए प्रयत्न किया जाए । अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने बजट में उत्तर प्रदेश की उत्तरी सीमा की रक्षा और विकास के लिए कुछ धन रखा है और उनका ध्यान उस ओर काफी गया है । इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को धन्यवाद देता हूँ कि उनकी सरकार इस तरफ से जागरूक है ।

श्री ब्रजराज सिंह : यह तीसरे महान् व्यक्ति हैं ।

श्री रूप नारायण : मैं तो चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री अपने राज्य की सीमाओं की रक्षा और विकास का एक नक्शा बनावें और उसके लिए एक योजना बनावें और उसको केन्द्रीय सरकार को भेजें और सहायता की मांग करें और इस सदन और इस सरकार को चाहिए कि उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी सीमा की रक्षा के लिए पर्याप्त धन दे और उत्तर प्रदेश के सीमा के क्षेत्र का विकास किया जाए ।

दूसरी एक बात बम्बई के विभाजन की आयी है । बम्बई के प्रदेश के विभाजन की बात राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कही है और सरकार ने भी उसे मान लिया है । इस कारण कुछ लोग अपनी आवाज उठाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि विदर्भ का अलग राज्य बनाया जाए । पंजाब को भी बांटने का सवाल उठा । इसी तरह कुछ भाई यह चाहते हैं कि उनका अलग हरियाना प्रान्त बन जाए । हरियाना प्रान्त हमारे उत्तर प्रदेश से मिला जुला है । ये भाई हरियाना प्रान्त में कुछ उत्तर प्रदेश का भी हिस्सा चाहते हैं । इस लिए मैं हरियाना के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हाउस के सदस्यों को इसकी गहराई में जाना चाहिए कि हरियाना प्रान्त की मांग करने वाले ये भाई कौन हैं । हरियाना प्रान्त की मांग करने वाले एक विशेष जाति के लोग हैं, जो हरियाना प्रान्त बनाकर एक जाति विशेष की सरकार बनाना चाहते हैं और मैं स्पष्ट कह दूं कि हरियाना की मांग करने वाले जाट भाई हैं । ये भाई हरियाना की सारी जमीनों पर कब्जा किए हुए हैं, वैस्टर्न उत्तर प्रदेश की जमीनों पर जाट भाई बैठे हैं और इसी तरह से पंजाब में बहुत बड़े हिस्से में जाट भाइयों के पास बड़ी बड़ी जमीनें हैं । इसीलिये जाट भाई अपना प्रान्त बना कर अपनी जमीनों की रक्षा करना चाहते हैं । तो यह एक जाति विशेष की मांग है और यह मांग वह अपने स्वार्थ की रक्षा करने के लिये अपनी जमीनों की रक्षा करने के लिये कर रहे हैं । वे चाहते हैं कि हरियाना प्रान्त बन जाये और हमारी सरकार बन जाय, तो जो सीलिंग फिक्स हो रही है, उस में गड़बड़ कर के, हमारे पास जो लैंड है, वह रह जाये और वहां हमारी एडमिनिस्ट्रेशन हो जाये । मैं हिन्दुस्तान की सरकार और इस सदन के माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वे ऐसे लोगों को किसी भी तरह से प्रोत्साहन न दें । सरकार को चाहिये कि जो लोग हरियाना प्रान्त की मांग करें, वह उन के खिलाफ़ एक्शन ले । कांग्रेस के जो मेम्बर इस की मांग करें, उन के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जाये, क्योंकि वे कम्यूनल स्टेट की मांग करते हैं ।

श्री मू० चं० जैन (कैथल) : डिप्टी स्पीकर साहब, जो जाट नहीं है, अगर वह हरियाना प्रान्त की मांग करे, तो क्या उस के खिलाफ़ भी कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ब्रजराज सिंह : उस को भी निकाल देना चाहिये ।

चौ० रणवीर सिंह (रोहतक) : यह मांग सब से पहले बापू ने की थी और पता नहीं कि माननीय सदस्य उन को भी जाट मानते हैं कि नहीं ।

श्री त्यागी (देहरादून) : किस ने की थी ?

चौधरी रणवीर सिंह : दिल्ली स्टेट की मांग महात्मा गांधी ने स्पांसर की थी ।

श्री मू० चं० जैन : पंडित ठाकुर दास भार्गव ने की, देशबन्धु गुप्ता ने की ।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, अगर वह इस का ज़िक्र नहीं करना चाहते हैं, तो दूसरे माननीय सदस्य क्यों करते हैं ?

चौ० रणवीर सिंह : इसलिये कि जाट और ग़ैर-जाट का सवाल खड़ा किया गया है ।

श्री रूप नारायण : राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में शिड्यूल्ड कास्ट्स की छात्रवृत्तियों तथा डबल-मेम्बर कांस्टीच्युएन्सीज़ (एबालिशन) बिल का भी ज़िक्र किया है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने शिड्यूल्ड कास्ट्स के लिये जो सब से ज्यादा हित का काम किया है, वह है शिड्यूल्ड कास्ट्स के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का । हिन्दुस्तान के सभी भाई, जो अपने को हरिजन कहते हैं, आज भी मानते हैं कि अगर सरकार ने सब से महत्वपूर्ण काम किया है, तो वह छात्रवृत्तियां देने का है । लेकिन पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने यह काम राज्यों को सौंप दिया, जिस से लोगों में बहुत बड़ी परेशानी फैल गई है और राज्यों में अभी तक छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही हैं । बहुत से विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति न मिलने के कारण अपनी पढ़ाई को छोड़ दिया है । चारों तरफ़ से यह शिकायत आ रही है कि इस सम्बन्ध में हर एक स्टेट में किस तरह की गड़बड़ियां हो रही हैं । डा० श्रीमाली ने हाउस में इस विषय में यह कहा था कि मैं यह काम स्टेट्स को सौंपने जा रहा हूं । उस समय पार्लियामेंट के शिड्यूल्ड कास्ट्स के सब मेम्बरों ने उस का विरोध किया था और कहा था कि यह काम स्टेट्स को न दिया जाये । डा० श्रीमाली ने यह प्ली ली थी कि यह काम स्टेट्स को इसलिये दिया जा रहा है, ताकि वह जल्दी से जल्दी हो । लेकिन इस का असर उल्टा ही हुआ है और उल्टा काम हो रहा है । इसलिये मैं चाहूंगा कि छात्रवृत्तियां बांटने का काम केन्द्रीय सरकार पुनः अपने हाथ में ले ले ।

यह कहा जाता है कि सरकार हरिजन भाइयों के लिए फ़लां-फ़लां काम कर रही है, परन्तु देश के कोने-कोने से हरिजनों की यह मांग रही है कि उन को बसाने के लिए हर परिवार को कुछ न कुछ ज़मीन दी जाये । लेकिन सरकार उस मांग को पूरा नहीं करती है और उस प्रश्न पर कोई विचार नहीं हो रहा है । जब शरणार्थी बाहर से इस देश में आये, तो वे डिस्प्लेस्ड पर्सन्ज़ कहलाये और उन सब को स्थान दिया गया, मकान दिये गये और उन को बसाने का पूरा प्रबन्ध किया गया । लेकिन जो लोग हिन्दुस्तान में कृषि की बुनियाद हैं, जो सब विकास-कार्यों का ज़रिया हैं, रीढ़ हैं, उन खेती के श्रमिकों को बसाने के लिये स्थान क्यों नहीं दिया जाता है ? मैं चाहूंगा कि तमाम हरिजन परिवारों को, जिन के पास मकान बनाने के लिये ज़मीन नहीं है, इस के लिये ज़मीन दी जाये ।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं माननीय राष्ट्रपति को उन के अभिभाषण के लिये हार्दिक धन्यवाद देता हूं । औद्योगिक क्षेत्र में हमारा देश जो प्रगति कर रहा है उस के लिये निश्चय ही हमारी सरकार बधाई की पात्र है । बड़े दुःख के साथ यह कहना पड़ता है कि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पहली बार यह घटना हुई है कि चीन ने हमारे ऊपर आक्रमण किया है । वैसे तो हमारे

†मूल अंग्रज़ी में

[श्री आचार]

यहां अन्य प्रकार की घटनायें जैसे विभाजन, काश्मीर समस्या अथवा पंजाब आदि में अन्य प्रकार की घटनायें हैं लेकिन सबसे अधिक दुख इस आक्रमण से हमें हुआ है। हमारे प्रधान मंत्री ने चीन के प्रधान मंत्री को जो आमंत्रण भेजा है मैं उस का स्वागत करता हूं। इस आमंत्रण के बारे में कुछ लोगों का कहना है कि यह हमारी नीति में परिवर्तन का द्योतक है। लेकिन मेरा निवेदन है कि यह नीति में परिवर्तन नहीं है। हमारी नीति तो बातचीत कर के स्थिति को ठीक करना है। और इस बात का उल्लेख हमारे प्रधान मंत्री कई बार कर चुके हैं। और सरकार उसी नीति का पालन कर रही है। हम पहिली बार देख रहे हैं कि एक साम्यवादी देश अर्थात् रूस एक दूसरे साम्यवादी देश के मामले में तटस्थता की नीति अपना रहा है। अतः मैं आशा करता हूं कि समस्त सभा हमारे प्रधान मंत्री के इस प्रस्ताव का स्वागत करेगी। यहां तक कि विरोधी सदस्य भी प्रधान मंत्री का साथ देंगे ऐसी मुझे आशा है।

दुख है कि माननीय राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में गोआ का कोई उल्लेख नहीं किया है। सभा में भी इस के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मैं देखता हूं कि इस प्रश्न की एक प्रकार से अवहेलना की गई है। गोआ का क्षेत्र काफी बड़ा क्षेत्र है वहां की आबादी भी लगभग ६ लाख है। साथ ही गोआ का बन्दरगाह भी महत्वपूर्ण बन्दरगाह है। किसी ने भी इस बात का उल्लेख नहीं किया है कि गोआ के बारे में हम अपनी सामान्य नीति में परिवर्तन करें। क्या गोआ के बारे में हम अन्तर्राष्ट्रीय दबाव नहीं पा सकते। पुर्तगाल एक छोटा सा देश है। क्या यह ठीक है कि गोआ में पुर्तगाल वाले बने रहें। यह प्रश्न एक प्रकार से बिल्कुल ही भुला दिया गया। वैदेशिक-कार्य मंत्रालय को यह प्रश्न फिर से अपने हाथ में लेना चाहिये।

केरल में गत वर्ष स्थिति इतनी खराब हो गई थी कि राष्ट्रपति को हस्तक्षेप करना पड़ा। हमारे देश को सब से बड़ा खतरा साम्यवाद का है। केरल की स्थिति से हम को सबक मिल गया है। इसलिये सभी प्रजातंत्रीय दलों को मिल कर साम्यवाद का विरोध करना चाहिये।

अन्त में मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार बम्बई की समस्या का हल हो गया है उसी प्रकार कासरगोद की समस्या का हल कर के उसे मैसूर राज्य में मिला दिया जाये।

†**डा० सामन्तसिंहार** (भुवनेश्वर) : चीन के आक्रमण का सभी ने विरोध किया है। कुछ साम्यवादी विचार धारा के लोगों को छोड़ कर शेष जनता सरकार के साथ है। और सरकार ने इस बारे में जो कार्यवाही की है उसका समर्थन करती है। लेकिन मैं कहूंगा कि हमारी सरकार चीनियों को रोकने में असफल रही है। उनका आक्रमण सुयोजित आक्रमण है। पता नहीं कि हमारी सरकार अपनी सीमाओं की सुरक्षा क्यों नहीं कर सकी। अपने देश की सीमा सुरक्षित रखना उस देश तथा उस की सरकार का पुनीत कार्य है। अब तक हम ने उन की दोस्ती में विश्वास किया और आज हम कह रहे हैं कि उन्हों ने हमारे साथ विश्वासघात किया।

यह विश्वमान्य सत्य है कि देश की सुरक्षा का प्रश्न उस देश के कल्याण की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है। हम ने पिछले नौ वर्षों में नाना प्रकार की कठिनाइयों के होते हुए भी देश के कल्याण के लिये पूरा-पूरा प्रयत्न किया है। और प्रतिरक्षा का प्रश्न पिछड़ गया। हमारा सिद्धान्त यह रहा है कि दोस्त सब के और दुश्मन किसी के नहीं। इसी सिद्धान्त के अनुसार हम देश में कल्याण करते रहे। लेकिन देश के लिये उस की प्रतिरक्षा शक्ति बढ़ाना भी नितान्त आवश्यक है। आज जब हमारे ऊपर आक्रमण हुआ है तब हम प्रतिरक्षा की बात सोच रहे हैं। अतः मेरा निवेदन है कि सरकार प्रतिरक्षा

†मूल अंग्रेजी में

के प्रश्न को अपने हाथ में ले कर उस को महत्व देगी । यह ठीक है कि राष्ट्रीय छात्र सेना, प्रादेशिक सेना तथा सहायक सेना का विकास हो रहा है लेकिन फिर भी आवश्यकता इस बात की है कि हमारे यहां जो अखाड़े आदि की प्रथा थी उन को फिर से दुहराया जाये । सैनिक तथा असैनिकों के बीच का भेद समाप्त किया जाये और सभी को सैनिक शिक्षा का समान अवसर दिया जाये । प्रत्येक राज्य की एक बटैलियन हो ।

तृतीय योजना का देश स्वागत करता है । प्रसन्नता की बात है कि चौथी योजना भी आने वाली है । इस तृतीय योजना में हमें अपना दृष्टिकोण बदल देना चाहिये । बड़ी परियोजनाओं को अधिक महत्व दिया जा रहा है उन पर काफ़ी व्यय किया गया है लेकिन उन के परिणाम कुछ नहीं निकले । कुछ छोटे तथा बीच की परियोजनाओं को इन बड़ी परियोजनाओं के चक्कर में भुला दिया गया है । समाजवादी ढांचे के समाज में निम्नवर्ग तथा निर्धन लोगों को सब से पहले लाभ मिलना चाहिये । लेकिन इस योजना के अन्तर्गत धनी तो अधिक और निर्धन और निर्धन होते जा रहे हैं । उड़ीसा एक पिछड़ा हुआ राज्य है और उस के विस्तार के लिये अधिक कुछ नहीं किया जा रहा है । जबकि बड़े और प्रगतिशील राज्य आगे बढ़ते जा रहे हैं ।

यह ठीक है कि राज्यों में सहकारी समितियों की संख्या बढ़ती जा रही है लेकिन जनता का सहयोग पूरा नहीं मिल रहा है। माननीय प्रधान मंत्री इस दिशा में काफी सजग हैं और रुचि ले रहे हैं । अन्त में मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इस दिशा में रुचि ले और इन की उन्नति में भाग ले ।

श्री रा० स० तिवारी (खजुराहो) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को अच्छी तरह से पढ़ा है और सुना भी है । उन्होंने देश को उन्नतिशील बनाने के बारे में जो कुछ किया जा रहा है, उस पर काफी प्रकाश डाला है । मैं उनके इस भाषण के लिए जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं ।

उन्होंने अपने अभिभाषण में देश की भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक स्थिति का चित्र खींचा है । उन्होंने बताया है कि कौन कौन से कार्य हुए हैं और कौन-कौन से करने को बाकी हैं । जब किसी राष्ट्र की उन्नति की चर्चा होती है तो चार बातों को ध्यान में रखा जाता है । वे चार बातें हैं, अर्थ सम्बन्धी, समाज सम्बन्धी, धर्म सम्बन्धी और मोक्ष सम्बन्धी । जब मनुष्य को अर्थाभाव का सामना करना पड़ेगा तो देश की समृद्धि नहीं हो सकती । जब उनके पास अर्थ होगा तभी वे आराम से रह सकते हैं । यही बात धर्म पर भी लागू होती है । जो जिस धर्म का पक्षपाती है, उसको उस धर्म का पालन करने की बिना किसी भय के छूट होनी चाहिए और जब ऐसा होगा तभी वह आराम से रह सकेगा । समाज में किसी का शोषण न हो, यह भी बहुत जरूरी चीज़ है । सब को करने को काम मिले, यह भी देखना शासन के लिए बहुत जरूरी है और जब एसा होगा तभी वह अपनी स्थिति को सुधार सकता है । मोक्ष का मतलब यह है कि जब उसको ये सब चीज़ें उपलब्ध हो जाती हैं, जब किसी प्रकार का विघ्न पैदा नहीं होता है तब वह मोक्ष पद को प्राप्त होता है, आराम से बैठ सकता है । इन तीनों कालों के हमारी सरकार के जो काम हैं, उनका राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में चित्रण किया है ।

इतना होने पर भी हमारे कुछ भाइयों ने उनके अभिभाषण की काफी टीका-टिप्पणी की है । श्री शिवराज तथा श्री प्र० के० देव जी ने यहां तक कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो चीन के प्रधान मंत्री को पत्र भेजा है और उसमें समझौता करने की बात कही है, वह नहीं की जानी चाहिये थी, पत्र नहीं भेजा जाना चाहिए था । मेरा उनसे निवेदन है कि उनका इस तरह से कहना ठीक नहीं है, गलत है, बात-चीत करके ही तो काम होते हैं, दोस्त को दोस्त समझ कर

[श्री रा० स० तिवारी]

और बना कर ही तो काम होते हैं। अगर उनको पत्र लिख दिया तो क्या बेजा किया, यह मेरी समझ में नहीं आया है। उनका कहना था कि हमारा जो समझौता हुआ था उसके खिलाफ यह चीज़ की गई है। जहां तक मैं जानता हूं कोई समझौता नहीं हुआ है। अगर बातचीत न की जाएगी, किसी प्रकार से न मिला जायगा तो इसका मतलब यह होगा कि न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी और चीन तो चाहता ही यही है कि कोई हल्ला न करे और वह सरहद पर डटा रहे। इस वास्ते इस तरह की टीका-टिप्पणी करना मैं समझता हूं, उचित नहीं है।

मसानी साहब ने जो कि अपनी पार्टी के भावी नेता होने जा रहे हैं यहां तक कहा है कि वहां पर फौज से क्यों काम नहीं लिया जाता है, क्यों हमला नहीं किया जाता है, क्यों फौज का उपयोग नहीं किया जाता है। उनका कहना था कि क्या भारत सरकार का दिवाला निकल गया है कि वह हमला नहीं करती। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमारी सरकार हमला कर दे तब उसका दिवाला नहीं निकला हुआ समझा जाएगा। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि जो हमारी नीति है, जो हमारी शान्ति की नीति है उसके अनुसार ही हम बातचीत करने जा रहे हैं। अगर हमने हमला नहीं किया तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमारा दिवाला निकल गया है। दिवाला हमारी बात का तब निकले जब हमला किया जाए या लड़ाई हो। यह उलटी बात मैं समझता हूं उन्होंने कह दी है। किस तरह से उन्होंने यह बात कही यह मेरी समझ में नहीं आया। हमारे प्रधान मंत्री ने उनको यहां बातचीत के लिए, वार्तालाप के लिए बुलाया है और अगर वह यहां आते हैं, तो उनका आदर होगा, सत्कार होगा और यह एक ऐसी चीज़ है जिसकी ताईद की जानी चाहिये थी और उनके साथ सभ्यता के साथ व्यवहार किए जाने का समर्थन किया जाना चाहिये था लेकिन यहां तो उल्टी बात ही कही गई है। हमारे प्रधान मंत्री कई बार कह चुके हैं कि एक इंच भूमि भी विदेशी को, चीन को नहीं दी जाएगी, एक एक इंच भूमि की रक्षा की जाएगी, तो जब इस बात का एक बार निश्चय हो गया है तो उसका गलत अर्थ लगाना और इस तरह से कोई बात कहना कोई मानी नहीं रखता है। देश की रक्षा के बारे में हमारे प्रधान मंत्री विश्वासपूर्वक कई बार घोषणा कर चुके हैं, और कह चुके हैं कि देश की भौगोलिक अखंडता की रक्षा की जाएगी।

अब जो प्रान्तों का निर्माण हुआ है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं। पीछे राज्यों का पुनर्गठन किया गया है, राज्यों का एकीकरण किया गया है, पहले उनको किसी राज्य में मिलाया गया था बाद में दूसरे में मिला दिया गया और उसके बाद नए प्रदेश बनाए गए। इस तरह से मध्य प्रदेश अस्तित्व में आया जो कि कई रियासतों को मिला कर बनाया गया। इसमें बुन्देलखंड की बहुत सी छोटी छोटी रियासतें भी मिलाई गईं। लेकिन इस तरह से जो पिछड़े हुए राज्य थे वे आगे नहीं बढ़ पाये हैं, वे पिछड़े हुए ही रह गए हैं। जब एक प्रदेश के चार आदमी बोल लेते हैं तो कह दिया जाता है कि दूसरे नहीं बोल सकते हैं, इसी तरह से उन्नति के बारे में होता है। राज्य के कुछ भाग उन्नति कर जाते हैं तो कह दिया जाता है कि राज्य उन्नति कर रहा है लेकिन जो पिछड़े हुए इलाके होते हैं वे ज्यों के त्यों पिछड़े ही रहते हैं, उनकी ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है। होना तो यह चाहिये कि जब उनको बड़े राज्य में मिलाया जाता है तो उनको विशेष रियायत दी जाए, उन पर विशेष खर्चा किया जाए, उनकी उन्नति का विशेष ख्याल रखा जाए लेकिन ऐसा होता नहीं है। दूसरे तो बीस हाथ आगे बढ़ जाते हैं ये पंद्रह ही रह जाते हैं। इस इलाके में न स्कूल हैं, न सड़कें हैं और न ही रेलें हैं। मेरा सरकार से निवेदन है कि उन पिछड़े हुए प्रदेशों का भविष्य में अवश्य ध्यान रखा जाए ताकि वे भी उन्नतिशील हो सकें। यह मेरा खास तौर से निवेदन है।

अब मैं कुछ कृषि के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। जहां तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का सम्बन्ध है उनका होना तो ठीक है। बिना इनके आप समाजवाद को खत्म नहीं कर सकते

हैं । कोओप्रेटिव सोसाइटीज़ का मतलब है कि दस पांच आदमी मिल कर किसी काम को करें, किसी काम में हाथ बटायें । मैं आपको एक मिसाल देना चाहता हूं । हमारे यहां एक बड़े भारी आदमी हैं जिन की ५२ लारियां चलती हैं सारा लाभ उठाते हैं । अब अगर १५–२० आदमियों की ये लारियां होतीं तो उन सब को लाभ हो सकता था लेकिन वह अकेला ही सारा लाभ उठा रहा है तो समाजवाद की मूल जड़ को मज़बूत करने के लिये बुनियाद हमारे यहां ये सोसाइटियां ही हो सकती हैं और हैं । लेकिन हमारे जो कर्मचारिगण हैं वे इनको पनपने नहीं देना चाहते हैं और तरह तरह के रोड़े इनके रास्ते में डालते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, जिन किसानों ने या दूसरे लोगों ने कोओप्रेटिव सोसाइटियां बनाईं उनको कर्ज़े भी नहीं मिल पाते हैं । उनको यह कह दिया जाता है कि तुम्हारी सोसाइटी जो लिख दी गई है अब कर्जा भी नहीं मिलेगा । दूसरे जो लोग होते हैं, जो इन सोसाइटीज़ को नहीं बनाते हैं उनको तो मिल जाता है लेकिन इनको नहीं मिल पाता है और अगर मिलता भी है तो बहुत देरी के बाद मिलता है । इसका परिणाम यह होता है कि जो काम वे कर रहे होते हैं वह तो बन्द हो ही जाता है, उसके बाद दूसरा काम जो करना होता है वह भी नहीं हो पाता है । इस वास्ते इन सोसाइटीज़ पर भी तवज्जह जानी बहुत जरूरी है ताकि वे पनप सकें, उनको बढ़ावा मिल सके । यह देखना बहुत जरूरी है कि समय पर उनको रुपया मिले ताकि वे खेती के उत्पादन को बढ़ा सकें तथा दूसरे उत्पादन के काम कर सकें । चूंकि आज उनको रुपया नहीं मिलता है इस वास्ते ये काम कई जगहों पर रुके हुए हैं ।

एक बात पिछड़े हुए क्षेत्रों के बारे में मैं और कहना चाहता हूं । उपाध्यक्ष महोदय, मेरी कंस्टिट्युएंसी खजुराहो है । बिजावर तहसील वहां पर लोहा बहुतायत से मिलता है । आज भी लोग वहां लोहा लकड़ियां जला कर बनाते हैं । इस लोहे के वे कड़ाहे, तवे इत्यादि बनाते हैं । वहां पर न रेलें हैं, न सड़कें हैं और न कुछ और है । उस इलाके से इन चीज़ों को निकालने के लिए यातायात नहीं है । उस ओर किसी का ध्यान नहीं जाता है । दूसरी जगहों पर जहां पर रेलें इत्यादि हैं उनका तो सर्वे हो गया और वहां काम भी शुरू हो गए हैं, लेकिन ये जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जहां इतनी चीज़ें पाई जाती हैं और इतनी अधिकता से लोहा पाया जाता है, वहां कोई काम सर्वे इत्यादि का नहीं हुआ । राजाओं ने सर्वे नहीं कराया क्योंकि वे अपने ऐश व आराम में मस्त थे । आज भी उन इलाकों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है । इन छोटी छोटी बातों की ओर, जो कि उन इलाकों के रहने वाले लोगों के लिए बड़ी हैं, आपका ध्यान जाना आवश्यक है । इससे उनके मनों में जागृति पैदा होगी । आज तो वे सोचते हैं कि पहले ही अच्छे थे क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट राजा थे और उनको इसका तो आराम था । लेकिन आज नागपुर और जब्बलपुर ये चलीं गई है और उनको बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है, उनको आराम नहीं मिल रहा है । जो पिछड़े हुए इलाके हैं, जो रियासतें थीं जिनको बड़े राज्यों में मिलाया गया है, उनकी ओर आपका अवश्य ध्यान जाना चाहिये ताकि वे भी उन्नतिशील, गतिवान, समृद्धिशाली राज्यों के साथ अपना कदम मिला कर आगे बढ़ सकें ।

अब मैं शिक्षा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । इसका थोड़ा सा इशारा राष्ट्रपति जी ने किया है । शिक्षा के बारे में राष्ट्रपति जी और प्रधान मंत्री जी की कई स्पीचिज़ हुई हैं और उनमें उन्होंने कहा है कि शिक्षा को बदला जाना चाहिए । लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है । हम देखते हैं कि जो लाखों की तादाद में नए नए स्टुडेंट्स पढ़ कर बाहर निकलते हैं, उनको न तो आप कोई जगहें दे पाए हैं और न दे पाते हैं । वे १०–१२ वर्ष तक छाया में बैठ कर यूनियन इत्यादि बनाने के काम सीख लेते हैं और उनके दिमागों में सिवाय झगड़ा करने के कोई चीज़ नहीं रह जाती है । आप उनको वह शिक्षा भी नहीं देते हैं जो उनके बाप दादा की होती है । अगर कोई किसान के घर में पैदा होता है और वह पढ़ने के लिए जाता है, १०-१२ साल लगा देता है, इंटर या मिडिल पास कर जाते हैं तो वह बाद में न घर का रहता है न घाट का रहता है क्योंकि न वह बाप दादा

[श्री रा० स० तिवारी]

का काम कर सकता है और न उसको कोई नौकरी मिल पाती है। इस वास्ते मैं समझता हूं कि टैक्नीकल शिक्षा का अनिवार्य होना बहुत जरूरी है। किसान के बच्चे को खेती बाड़ी की शिक्षा दी जाए, जो अपने विषय में रुचि रखता है, उसको उस विषय की शिक्षा दी जाए, उसको वह माध्यम दे कर सिखाया जाए तब तो कोई लाभ हो सकता है अन्यथा नहीं। यदि आपने ऐसा किया तो बहुत सी परेशानियां दूर हो सकती हैं और हमारा देश उन्नतिशील हो सकता।

चूंकि आपने मुझे दस मिनट बोलने की ही अनुमति दी थी और चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया है, इस वास्ते मैं समाप्त करता हूं और जो धन्यवाद का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वाद विवाद समाप्त हो गया। उत्तर देना शेष है जो सोमवार को दिया जायेगा।

अब सभा ग़ैर सरकारी सदस्यों के कार्यक्रम पर विचार करेगी।

न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं सभा को बताना चाहता हूं कि २७ नवम्बर को श्री बाल्मीकि ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया था :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

११ दिसम्बर १९५९ को जब इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई तो इस प्रस्ताव पर मत विभाजन हुआ लेकिन गणपूर्ति के अभाव में सभा स्थगित हो गई। लेकिन आज श्री बाल्मीकि ने लिखा है कि वह इस प्रस्ताव को मतदान के लिये रखना नहीं चाहते। अतः इसका निर्णय अब सभा पर निर्भर करता है।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : उन्हें इसे वापस लेने की अनुमति दी जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह नहीं हो सकता। यह सभा में रखा जा चुका है।

†**श्री त्यागी** : क्या वह वापस लेने के लिये सभा की अनुमति पाने के अधिकारी नहीं हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहली बात तो यह है कि केवल सूचना मात्र भेज देने से ऐसा नहीं हो सकता। दूसरे यह सभा में मतदान के लिये रखा जा चुका है।

†**श्री त० व० विट्ठल राव** (खम्मम) : यह प्रस्ताव जब मतदान के लिये रखा गया था तो सभापति ने कहा था कि प्रस्ताव पारित हो गया। इस पर उपमुख्य सचेतक, श्री राने ने विभाजन की मांग की। विभाजन के समय इसके पक्ष में १९ और विरोध में १७ मत आये। मुझे मालूम है कि इसके लिखने में कुछ गलती हो गई है। टेपरिकार्डिंग द्वारा मालूम किया जा सकता है कि क्या सभापति ने इसको स्वीकार किया था अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मेरे पास जो रिकार्ड है मैं उसीका अनुसरण करूंगा। इसके बारे में विवाद की कोई बात नहीं है। रिकार्ड से स्पष्ट है कि उस समय गणपूर्ति के कारण मतदान नहीं हो सकता था। अब मैं इस प्रश्न को मतदान के लिय रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि न्यूनतम मजूरी अधिनियम, १९४८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पिछड़ी जातियां (धर्म संरक्षण) विधेयक

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री** (गुड़गांव) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धार्मिक विश्वास के अतिरिक्त अन्य आधारों पर बलात् धर्म परिवर्तन से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के लिये और अधिक प्रभावशाली संरक्षण का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अपना निवेदन इस बिल के सम्बन्ध में इस प्रकार का है कि यह बिल अखिल भारतीय और राष्ट्रीय एकता के महत्व का है और इस सदन के बहुत अधिक सदस्य इस वाद विवाद में भाग लेना चाहते हैं। अगर इस बिल के लिये दो घंटे का समय और बढ़ा दिया जाय तो बड़ी कृपा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : यह बात मेरे अख्त्यार की तो है नहीं क्योंकि यह हाउस का फैसला है। हाउस ने चेअर को एक घंटे का डिस्क्रीशन दिया हुआ है। मैं इतना डिस्क्रीशन इस्तेमाल कर सकता हूं। मगर इस से ज्यादा मैं नहीं कर सकता। अगर हाउस चाहे तो वह मालिक है अपने अख्त्यार का और चाहे जो कर सकता है। वैसे आज अब ३ बज कर ३५ मिनट तो हो लिये। इस वास्ते आज यह खत्म तो हो नहीं सकेगा। पांच मिनट तो जरूर ही अगले दिन मेम्बर साहब को मिल सकते हैं क्योंकि इस के लिये ढाई घंटे ऐलाटेड हैं। अगर बहस चलने के बाद ऐसा महसूस होगा कि इस को जारी रक्खा जाय और हाउस की यह मंशा होगी तो एक घंटा तो और हो सकेगा। जो दो घंटे की बात आप कह रहे हैं, वह तो हो नहीं सकती क्योंकि मैक्सिमम वक्त किसी एक बिल के लिये चार घंटे से ज्यादा नहीं हो सकता। इस तरह भी ज्यादा से ज्यादा डेढ़ घंटे किया जा सकता है, अगर हाउस चाहे तो। मगर एक घंटे का अख्त्यार तो चेअर को है। अगर उस ने भी आखिर में महसूस किया कि ऐसा होना चाहिये तो एक घंटा बढ़ा दिया जायेगा। इस तरह से साढ़े तीन घंटे तो हो ही जायेंगे। इस में किसी मेम्बर का भी नुक्सान नहीं होगा क्योंकि कोई और बिल तो शुरू नहीं किया जा सकता।

अब श्री प्रकाश वीर शास्त्री शुरू करें।

†**श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** धन्यवाद। मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि धार्मिक विश्वास के अतिरिक्त अन्य आधारों पर बलात् धर्म परिवर्तन से अनुसूचित जातियां, अनुसूचित आदिम जातियां और अन्य पिछड़ी जातियों के लिये

---

†मूल अंग्रेजी में,

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

और धार्मिक प्रभावशाली संरक्षण का उपबन्ध करने वाले बिल पर विचार किया जाये ।"

मैं जिस विधेयक को इस समय सदन के सम्मुख उपस्थित कर रहा हूं उस को उपस्थित करते समय मैं अपना सौभाग्य अनुभव करता हूं कि मेरा विधेयक भारतीय अखंडता के लिये और भारतीय समाज को जागरूक स्थिति में रखने के लिये इस सदन में उपस्थित किया जा रहा है । विधेयक का नाम है : "पिछड़ी जाति धार्मिक संरक्षण बिल" । यह विधेयक भारतीय संविधान की धाराओं के सर्वथा अनुकूल है क्योंकि भारतीय संविधान में धार्मिक दृष्टि से प्रचार के सम्बन्ध में जो सुविधायें उपलब्ध हैं. उन में कहीं भी इस प्रकार का कोई निर्देश नहीं है कि इस देश में कोई भी जाति या वर्ग बलात् अथवा किसी और उपाय से किसी का धर्म परिवर्तन करे । स्वेच्छा से यदि कोई अपना धर्म बदलना चाहे तो उस के लिये संविधान में छूट है, और इस विधेयक के द्वारा भी उस के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट नहीं है । इस विधेयक को उपस्थित करने में मेरा लक्ष्य भी विशेष रूप से यही है कि आज हमारे देश में इस प्रकार की जो घटनायें बढ़ती चली जा रही हैं कि जहां लाभ से, लालच से, दबाव से अथवा किसी और भी प्रकार के उपायों से धर्म परिवर्तन का कार्य हो रहा है उसे रोका जाये । विशेष रूप से उन जातियों में जो जातियां हमारे देश में वनों में रहती हैं, जो पिछड़ा हुआ वर्ग हमारा है शिक्षा की दृष्टि से भी और अर्थ की दृष्टि से भी । उन के साथ जो अन्याय हो रहा है उस से संरक्षण के लिये यह बिल मैं आज सदन में प्रस्तुत करने लगा हूं ।

जब मैं इस बिल को इस सदन में उपस्थित कर रहा हूं तो मुझे इस बात को कहते हुए और भी अधिक प्रसन्नता होती है कि अभी कुछ दिन पूर्व इस सदन में एक इसी प्रकार का विचार और विनिमय हुआ था कि अपने देश की पिछड़ी जातियों को १० वर्ष के लिये और अधिक राजनीतिक संरक्षण दिये जायें । जब पिछड़ी जातियों को राजनीतिक दृष्टि से यह सरकार संरक्षण दे सकती है तो कोई वजह नहीं मालूम होती कि उन को धार्मिक दृष्टि से संरक्षण क्यों न प्राप्त हो । आज कल कुछ परिस्थितियां भी अब इस प्रकार की हो गई हैं जिन से विवश हो कर मुझे इस विधेयक को इस सदन में रखना पड़ा । अभी कुछ दिन पूर्व मध्य प्रदेश के शासन ने एक कमेटी बनाई थी जिस को नियोगी कमेटी कहा जाता है । इस नियोगी कमेटी ने सारे प्रान्त का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद एक बहुत विस्तृत रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को दी । तत्कालीन मध्य भारत सरकार ने भी इस प्रकार की एक कमेटी नियुक्त की थी जो कि रेगे कमेटी कहलाती है । उस रेगे कमेटी ने भी अपने प्रान्त का भ्रमण किया और भ्रमण करने के पश्चात इसी प्रकार की रिपोर्ट उस समय की मध्य भारत गवर्नमेंट को दी कि यहां किस प्रकार लाभ और लालच से बड़ी मात्रा में बलात् धर्म परिवर्तन किये जाते हैं । लेकिन यह घटनायें केवल मध्य प्रदेश अथवा मध्य भारत तक ही सीमित नहीं । जिस समय मैं इस विधेयक को इस सदन में प्रस्तुत कर रहा हूं, बिहार के एक बहुत बड़े भूभाग में भी जिसे हम छोटा नागपुर कह कर पुकारते हैं, यह घटनायें इतनी अधिक बढ़ चुकी हैं जिस की कोई सीमा नहीं है । इस का प्रमाण मैं आगे चल कर दूंगा कि किस प्रकार से हमारे देश के इन पिछड़े हुए और हरिजन भाइयों का धर्म परिवर्तन वहां पर किया जाता है । इसी प्रकार की घटनायें उड़ीसा में, आसाम में और दूसरे बहुत से स्थानों में बढ़ती चली जा रही हैं ।

इस विधेयक को इस सदन में उपस्थित करते समय मैं उन उपायों की चर्चा भी करना चाहता हूं जिन के द्वारा आज हमारे देश में धर्म परिवर्तन किया जाता है । एक तो हमारे देश में धर्म परिवर्तन के लिये हास्पिटलों का विशेष रूप से प्रयोग किया जा रहा है क्योंकि कष्ट

और आपत्तिग्रस्त सभी के लिये यह उपाय अमोघ है। बीमार आदमी शारीरिक और मानसिक दृष्टि से दुर्बल होता है । जो उसे आराम पहुंचाता है वह उस के लिये देवता होता है। यह आराम ही उस के लिये धर्म होता है। धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में इन बीमारियों के जो उपाय किये जाते हैं उन में से कुछ उपायों की चर्चा मैं विशेष रूप से इस सदन में करना चाहता हूं। प्रायः इस कार्य को हमारे देश में ईसाई मिशनरी कर रहे हैं। ईसाई मिशनरी बहुधा रोगी को मार्फिया का इंजैक्शन लगाते हैं, और इंजैक्शन लगाते समय धीरे धीरे कहते चले जाते हैं कि "प्रभु ईसू मसीह यह कष्ट ,दस मिनट में हर लें।" "मार्फिया से कष्ट की अनुभूति रुक जाती है और इस का श्रेय प्रभु ईसू को प्राप्त होता है। मिशनरी रोगी को ईसू का रंगरूट इस प्रकार बना लेते हैं ।

दूसरा उपाय यह है कि जिस समय रोगी हास्पिटल में होते हैं उस समय उन को ईसाइयत के सिद्धान्तों और ईसा मसीह के जीवन चरित्र का पूरी तरह परिचय कराया जाता है।

तीसरी चीज़ इस प्रकार की होती है कि रोगी की खाट के पास परिचारिकायें जाती हैं और जा कर इस प्रकार की प्रार्थनायें करती हैं जिन के द्वारा यह कहा जाता है कि दवा देना हमारे हाथ में है मगर दुआ प्रभु ईसा मसीह के हाथ में है, और इस प्रकार से भी वह उन को अपने धर्म के अन्दर लाने में सहायक होती हैं। और भी बहुत से उपाय इस प्रकार के हैं जो हास्पिटलों में जा कर के यह परिचारिकायें करती हैं। ईसाई संगठनों के द्वारा जो हास्पिटल चलते हैं उन में धर्म परिवर्तन का कार्य इस समय विशेष रूप से हो रहा है।

मैं जिस समय आप के सामने इस प्रकार की कुछ चर्चा कर रहा हूं, अपने देश की उस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति की चर्चा भी करना चाहता हूं कि आज हमारे देश में लोगों को रोटी और कपड़े के लिये विवश होने के कारण धर्म छोड़ना होता है। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आप इन शब्दों को कहने की आज्ञा दीजिये कि किसी भी शासन के लिये या किसी भी राजा के लिये, यह कोई अच्छी बात नहीं है कि प्रजा को रोटी और कपड़े के लिये अपना धर्मान्तर करना पड़े। लेकिन यह सचाई है कि आज हमारे देश में इस प्रकार की स्थिति है कि लोग रोटी और कपड़े के चक्कर में आ कर अपने बच्चों की चिकित्सा के लिये, अपने बच्चों की शिक्षा के लिये अपना धर्म बेचते हैं और तब कहीं जा कर उस के बदले में इस प्रकार की चीजें उन को उपलब्ध हो पाती हैं।

बीच-बीच में कई बार इस सदन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे गये कि हमारे देश में विदेशों से ईसाइयत के प्रचार के नाम पर जो पैसा आया है वह कितना है। शासन की ओर से सन् १९५० के बाद के आंकड़े तीन चार बार प्रस्तुत किये गये हैं। गृह मंत्री ने बतलाया है कि जनवरी, १९५० से ले कर जून १९५४ तक ५९.२७ करोड़ रु० इस देश में ईसाइयत के प्रचार के लिये आया है। इसी प्रकार फिर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि जनवरी, १९५६ से ले कर जून, १९५८ तक २३.९२ करोड़ रु० इस देश में ईसाइयत के प्रचार के लिये आया है। जुलाई, १९५८ से दिसम्बर, १९५८ तक ४.८४ करोड़ रु० इस देश में ईसाइयत के प्रचार के लिये आया है। इस प्रकार से जनवरी १९५९ से अप्रैल १९५९ तक ३ करोड़ ७० लाख रुपये की विशाल धनराशि भी विदेशों से ईसाई धर्म के प्रचार के लिए भारत में आई है। यह रुपया इस प्रकार से कुल ६१ करोड़ ७३ लाख बैठता है लेकिन इस में मध्य के सन् १९५५ के आंकड़े नहीं आये हैं। अगर इसी अनुपात से जिस अनुपात से कि यह पैसा थोड़ा या ज्यादा करके इन वर्षों में आया है उसका हिसाब लगाया जाय तो मेरा अपना अनुमान है कि अपने देश में सन् १९५० के बाद लगभग ७५ करोड़ रुपया ईसाइयत के प्रचार के

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

लिए आया है। यह रुपया विशुद्ध रूप से ईसाइयत के प्रचार के नाम पर इस देश में आया है। मैं समझता हूं कि हमारे गृह-मंत्री महोदय को यह बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि यह वह रुपया है जो ईसाइयों के द्वारा धर्म परिवर्तन के नाम पर इस देश में आता है। इसके अतिरिक्त दवाओं के रूप में, दूध के पाउडर के रूप में, घी के रूप में, पैसा बाहर से आता है। अगर मैं बहुत बड़ी चढ़ी हुई भाषा में न कहूं तो मेरा अपना अनुमान है कि इस प्रकार से पिछले दस वर्षों में करीब सवा अरब रुपया इस देश में ईसाइयत के प्रचार के लिए आया है। यह सवा अरब रुपया जो इस देश में आकर के व्यय हुआ है वह केवल सेवा की दृष्टि से व्यय हुआ हो सो बात नहीं है। महात्मा गांधी जी ने एक बार अपने वक्तव्य में कहा था कि हमारे देश में ईसाई प्रचारकों का कार्य केवल सेवा भाव को लेकर ही हो, सेवा का ही कार्य करें तो वे क्षम्य हो सकते हैं। लेकिन वह मछली पकड़ने वाले की तरह से अगर ऊपर आटा लगायेंगे और उसके बीच में कांटा होगा जिससे मछली पकड़ी जाये तो वह ठीक नहीं। उनकी सेवाओं के पीछे अगर यह रहस्य लगा हुआ है कि वे इस देश में सेवा करें और सेवा के बदले में उनका धर्म लें तो स्वतंत्र होने के पश्चात इस देश की जनता इसे अधिक देर तक सहन नहीं करेगी।

गृह मंत्रालय की ओर से जो समय-समय पर विदेशी पादरियों के इस सदन में आंकड़े दिये जाते रहे हैं उनको भी मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं। उन के अनुसार सन् १६४७ में हमारे देश में विदेशी ईसाई पादरियों की संख्या २,२०० के लगभग थी लेकिन दुर्भाग्यवश जब इस देश का विभाजन हुआ और भारत भूमि का एक बहुत बड़ा भूभाग पाकिस्तान के रूप में अलग चला गया तो इस हमारे देश में धीरे-धीरे विदेशी पादरियों की संख्या बढ़ती ही चली गई और सन् १६५१ में इन की संख्या ४,३७७ हो गई। सन् १६५५ में ४,८८७ होगई। १६५६ में ५,६६१ और १६५७ में ५,५२१ हो गई और इस तरह से इन की संख्या निरन्तर बढ़ती चली जा रही है। जब गृह-मंत्रालय का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया तो हमारे गृह-मंत्री ने कुछ उस बीच में रोक लगा दी और उसके लिए उन्होंने आदेश निकाला कि मिशनों में रिक्त स्थान की पूर्ति करने अथवा उन में वृद्धि करने के हेतु नये धर्म प्रचारकों को भारत में तब ही आने दिया जायगा जब उन स्थानों के लिए भारतीय धर्म प्रचारक नहीं मिलते और जब कि भारत में पहले से ही स्थित विदेशी प्रचारकों को अपने वर्त्तमान कार्यों की अनुमति दी हुई है तब नये धर्म-प्रचारकों को यदि, वे केवल बाइबिल का प्रचार करने आते हैं तो न आने दिया जायगा। रचनात्मक कार्यों में अपने आप को लगाने के लिए उन में अतिरिक्त एवं उपयुक्त योग्यताएं होनी चाहियें जैसे वे शिक्षक हों, या डाक्टर हों या समाज सेवक हों। इसका परिणाम यह हुआ कि विदेशों से आने वाले पादरियों की संख्या घट कर जनवरी सन् १६५८ में ४,८४४ रह गई लेकिन मैं अपने गृह मंत्री महोदय से बड़ी नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि पहले जो पादरी थे वे ईसाइयत के प्रचार के नाम पर हिन्दुस्तान में आते थे अब उन्होंने डाक्टरों के नाम पर हिन्दुस्तान में आना आरम्भ कर दिया है और स्कूलमास्टर के नाम पर आना आरम्भ कर दिया है। मेरा तो अपना अनुमान है कि इस तरह उनकी संख्या में कोई घटी नहीं हुई है और कोई न्यूनता भी नहीं आई है, हां केवल इतना है कि पहले ईसाई प्रचार के नाम पर आते थे और अब डाक्टर, और स्कूल मास्टर के नाम पर आने लगे हैं। हमारे गृह मंत्रालय के द्वारा वह रोक सम्बन्धी आदेश निकालने से जहां ईसाई पादरियों के यहां विदेशों से आने में कमी हुई है वहां डाक्टरों और स्कूल मास्टरों के नाम पर वह संख्या बढ़ती जा रही है। अगर गृह मंत्रालय की ओर से इस तरह के भी आंकड़े बतलाये जायें कि विदेशों से आकर

ईसाई संगठनों द्वारा जो अस्पताल चालू हैं या उनके द्वारा जो स्कूल चालू हैं वे कितने हैं और उन में आकर कितने प्रचारक काम करते हैं तो आपको पता लग जायगा कि इसमें एक बहुत बड़ा टोला है जो इस देश में आकर इस बात के लिए सतत प्रयत्नशील है कि कै ईसाई धर्म का प्रचार किया जाय इस देश में हमारी पिछड़ी जातियों की ओर हमारे हरिजसेन भाइयों में आज जो अशिक्षा और आर्थिक अभाव विद्यमान है उसका अनुचित लाभ ये पादरी उठा रहे हैं।

मैं अपने कथन की पुष्टि में कुछ उदाहरण भी प्रस्तुत करना चाहता हूं। मध्यभारत में जो नियोगी कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी उसके उदाहरण तो आप सब ने पढ़े ही होंगे और वह इस देश में काफी चर्चा के विषय भी बने थे इसलिए इस अवसर पर मुझे उन उदाहरणों को फिर से दुहराने की आवश्यकता नहीं है। मैं उनके अतिरिक्त कुछ अन्य उदाहरण माननीय गृह मंत्री के कान तक पहुंचाना चाहता हूं और वह इसलिए भी पहुंचाना चाहता हूं ताकि यह मालूम हो जाय कि धर्म परिवर्तन के पश्चात् देश में राष्ट्रीयता की दृष्टि से क्या स्थिति हो जाती है। गांधी जी ने यंग इंडिया में एक बार २०–१०–१९२७ को यह लिखा था :—"मुझे उन लोगों पर विश्वास नहीं है जो मुख्यतया धर्म परिवर्त्तन करने के निमित्त अपने धर्म का प्रचार करते रहते हैं।"

इसी तरह से गांधी जी ने यंग इंडिया में ११–८–१९२७ को फिर लिखा और जिसमें गांधी जी के शब्द थे :—

> "ईसाई" बन जाने पर भारतीय जन प्रायः राष्ट्र के विरोधी और यूरोप के भक्त बन जाते हैं।"

गांधी जी के इन शब्दों के आधार पर कि धर्म परिवर्तन के साथ राष्ट्रीयता में भी किस प्रकार न्यूनता आने लगती है उसके मैं आपको कुछ प्रमाण देना चाहता हूं। बलात् धर्म परिवर्त्तन की घटनायें स्वतंत्र भारत में कितनी तीव्रता के साथ बढ़ती हुई चली गईं वह मैं आपको बतलाने लगा हूं यह घटनायें केवल घटनायें ही नहीं हैं उनके सम्बन्ध में न्यायालयों के हुए निर्णय भी इस सदन के अन्दर उपस्थित करना चाहता हूं जिससे कि यह भली भांति प्रकट हो जायगा कि किस प्रकार से भयंकर रूप से यह बलात् धर्म परिवर्त्तन की घटनायें देश के हर एक प्रान्त में फैलती हुई चली जा रही हैं।

> "झाबुआ के जिला न्यायाधीश ने खीमा डावर झील की कन्या वधू जिसका विवाह हरिसिंह के साथ हुआ था और एक वर्ष बाद कन्या का पिता ईसाई पादरी नरोना के चक्कर में आकर हरिसिंह और वधू दोनों को ईसाई बनाना चाहता था उस पर न्यायाधीश ने निर्णय देते हुए कहा कि वधू अभी १७ वर्ष की नाबालिग स्त्री है और गैर कानूनी तरीके से उसे गिरजाघर में रोक कर रखा गया है। उसे धारा ५५२ जाब्ता फौजदारी के अन्तर्गत इसके पति हरिसिंह को सौंपने की आज्ञा दी है। न्यायाधीश ने अपने निर्णय में यह भी लिखा कि पादरी नरौना जो इस प्रकार के कार्यों में दिलचस्पी ले रहा है उसकी ऐसी प्रवृत्तियों पर निगरानी रखने की आवश्यकता है और धिक्कारने की आवश्यकता है।"

एक इसी प्रकार की बलात् धर्म परिवर्त्तन की घटना जसपुर नगर के सम्बन्ध में है और वह इस प्रकार हैं :—

> "जसपुर नगर के ईसाई पादरी फादर बुलकान्स और क्रिश्चियन रोमनिक मिशन के ५ ईसाई प्रचारकों को भारतीय दंड संहिता के अनुसार यहां के मेजिस्ट्रेट

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

श्री के० के० नायडू ने फादर बुलकान्स पर २०० रुपये जुर्माना और अन्य पांचों में प्रत्येक पर २५ रुपये जुर्माना किया।

घटना ऐसे है कि एक हिन्दू युवक ईसाई बाला से विवाह करना चाहता था। ईसाई पादरी उसको ईसाई बनने के लिये विवश कर रहा था परन्तु इस बात को मानने के लिये युवक और युवती दोनों में से कोई तैयार नहीं था। इस पर फादर बुलकान्स ने युवक को एक सप्ताह तक गिरजाघर में बन्द कर के रखा, उसकी चोटी काट दी और ईसाईयों की प्रतिज्ञा बोलने पर विवश किया।"

"इसी प्रकार की एक तीसरी घटना वासुदेव प्रसाद मिश्र, महासमुद जिला रायपुर की है जिनको ३ हजार रुपये देकर ईसाई बनाया गया।"

"इसी तरह हजारी बाग में २८ अगस्त, १६५८ को ७ मील दूर दोतोग्राम में कचहरी के आर्डर से ७ ईसाई प्रचारक गिरफ्तार किये गये ।"

"छोटा नागपुर के प्रसिद्ध ईसाई पादरी पर रांची जिले की खूंटी नामक स्थान में सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट ने एक मुकदमें के सम्बन्ध में ७५ रुपये का जुर्माना किया। यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता की धारा ३७६ के अन्तर्गत दायर किया गया था। पादरी पर चोरी का आरोप था। उक्त पादरी ने गत अप्रैल मास में छोटा नागपुर के बने गांव क्षेत्र में लगभग ३०० हरिजनों और आदिवासियों को ईसाई बनाया।"

"इसी तरह की घटना दोहद की है जहां कि परेल के गिरजाघर में लगभग ३०० मीलों को जबरदस्ती ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा था जिससे वहां के हिन्दुओं में एक खबर पहुंची और काफी झगड़ा हुआ जिन में कुछ लोग घायल होकर अस्पताल भी भेजे गये।"

एक घटना और इस प्रकार है :—

"बाधू जिला मेरठ में ईसाई पादरियों ने कुछ हरिजनों को प्रलोभन द्वारा ईसाई बनाया जिन्हें बाद में वहां के क्षेत्र के आर्यसमाजियों ने जाकर फिर हिन्दू किया। इस पर ईसाई पादरियों ने कचहरी में केस दायर किया इस पर निर्णय देते हुए मैजिस्ट्रेट महोदय ने लिखा कि यहां का पादरी लूई पीटर स्वयं तो हिन्दू और मुसलमानों को ईसाई बनाना चाहता है और यदि कोई हिन्दू ईसाई धर्म ग्रहण न करने के लिये कहे तो उसे बुरा लगता है।"

कचहरी ने अपना निर्णय देते हुए कहा था कि यह उनकी अराष्ट्रीय प्रवृत्तियां देश के लिए घातक हैं।

एक अन्य घटना इस प्रकार है :—

"ता० १८–४–५८ को श्री विशनू मंडा तथा श्री रामदास साहू ने चार्शवासा जिला सिंहभूम (छोटा नागपुर) में एस० डी० ओ० के कोर्ट में बनगांव के ईसाई

मिशनरी ई० एच० नश० आदि के विरुद्ध केस दायर किया जिसमें निम्न दोषारोपण किये गये—

१—फादर नश० तथा अन्य ईसाई मिशनरी बनगांव में स्थानीय आदिवासियों के धर्म को गालियां देते हैं और उनकी सभ्यता पर घातक आक्रमण करते हैं।

२—वे अपने स्कूलों में नाबालिग बालक-बालिकाओं को भर्ती करते हैं और उन्हें उनके माता पिता की इच्छा के विरुद्ध ईसाई बना देते हैं या उन्हें अपने धर्म के विरुद्ध इतना भड़का देते हैं तथा उनके अन्दर अपने आदिवासी धर्म के प्रति इतनी घृणा उत्पन्न कर देते हैं कि उस से हमारी धार्मिक भावनाओं को बड़ी भारी ठेस पहुंचती है।

३—खाद्य पदार्थों का दुर्भिक्ष होने का लाभ उठाते हुए ईसाई मिशनरी लोग यहां के निर्धन आदिवासियों को निःशुल्क अनाज बांटने के नाम पर अपने यहां बुला लेते हैं और वहां उन्हें बोलते हैं कि अपना धर्म छोड़ ईसाई बन जाने पर ही उन्हें अनाज मिल सकता है। इस प्रकार बहुतों को ईसाई बना लिया जाता है बहुतों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है।"

इस तरह की बलात् धर्म परिवर्त्तन की घटनाएं वहां पर हुई हैं। लेकिन एस० डी० ओ० महोदय ने जब उन लोगों को गवाही देने के लिए कोर्ट में बुलाया तो ईसाई प्रचारकों ने उस गांव के लोगों को दबाया और उनके ऊपर इस प्रकार का प्रभाव डाला कि वह विवश हो कर के कचहरी में न जा सके। इसके ऊपर भी एस०डी०ओ० महोदय में वहां जाकर खुद निरीक्षण किया और निरीक्षण के पश्चात् उन्होंने लिखा कि स्थानीय पुलिस की जांच से मुझे ज्ञात हुआ है कि स्थानीय रोमन कैथोलिक मिशन के फादर और प्रचारक गांव वालों को उनके विरुद्ध गवाही देने के लिए जाने पर तरह तरह की धमकियां देते हैं। इस जांच के पश्चात एस० डी०ओ० महोदय ने लिखा कि शिक्षा देने तथा अनाज बांटने की आड़ में अनुचित उपायों द्वारा भोले भाले लोगों को ईसाई बनाया जाता है। यह मैं छोटा नागपुर के उस प्रदेश की घटनाएं सुना रहा हूं।

इसी तरह की एक घटना अभी मेरे पास भारत सेवक समाज रांची के संयोजक, महन्त भगवती शरण दास ने लिख कर भेजी है। उन्होंने लिखा है कि एक नाबालिग लड़की जिसको कि ईसाई प्रचारक जबरदस्ती ईसाई बना रहे थे मैंने किसी तरह से उसके घरवालों को समझाकर बुलाया और भारत साधू समाज की ओर से उसके पठन पाठन की व्यवस्था की। अब वह लड़की बी०ए० में पढ़ रही है। मैं ने जब उसका विवाह एक हिन्दू युवक से करने की व्यवस्था की तो कुछ पादरी लोग उस मठ में आए जिसमें कि मैं रहता हूं और उन्होंने मुझे मारने की और तरह-तरह की धमकियां दीं। यह इस प्रकार के उदाहरण हैं कि किस प्रकार वहां के ईसाई पादरी वहां के अभावग्रस्त क्षेत्र का लाभ उठाकर लोगों को ईसाई बनाने के प्रयत्न करते हैं। बिहार के आर्यावर्त और दिल्ली के पत्रों में भी उस प्रकार के समाचार समय-समय पर निकलते रहे हैं। लेकिन मैं गृह-मंत्री महोदय की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि आज छोटा नागपुर की स्थिति इतनी भीषण हो गयी है कि अगर आप वर्ष क्रम से पता लगाएंगे तो आपको मालूम होगा कि किस प्रकार तेजी से वहां लोगों को ईसाई बनाया जा रहा है।

[श्री प्रकाश बीर शास्त्री]

सिमडेगा थाने में १८७ गांव हैं। सन् १९४७ के पूर्व वहां केवल २४ प्रतिशत ईसाई थे, लेकिन सन् १९५८ में वह बढ़ कर ६० प्रतिशत हो गए।

तेतांगार थाने में सन् १९४७ के पूर्व ईसाइयों की संख्या २० प्रतिशत थी जो कि सन् १९५८ में बढ़कर ५० परसेंट हो गयी।

कोलेबीरा थाने में जहां १३२ गांव हैं, सन् १९४७ के पहले ईसाइयों की संख्या २६ प्रतिशत थी जो कि सन् १९५८ में बढ़कर ७२ प्रतिशत हो गयी।

इसी तरह से बाल्बा थाने में जहां सन् १९४७ के पूर्व ईसाईयों की संख्या ५ प्रतिशत थी वहां सन् १९५८ में ३० प्रतिशत हो गयी।

कुरडेग थाने में ७२ गांव हैं। सन् १९४७ के पूर्व इन गांवों में ईसाइयों की संख्या १२ प्रतिशत थी जो कि सन् १९५८ में बढ़ कर ४० प्रतिशत हो गयी।

बानो थाने में ९३ गांव हैं। इनमें सन् १९४७ के पूर्व ईसाइयों की संख्या २८ प्रतिशत थी जो कि सन् १९५८ में बढ़कर ६२ प्रतिशत हो गयी है।

अगर मैं उनकी जनसंख्या बताऊं तो इस प्रकार कहा जा सकता है कि सन् १८६१ में सारे रांची जिले में केवल १२२७ ईसाई थे जो कि बढ़ कर सन् १८७१ में ११,१०८ हो गए, सन् १८८१ में ३३,३६५ हो गए, सन् १९११ में १,७७,४७३ हो गए और सन् १९३१ में वह जनसंख्या बढ़ कर ५,४३,००० हो गयी। सन् १९४१ तथा १९५१ की जन गणना में सरकार ने ईसाईयों को भी आदिवासियों में मान लिया इसलिए उनकी अलग-अलग संख्या नहीं दे सकता लेकिन मैंने स्वयं इस क्षेत्र को जाकर देखा है और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर बताना चाहता हूं कि यह विष बड़ी तीव्रता से बढ़ रहा है और गृह मंत्री महोदय इस प्रकार का विधेयक पास करके जिला मजिस्ट्रेट और दूसरे अधिकारियों को इस प्रकार का अधिकार दें कि जो धर्म परिवर्तन करना चाहे धार्मिक विश्वासों से प्रभावित हो कर और अध्यात्मिक प्रेरणाओं से प्रभावित होकर उनके मार्ग में तो किसी प्रकार की रुकावट न डाली जाए, क्योंकि भारत के संविधान ने हर एक को स्वतंत्रता दी है। किन्तु जहां पर लोभ, लालच और दबाव के कारण धर्म परिवर्त्तन हो रहे है उसके लिए मेरा निवेदन है कि जिला अधिकारियों को यह अधिकार दिए जाएं कि जो व्यक्ति धर्म परिवर्तन करना चाहे वह जिला मेजिस्ट्रेट को विश्वास दिलाए कि वह आध्यात्मिक कारणों से, धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हो कर ही धर्म परिवर्तन करना चाहता है, अन्य कोई कारण उसके मार्ग में नहीं है।

दूसरा प्रकार मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस प्रकार स्कूलों में धर्म परिवर्तन का कार्य चल रहा है। इसके लिए स्कूलों में आठ प्रकार के उपाय अपनाए जाते हैं।

१. ईसाई स्कूलों में प्रार्थनाओं में अनिवार्य रूप से बच्चों को सम्मिलित होना पड़ता है।

२. ईसाई सन्तों की रंग बिरंगी तस्वीरें पेंट करना सिखाया जाता है।

३. इन तस्वीरों को प्राप्त करने के लिए प्रतियोगिताओं की योजना की जाती है। और ये चित्र पुरस्कार में दिए जाते हैं।

४. कुमारी मेरी, बड़े दिन के वृक्ष, आदि के छोटे-छोटे स्तूप दिए जाते हैं।

५. रविवारीय धर्म शिक्षा की क्लासें लगायी जाती हैं और जो बच्चे उनमें सम्मिलित होते हैं उनको विशेष प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं।

६. विद्यार्थियों के निवास और भोजन की निःशुल्क व्यवस्था की जाती है।

७. कहीं-कहीं एक ही गिलास में सब विद्यार्थियों को दूध पिलाया जाता है। कहीं कहीं विद्यार्थियों को अपने-अपने गले में लटकाने के लिए क्रास आदि भी दिए जाते हैं।

८. और दूसरे धर्म के देवी देवताओं को गालियां दी जाती हैं।

इसी प्रकार के एक ईसाई स्कूल में मुझे अहमदाबाद जाने का मौका मिला। मैं ने वहां स्कूल का निरीक्षण करते हुए देखा कि कोई कमरा ऐसा नहीं था कि जिस में ईसा मसीह का चित्र न लगा हो। खैर यह बात भी क्षम्य हो सकती थी। लेकिन घुमाते घुमाते एक स्थान पर मुझे ले जाया गया जहां पर लिखा था––प्राइवेट। यह ––प्राइवेट––देख कर मैं चकित हुआ। सोचा कि शायद वहां पर कोई रहता हो या कोई और बात हो। मैं ने जब स्कूल के हैडमास्टर से पूछा तो उन्हों ने कमरे को खोल कर बताया। वह स्कूल के कम्पाउंड में स्कूल के कमरों से लगा हुआ एक गिरजाघर था जहां जाने के लिये बच्चों को प्रेरणा दी जाती है कि वह भी उस में जा कर सम्मिलित हों।

मेरे पास इस प्रकार के एक नहीं अनेकों प्रमाण इस समय हैं कि जो उन बच्चों ने लिख कर दिये हैं कि हम वहां पर दाखिल हुए लेकिन हम ने धर्म परिवर्तन नहीं किया इसलिये हैडमास्टर ने हम को दसवें क्लास की परीक्षा में नहीं सम्मिलित होने दिया।

इस प्रकार के भी प्रमाण हैं कि जहां जबरदस्ती बच्चों के नाम बदले गये। अगर उस ने अपना हिन्दू नाम महादेव लिखाया तो उस को बदल कर ईसाई नाम रखा गया। इस प्रकार के मेरे पास अनेकों प्रमाण हैं। अधिक समय नहीं है। अगर आप आज्ञा दें तो उन में से दो चार प्रमाण मैं उपस्थित करना चाहता हूं।

†**उपायक्ष महोदय** : आधा घंटा आप के पास है, उसे आप किसी तरह से इस्तैमाल करिए।

श्री प्रकाश वीर शास्त्री : यह बहुत बड़ी समस्या है इसलिये मैं चाहता हूं कि यदि दस पांच मिनट ज्यादा लग जायें तो आप उस की अनुमति दें।

स्कूलों में ईसाई प्रचार के ढंग का क्रम मैं आप को बताना चाहता हूं।

जिला सिंहभूम विद्यालय, निरीक्षक, इंस्पेक्टर, ने स्पेशल आफीसर, शिक्षा विभाग के पास दिनांक २० फरवरी १९५७ के पत्र संख्या ८४२ में ईसाई मिशन स्कूल बनगांव के बारे में शिकायत करते हुए लिखा :

> "मुझे यह कहना है कि जब मैंने स्कूल का निरीक्षण किया तब यह पाया कि सभी गैर-ईसाई बच्चों को भी ईसाई लड़कों के साथ पढ़ाई के घंटों में ही ईसाई धर्म की शिक्षा दी जा रही है। मैंने इस पर आपत्ति की और गिरजा के अध्यक्ष पादरी ने इस के लिये क्षमा मांगी। इस के बाद अब भी यह काम चल ही रहा है।"

इसी तरह की एक दूसरी घटना है कि किस प्रकार ईसाई मिशन स्कूलों में हिन्दू बच्चों का बलात् धर्मपरिवर्तन किया जाता है। माइकल मिशन स्कूल, बनगांव, जिला सिंहभूम में राममुंडारी

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

नामक सातवीं कक्षा के हिन्दू विद्यार्थी का उस के माता पिता की इच्छा के विरुद्ध नाम बदल कर ईसाई नाम निकोलस रख दिया जिस की कोर्ट में शिकायत भी हुई ।

इसी प्रकार विद्यार्थी लखनराम लोहार वल्द बल्देव, निवासी गांव जलंगा, पो० तिलमी, थाना करी, जि० रांची मिशन जुबली हाई स्कूल की ११ वीं कक्षा में पढ़ता है । इसे सरकारी छात्रवृत्ति भी मिलती रही है । ईसाई मास्टरों ने प्रारम्भ में अपनी इच्छा से इस का ईसाई नाम "अदिस" रख दिया । परन्तु जब यह बोर्ड की परीक्षा के लिये फार्म भरने लगा तो इस ने उस में अपना असली नाम "लखन राम" लिखना चाहा । परन्तु ईसाई हैडमास्टर ने उसे अनुमति नहीं दी । बेचारा परीक्षा देने से रुक गया ।

तारीख २२ दिसम्बर, १९५९ को १२ वर्षीय विद्यार्थी लोहरा राम ने, जोकि गांव फतहपुर, थाना लाप्रंग जिला रांची का रहने वाला है, एक आवेदन पत्र दिया है जिस में लिखा है कि वह अपने गांव से चार मील दूर डहकेला स्कूल में पढ़ता था । परन्तु नाना प्रकार से प्रलोभन दे कर लूथरन मिडिल स्कूल के ईसाई मास्टर गुड़िया, तिकदोरों, डा० मनसीद क़ुस्तान आदि ने उसे मिशन स्कूल में दाखिल कर लिया । उस के लिये छात्रवृत्ति भी बांध दी । उस के बाद उन्हों ने वार्षिक परीक्षा आने पर २० रुपये मांगे । उस ने हरिजन होने के नाते फीस माफी की याचना की । परन्तु ईसाई मास्टरों ने उसे ईसाई बनने पर ही छूट देने को कहा । जब वह ईसाई बनने को तैयार नहीं हुआ तो उसे परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया और उस का नाम स्कूल से काट दिया गया । इस प्रकार ईसाई पादरी ने उस का सारा जीवन बर्बाद कर दिया ।

रांची थाने के तोरपा नामक स्थान में सन्त जोज़फ़ हायर सैकिंडरी स्कूल में गत १४ सितम्बर १९५९ को हड़ताल हुई जिस का दमन करने के लिये डी० एस० पी० तथा एस० डी० ओ० आदि भी गये ऐसा बतलाया जाता है । हड़ताल का कारण यह कहा जाता है कि बहुत से बालकों का धर्म लालच दे कर परिवर्तित कर दिया गया था और कुछ का किया जा रहा था लेकिन चूंकि धर्म परिवर्तन किये गये बालकों को दिये गये प्रलोभन के वायदे पूरे नहीं किये गये थे नये लोगों को ईसाई बनाते समय बालकों में क्षोभ हो गया और नारे लगाये जाने लगे कि गोरी चमड़ी और ज्यादा धोखा नहीं दे सकती, जल्दी भारत छोड़ो आदि ।

भारत सेवक समाज के महन्त श्री भगवती शरण दास जी ने, जिन का जिक्र मैं ने पहले भी किया है, कई इस प्रकार की घटनायें मुझे लिख कर भेजी हैं । और भी ऐसे उदाहरण मेरे पास हैं जिन में किसी के पिता ने लिखा है कि मेरे बच्चे का धर्म परिवर्तन स्कूल में किया गया, कहीं बच्चों ने लिख कर दिया है कि हम को इस प्रकार से रोक लिया गया ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस के पश्चात् कुछ इस प्रकार की चर्चा भी मैं करना चाहता हूं कि आज केवल धर्म परिवर्तन के साथ धार्मिक विश्वास ही हमारे देश के पिछड़े जाति के लोगों का नहीं डिग रहा है, बल्कि उन की अराष्ट्रीय गतिविधियां भी धीरे-धीरे बढ़ती चली जा रही हैं । स्थिति यह है कि ईसाई मिशनरियों का मुख्य ध्येय यह है कि भारतीय ईसाई को अपने देश से विमुख करना और अपने ही देश में उसे विदेशी बना देना । क्रिश्चियन अवेक "ईसाई जागो" शीर्षक लेख में यह कहा गया है कि जब ईसा और देश के प्रति प्रेम इन दोनों में विरोध उत्पन्न हो और चुनाव करना पड़ जाय तो सच्चा ईसाई आवश्यक रूप से ईसा के प्रति निष्ठा को चुनता है । यह जो मैं आप को कह रहा हूं, वह नेशनल क्रिश्चियन कौंसिल रिव्यू अप्रैल, १९५५ के पृष्ठ १५८ पर लिखा हुआ है ।

इस से आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ समय पहले अगर गांधीजी ने इन तमाम बातों के सम्बन्ध में यह कहा था कि किसी के धर्म परिवर्तन करने के पश्चात् उस की राष्ट्रीयता में भी न्यूनता आ जाती है, तो उन्हों ने कितनी दूरदर्शिता के साथ इन तमाम बातों को सोचा था । इसी तरह के और उदाहरण हैं । उड़ीसा के गवर्नर को मुंडा लोगों की ओर से एक स्मरण-पत्र लिख कर दिया गया, जोकि १२-११-५४ को पी० एस० बैरागना ने दिया । उन्हों ने लिखा कि ईसाई पादरी हमारे यहां आते हैं और हमारी सभाओं में आ कर कहते हैं कि आप इस गवर्नमेंट के विपरीत विद्रोह की प्रवृत्ति अपने मन में जाग्रत करें । उन की पूरी चिट्ठी की प्रति मेरे पास है ।

हमारे देश के प्रधान मंत्री को भी उड़ीसा के कुछ लोगों ने सुन्दरगढ़ ज़िले से इसी प्रकार के स्मरण-पत्र लिख कर भेजे हैं । मेरे पास एक स्मरण-पत्र की प्रतिलिपि है, जोकि बेनी ओरानन ने लिखा है, जिस का नाम बेनी सिंह है । उस ने लिखा है कि किस प्रकार से पादरी हमारे मध्य में आता है और प्रचार करता है और कहता है कि हम अपने देश के प्रति अपनी अनास्था उत्पन्न करें ।

इसी प्रकार उड़ीसा के गवर्नर को सुन्दरगढ़ जिले के लुकस मुन्डा नाम के व्यक्ति ने २०-११-५४ को एक स्मरण-पत्र दिया है ।

इसी तरह के और भी स्मरण-पत्र मेरे पास हैं, जिन को पढ़ने से सम्भव है कि मैं अपनी उन आवश्यक बातों को न छोड़ जाऊं, जिन को मैं विशेष रूप से अन्त में कहना चाहता हूं । लेकिन मैं यह अवश्य कहना चाहता हूं कि इन तमाम बातों पर विचार किया जाय ।

केरल में भी कुछ ऐसी घटनायें घटीं । वहां पर सबरीमलई नाम का हिन्दुओं का एक मन्दिर है । १४ दिसम्बर, १९५७ को केरल सरकार ने राज्य विधान-सभा में पुलिस जांच के उस प्रतिवेदन को प्रस्तुत किया, जो सबरीमलई मन्दिर को ईसाइयों द्वारा जलाने के विषय में है । इस मन्दिर में भगवान अय्यप्पा की मूर्ति को भी खंडित कर दिया गया था । १९५० के जून मास में सबरीमलई मन्दिर के भण्डार को पूरी तरह जला हुआ तथा विनष्ट पाया गया । राज्य के इंस्पैक्टर जनरल पुलिस को इस घटना की जांच के लिये विशेष रूप से नियुक्त किया गया । जांच के परिणामस्वरूप यह पता लगा कि ईसाइयों ने इस मन्दिर को जला कर नष्ट करने की योजना पहले से ही बना ली थी । इस मन्दिर में सहस्रों की संख्या में हिन्दू अय्यप्पा की पूजा करने के लिये आते थे और ईसाइयों को यह बुरा लगता था । उसी प्रतिशोध की भावना से १९५० में तिरुवांकुर जंगल से ढकी पहाड़ी पर स्थित सबरीमलई मन्दिर को जला दिया गया और उस की प्रतिमा को तोड़ दिया गया था ।

उस मन्दिर के सम्बन्ध में मैं विशेष रूप से एक बात कहना चाहता हूं । सबरीमलई इस प्रकार का मन्दिर था कि जब हमारे देश में हरिजनों को मन्दिर प्रवेश का अधिकार नहीं दिया गया था, उस समय यह मन्दिर सब के लिये खुला हुआ था । ईसाइयों के मार्ग में यह एक बहुत बड़ी बाधा थी कि छोटी जाति के लोग भी उस मन्दिर में जाते हैं और वहां जा कर अपनी धार्मिक भावनाओं को पूरा करते हैं । इसलिये उन्हों ने चिढ़ कर इस मन्दिर को नष्ट कर दिया । केवल एक मन्दिर की ही बात नहीं है, मैं आप को केरल के गृह मंत्री, जोकि स्वयं अच्छे भले ईसाई हैं, द्वारा दिये गये तथ्य भी बताना चाहता हूं । उन्हों ने २३ मार्च, १९५३ को ट्रावनकोर कोचीन की विधान सभा को बताया था कि सबरीमलई की दुर्घटना के बाद राज्य में १०५ हिन्दू मन्दिर भ्रष्ट किये गये थे और अपराधियों के विरुद्ध ५५ मुकदमे चलाये गये थे ।

इसी तरह से १८ अप्रैल, १९५५ को श्रम विभाग के उपमंत्री श्री आबिद अली ने लोक-सभा को बताया कि इटैलियन मिशन की धर्मपरिवर्तन विषयक प्रगतियों के सम्बन्ध में भारत सरकार को बहुत सी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं । उन की छः शाखायें बम्बई में और एक राजस्थान में काम कर रही है ।

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

हैदराबाद स्टेट दलित वर्ग सभा की ओर से १८ प्रतिनिधियों का एक शिष्ट-मण्डल सभाध्यक्ष शमशुद्दीन के नेतृत्व में १८-८-५५ को गृह मंत्री, पण्डित पन्त से मिला और कर्नाटक एवं तेलंगाना के जिलों में लोगों के धड़ाधड़ ईसाई बनते जाने से उत्पन्न विषम स्थिति की ओर उन का ध्यान आकृष्ट किया। शिष्ट-मंडल ने कहा कि आर्थिक प्रलोभनों से प्रभावित होकर पांच हजार हरिजन ईसाई बन गये हैं। इस का अर्थ यह है कि हरिजन भाई भी ईसाई मिशनरियों को अपने पास नहीं फटकने देना चाहते ।

मेरे पास वह विस्तृत रिपोर्ट भी है, जोकि सबरीमलई मन्दिर के सम्बन्ध में हैं ।

इन लोगों का एक पत्र भी हिन्दी में निकलता है **घरबंधु**, जोकि रांची से प्रकाशित होता है उस में लिखा हुआ है कि हम जो इस देश में ईसाइयत का प्रचार कर रहे हैं, उस में सब से बड़ी कठिनाई क्या है। पत्र २०-१-५९ का है और उस में प्रैज़िडेंट जे० जे० पी० तीगा ने लिखा है—"इस बड़े काम में एक बैरी आकर खड़ा हो गया है। इसको सदा मन में ख्याल रखना चाहिए। इस का नाम है नैशनलिज्म । वह एक मूर्ति है, जिसको हम न मानें। हमारे देश से एक प्रकार की मूर्ति-पूजा हटाई गई, पर दूसरे प्रकार की मूर्ति पूजा—नेशनेलिज्म की मूर्ति पूजा—उसका स्थान लेती हुई चली जा रही है।" यह ईसाई प्रचारकों की भावना है, जो कि हमारे देश में काम कर रहे हैं। मेरे पास **घरबंधु** के इस प्रकार के और भी उदाहरण हैं, जिनमें उसने समय-समय पर हमारी राष्ट्रीयता को चुनौती दी है। अगर आप चाहेंगे, तो मैं विस्तार से उनको प्रस्तुत कर सकूंगा।

इसके साथ अपने भाषण को समाप्ति की ओर ले जाते हुए मैं तीन चार बातें विशेष रूप से कहना चाहता हूं। एक तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि न केवल हमारे देश के, बल्कि विदेशों के भी कुछ लोग हैं, जो इस बात को गम्भीरता से अनुभव कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में डा० वेरियर एलविन ने, जो स्वयं एक अंग्रेज पादरी थे, पर बाद में चर्च से अलग हो गए थे, भारतीयों को चेतावनी देते हुए कहा—"खेद है आज भी भारत के लोग यह अनुभव नहीं कर रहे हैं कि विदेशी मिशनरियों के प्रचार का प्रश्न कितना व्यापक, आवश्यक और महत्वपूर्ण है। छोटा नागपुर में लाखों आदिवासी ईसाई बना लिए गए हैं। सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों से भरपूर सन्थाल परगना समूचे रूप से शीघ्रता के साथ ईसाई प्रदेश बनता चला जा रहा है। उड़ीसा की गंगपुर स्टेट का हर एक आदिवासी ईसाई बन चुका है। आसाम की समस्त करेन जाति ईसाई बन चुकी है। इसी प्रकार आसामी के लूसाई लोग भी प्राय: सब के सब ईसाई बना लिए गए हैं। पश्चिमी भारत में भीलों तथा अन्य आदिवासियों के बीच तीव्र गति के साथ धर्म परिवर्तन का कार्य पादरियों के द्वारा चल रहा है। मध्य प्रदेश के गोंड और बैगा लोगों को ईसाई बनाने में ईसाई पादरियों ने कोई कसर छोड़ नहीं रखी है। यदि इसी अबाध गति से मिशनरियों द्वारा ईसाई बनाने का कार्य चलता रहा, तो कुछ ही वर्षों में समस्त बनवासी जातियां ईसाई बन जायेंगी और देश में ईसाइयों का ऐसा झगड़ालू, अड़ंगा लगाने वाला समुदाय उत्पन्न हो जायगा, जिसकी भावनाएं अराष्ट्रीय होंगी और जो भविष्य में भारत सरकार तथा भारत की जनता दोनों के लिए एक चुभता कांटा सदा के लिए बन जायगा।"

यह एक विदेशी पादरी की सम्मति है, जो उसने हमारे देश में ईसाई प्रचारकों के सम्बन्ध में इस देश में आकर दी ।

इसी प्रकार से हमारे देश के एक बहुत बड़े संत तुकड़ों जी, जो आदिवासी क्षेत्रों में भी जा कर काम करते हैं। उन्होंने इन प्रचारकों के सम्बन्ध में बड़ी विस्तृत रिपोर्ट दी है और भारत सरकार को सावधान किया है कि वह इन अराष्ट्रीय गतिविधियों से बचने के लिए दृढ़ कदम उठाए।

बिहार के राज्यपाल, श्री दिवाकर को वहां के आदिवासियों की ओर से एक स्मरण-पत्र दिया गया है। यह इतना लम्बा है कि मैं पढ़ कर नहीं सुना सकता हूँ। और भी इसी प्रकार के समय-समय पर स्मरण-पत्र दिए गए थे ।

उपाध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि अगर इसी प्रकार से पिछड़ी जातियों की उपेक्षा की गई और राजनैतिक संरक्षण की तरह ही उनको धार्मिक संरक्षण न मिला, तो मेरा अपना यह निश्चित विश्वास है कि जिस तरह से हमारे देश में मुसलमानों की अराष्ट्रीय प्रवृति बढ़ी और उसने पाकिस्तान की नींव डाली, कहीं यह ख़तरा बढ़ते-बढ़ते इतना आगे न पहुँच जाये कि हमारे देश में एक दिन ईसाई-स्तान बनाने की मांग की जाये। मैं तो बल्कि आपको कहना चाहता हूँ कि इस प्रकार की आवाज़ें उठने भी लगी हैं, भले ही उनका नाम यह न हो और वे किसी परिवर्तित नाम से आ रही हों, लेकिन यह तथ्य है कि इस प्रकार की आवाज़ें उठ रही हैं ।

अब मैं ईसाई प्रचारकों की इस अराष्ट्रीय नीति का एक और दृढ़ प्रमाण देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे इन शब्दों को प्रतिरक्षा मंत्री और प्रधान मंत्री तक भी पहुँचाया जाये। आसाम के नेफ़ा-नागा प्रदेश में जो हमारी सेना इस समय शान्ति-स्थापन का कार्य कर रही है, उसके सम्बन्ध में २० सितम्बर, १९५९ के हिन्दुस्तान समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ था। उस समाचार में यह कहा गया है कि "वहां के उच्च सैनिक अधिकारी यह अनुभव करते हैं कि दो बातें नागा प्रदेश में शान्ति बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं। एक तो यह है कि वहां सेना को अधिक अधिकार दिए जाएं। सेना को जब तक अधिक अधिकार नहीं दिए जाते, तब तक वहां इतनी अधिक---एक डिविज़न-सेना रखने से कोई लाभ नहीं है। बिना अधिक अधिकार के सेना के बजाये पुलिस रखना ठीक है। दूसरा यह कि वहां से ईसाई मिशनरियों को स्थिति सुधरने तक के लिए पूर्णतः हटा देना चाहिए। कुछ समय पहले संसद् में नेहरू जी ने बताया था कि वहां अब नए ईसाई मिशनरियों को नहीं जाने दिया जाता है। पर अब भी वहां इनकी संख्या लग भग ३००० है। पहले यह संख्या ६००० थी। सैनिक अधिकारियों के मतानुसार आपात स्थिति की घोषणा कर उन्हें वहां से तत्काल हटाया जा सकता है।"

इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी सेना के उच्च अधिकारी इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि हमारी सीमा के प्रदेश पर, जो हमारे भारत का मर्मस्थल है, ये लोग हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान को इस प्रकार चुनौती दे रहे हैं और इस कारण उनको यह चिन्ता व्यक्त करनी पड़ी है।

अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाता हुआ मैं केन्द्र के एक माननीय मंत्री महोदय की सम्मति भी उपस्थित करना चाहता हूँ और मेरा सौभाग्य है कि वह इस समय यहां उपस्थित हैं। वह है माननीय श्री जगजीवन राम। ईसाई प्रचारकों की इसी प्रकार की अराष्ट्रीय गतिविधियों को देख कर माननीय श्री जगजीवन राम ने २८ अक्तूबर, १९५९ को हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश दलित वर्ग सम्मेलन में अपना एक वक्तव्य दिया। इस सम्मेलन का उद्घाटन श्री ढेबर भाई ने किया और इसकी अध्यक्षता की आन्ध्र प्रदेश के श्रम मंत्री श्री डी० संजीवन ने। श्री जगजीवन राम ने अपने भाषण में कहा कि "ईसाई लोग हरिजनों के सामूहिक धर्म परिवर्तन में लगे हुए हैं। ब्रिटिश काल में हज़ारों की संख्या में हरिजनों ने ईसाई धर्म को स्वीकार किया था, परन्तु इन दिनों मध्य प्रदेश और हैदराबाद में ईसाई पादरियों ने लालच और डरा धमका कर सामूहिक धर्म परिवर्तन---ईसाई बनाने---की नीति अपना ली है, जो बहुत गम्भीर है। सरकार इस घातक नीति पर गम्भीरता से विचार करेगी।" मैं २५ वर्षों से हरिजनों को अपने हिन्दू धर्म में लाने के प्रयत्न में हूं जिन्हें लालच दे कर अथवा दबाव डाल कर ईसाई बना दिया गया। जो लोग समझ बूझ कर ईसाई बनते हैं उन की बात मैं नहीं कहता किन्तु जिन लोगों को अज्ञान के कारण धर्म परिवर्तन करना पड़ा है उन के साथ अन्याय किया गया

[श्री प्रकाश वीर शास्त्री]

है और इस की जिम्मेवारी ईसाइयों पर है। बहुत से हरिजन ईसाई बनने पर भी देव पूजा करते हैं और अन्य हिन्दुओं की तरह पर्व मनाते हैं जो इस बात का जागृत सबूत है कि उन के अज्ञान का लाभ पादरियों ने उठाया है और उन्हें लालच दे कर पादरी बनाया गया है।

इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ जिस में हरिजनों के सामूहिक तौर पर धर्म परिवर्तन और उन्हें ईसाई बनाये जाने पर चिन्ता व्यक्त की गई। मैं ये सारी बातें आप के सामने इसलिये रख रहा हूं कि यह भावना इस विधेयक को उपस्थित करते समय न केवल मेरी है, अपितु भारतवर्ष का हर गम्भीर व्यक्ति जो देश की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखना चाहता है और राष्ट्र के अन्दर उठने वाले इस नये विष से सावधान करने के लिये जगह-जगह चेतावनी देना चाहता है, उस की भी है।

अपने वक्तव्य की समाप्ति पर मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं और इस नाते दना चाहता हूं ताकि आप इन शब्दों को कार्यरूप में परिणत कर सकें। मैं पहले ही कह चुका हूं कि गांधीजी ने सन् १९२० और १९२७ में ही इस कठोर विष को अनुभव कर लिया था जिस का प्रमाण अभी मैंने आपके सामने पेश किया। स्वर्गीय ठक्कर बापा के सम्बन्ध में भी बताया कि मध्य भारत के जंगलों में घूम कर उन को कितना कष्ट हुआ और आज अगर वह होते तो सम्भव है कि इस विधेयक को इस सदन में लाने की आवश्यकता न पड़ती और वह कर्मठ सेनानी इस समस्या को हल करने में अपने सारे जीवन को लगाता। सन्त तुकड़ो जी के सम्बन्ध में भी मैं ने कहा है कि उन का विचार है कि यह एक ज्वलंत और बहुत आवश्यक प्रश्न है।

अब मैं आप को अपने देश के प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की बात बतलाना चाहता हूं। प्रधान मंत्री श्री नेहरू, जब हमारी राष्ट्रीय क्रान्ति के नेता पंडित जवाहरलाल जी नेहरू थे, तो उन्हों ने एक पुस्तक लिखी पुस्तक तो क्या कुछ पत्र हैं जो पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जो उन्हों ने अपनी प्यारी पुत्री इंदिरा नेहरू के नाम नेनी जेल से उस समय लिखे थे, जिस का नाम है "विश्व इतिहास की झलक" इस में नेहरूजी ने इंदिरा के लिये जहां विदेशों की चर्चा की है वहां एक स्थान पर जापान की चर्चा करते हुए कहा है कि इंदिरा, जापान का राजा और शासन बड़ा कुशाग्र बुद्धि था। ईसाई लोग जिस समय जापान आये और उन्हों ने धर्म परिवर्तन करना आरम्भ किया तो जापान के राजा ने बड़ा कठोर पग उठाया। उस ने बीस दिन का नोटिस दिया कि जापान को छोड़ कर ईसाई पादरी चले जायें। जिन लोगों का धर्म परिवर्तन कर लिया गया था उन को फिर से अपने धर्म के अन्दर वापिस लाने के लिये उन्हों ने राज्याज्ञा निकाली।" जहां उन्हों ने यह लिखा है वहां एक और जगह यह भी लिखा है "कि एक और भी जहाज़ जिस में इसी प्रकारके पादरी आ रहे थे व्यापारियों के रूप से, उन को भी जापान के राजा ने आदेश दिया कि जापान की धरती पर वे पग नहीं रख सकते हैं।" इस घटना को लिखने के बाद पंडित जी ने पृष्ठ ३८९ पर जो शब्द लिखे हैं उन को मैं आप को सुनाना चाहता हूं। उन्हों ने लिखा है :

> "जापान का राजा, इंदिरा, इतना कुशाग्र बुद्धि था कि साम्राज्यवादी भेड़िये जो मज़हबी भेड़ की खाल ओढ़ कर जापान में आना चाहते थे, वहां का राजा उन को पहचान गया।"

यही बात मैं अपने गृह मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि साम्राज्यवादी भेड़िये जो मज़हबी भेड़ की खाल ओढ़ कर आज हिन्दुस्तान की आन्तरिक शान्ति को विक्षुब्ध करना चाहते हैं, हमारा गृह मंत्रालय उनकी ओर से सावधान हो और इस प्रकार के विधेयक को आवश्यक रूप से पास करें।

मैं गृह मंत्री महोदय से यह भी कहूंगा कि इस प्रकार की स्वस्थ परम्परा की सुरक्षा के लिये मैं ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है, उस में उन लोगों को खुली छूट है जो धार्मिक भावनाओं या आध्यात्मिक कारणों से प्रेरित हो कर धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं, कि वे धर्म परिवर्तन करें, बड़ी खुशी के साथ करें। लेकिन जिन का लोभ से, लालच से, दबाव से या भय से धर्म परिवर्तन कराया जाता है, उन के लिये केवल मात्र यह विधेयक है और इस में कहा गया है कि जो लोग धर्म परिवर्तन करना चाहते हों वे पहले कलक्टर के पास जा कर अपना प्रार्थना-पत्र दें और प्रार्थना-पत्र दे कर यह कहें कि हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं। ज़िले का कलक्टर अगर इस बात से सन्तुष्ट हो और समझे कि बिल्कुल धार्मिक भावनाओं से प्रेरित हो कर, या धार्मिक विश्वासों से प्रेरित हो कर वे धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो वह उस की अनुमति दे, उस के लिये इस में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जिन का बलात् धर्म-परिवर्तन कर दिया जाता है उन के लिये यह विधेयक है।

अन्त में एक बात यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जहां भारत सरकार की यह नीति है कि हम सब देशों के साथ मैत्री सम्बन्ध रखना चाहते हैं, वहां अमरीका से भी मैत्री सम्बन्ध रखना चाहते हैं, आप के द्वारा उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी चाहता हूं कि आप मेरी इस आवाज़ को अमरीका के शासकों तक भी पहुंचा दें कि अमरीका से तथा दूसरे देशों से जो धन यहां ईसाइयत के प्रचार के लिये आता है इसमें ८० प्रतिशत पैसा अमरीका का है, अमरीका जो पैसा देता है वह दे, लेकिन उसके साथ ही वह प्रचारकों को यह आदेश भी दे कि वे इस धन को सेवा कार्यों के अन्दर तो लगायें परन्तु बलात् धर्म परिवर्तन के अन्दर इस का उपयोग न करें, नहीं तो ऐसा न हो कि उस देश के प्रति यहां जो मैत्री भावना है वह भी कहीं हिल जाय। मैं चाहता हूं कि मेरे इस सन्देश को अमरीका तक पहुंचा दिया जाये।†

इन शब्दों के साथ मैं फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन की स्वस्थ परम्परा को कायम रखने के लिये, देश की कठिन और विषम परिस्थितियों में, जबकि बाहर शत्रु खड़ा हुआ है, अन्दर के शत्रु से बचने के लिये, इस विधेयक को पारित किया जाय और अगर इस विधेयक को आप पारित करते हैं तो इस देश के चालीस करोड़ नागरिक आप को खुले हृदय से धन्यवाद देंगे। इस भावना के साथ मैं अपने इस विधेयक को प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि इस को स्वीकार कर लिया जायेगा।

†**उपाध्य महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

सेठ गोविन्द दास (जबलपुर) : उपाध्यक्ष जी, मैं हिन्दू हूं, सनातन धर्मी हूं और महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग का अनुयायी हूं। मैं मूर्ति पूजक हूं और श्राद्ध में विश्वास रखता हूं। इतना होने पर भी मेरी स्वामी दयानन्द जी पर और हमारे प्रकाश वीर शास्त्री जी जो एक आर्य समाजी हैं, उस आर्य समाज पर भी समान रूप से श्रद्धा है। इतना ही नहीं, मैं गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, महात्मा ईसा और हज़रत मुहम्मद साहब, इन सब को भी बड़ी पूज्य दृष्टि से देखता हूं। यह भी आप जानते हैं और यह सदन जानता है कि मैं भारतीय संस्कृति का एक छोटा सा उपासक हूं और उस संस्कृति का जो सब से बड़ा गुण सहिष्णुता है जिस सहिष्णुता के कारण हमने अपने देशमें मत स्वातन्त्र्य सब धर्मों,सब समाजों को दिया उस सहिष्णुता को मानते हुए भी मैं इस विधेयक का समर्थक हूं। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और वह संविधान मेरे मतानुसार हमारी संस्कृति के अनुरूप बना है। अतः मैं शास्त्री जी के इस मत से सहमत हूं कि यदि कोई आध्यात्मिक कारणों के कारण या धार्मिक विचारों में परिवर्तन के कारण अपना धर्म परिवर्तन करे तो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए और इसमें हमें स्वतन्त्रता देनी चाहिए। यह विधेयक भी यही कहता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[सेठ गोबिन्द दास]

मैं तो यह चाहता था कि यह विधेयक केवल पिछड़ी हुई जातियों के सम्बन्ध में न हो कर सारी आबादी के सम्बन्ध में होता और मैं तो यह भी चाहता हूं कि इस प्रकार का विधेयक सरकार की ओर से आना चाहिये। सरकार के सामने दो ऐसी कमेटियों की रिपोर्टें मौजूद हैं जो कमेटियां हमारी सरकार के द्वारा ही नियुक्त की गई थीं और स्वराज्य के बाद नियुक्त की गई थीं। एक मेरे प्रदेश में नियोगी जी की अध्यक्षता में नियुक्त हुई थी, दूसरी कमेटी रंगे कमेटी थी। उस समय मध्य भारत एक अलग प्रदेश था और वह मध्य भारत में नियुक्त की गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक मुझ से भूल हो गई है। एक एमेंडमेंट श्री सिदय्या की है, क्या वह उस को मूव करना चाहेंगे ?

†**श्री सिदय्या :** (मैसूर-रक्षित-अनुसूचित-जातियां) : जी हां।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस विधेयक पर ३० अप्रैल, १९६० तक राय जानने के लिये इसे परिचालित किया जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अतः संशोधन तथा मूल प्रस्ताव दोनों ही वाद-विवाद के लिये सभा के समक्ष हैं।

सेठ गोविन्द दास : अभी जो संशोधन पेश किया गया उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के ऊपर और राय जानने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारी इन दोनों कमेटियों ने, जो ऐसे प्रदेश में नियुक्त की गई थीं जहां धर्म परिवर्तन हो रहे हैं, काफी दौरे किये। काफी लोगों की रायें लीं और उसके बाद अपनी रिपोर्टें सरकार के सामने पेश कीं।

यह धर्म परिवर्तन आध्यात्मिक विचारों के परिवर्तन से नहीं हो रहे हैं अभी शास्त्री जी ने आप के सामने बहुत से उदाहरण पेश किये जिनसे हमें मालूम हुआ, और उससे पहले भी मालूम था, कि यह धर्म परिवर्तन प्रधानतया किन कारणों से हो रहे हैं। मैं तो आप से आगे बढ़ कर यह कहना चाहता हूं कि इसके लिये एक निश्चित योजना बनाई गई। यह इक्का दुक्का इधर उधर काम करने वालों का काम नहीं है। इसके लिये एक निश्चित योजना बनी है, और वह बनी है हमारी आजादी के बाद। "सन् १९४८ के जून मास में जो फैलोशिप आफ इण्टरनेशनल मिशनरी सोसायटी की कान्फ्रेंस हुई थी उसमें एलेक्जेंडर मक्लेश ने बोलते हुए कहा था कि अभी हाल में हमारे भारतीय ईसाई नेताओं ने एक योजना बनायी है जिसके अन्तर्गत छः लाख भारतीय ग्रामों को अगले दस वर्षों में ईसाई बनाने का संकल्प किया गया है। हमारे पास भौतिक साधनों की कमी नहीं है। इसके अतिरिक्त हमारे अध्यात्मिक साधन का भी अभाव नहीं है। इनके द्वारा हम धर्म परिवर्तन कार्य को भली प्रकार करने में समर्थ होंगे"। मैं आप का ध्यान श्री मक्लेश के इन वाक्यों की ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं "हमारे पास साधनों का भी अभाव नहीं है"। इसी के साथ जैसा मैंने आप से निवेदन किया, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सारे का सारा कार्य एक निश्चित योजना बना कर किया जा रहा है और वह योजना एक इतने बड़े आदमी ने सन १९४८ में, हमारी स्वतंत्रता के बाद, सारे देश के सम्मुख रखी थी। इसके लिए विदेशों से कितना रुपया आता है, इस सम्बन्ध में शास्त्री जी आपके सामने अनेक उदाहरण पेश कर चुके हैं। इन उदाहरणों से और यदि हम नियोगी कमेटी की रिपोर्ट के निष्कर्षों की ओर ध्यान दें तो हमें मालूम हो जाता है कि सारी छान बीन के बाद उस कमेटी ने इस सम्बन्ध में अपने क्या निष्कर्ष निकाले

†मूल अंग्रेजी में

हैं। शास्त्री जी के लिये कहा जा सकता है कि वे आर्य समाजी हैं और यह हैं, वह हैं। परन्तु नियोगी कमेटी के सम्बन्ध में इस तरह की बात नहीं कही जा सकती। उस कमेटी ने पूरी छान बीन की, दौरे किये, सब कुछ किया, और उसके बाद उसने कुछ निष्कर्ष निकाले। मैं उन निष्कर्षों की संक्षेप से आपके सामने उपस्थित करना चाहता हूं। उस कमेटी के निष्कर्ष यह हैं :

"जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है, भारत में काम करने वाली मिशनरी संस्थाओं में अमेरिकन लोगों की संख्या पर्याप्त बढ़ी है। यह संख्या वृद्धि निश्चय ही 'इन्टरनेशनल मिशनरी कौंसिल' की उस नीति का परिणाम है जिसके अनुसार हाल में स्वतन्त्र हुए देशों में, जहां वैधानिक रूप से धार्मिक स्वतन्त्रता की सुविधा हो, ईसाई धर्म प्रचार के लिये प्रेस, फिल्म, रेडियो और टेलीविजन आदि से सुसज्जित ईसाई प्रचारकों के दल के दल भेजने की योजना बनायी गयी थी।

अधिकतर धर्म परिवर्तन अनुचित प्रभाव तथा मिथ्या प्रचार द्वारा किये गये हैं। दूसरे शब्दों में लोगों को अन्तःकरण की प्रेरणा से नहीं वरन् अनेक प्रकार के प्रलोभनों द्वारा ही ईसाई बनाया गया है। छोटे बच्चों को प्राथमिक अथवा माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा देने के बहाने तथा उन्हें शिक्षा सम्बन्धी अन्य सुविधायें, जैसे बिना मूल्य पुस्तकें और बिना शुल्क पढ़ाई आदि की व्यवस्था करके, उन्हें धर्म परिवर्तन की प्रेरणा की गयी। रुपया उधार देना धर्म परिवर्तन के लिये काम में लाये जाने वाले अनेकानेक उपायों में से एक साधारण उपाय है। इस प्रकार के ऋण देने की व्यवस्था रोमन कैथोलिक मिशन में विशेष रूप से पायी गयी जो सरगुजा––सरगुंजा मेरे प्रदेश का एक स्थान है, "रायगढ़" ––रायगढ़ हमारे प्रदेश का दूसरा जिला है, और जिला––मांडला हमारे प्रदेश का तीसरा जिला है––"आदि जंगली क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं। उन स्थानों पर विशेष दबाव डालने की बात सुनी गयी, जहां ईसाई बने व्यक्ति अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी ईसाई धर्म में दीक्षित करना चाहते थे अथवा जहां वे विवाह के लिये स्त्रियां प्राप्त करना चाहते थे।

कुछ स्थानों में मिशन धर्म के अतिरिक्त अन्य विषयों में भी लगे हुये पाये गये। यद्यपि विदेशी और देशी मिशनरियों की ओर से अधिकारियों को यह विश्वास दिलाया गया था कि वे राजनीति में भाग नहीं लेंगी, तथापि परोक्ष रूप से उन्हें राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते हुए पाया गया। इस के उदाहरण हमारी कमेटी के सामने लाये गये हैं।"

यह कमेटी लिखती है कि "ऐसे उदाहरण हमारे समने लाये गये हैं।"

"चूंकि धर्म परिवर्तन होने से धर्मान्तरित होने वाले व्यक्ति का उसके समाज से विच्छेद हो जाता है, इसलिये देश और राज्य के प्रति उसकी निष्ठा सन्दिग्ध हो जाती है।"

अभी शास्त्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में आपके सामने इस बात को रक्खा है कि हमारी देश के प्रति जो देश भक्ति है उस पर भी इस धर्म परिवर्तन से बड़ा भारी आघात हो रहा है और आगे चल कर इसका बहुत बुरा परिणाम निकल सकता है।

"भारत के बहु संख्यकों के धर्म के विरुद्ध एक निन्दनीय, संगठित और निश्चित प्रयोजन के साथ प्रचार किया जा रहा है, जिससे जनसाधारण की शान्ति भंग हो जाने की आशंका है।

भारत में ईसाई प्रचार ईसाइयों की उस विश्व नीति का एक अंग है, जिसका उद्देश्य संसार में फिर से पश्चिम के प्रभुत्व की स्थापना करना है।

"मध्य प्रदेश सरकार ने सदा निष्पक्षता की नीति का पालन किया है और धार्मिक मामलों में उसने कभी हस्तक्षेप नहीं किया। सरकारी कर्मचारियों द्वारा ईसाइयों के प्रति कोई अनुचित व्यवहार हुआ या उन पर कोई अत्याचार हुआ यह आरोप सिद्ध नहीं हुआ।"

[सेठ गोबिन्द दास]

आप शायद जानते होंगे कि इस प्रकार का आरोप भी था उस मध्य प्रदेश सरकार पर, विशेष कर जो उस समय हमारे मुख्य मंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे, उन पर और उस समय केन्द्रीय मन्त्रि-मण्डल में जो राजकुमारी अमृतकौर थीं, उन्होंने भी इस सम्बन्ध में प्रश्न उठाया था। परन्तु उस कमेटी ने यह बात सिद्ध की कि हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसा कोई काम कभी नहीं किया, और शुक्ल जी पर जो दोष लगाये गये थे वे उन पर नहीं लगाये जा सकते। यह कमेटी फिर कहती है :

"इस प्रकार के आरोप लगाना उस पुरानी नीति का अंग है, जिसके अनुसार वे स्थानीय अधिकारियों पर रौब गांठते हैं और फिर विदेशों में यह प्रचार करते हैं कि उन पर अत्याचार हो रहा है।"

आप शायद यह भी जानते होंगे कि जिस समय नियोगी कमेटी काम कर रही थी, उस समय हमारी मध्य प्रदेश सरकार पर और शुक्ल जी पर इस प्रकार के दोषारोपण किये गये थे, इतना ही नहीं, विदेशों में भी इस बात का प्रचार किया गया था कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के बहुत से काम हो रहे हैं। लेकिन नियोगी कमेटी ने छानबीन कर इस बात को सिद्ध किया कि मध्य प्रदेश की सरकार पर इस प्रकार का आरोप सर्वथा गलत था। फिर यह रिपोर्ट क्या कहती है :

"स्कूल, अस्पताल और अनाथालय धर्म परिवर्तन के साधनों के रूप में काम में लाये जा रहे हैं।"

इस सम्बन्ध में शास्त्री जी ने आपके सामने अनेक प्रमाण पेश किये जिनसे सिद्ध होता है कि स्कूलों और अस्पतालों में किस प्रकार धर्म परिवर्तन का प्रचार किया जा रहा है।

"जंगली जातियां और हरिजन धर्म परिवर्तन के विशेष लक्ष्य हैं। इसका कारण यह है कि उनके क्षेत्र में अस्पताल, स्कूल, अनाथालय तथा अन्य सामाजिक सेवा संस्थाओं की कोई समुचित सुविधा तथा व्यवस्था नहीं है।"

इस कमेटी ने १९ सिफारिशें की हैं। उन सिफारिशों को पढ़कर मैं और समय नहीं लेना चाहता। मुझे इस बात का खेद है कि इन सिफारिशों के बावजूद भी सरकार अब तक इस सम्बन्ध में कोई विधेयक नहीं लाई।। मैं आशा करता हूं कि यदि सरकार यह विधेयक स्वीकार न भी करे तो कम से कम वह इस सम्बन्ध में कोई विस्तृत विधेयक प्रस्तुत करेगी। जिसमें इस प्रकार के अराष्ट्रीय कामों को हम रोक सकें। इन १९ सिफारिशों में एक सिफारिश विधेयक के सम्बन्ध में भी की गई है। केवल उस को पढ़ कर मैं अपने वक्तव्य को समाप्त कर दूंगा :—

"जो धर्म-परिवर्तन अनुचित ढंग से किये जाते हैं, उन पर उचित नियन्त्रण रखा जाये और इसके लिये यदि कानून बनाने की आवश्यकता हो तो कानून बनाया जाय।"

इस प्रकार का एक छोटा सा विधेयक हमारे सामने पेश है उसे उपस्थित करते हुए बहुत उचित बातें श्री प्रकाशवीर शास्त्री ने कही हैं। मैं उन को इस सुन्दर भाषण पर अन्त में बधाई देना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाय और निर्णय किया जाय कि हमको आगे क्या करना है।

श्री वाजपेयी : **(बलरामपुर)** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने आदरणीय मित्र श्री प्रकाशवीर शास्त्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत कर देश की एक गम्भीर समस्या की ओर राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट किया है। शताब्दियों से भारत एक धर्म प्रधान देश है। उस धर्म का सबसे बड़ा गुण उसकी सहिष्णुता है। हमने सदैव इस बात पर बल दिया है कि पूजा की जितनी भी पद्धतियां हैं

वे सभी एक ही उद्देश्य की ओर ले जाती हैं। उपासना की पद्धतियां अलग हो सकती हैं किन्तु अन्तिम लक्ष्य सब का एक ही है। लेकिन विदेशी आक्रमण के परिणामस्वरूप जो मजहब जिन्हें अंग्रेजी में रेलीजन कहा जाता है और जो हमारे धर्म से थोड़ा संकुचित अर्थ रखते हैं, वे सहिष्णुता का भाव लेकर नहीं आये और उन्होंने विचार स्वातन्त्र्य को निरुत्साहित किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि एक ही पुस्तक को मानना चाहिये। एक ही मार्ग का अवलम्बन करना चाहिये। इसी से मुक्ति हो सकती है और इसके परिणामस्वरूप हमारे देश में धर्म के क्षेत्र में भी एक बड़ा संघर्ष हुआ। अपनी सहिष्णुता की परम्परा के अनुसार हमने एक असाम्प्रदायिक राज्य की स्थापना की है। हमने कहा है कि राज्य किसी धर्मके साथ अपने को नहीं जोड़ेगा और किसी पूजा की विशेष पद्धति के साथ भेदभाव नहीं करेगा लेकिन असाम्प्रदायिकता का अर्थ यह नहीं है कि और धार्मिक स्वतन्त्रता का यह मतलब नहीं हो सकता कि धर्म का परिवर्तन यह बौद्धिक और अध्यात्मिक विकास की सीढ़ी न होकर एक ऐसी योजना का अंग बन जाय जिसके कि पीछे बौद्धिक और राजनैतिक उद्देश्य छिपे हैं। सब को अपने धर्म का प्रचार करने की छूट होनी चाहिये। लेकिन दिखाई ऐसा देता है कि इसका दुरुपयोग किया जा रहा है। देशमें निर्धनता है देशमें अज्ञान है। लोग उनके गर्त्त में डूबे हुए हैं और उनकी आर्थिक दशा सुधरने के बजाय दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। अर्थ का लालच देकर उन्हें अपने परम्परागत धर्म से च्युत करने का प्रयत्न किया जाता है। पिछले वर्षों में हमारे देश में इस प्रकार के धर्म परिवर्तन में बहुत वृद्धि हुई है। मैंने केरल का दौरा किया था और मुझे यह देख कर महान् दुःख हुआ कि जिस ग्राम में भगवान् शंकर उत्पन्न हुए थे उस ग्राम में अपने को हिन्दू कहलाने वाले व्यक्ति आज ढूंढने से भी नहीं मिलते। एक एक मील के ऊपर गिरजाघर बने हैं। हम उन गिरजाघरों का विरोध नहीं करते। उनमें भी ईश्वर निवास करता है। लेकिन जब जनता की गरीबी का लाभ उठा कर, उसके अज्ञान का फायदा उठा कर अनुचित साधनों का प्रयोग करके विदेशों से प्राप्त धन को पानी की भांति बहा कर और केवल धन ही लुटाकर नहीं बल्कि अनेक अनैतिक और अनुचित उपायों का अवलम्बन कराया जाता है जिनका कि मैं स्पष्ट तौर पर तो उल्लेख नहीं करना चाहता लेकिन यह बतला दूं कि जिनमें सौंदर्य का उपयोग भी शामिल है। हमारे देश बन्धुओं को और दूसरे मार्ग पर डालने की कोशिश की जाती है। किसी भी धर्म के लिये इस प्रकार का परिवर्तन कोई अर्थ नहीं रखता। अगर धर्म का परिवर्तन होना है तो अन्दर से होना चाहिये। यह एक अध्यात्मिक प्रक्रिया होनी चाहिये मगर अन्दर के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देता। लोगों के सामने राजनैतिक उद्देश्य है, तुच्छ उद्देश्य लेकर जिनके कि परिणाम हमारे देश की दृष्टि से दूरगामी हो सकते हैं, हमारे देश में धर्म परिवर्तन के प्रयत्न हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि समय आ गया है जबकि इस प्रकार के प्रयत्नों को रोकना चाहिये। इसका एक पहलू और भी है? यह कभी कभी मत और मजहब के परिवर्तन के साथ हमारी जो राष्ट्रीयता है उसको भी आघात लगने लगते हैं। हम मत बदलते हैं, मजहब बदलते हैं और उसके साथ हमारी कुछ निष्ठाएं भी बदलती हैं और इसलिये मत और मजहब बदलने के बाद अपने पुराने इतिहास को अस्वीकृत करने की भावना उत्पन्न होती है। एक ओर समुद्र से और दूसरी ओर हिमालय पर्वत से घिरे हुए भारत देश के प्रति हमारा मोह कुछ कम होता है और हम बहिर्मुख होते हैं। इसीलिये देश के भीतर दो अलग अलग राज्य स्थापित करने की मांगें होती हैं। मैं समझता हूं कि हमारी राष्ट्रीयता के लिये भी इस प्रकार का मत परिवर्तन जो संगठित रूप से चलता है और राजनैतिक उद्देश्यों से प्रेरित होकर काम करते हैं तो हमारी राष्ट्रीयता के लिये भी एक संकट बन जाता है। इसलिये भी इस प्रकार के सामूहिक संगठन और सम्पत्ति द्वारा प्रेरित मत और मजहब के परिवर्त्तन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। मैं सेठ जी के सुझाव से सहमत हूं कि इस विधेयक का कार्यक्षेत्र थोड़ा बढ़ाना चाहिये। केवल हमारे पिछड़े हुए परिगणित जाति के बन्धुओं तक ही यह सीमित न रक्खा जाय। इसे सम्पूर्ण समाज पर लागू किया जाय और हम इस बात पर बल दें कि मत और मजहब का परिवर्तन यह अभ्यन्तर की प्रक्रिया होनी चाहिए, एक बाहरी आडम्बर नहीं। इसके साथ ही आवश्यकता इस बात की है कि सर-

[श्री बाजपेयी]

कार इस तरह का विधेयक उपस्थित करे और मैं समझता हूं कि हमने जो असाम्प्रदायिक राज्य का आदर्श रक्खा है उसके विपरीत यह विधेयक नहीं जाता। वस्तुतः असाम्प्रदायिक राज्य के आदर्श के लिए ऐसे प्रयत्नों के कारण संकट खड़ा हो रहा है जिनके लिए कि मजहब एक राजनैतिक उद्देश्य को पूरा करने का साधन बन गया है। विदेशों से पैसा आता है। स्पष्ट है कि हम उस पर रोक नहीं लगा सकते। विदेशों में भी रामकृष्ण मिशन आदि हैं जो वेदान्त का प्रचार करने की खुली स्वतन्त्रता रखते हैं। हम उन्हें भी धन भेजते हैं लेकिन अगर रुपये का दुरुपयोग किया जाता है जैसा कि हमारे देश में दिखाई देता है तो उस पर नियन्त्रण लगना चाहिये। सरकार को आवश्यक व्यवस्था करनी चाहिये। सरकार एक काम और भी कर सकती है कि जो मत और मजहब का परिवर्तन होता है उसे मानने से इंकार कर सकती है। सरकार कहती है कि मत और मजहब व्यक्ति का अपना मामला है। मगर, हमारे यहां मजहब बदलता है तो नाम भी बदलता है, पुरखे भी बदलते हैं। मैं नहीं समझता कि नाम बदलने की क्या आवश्यकता है। चीन में हमें ऐसे मुसलमान बन्धु मिले हैं, ऐसे ईसाई मिले हैं जिनके नाम वहां के जो गैर मुस्लिम या गैर ईसाई हैं उन जैसे लगते हैं। मगर हमारे यहां मत बदलता है, मजहब बदलता है तो अपना नाम भी बदलता है, पूर्वज बदलते हैं, इतिहास बदलता है और धीरे धीरे देश भी बदलने की तैयारी पैदा होती है। सरकार चाहे तो कह सकती है कि आप मजहब बदलिए, आप मन्दिर में जाते थे गिरजाघर में आइए मगर चुनाव की सूची में जो आपका नाम है वही रहेगा। उसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। मगर हम उसको मान्यता देते हैं और हम ऐसे प्रयत्नों को बढ़ावा देते हैं जिनसे हमारी राष्ट्रीयता दुर्बल होती है। छोटे छोटे बच्चों का मत परिवर्तन किया जाता है, जो विवेक नहीं रखते, जो कौनसी उपासनी की पद्धति श्रेष्ठ है इसके सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं कर सकते, उन छोटे छोटे अल्प वयस्क बच्चों का भी हमारे देश में मत और मजहब का परिवर्तन होता है। मैं नहीं समझता कोई भी सरकार इस सम्बन्ध में चुप कैसे रह सकती है। कोई बड़ा व्यक्ति यदि तर्क के द्वारा, आन्तरिक अनुभूति के द्वारा किसी निर्णय पर पहुंचे तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन एक अन्ध विश्वास को बढ़ावा दिया जाता है। ईसाई पादरी गांवों में जाते हैं और भगवान् राम को काठ की मूर्ति और महात्मा ईसा की लोहे की मूर्ति साथ ले जाते हैं। और आग जलाते हैं कहते हैं कि देखो दोनों देवताओं में से कौन अधिक शक्तिशाली है और यह कह कर दोनों मूर्तियों को आग में डाल देते हैं। लकड़ी की मूर्ति जल जाती है और लोहे की मूर्ति आग में से निकल आती है तो कहते हैं कि देखो तुम्हारा राम आग में जल गया और हमारा ईसा प्रज्वलित अग्नि में से निकल आया इसलिए हमारा देवता शक्तिशाली है और तुम्हारी रक्षा करेगा। यह देश का दुर्भाग्य है कि गांवों में अंधेरा फैला हुआ है और इस अंधेरे में चारों तरफ से ये मजहब हमारी राष्ट्रीयता में सेंध लगाते हैं। और इस प्रकार हमारे लिये एक बड़ा संकट खड़ा कर रहे हैं। आवश्यकता है कि जनता के अज्ञान को दूर किया जाय और आर्थिक अभाव को दूर किया जाए ताकि ये लोग इस स्थिति का नाजायज लाभ न उठा सकें।

अभी लखनऊ में एक घटना हुई जिसकी चर्चा वहां की विधान सभा में भी हुई। एक पादरी महोदय एक जगह गए। वह पानी की तरह पैसा बहाते हैं। उन्होंने भाषण दिया कि गांव के जो भी लोग रोगी हों वह हमारे हाथ लगाते ही ठीक हो जाएंगे। और चूंकि चिकित्सा की व्यवस्था देश में कम है और कुछ अन्ध विश्वास भी है इसलिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। उस समय पादरी साहब ने कहा कि हमारी चिकित्सा से तभी लाभ पहुंच सकता है जब आप लोग बाइबिल पर ईमान लाएं और महात्मा ईसा पर विश्वास करें। पहले आप बाइबिल पर ईमान लाइए और महात्मा ईसा के उपासक बनिए फिर आप की दवा की जाएगी। स्वाभाविक है कि इसका वहां विरोध हुआ और होना भी चाहिए। इस प्रकार का अन्ध विश्वास का लाभ उठाकर अगर कोई मजहब अपने को आज के बुद्धिवाद के युग में फैलाना चाहे तो उसको सहन नहीं किया जा सकता। ईसाई पादरी अगर अपने मजहब की श्रेष्ठता

प्रस्थापित करना चाहते हैं तो उन्हें शास्त्रार्थ करना चाहिए, तर्क करना चाहिए, और अनुभूति से अगर कोई चाहता है कि वह ईसाई बने तो हमें कोई आपत्ति नहीं हो सकती। भगवान् राम कृष्ण परमहंस ने ईसाई बन करके भी देखा, मुसलमान बन कर भी देखा और इसी परिणाम पर पहुंचे कि ईश्वर एक ही है उसकी प्राप्ति के मार्ग अलग-अलग हो सकते हैं, मगर लक्ष्य में कोई अन्तर नहीं आता। तो हमारा देश तो सहिष्णुता में इतना ऊंचा है, लेकिन इसका नाजायज फायदा नहीं उठाने दिया जा सकता और इसलिये मेरा निवेदन है कि इस में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिये। या तो गृह मन्त्री महोदय शास्त्री जी के विधेयक को स्वीकार करें और अगर वह यह समझते हैं कि यह विधेयक अधूरा है या इसमें कुछ कमी है और इसके क्षेत्र को और व्यापक बनाना चाहिए, तो वह इस सदन में आश्वासन दें कि सरकार इस सम्बन्ध में विधेयक लाने का विचार कर रही है। मैं समझता हुं कि इस बात की आज आवश्यकता है।

श्री नारायणन् कुट्टिमेनन : (मुकुन्दपुरम्) : मुझे खेद है कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं करता। यह प्रश्न आज पहिली बार ही यहां नहीं उठाया गया है। संविधान सभा में भी प्रारूप विधेयक के अनुच्छेद १९ की चर्चा के समय इस बारे में चर्चा हो चुकी है। अगर आप वर्तमान संविधान के अनुच्छेद २५ को देखें और इस वर्तमान विधेयक पर दृष्टिपात करें तो आप को ज्ञात हो जायेगा कि यह विधेयक अनुच्छेद २५ की पहिली कंडिका का उलंघन करता है जिस में अपने अपने धर्मों के प्रसान करने की स्वतंत्रता दी गई है। इस विधान को पारित करने का अभिप्राय यह होगा कि संविधान के अनुच्छेद २५ में दिये गये मूल अधिकारों पर प्रतिबन्ध लगे। इस के अतिरिक्त यह धारणा भी बन जाती है कि अनुसूचित जाति तथा आदिम जाति का धर्म परिवर्तन दबाव से किया गया है और धर्म परिवर्तन कराने वाले व्यक्ति को यह सिद्ध करना होगा कि दबाव से ऐसा नहीं किया गया है। इस प्रकार आजकल धर्म का प्रसार करने के लिये जो छूट मिली है उस पर प्रतिबन्ध लग जायेगा। अतः यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २५ का विरोधी होगा। अपने राज्य के बारे में मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि कहां धर्म परिवर्तन के लिये कभी भी कोई दबाव नहीं डाला गया। लोगों ने अपनी स्वेच्छा से ही वहां धर्म परिवर्तन किया और ईसाई बने।

मेरा विचार है कि यदि इस विधेयक की अन्तिम कंडिका को आप देखें तो स्पष्ट हो जायेगा कि यह माननीय प्रस्तावक के उद्देश्यों की पूर्ति नहीं करता। किसी व्यक्ति के धर्म परिवर्तन करने का अभिप्राय यह नहीं है कि उस के धर्म का शोषण किया गया है। प्रस्तावक महोदय तथा अन्य वक्ता ने बताया है धार्मिक अधिकारों एवं धार्मिक स्वतंत्रता का दुरुपयोग किया जाता है लेकिन इस दुरुपयोगिता को दूर करने के लिये उन्हों ने कोई उपाय नहीं सुझाया है। आज आवश्यकता इस बात की है कि सभा ऐसा विधान बनाये कि जनता के धर्म का शोषण न हो। आज हमारे देश में इस शोषण को रोकने के लिये कोई विधान नहीं है। आशा है कि माननीय मंत्री इस पर विचार करेंगे।

विदेशी धर्म प्रचारक संस्थाओं के बारे में यहां सभा में कई बार प्रश्न उठाया गया है। इस बारे में नियोगी समिति की भी स्थापना की गई थी। नागा पहाड़ियों में तथा देश के अन्य भागों में भी यह देखने में आया है कि ये धार्मिक संस्थायें धार्मिक अधिकारों की आड़ में जनता के राजनैतिक अधिकारों में भी हस्तक्षेप करती हैं। आवश्यकता इस बात की है उन के इस प्रकार के हस्तक्षेप को रोका जाये। १९५७-५८ में ही विदेशों से इन विदेशी धार्मिक संस्थाओं को नौ करोड़ रुपये मिले थे। लेकिन सरकार के पास कोई साधन नहीं था कि वह रोक सकती कि यहां उस धन का उपयोग किस प्रकार हुआ। यह स्वीकार किया गया है कि उस धन का उपयोग राजनैतिक विरोध में किया गया। नौ करोड़ रुपये की राशि विरोध में काम लाई गई। लेकिन सरकार रोक न सकी।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नारायणन् कुट्टिमेनन]

विदेशों से रुपया पाने के नाना साधन एवं उपाय हैं। आज धर्म के नाम पर इन लोगों का इस धन का दुरुपयोग करने का पूरा पूरा अधिकार है। धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र के नाम पर भी ये लोग धन का दुरुपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार ये धर्म की स्वतंत्रता का पूरा पूरा दुरुपयोग कर रहे हैं। अतः एक ऐसा विधान बनाना चाहिये जो इस दुरुपयोग को रोक सके और संविधान के अनुच्छेद २५ की कंडिका २ के उद्देश्यों की पूर्ति कर सके।

अतः निष्कर्ष के तौर पर मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि आज असली खतरनाक चीज़ ये धार्मिक संस्थायें तथा कैथोलिक पुजारी हैं। जो प्रत्यक्ष रूप से यहां राजनैतिक कार्यों में भाग ले रहे हैं और हस्तक्षेप कर रहे हैं। वे कभी भी किसी भी दल का समर्थन कर सकते हैं और करते हैं। आज धर्म के नाम पर धार्मिक स्वतंत्रता का जानबूझ कर दुरुपयोग किया जाता है। और उस दुरुपयोग का समर्थन विदेशी धन एवं विदेशी हस्तक्षेप के द्वारा किया जाता है। पोप अपनी बैठकों में राजनैतिक कार्यक्रम से सम्बन्धित निर्णय भी करते हैं। इस का उदाहरण अभी हाल में हुई बंगलौर की बैठक है।

अतः हम देखते हैं कि इस राजनैतिक सत्ता, धार्मिक भावना एवं विश्वास, तथा विदेशों से आने वाली इस अपार राशि पर हमारी भारत सरकार नियंत्रण नहीं कर पाती। और यह आज हमारे देश के धर्म-निरपेक्ष प्रजातंत्र को खतरा एवं चुनौती है। अतः हमें संविधान के अनुच्छेद २५ की कंडिका २ के समर्थन के लिये एक विधान बनाना चाहिये। जो राजनैतिक तथा आर्थिक दृष्टि से इस धार्मिक सत्ता को नियमित करेगा उस पर नियंत्रण लगायेगा तथा उस पर प्रतिबन्ध लगायेगा। अतः माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वह धार्मिक विश्वास और धार्मिक स्वतंत्रता के दुरुपयोग पर प्रतिबन्ध लगाने वाला एक विधान बनायें।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं इस विधेयक के पक्ष में नहीं हूं। यह निश्चय है कि इस विधेयक में जो सुझाव दिया गया है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति जब कभी अपना धर्म परिवर्तन करें तो अपना पंजीयन करायें यह स्वीकार्य नहीं है। अनुसूचित जाति तथा अन्य जातियों में हम विभेद नहीं कर सकते। अगर ऐसा नियम हो तो वह सभी पर लागू होना चाहिये। वर्ना तो अनुसूचित जाति के लोग इस का विरोध करेंगे। वे भी स्वतंत्र हैं। श्री शास्त्री ने अपने विस्तृत भाषण में बहुत सी जानकारी दी है। हम विदेशियों को अपने देश में इस प्रकार की स्वतंत्रता नहीं दे सकते। जहां तक कि ईसाई धर्म की बात है मैं उस की श्रद्धा करता हूं क्योंकि इस की नींव सेवा और त्याग पर आधारित है। ईसाई धर्म प्रचारक संस्थाओं के बारे में जो कुछ भी यहां बताया गया है निश्चय ही वह आश्चर्य में डाल देने वाला है। विदेशों से घी और चूर्ण-दूध आता है और जनता में वितरित किया जाता है। मेरा सुझाव है कि धर्म सम्बन्धी सभी संमस्याओं को सरकार न्यायिक ढंग से निश्चित करे और साथ ही इस सम्बन्ध में कठोरता से भी काम ले। मेरा विचार है कि हमारी धर्मनिरपेक्षता का निर्वचन गलत लगाया गया है। इसलिये सरकार को जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस समस्या को हल करना चाहिये। धर्म निरपेक्षता के नाम पर इस गम्भीर प्रश्न को टाला नहीं जा सकता। इसलिये मेरा सुझाव है कि विदेशों से जो कुछ भी आयात होता है चाहे वह धन हो, रजिस्टर्ड पार्सल हो अथवा चूर्ण दुग्ध जैसी कोई भी वस्तु क्यों न हो सरकार को स्वयं अपने आप लेनी चाहिये। और उन का वितरण भी सरकार ही करे। किसी भी विदेशी देश को किसी भी भारतीय नागरिक के साथ सीधे लेनदेन का कोई व्यवहार नहीं करना चाहिये। देश की स्वतंत्रता के लिये यह पहिला नियम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पुस्तकों तथा व्याख्यानों के द्वारा धर्म प्रचार की स्वतंत्रता होनी चाहिये। लेकिन धर्म के नाम पर धन का प्रयोग नहीं है क्योंकि इस से बहुत से धर्मों की हानि होगी--धर्म परिवर्तन के लिये धन का प्रयोग नहीं करना चाहिये। अगर दूसरे देश इस पर बिगड़ जायें तो हमें इस की कोई चिन्ता नहीं करनी है क्योंकि हमारा उद्देश्य तो अपने हितों की रक्षा करना है। अपने हितों की दृष्टि से हमें यह देखना है कि विदेशी देश भारतीय नागरिकों से कोई भी लेन देन सीधे न करें बल्कि सरकार के माध्यम से करें।

यह भी कहा गया है कि कुछ राजनैतिक दलों को भी विदेशों से सहायता मिलती है इस पर भी प्रतिबन्ध लगाना चाहिये।

हमारी शिक्षण संस्थायें किसी धार्मिक नाम पर नहीं चलनी चाहियें। स्कूलों में धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिये। अगर इन स्कूलों का नियंत्रण किसी धार्मिक संस्था के हाथ में होगा तो इस का प्रभाव निश्चय ही बच्चों पर भी पड़ेगा। इसलिये सरकार को चाहिये कि वह शिक्षा पर अपना नियंत्रण करे। स्कूलों को धर्म परिवर्तन का माध्यम नहीं बनाना चाहिये।

माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वह इस पर विचार करने के लिये कोई प्रवर समिति अथवा परामर्शदात्री समिति अथवा इसी प्रकार की कोई अन्य समिति नियुक्त करें जो उन्हें इस सम्बन्ध में परामर्श दे सके। और इस बुराई को रोका जा सके। यह समस्या वैसे तो सारे देश के लिये ही लेकिन नेफा के लिये विशेष रूप से है। मेरा निवेदन है कि यदि नेफा में धर्म प्रचारकों को स्थान मिलना है तो ये धर्म प्रचारक भारत के देशभक्त हों। वे भारतीय नागरिक हों। किसी भी विदेशी को जो देशभक्त न हो स्थान नहीं दिया जाना चाहिये। ऐसे स्थान जो देश की रक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हों वहां विदेशियों को बसने की अनुमति नहीं देनी चाहिये।

आशा है कि माननीय मंत्री मेरे सुझावों पर विचार करेंगे और इस विधेयक पर भी विचार करेंगे। इस विधेयक को जनमत के लिये भेजने में विवाद खड़ा हो जाने की संभावना है जिस के लिये सभा को अवसर नहीं देना चाहिये। इस के लिये संसद् ही काफी है। माननीय मंत्री महोदय इस पर कुछ, उन सदस्यों के परामर्श से, जिन को इस विषय में जानकारी है, विचार कर सकते हैं और यदि बाद को आवश्यक समझें तो अपना विधेयक भी प्रस्तुत कर सकते हैं।

सुश्री मणिबेन पटेल (आनन्द) : उपाध्यक्ष महोदय, जो परिस्थिति आज देश में धर्म परिवर्तन के बारे में है, वह जरूर सोचने योग्य है। जब हमारा संविधान बना था तब इस के बारे में काफी चर्चा हुई थी और मुझे यह चर्चा काफी याद भी है। उस वक्त सेकुलर स्टेट होने के कारण सब को धर्म का प्रचार करने की आजादी जो दी गई थी, उस का जो विरोध किया गया था, उस का कारण क्या था ? इसीलिये मैं सरकार से इस बारे में सोचने के लिये और कोई रास्ता निकालने के लिये विनती करती हूं।

यह बिल इसी प्रकार से पसन्द करो, ऐसा मेरा कहना नहीं है, परन्तु इस बारे में सोचने की जरूरत है। हमारे यहां परदेश से कोई मिशनरीज़ क्यों आयें जो हमारे यहां डाक्टर के नाम से या शिक्षक के नाम से इस प्रकार से धर्म परिवर्तन करने का प्रचार करें ? हम को अपने यहां पढ़ाई करनी है अपनी भाषा में। और हमारी भाषा में पढ़ाने के लिये परदेश से किसी को आने की जरूरत नहीं है। हां अगर किसी खास विषय के लिये किसी को लाने की जरूरत हो तो उस को हम ला सकते हैं। उस के लिये जो नितान्त जरूरी हों उन को हम ला सकते हैं, लेकिन अगर कोई धर्म का मिशनरी यहां आ कर इस तरह से करे तो यह कोई ठीक बात नहीं है। मुझे पूरी तरह मालूम है कि जब विदेशी शासन यहां था तो कई प्रदेश ऐसे थे जो पिछड़े हुए थे उन में वह मिशनरीज़ को कभी नहीं जाने देता था। सरकार की ओर से मनाही थी। हमारे देश के आजाद होने के बाद परदेशी मिशनरीज़ यहां

[सुश्री मणिबेन पटेल]

आयें तो इस में हमें बहुत खतरा मालूम होता है। वे सब जगह जाते हैं। क्या हमारे पिछड़े हुए प्रदेशों में हमारे लोग इतने जागृत हो गये हैं, उन को इतनी समझ आ गई है, कि आजादी के पहले यहां हम जितने ईसाई देखते थे उन से इतने ज्यादा हो जायें। इस बारे में हमें जरूर गम्भीरता से सोचना चाहिये। मुझ को पता है, मैं बचपन में एक मिशनरी स्कूल में पढ़ी हुई हूं, कि किस तरह से होशियारी से मिशनरी लोग बच्चों का धर्म परिवर्तन करते हैं। इस का मुझे पूरा पूरा अनुभव है। मैं ने बाईबिल पढ़ी है, मैं बाईबिल की क्लास में जाती थी, देवल में भी गई हूं। इसलिये मुझे मालूम है कि वह लोग कितनी होशियारी से काम करते हैं।

इसलिए इस बारे में पूरी सावधानी रखने की जरूरत है और कुछ रास्ता निकालने की जरूरत है। सरकार ने शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए एक खास अधिकारी नियुक्त किया है और उनके नीचे भी कई लोग रक्खे हैं तो क्या आपने उनसे कभी इस बारे में चर्चा की है, विचार विनिमय किया है, कभी पूछा है, कभी उन्हें इस बारे में आपने क्या खोजबीन करने की आज्ञा दी है कि यह धर्म परिवर्तन किस तरह से होता है। मेरी नम्र विनती है कि इस बारे में आप को उन से चर्चा करनी चाहिये और इस समय जो गड़बड़ी हो रही है उसके बारे में गम्भीरता से सोचने की जरूरत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इसके कारण हमारी आजादी को भी खतरा हो सकता है और यह खाली शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का ही सवाल नहीं है। अभी दो साल पहले की बात है, मसूरी की बात है हमारे देशवासी अपने लड़के लड़कियां को पढ़ने के वास्ते भेजते हैं और अभी भी हमारे लोगों के मन से इन मिशन स्कूलों और कौनवेंट्स का मोह छूटा नहीं है और लोग अब भी इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं। मसूरी के एक मिशनरी स्कूल ने इतनी हिम्मत की कि वहां पढ़ने वाले एक छोटे बच्चे का धर्म परिवर्तन कर लिया और यहां उनके मां बाप को उसकी इत्तिला दे दी कि तुम्हारे बच्चों का धर्म परिवर्त्तन किया है। अब उस बच्चे के मां बाप पढ़े लिखे आदमी हैं और यह खबर पाकर बहुत परेशान हुए और उन्होंने आकर यह सब बतलाया कि हमारी आजादी के बाद इस तरह की गड़बड़ चलती है। आज मिशन स्कूलों और पादरियों द्वारा इस तरह से लोगों को बहका कर, फुसला कर और छोटे छोटे अबोध बच्चों के धर्म परिवर्त्तन की जो घटनाएं हो रही हैं वे काफी गम्भीर हैं और सरकार को इस दिशा में काफी जागरुकता से काम लेना चाहिये और इस तरह की बेजा हरकतों पर कोई न कोई अंकुश अवश्य लगाना चाहिये। हमें देश में इस तरह से बाहर से पैसा नहीं आने देना चाहिये और न ही बाहर से मिशनरीज आदि के यहां पर आने की जरूरत है। ऐसे लोगों को आने नहीं देना चाहिये। आखिर बाहर से इन लोगों की यहां आने की जरूरत भी क्या है ? पहले नहीं आते थे तो आज क्या जरूरत है कोई खास काम के लिए दो महीने के लिए चार महीने के लिए आ जायं तो वह समझ में आ भी सकता है। इसी तरह से जो हमारे यहां मुफ्त में दूध का पाउडर बांटा जाता है और घी बांटा जाता है इसके बारे में भी सोचने की जरूरत है। सरकार उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी होती है वह नहीं लेती हैं लेकिन खर्चा तो अपना है और अपना पैसा उसमें जाता है। अभी कुछ ही महीने की बात है कि एक विदेशी महिला जो उधर उस संस्था में काम करती है और बहुत करके अमरीकन होती हैं, उस महिला ने मेरे पास आकर शिकायत की कि आपके देश में यह क्या चल रहा है ? उन लोगों का आग्रह यह रहता है कि यह सब जो दूध का पाउडर है वह मिशनरी संस्थाओं के द्वारा ही बांटा जाय, वाई० एम० सी० ए० के द्वारा ही देश में वितरित किया जाय और इनके अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के द्वारा वह न बांटा जाय। उस विदेशी महिला ने मुझ से कहा कि मुझे कोई ऐसी संस्था का नाम दीजिये, ऐसे योग्य आदमियों के नाम दीजिये जिनके कि द्वारा मैं कुछ यह मिल्क पाउडर बंटवाने की कोशिश करूं। अब एक विदेशी महिला जोकि क्रिश्चियन है उसके दिल पर चोट लगती है कि यह जो हो रहा है यह गलत हो रहा है और हमको इस तरह से काम नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरी सरकार से विनती है कि

आपको इस बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और खाली यह कह कर कि हमारा चूंकि एक धर्म निरपेक्ष राज्य है और सब को समान रूप से अपने धर्म का प्रचार करने और धर्म परिवर्तन करने की आजादी है इसलिए हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि जो यह जो ईसाई मिशनों और मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन किया जाता है वह आम तौर पर या तो अबोध स्कूली बच्चों का किया जाता है या गरीब अनपढ़ और पिछड़ी जाति के लोगों को लालच और फुसला कर उनका धर्म परिवर्तन किया जाता है और ईसाई बनाया जाता है जो कि वांछनीय नहीं है और सर्वथा अनुचित है और सरकार को उसके बारे में रोक लगाने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहियें। हां पढ़े लिखे समझदार आदमियों जैसे पार्लियामेंट के मेम्बरों का यदि धर्म परिवर्तन किया जाय तो मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसी तरह से अगर किसी ४०, ५०साल के अनपढ़ आदमी का धर्म परिवर्तन किया जाय तो भी कोई हर्ज नहीं है क्योंकि वह जब धर्म परिवर्तन अबोध बच्चों या गरीब अनपढ़े और पिछड़ी जातियों के लोगों को लालच देकर और अन्य तरीके से फुसला कर और उनके अज्ञान और गरीबी का फायदा उठा कर उनका धर्म परिवर्तन करना बिल्कुल गलत चीज है। खास कर छोटे-छोटे बच्चों का चाहे वह किसी भी धर्म के मानने वाले हों, हिन्दू हों, मुसलमान हों, ब्राह्मण हों, हरिजन हों या ईसाई हों, किसी का किसी भी धर्म में परिवर्तन कर देना बहुत गलत है और मैं मानती हूं कि इस बारे में सरकार अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं करती है। यह गम्भीर चिन्ता का विषय है कि हमारे देश में मिशन स्कूलों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहा तो यही जाता है कि वहां धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है लेकिन उस पर अमल नहीं होता है और वहां पर धर्म की शिक्षा दी जाती ह। इसी तरह कहा तो यही जाता ह कि किसी पर उस धर्म की शिक्षा लेने की जबर्दस्ती नहीं है परन्तु देखने में यह आता है कि वे लड़के जो कि धर्म की शिक्षा में ध्यान देते हैं और उसके क्लास को एटेंड करते हैं, उन बच्चों पर स्कूल एथारिटीज़ की खास इनायत की नजर रहती है, उन पर खास तौर से ध्यान दिया जाता है और उन को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। इन सब बातों पर सरकार को गम्भीरता से सोचना चाहिये। मैं यह नहीं चाहती कि इस बिल के कारण देश में एक कम्युनल वातावरण पैदा हो परन्तु कम्युनल वातावरण से इस देश को बचाने के लिये भी हमारा यह कर्त्तव्य है कि यह जो गलत चीज देश में चल रही है उसके बारे में सोच कर कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिये।

सरकार को यह नहीं देखना चाहिये कि यह बिल किस की तरफ से आया है अथवा इस पर कौन कौन लोग किस किस तरह से बोले हैं अपितु हमारे देश में यह जो एक रोग आ गया है और जो हम को ग्रस रहा है और जो कि हमारे देश के लिए एक खतरा है उसके निराकरण के लिए गम्भीरता से सोचना चाहिए और कोई न कोई रास्ता निकालना चाहिए, ऐसी मेरी सरकार से विनती है।

श्रीमती सहोदरा बाई राय (सागर-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शास्त्री जी ने जो यह विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत किया है वह सराहनीय है और मैं उसका समर्थन करती हूं। इस विधेयक पर वैसे हमारे कई माननीय सदस्य बोले लेकिन मुझे यह कहने की इजाजत दी जाय कि सही तरीके से कोई नहीं बोला। ऐसा मैं इसलिए कहती हूं कि हमारे देश में जो ईसाई पादरियों द्वारा ईसाई धर्म का प्रचार किया जाता रहा है और हमारे भाइयों को ईसाई धर्म में मिलाया जाता है उसके लिए खाली उन ईसाई पादरियों का कसूर नहीं है बल्कि स्वयं हिन्दुस्तानियों का कसूर है और वे ही इस परिस्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। हमारे देश में ६०० रियासतें थीं और हमारे जागीरदार भी थे, मालगुजार भी थे और यह खेद का विषय रहा कि हमारे इन राजे महाराजाओं ने सिवाय ऐशो आराम और तफरीह करने के देश की कोई उन्नति नहीं की। उनकी महफिलों का रंग सदा जमा रहा, शराब की बोतलें चलती रहीं और वैश्याओं का नाच होता रहा और बाहर बाजे बज रहे हैं और वे उन्हीं अपनी रंगरेलियों में मशगूल रहे और उन्होंने देश और जनता की कोई फिक्र नहीं की कि देश का क्या

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

बनेगा और यहां के लोगों की क्या हालत होगी। इसके विपरीत दूसरी ओर वह ब्रिटिश राज्य था और ब्रिटिश शासकों ने सोचा कि यहां के रजवाड़े तो भोग विलास में पड़े हुए हैं और शराबी, कबाबी और आलसी हैं, इसलिये इस देश में ईसाई धर्म के फैलाने का अच्छा मौका है। इस हेतु उन्होंने इस देश में अपने मिशन स्थापित किये, मिशन स्कूल स्थापित किये। अब हमारे वहां गोंड राजा जो होते थे वे तो एशो आराम में डूब हुए थे और वहां अधिकतर हमारे हरिजन और आदिवासी बसते थे। उनका भोग विलास उनको तबाही की ओर ले गया और इन ईसाई मिशनरियों ने उस स्थिति का नाजायज फायदा उठाया और हमारे भाइयों को रुपये पैसे का, नौकरी का और औरतों के देने का लालच देकर हमारे भाइयों को ईसाई धर्म में मिलाया। उनकी औरतें तांगों और मोटरों में बैठ कर गांव गांव घूमीं और उनको समझा बुझा कर लालच और फुसला कर ले गयीं और अपने स्कूलों में उन्हें ईसाई मत की शिक्षा दी, उनको खाना पानी दिया और जिन हमारी हरिजन महिलाओं को वह अपने साथ ले गईं उनको इस तरह से शिक्षा दीक्षा दी कि वे नर्स बनीं और हमारे हरिजन भाई डाक्टर हो गये, कम्पाउण्डर हो गये और लड़कियां हमारी अस्पतालों में नर्स लग गईं। अब हमारे वही सवर्ण भाई जो कि बाहर पहले उन हरिजन भाइयों और हरिजन लड़कियों के हाथ का छुआ पानी और खाना खाने से मुंह मोड़ते थे और परहेज मानते थे, अस्पतालों में जाकर उन्हीं ईसाई धर्म में तबदील हुईं हमारी हरिजन लड़कियों के हाथ से खाना, पानी और दवा सब कुछ मजे में पी रहे हैं। अब आप स्वयं समझ सकते हैं कि आखिर आज जो हमारे इतने भाई हम से विमुख हो गये और उधर ईसाई धर्म में चले गये उसके लिये क्या हम दोषी नहीं हैं और क्या उसके लिये हमारा जो अब तक छुआछत का बर्ताव उनके साथ रहा है वह उसके लिये जिम्मेदार नहीं है ? अगर हमने उनके साथ इस तरह का अनुचित बर्त्ताव नहीं किया होता और उनकी उपेक्षा न की होती तो यह स्थिति न होती। आज भी समय रहते हमें अस्पृश्यता निवारण की ओर सक्रिय पग उठाना चाहिये। यह दुःख का विषय है कि आज भी यह छुआछूत की भावना हमारे बीच में मौजूद है। मैं आपको बतलाऊं कि आज भी यह हालत है कि अगर कोई शख्स अपने लड़के के साथ किसी हमारी लड़की की शादी कर लेता है तो लड़का यह कह कर कि वह चूंकि सुन्दर नहीं है गोरी चिट्टी नहीं है और इसलिये मुझे पसन्द नहीं है उसको छोड़ बैठता है। वह कहता है कि मुझे तो गोरी चमड़ी वाली चाहिए। अब आप ही बतलाइये कि वह क्या करे ? मायके में उस हालत में उसके लिए जगह नहीं रहती है और सुसराल वाले उसको छोड़ देते हैं तब सिवाय इसके कि वह धर्म परिवर्तन कर ले और कोई मार्ग उसके सामने नहीं रहता है। एसी हालतों में मुसलमान धर्म स्वीकार करने पर वे मजबूर हो जाती हैं और मुसलमान कलमा पढ़ कर ला इल्लाह मोहम्मद रुसूल इल्लाह कह कर उसको मुसलमान बना लेते हैं और एक मर्तबा वह चिक और बुर्के के अन्दर गई नहीं कि फिर निकल नहीं सकती। अगर ईसाई के घर में जाय तो वहां उनको फिर तालीम दी जाकर नर्स, मिडवाइफ बना दिया जाता है और कम्पाउण्डर बन जाते हैं और वे ऐसा इसलिये करने पर मजबूर हो जाती है क्योंकि हिन्दू जाति ने उनके साथ उपेक्षा बर्ती और उनके साथ अनुचित बर्ताव किया। भाई काले गोरे का सवाल नहीं है। हमारी जो महिलायें ईसाई हुई हैं वह हमारे भाइयों के भगाने के कारण हुई हैं, हमारे दोष लगाने के कारण ईसाई हुई हैं। अगर हम रीगल तक भी किसी पुरुष के साथ बैठ कर चली जाएं तो हमारे भाई कहेंगे कि इसका चाल चलन बिगड़ गया है और हमको दोष लगा कर निकाल देंगे, उस औरत को कोई चारा नहीं रहता तो वह ईसाई या मुसलमान हो जाती है। अब इसमें दोष किसका है ? अगर हिन्दुस्तान में आर्य समाज न होता तो दस करोड़ ईसाई और मुसलमान और बढ़ जाते। मैं मुसलमान भाइयों का विरोध नहीं करती, लेकिन मुसलमान भाई कहते हैं कि अगर हमको एक हिन्दू मिल जाए तो हमको एक हज का पुण्य होता है। यहां तो गंगा बहती है। हम क्यों नहीं कहते कि अगर हमारे धर्म में दस आदमी आ जाएं तो हमको दस गंगा का पुण्य मिलेगा। लेकिन हमारे यहां हालत यह है कि अगर कोई लड़की जो हिन्दू से मुसलमान होने के बाद फिर हिन्दू बनती है तो लोग उसको बिरादरी में नहीं

बिठाते । उसका पानी नहीं पीते । अगर कोई लड़का किसी अन्य धर्म की लड़की से विवाह कर ले तो घर की स्त्रियां उसका विरोध करती हैं और उसको त्रास करती हैं । तो जो हिन्दुस्तान में जो हमारे भाई दूसरे धर्मों में गए हैं वे हमारी ही गलती के कारण गए हैं हमारे राजा लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया । मुझे तो खुशी है कि हमारे देश की ६०० रियासतें खत्म हो गयीं । अगर ऐसा न होता तो हिन्दुस्तान ने जो दस वर्षों में तरक्की की है वह न कर पाता ।

तो मुझे इस बारे में इतना ही कहना है । मैं ज्यादा बोल कर पार्लियामेंट का अधिक समय नहीं लेना चाहती । मैं तो सिद्धान्त की बात कहना चाहती हूं । हमें कोई सीधा सा कानून बनाना चाहिये ।

ईसाई लोग जिन को ईसाई बनाते हैं उन को अंग्रेज़ी पढ़ाते है, उन को डाक्टरी वगैरह की शिक्षा देते हैं और उन को अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है । वह लोग मिशन स्कूल खोलते हैं लेकिन अगर हमारे यहां से कोई उन में पढ़ने ही न जाय तो वे उन को बन्द कर के अपने आप वापस चले जायेंगे । तो सरकार इस प्रकार की चीजों पर रोक लगाये और जनता के लाभ के लिये कानून बनाये । क्या हम लोग अपने मिशन स्कूल नहीं खोल सकते ? क्या हम अपने लोगों को शिक्षा दीक्षा नहीं दे सकते ? अगर हम इस का प्रबन्ध करें तो हमारे आदमी क्यों ईसाइयों के स्कूलों में जायें । हम भी हिन्दू मिशन स्कूल खोल सकते हैं और अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे सकते हैं । आज अगर कोई हिन्दू औरत मर जाती है और उस के एक बच्चा होता है और उस का कोई और देखने वाला नहीं होता तो उस के लिये हमारे समाज में कोई प्रबन्ध नहीं है । ईसाई उस को अपने अनाथालय में ले जा कर पालते हैं और उस को शिक्षा दीक्षा दे कर आगे बढ़ाते हैं । हम को चाहिये कि हम हिन्दू मिशन स्कूल खोलें, अनाथ आश्रम खोलें, विधवा आश्रम खोलें ताकि हम अपने लोगों की देख रेख कर सकें ।

एक कारण हमारे लोगों के ईसाई होने का यह भी है कि हम को नौकरी मिलने में कठिनाई होती है । आज मैं अगर आठवां दर्जा तक अंग्रेज़ी पढ़ी हूं तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी लेकिन अगर एक ईसाई लड़का चौथे तक अंग्रेज़ी पढ़ा है तो उस को नौकरी मिल जायगी । आज भी देश में हिन्दी की कोई कद्र नहीं है । देहातों में हिन्दी पढ़े लिखे लड़के मारे मारे फिरते हैं । अंग्रेज़ी वालों को नौकरियों में ले लिया जाता है, हिन्दी वालों को कोई नहीं पूछता । तो जैसे अंग्रेज़ी की कद्र की जाती है उसी तरह से हिन्दी की भी कद्र क्यों न की जाय ।

एक माननीय सदस्य : होम मिनिस्टर नहीं करते ।

†**श्रीमती सहोदरा बाई** राय : मैं होम मिनिस्टर को दोष नहीं देती । मिनिस्टर तो बदलते रहते हैं । यह तो सरकार की जिम्मेवारी है । मैं तो कहती हूं कि हमें शिक्षा मंत्री ऐसा तैनात करना चाहिये जो अनुभव रखता हो और सब बातों को जानता हो । ऐसा शिक्षा मंत्री न लादा जाय कि जिस को शिक्षा का कोई अनुभव न हो और जोकि शिक्षा में तरक्की न कर सके । मैं यहां के मिनिस्टर की बात नहीं कर रही । प्रान्तों के जो शिक्षा मंत्री होते हैं उन को पूरा अनुभव होना चाहिये । हमारे मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं लेकिन मैं ने उन को कभी हिन्दुस्तान का दौरा करते नहीं देखा । बहुत से लोग हम में से नौकरी के लिये ईसाई हो जाते है । ईसाई लड़कों को पढ़ा कर डाटर बनाते हैं, कम्पाउण्डर आदि बनाते हैं जबकि हमारे हिन्दू लड़के रह जाते हैं । तो मैं कहना चाहती हूं कि हमारे लोग दूसरों के कारण ईसाई नहीं बनते पर हमारी ही खराबी के कारण ईसाई बनते हैं । हमारे शिक्षा मंत्री को अस्पतालों में जा कर देखना चाहिये कि ईसाई डाक्टर कितने हैं और हिन्दू कितने हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सहोदरा बाई राय]

तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यह जो बिल रखा गया है यह बहुत अच्छा है। न हमें मुसलमानों से विरोध है और न ईसाइयों से विरोध है। हम तो उन के देश में जा कर शिक्षा लेते हैं। वह हमारे यहां आवें तो हम उन का स्वागत करेंगे, वह हमारे मेहमान हैं। लेकिन अगर वे विद्रोह को बढ़ावा दें तो हमें उन से सचेत रहना चाहिये। तो मेरी प्रार्थना है कि हमें किसी पर दोष नहीं लगाना चाहिये पर अपने शासन में कड़ापन लाना चाहिये। अभी शासन में कड़ापन नहीं है ढीलापन है। जब तक शासन में कड़ापन नहीं आयेगा तब तक हमारी उन्नति नहीं हो सकती। हर एक डिपार्टमेंट को देखना चाहिये कि देश में क्या हो रहा है। हम आप को कहां तक गिनायें। अगर हम सब डिपार्टमेंटों के बारे में कहें तो बहुत समय लगेगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि पहले तो शिक्षा मंत्री पक्का होना चाहिये, नपा तुला होना चाहिये जिस को पूरा अनुभव हो। आज हालत यह है कि शिक्षा मंत्री हिन्दी नहीं जानते और गुड मार्निंग करते हैं। हमारे शिक्षा मंत्री को हिन्दी का अनुभव होना चाहिये। अब हमारे देश में अंग्रेज़ी की कोई जरूरत नहीं हैं। अभी रूस के प्रधान मंत्री आये थे। क्या वह एक शब्द भी अंग्रेज़ी में बोले? जो जो वह बोले रूसी भाषा में बोले और उस को हिन्दी में कर के सुनाय जाता था। हमारे मध्य प्रदेश के भाई कहते हैं कि हिन्दी में मत बोलो, अंग्रेज़ी की तारीफ की जायगी। हमारे बंगाली और मद्रासी भांइयों को हिन्दी का अनुभव नहीं है। मैं उन से भी कहूंगी कि हिन्दी में बोलने की कोशिश करें। अभी यह ख्याल है कि अगर अंग्रेज़ी में बोला जायगा तो उस को अच्छा समझा जायगा। मैं हाउस का ज्यादा समय नहीं लेना चाहती। जो कुछ मैं ने कहा हैं अपने अनुभव के आधार पर कहा है, मेरे पास कोई किताब नहीं है, न मेरे पास ईसाई धर्म की बाइबिल है, न कुरान है और न हिन्दी का कोई ग्रन्थ है। मैं तो जो कहती हूं अपने हृदय से कहती हूं। जो बिल लाया गया है वह अच्छी है। हमें अपने समाज का ध्यान रखना चाहिये मेरा मुसलमान या व ईसाई भाइयों से कोई विरोध नहीं है। जो लोग बाहर से आना चाहते हैं वे आलें लेकिन हमें अपनी स्थिति ठीक रखनी चाहिये। दूसरों को दोष नहीं लगाना चाहिये, बल्कि अपनी कमी को दूर करना चाहिये। यही मेरी प्रार्थना है।

श्री सिदय्या (मैसूर—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : यह विधेयक बड़ा ही महत्वपूर्ण और विवादास्पद है। परन्तु मेरा निवेदन यह है कि इस में धर्म परिवर्तन के सम्बन्ध में केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों और पिछड़े वर्गों को ही रखा गया है। मध्य प्रदेश और मध्य भारत की सरकारों द्वारा जो इस दिशा में जांच करने के हेतु जो नियोगी समिति बनाई गई थी। उस के प्रतिवेदन में अन्य वर्गों का भी उल्लेख है। इस विधेयक द्वारा तो यही पता चलता है कि आर्थिक कारणों से मजबूर हो कर पिछड़े वर्गों के लोग ही ईसाई धर्म अपनाने पर मजबूर हो जाते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। दूसरे जातियों के लोग भी ईसाई बने है और उन की साक्षियां नियोगी समिति के प्रतिवेदन में विद्यमान हैं। अतः मेरा सुझाव है यह विधेयक केवल पिछड़े हुए वर्गों के लोगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये। यह सामान्य रूप में सब पर लागू होना चाहिये।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि यदि धोखे से अथवा शक्ति के प्रयोग से धर्म परिवर्तन होता है तो यह भारतीय दंड संहिता के अन्तर्गत एक अपराध है। अतः इस के लिये किसी अन्य विधान की आवश्यकता ही नहीं है। इस के साथ ही तीसरी बात यह है कि इस में भारतीय धर्मों और अन्य धर्मों में भेदभाव किया गया है। अतः यह भारतीय संविधान की मूलभूत भावना के विरुद्ध है। चौथी बात यह है कि ईसाई मिशनिरियों को धर्म परिवर्तन के लिये मजबूर करने की अनुमति प्रदान करना भी समाज विरोधी बातों के अन्तर्गत आ जाता है। अनैतिकता भी हो जाती है परन्तु शायद विधि के अन्तर्गत नैतिकता नाम की कोई वस्तु नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

मध्य प्रदेश और मध्य भारत की सरकारों ने नियोगी समिति और रेजी समिति नाम से दो समितियां नियुक्त की थीं। इन समितियों ने पूरी जांच कर के अपना अपना प्रतिवेदन सम्बद्ध प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत किया था। इन समितियों ने जो सिफारिशें कीं उन्हें किसी भी सरकार ने आज तक कार्यान्वित नहीं किया। इस का शायद कारण यह है कि धर्म परिवर्तन का जो भी कार्य हुआ है, वह जबरदस्ती नहीं हुआ। जिस भी वर्ग के लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन किया, वह स्वेच्छा से किया। उस में कोई शक्ति के प्रयोग का प्रश्न उत्पन्न नहीं हुआ और न ही इस के विरुद्ध गड़बड़ी अथवा जन आन्दोलन ही हुआ। यदि यह मामला कुछ है भी तो इसे राज्य सरकारों को सोचना चाहिये। यह इतने महत्व की बात नहीं कि इस पर इस सदन में विचार किया जाय।

उदयपुर में भी १९४६ में एक इसी प्रकार का अधिनियम लागू था जिस के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन के समय अदालत से प्रमाण पत्र लेना होता था कि यह परिवर्तन किसी दबाव के कारण तो नहीं हो रहा। परन्तु उस में भी केवल मात्र पिछड़े वर्गों को नहीं रखा था। वह अधिनियम सब वर्गों पर लागू था। यदि ऐसा भी होता तो भी मैं इस विधेयक का समर्थन करता। विधेयक के खंड ३ के अन्तर्गत धर्म परिवर्तन पर जो रोक है वह संविधान के विरुद्ध है। यद्यपि बाह्य रूप में ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। हमारे संविधान के अनुच्छेद २५ के अन्तर्गत सब को अपने अपने धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु आप तो इसे जनमत जानने के लिये परिचालित करने को कह रहे थे।

†**श्री सिदय्या** : हां, जनमत का पता लगाने पर यदि कुछ संशोधनों के साथ विधेयक सदन को स्वीकार हो तो इसे पारित कर दिया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु माननीय सदस्य तो इसे संविधान के ही विरुद्ध बता रहे हैं तो फिर वह इसे जनमत जानने के लिये परिचालित करने की मांग क्यों करते हैं ?

†**श्री सिदय्या** : इसलिये कि शायद माननीय सदस्य कुछ संशोधन स्वीकार कर लें।

पिछड़े वर्गों के लोगों का धर्म परिवर्तन बड़ी गम्भीर बात है और उस पर विचार किया जाना चाहिये। इस के दो मुख्य कारण हैं। पहला यह ये लोग गरीब और अशिक्षित हैं और दूसरा यह कि हमारी समाज व्यवस्था में इन वर्गों के लोगों को बराबरी का स्थान उपलब्ध नहीं होता। और दूसरे कारण का मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी है। मेरा मत है कि किसी भी प्रकार की कानूनी रोक लगा देने से यह मामला हल नहीं हो सकता। हमें गरीबी, अशिक्षा और अस्पृश्यता को दूर करने की पूरी कोशिश करनी चाहिये। अपनी सामाजिक प्रणाली में सुधार करना चाहिये ताकि हमारे समाज का कोई व्यक्ति किसी दूसरे धर्म की ओर भय और प्रभाव के कारण न जाये। यही एक ठीक और उचित ढंग है जिस के द्वारा कि हम ईसाई धर्म प्रचारक की गतिविधियों को रोक सकते हैं। केवल आर्थिक कारणों से बहुत कम लोग अपने धर्म का परित्याग करते हैं, परन्तु जब आत्म सम्मान और आत्मगौरव की बात आती है तो अवश्य मनुष्य गिर जाता है। मैं तो इस सारे रोग की जड़ जाति पांति की प्रथा को मानता हूं। जब तक इसे नहीं समाप्त किया जाता देश का कल्याण सम्भव नहीं। सरकार को भी जाति पांति के कलंक को शीघ्र समाप्त करने के लिये प्रयत्न करना चाहिये। केवल बातें बनाने से यह प्रथा समाप्त नहीं होगी, सरकार को कुछ कड़े कदम उठाने चाहियें।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सिदय्या]

मेरी सरकार से अपील है कि इस के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये जोकि उस प्रथा को समाप्त करने के लिये अपने सुझाव प्रस्तुत करे। इस प्रकार हिन्दू धर्म समता, बन्धुत्व और स्वतंत्रता पर आधारित धर्म बन जायेगा।

चौ० रणबीर सिंह (रोहतक) : अध्यक्ष महोदय, मैं श्री प्रकाश वीर शास्त्री जी को धन्यवाद दिऐ बगैर नहीं रह हकता कि उन्होंने एक गम्भीर सवाल की तरफ इस विधेयक को यहां ला कर, इस सदन का ध्यान खींचा है। जिस वक्त इस विधेयक को कोई पढ़ता है तो उसके दिल में यह खयाल आए बगैर नहीं रहता कि यह बड़ा मासूम सा विधेयक है और इसको फौरन मंजूर कर लिया जाना चाहिए। उसके बाद दूसरा सवाल यह पैदा होता है कि इसकी क्या आवश्यकता है। ऐसे देश में जोकि सेक्युलर स्टेट है, जो आजाद स्टेट है, जिस में कि दो पांच साला योजनायें चल चुकी हैं, एक तो कामयाब हो चुकी, दूसरी कामयाब होने जा रही है और उसके बाद तीसरी चालू होने वाली है, इसमें इस की क्या आवश्यकता है। लेकिन जब शास्त्री जी ने विस्तार से इस विषय पर प्रकाश डाला और जो बातें बतलाई तो यह ख्याल आए बगैर नहीं रहता कि इस देश के अन्दर कुछ इस तरह के हालात पैदा हो गए हैं—हालांकि हम मानते हैं कि सब धर्मों के साथ हमारा समभाव होना चाहिए—जिन को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। इस सेक्युलर के नाम पर एक धर्म को हम ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं क्योंकि इस एक धर्म को बढ़ाने के लिए इस देश के अन्दर नौ दस करोड़ रुपया बाहर से हर साल आ जाता है और दूसरे धर्मों और विचारों के लिए कोई पैसा नहीं आता है, तो वे यकसां हालात में खड़े नहीं हो सकते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि यह जो सवाल है, इस पर गम्भीरता से सोचा जाना चाहिए।

जहां तक सेवा भावना का सम्बन्ध है, अस्पताल खोलने का सम्बन्ध है या स्कूल चलाने का सम्बन्ध है, वे बड़ी अच्छी चीजें हैं। दूसरे देश हमारे देश के अन्दर इन चीजों के लिए पैसा भेजें तो उनका शुक्रिया किए बगैर हम नहीं रह सकते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जैसा त्यागी जी ने कहा कुछ चीजों की तरफ हमें सोचना होगा कि हम लोहे को जब नैशनलाइज करते हैं, तो विद्या को नैशनलाइज क्यों न करें और विद्या प्रसार के लिए जितनी इंस्टीट्यूशंस हैं, वे क्यों न सरकार बनाये और इस काम के लिये जो भी बाहर वाला देश पैसा देना चाहे उसको हम स्वीकार करें और उसके लिए उसका शुकरिया अदा करें। इसी तरह से जो अस्पताल हैं, जब इस देश का ध्येय एक वैलफेयर स्टेट है, हमारी कोई ला एंड आर्डर स्टेट नहीं है, उनको भी सरकार क्यों न चलाये। हम जब आजाद हैं तो आजाद होने के बाद भी जब लाखों आदमी अपना धर्म परिवर्तन करते हैं सिर्फ इसलिये कि उनको तालीम की सुविधायें नहीं मिलती हैं, या दवा दारू की सुविधायें नहीं मिलती हैं तो यह हमारे देश के लिए एक तरह से मैं समझता हूं कलंक की बात है, उसके माथे पर कलंक का टीका है और उसको जितनी जल्दी हम दूर करें उतना ही अच्छा होगा।

इस बात में कोई आपत्ति नहीं हो सकती कि कोई भाई ईसाई रहे, या हिन्दू रहे, या मुसलमान रहे और न ही कोई आपत्ति की बात को हमारे विधान में स्वीकार किया गया है। लेकिन अगर छिपे हुए ढंग से किसी धर्म को बढ़ाने की गुंजाइश है तो उसे हमें रोकना होगा। त्यागी जी की तरह से मैं इस बात को भी मानता हूं कि जहां तक नेफा का सम्बन्ध है, हमें बड़ा होशियार रहना चाहिये। जहां हमारी सेक्युलर स्टेट बनाने की नीति हैं, वहां डिफेंस की भी हमारी एक नीति हो सकती है। जिस तरह से हमारे दूसरे दोस्त हैं, कम्यूनिस्ट साथी हैं या दूसरे सियासी साथी हैं, उनको हम जेल में डिटेन करते हैं जब हम समझते हैं कि देश की तरक्की के रास्ते में वे रोड़ा बनने जा रहे हैं, तो

कोई धर्म के नाम पर देश की तरक्की के रास्ते में रोड़ा बनने जा रहा है, तो उसको भी हम क्यों न रोकें। यह जो रोक का कानून है, डिटेंशन का कानून है जिस धारा का हम कई बार इस्तेमाल भी करते हैं, वह ऐसे लोगों पर इस्तेमाल होनी चाहिए, जो धर्म के नाम पर रोड़े अटकाते हैं हमारी तरक्की के रास्ते में। मुझे मालूम है कि हमने इस चीज़ का कुछ लोगों पर इस्तेमाल भी किया जिन के बारे में हमारे पास सबूत थे कि उन्होंने देश की सुरक्षा के सिलसिले में कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की है। मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में थोड़ा और आगे जाने की आवश्यकता है।

मैं मानता हूं कि जब तक हम इस देश के अन्दर सारे स्कूलों को सरकारी स्कूल नहीं बना सकते, जब तक इस देश के अन्दर सारे अस्पतालों को सरकारी अस्पताल नहीं बना सकते, तब तक कम से कम हम अपनी दूसरी पार्वस का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके लिए कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है। हमारी सरकार की एसी नीति रहनी चाहिए कि अगर कोई स्कूल का मैनेजमेंट इस बात की इजाजत दे कि किसी बच्चे को जहां वह पढ़ता है, उसको पढ़ाने की खातिर, उसका धर्म परिवर्तन करने की कोशिश की जाती है, तो उस मैनेजमेंट को वहां की जो सरकार है, नोटिस दे कि तुम्हारी रिकगनिशन क्यों न छीन ली जाए। उस मैनेजमेंट को लिखा जा सकता है कि या तो वह एसे अध्यापक को हटा दे या उसकी रिकगनिशन वापिस ले ली जाएगी और दूसरा मौक़ा उसको नहीं दिया जाएगा, और अगर वह मैनेजमेंट इस बात को नहीं मानता है तो उस स्कूल से रिकगनिशन सरकार को छीन लेनी चाहिए। इस तरह से स्थिति में काफी सुधार हो सकता है।

यही चीज़ अस्पतालों के बारे में भी हो सकती है। मिशनरीज़ अगर अस्पतालों को चालू रखते हैं, चाहे व अपने ढंग से रखते हैं या अलहदा प्राइवेट प्रक्टिशनर्स के नाते कोई दवा दारू करते हैं, तो यदि वे इन अस्पतालों का किसी का धर्म परिवर्तन करने के काम में इस्तेमाल करते हैं, तो उनके ऊपर भी पाबन्दी लगनी चाहिये। मैं तो चाहूंगा कि हमारे होम मिनिस्टर साहब उनकी पूरी तफशीश करें और उसके बाद यदि यह साबित हो जाए कि कुछ आमदियों ने खराबियां की हैं, तो आज के कानून के अनुसार अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करें और अगर नहीं की जा सकती है तो कोई दूसरे कदम उठायें। जहां तक रिकगनिशन छीनने का सवाल है, उनकी रिकगननिशन छीनी जा सकती है। जिन अस्पतालों ने आज़ादी के नाम पर गलत काम किए हैं, उनको इज़ाजत नहीं होनी चाहिए कि वे उन अस्पतालों को चला सकें। मुझे इस बात में कोई बहुत जोर नहीं देना है कि यह विधेयक इसी ढंग से पास हो। लेकिन मैं यह ज़रूर चाहता हूं कि होम मिनिस्ट्री देश को इस बात का यकीन दिलाये कि जो बातें शास्त्री जी ने यहां सदन के सामने रक्खीं हैं, उन के लिये खातिरख्वाह तरीके से इन्तजाम किया जायेगा और दूसरे धर्म के मानने वालों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होने दिया जायेगा जिस से एक धर्म वालों के साथ दूसरे धर्म वालों के मुकाबले प्रिफरेंशल ट्रीटमेंट मालूम हो।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा सोमवार को ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार २२ फरवरी, १९६०/३, फाल्गुन १८८१ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई

---

†मूल अंग्रेज़ी में

शुक्रवार, १९ फरवरी, १९६०
३० माघ, १८८१ (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		८३९—६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२३८	आगरा के समीप भारतीय वायुसेना के जहाज़ का गिरना	८३९—४१
२३९	सरदार बल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा	८४१–४२
२४०	निर्वाचन व्यय	८४२–४३
२४२	कर्मचारियों की भर्ती	८४३–४४
२४३	बैंकरों का अन्तर्राष्ट्रीय मिशन	८४५–४६
२४४	रत्नागिरि में पुरातत्व सम्बन्धी खुदाई	८४६–४७
२४५	शस्त्रास्त्र कारखाने में उत्पादन	८४७–४८
२४६	हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की चादरें	८४८–४९
२४८	रूस से मिट्टी के तेल का आयात	८४९—५१
२४९	मद्रास राज्य में इस्पात संयंत्र	८५२—५४
२५०	औद्योगिक वित्त निगम	८५४–५५
२५२	नई दिल्ली में टायरों का कारखाना	८५५
२५६	हिन्दी-निदेशालय	८५६–५७
२५७	राष्ट्रीय सेवा परियोजनायें	८५८—६१
२५८	ज्वालामुखी में तेल के लिये छिद्रण	८६१–६२
२५९	संयुक्त राष्ट्र आपात सेना	८६३
२६०	आन्ध्र प्रदेश में तांबे के निक्षेप	८६३—६५
२६१	रामागिरि स्वर्ण निक्षेप	८६५
२६२	पंजाब में पॉलिटेक्निक संस्थायें	८६६
प्रश्नों के लिखित उत्तर		८६६
तारांकित प्रश्न संख्या		
२४१	भिलाई इस्पात कारखाने के लिये खनन के ठेके	८६६–६७
२४७	दुग्धा में कोयला धोने का कारखाना	८६७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित

प्रश्न संख्या

२५१ सरस्वती और नर्मदा की घाटियों में खुदाई . ८६७-६८

२५३ भिलाई इस्पात का लागत व्यय ८६८

२५४ सिक्कों का विमुद्रीकरण ८६८

२५५ लंदन में जीवन बीमा निगम का व्यापार . . ८६८

२६३ शिक्षा का स्तर ८६९

२६४ गृह निर्माण के लिये जीवन बीमा . . . ८६९-७०

२६५ दिल्ली के लिये पृथक असैनिक सेवा पदाली . . ८७१

२६६ जनपथ में चोरी ८७१

अतारांकित

प्रश्न संख्या

२८२ टैक्निकल शिक्षा के लिये कनाडा से सहायता . . ८७१

२८३ अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम १९५५ के अन्तर्गत अभियोग . ८७१-७२

२८४ कच्छ में खनिज तेल सर्वेक्षण ८७२

२८५ भिलाई में छोटी छड़ों का उत्पादन . . ८७२

२८६ दिल्ली में पुरातत्वीय खुदाई ८७२-७३

२८७ निर्मित इस्पात का उत्पादन . . ८७३

२८८ आय-कर अधिनियम ८७३

२८९ वाणिज्य शिक्षा ८७४

२९० कानपुर में सेना अधिकारियों का क्लब . . . ८७४-७५

२९१ पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक मान्यतायें . . . ८७५

२९२ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों की सूची का पुनरीक्षण ८७५-७६

२९३ प्रतिरक्षा कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की सुविधायें . ८७६

२९४ छावनी अधिनियम, १९२४ . . . . ८७६

२९५ राउरकेला इस्पात संयंत्र ८७६-७७

२९६ आयुध सामग्री का उत्पादन ८७७

२९७ स्वतंत्रता आन्दोलन का इतिहास ८७८

२९८ विश्वविद्यालयों में पत्रकारिता विभाग . . . ८७८

२९९ आन्ध्र प्रदेश को लड़कियों की शिक्षा के लिये अनुदान . ८७८

३०० सहकारी ऋण समितियां ८७९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
३०१	लोहा तथा इस्पात संभरण	८७९
३०२	मराठवाड़ा (बम्बई) में बकाया आय-कर . . .	८७९—८०
३०३	मराठवाड़ा (बम्बई) में तम्बाकू की खेती . . .	८८०
३०४	यात्री भाड़ा कर . . .	८८०
३०५	विदेशों में राष्ट्रीय बचत-आन्दोलन का अध्ययन .	८८१
३०६	पंजाब में आय-कर कर्मचारी . . .	८८१
३०७	गणतंत्र दिवस	८८१
३०८	आसाम में पैट्रोलियम-उत्पादों का मूल्य . . .	८८१—८२

स्थगन प्रस्ताव		८८२—८७

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१) मुरादनगर स्थित दूध ठंडा करने की मशीन में कथित खराबी ।

(२) भिलाई इस्पात कारखाने में श्रमिकों संबंधी गड़बड़ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र	८८७—८९

(१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत दिनांक १२ दिसम्बर, १९५९ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३६६ की एक प्रति

(२) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) अखिल भारतीय सेवायें (मृत्यु-व-सेवा निवृत्ति लाभ) नियम, १९५८ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ९५७ ।

(ख) अखिल भारतीय सेवायें (आचरण) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २२ अगस्त, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ९५८ ।

(ग) अखिल भारतीय सेवायें (चिकित्सा सुविधा) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक २९ अगस्त, १९५९ की जी० एस० आर० संख्या ९८३ ।

विषय **पृष्ठ**

सभा पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

(३) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, १९५१ की धारा ३ की उप-धारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १२९ ।

(ख) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियम, १९५४ में कुछ संशोधन करने वाली दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३० ।

(४) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३२ ।

(ख) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३३

(५) समुद्र सीमा-शुल्क अधिनियम, १८७८ की धारा ४३-ख की उप-धारा (४) और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम १९४४ की धारा ३८ के अन्तर्गत सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात प्रत्याहृत (सामान्य) नियम, १९५९ में कुछ संशोधन करने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(क) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३४ ।

(ख) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३५ ।

(ग) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३६ ।

(घ) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३७ ।

(ङ) दिनांक ६ फरवरी, १९६० की जी० एस० आर० संख्या १३८ ।

(६) औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम, १९५५ की धारा १९ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) नियम, १९५६ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक ६ फरवरी, १९६० की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १३९ की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ८८९

सचिव ने राज्य सभा से एक सन्देश प्राप्त होने की सूचना दी कि राज्य सभा ने १६ फरवरी, १९६० की अपनी बैठक में लोक-सभा द्वारा १० फरवरी, १९६० को पारित किये गये विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक, १९६० को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया है ।

विषय पृष्ठ

सभा पटल पर रखे गये पत्र : (क्रमशः)

याचिका का उपस्थापन ८८९

श्री न० रा० मुनिस्वामी ने कोल्हू से निकाले गये निर्गन्ध वनस्पति तेलों पर उत्पादन शुल्क के बारे में एक याचिकाकार द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित की ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना ८८९—९१

श्री भा० कृ० गायकवाड़ ने बम्बई और अन्य राज्यों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के छात्रों को भारत सरकार की छात्रवृत्तियों के दिये जाने में कथित विलम्ब की ओर शिक्षा मंत्री का ध्यान दिलाया ।

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य ८९१—९३

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने हाल ही में फ्रांस द्वारा किये गये परमाणु विस्फोट से पैदा हुए रेडियम-सक्रिय बादल के बारे में एक वक्तव्य दिया ।

संयुक्त समिति में राज्य सभा के सदस्य की नियुक्ति . . . ८९४–९५

सरदार हुक्म सिंह ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा समवाय (संशोधन) विधेयक, १९५९ संबंधी संयुक्त समिति में अपना एक सदस्य नियुक्त करे । प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव . . . ८९५—९१६

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और १५ तथा १६ फरवरी, १९६० को उस पर प्रस्तुत किये गये संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक-अस्वीकृत . . . ९१६–१७

श्री बाल्मीकि द्वारा २७-११-५९ को प्रस्तुत किया गया न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक, १९५९ (धारा १४ का संशोधन) पर विचार करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक—विचाराधीन . . . ९१७—४७

श्री प्रकाश वीर शास्त्री ने प्रस्ताव किया कि पिछड़ी जातियां (धार्मिक संरक्षण) विधयक, १९५९ पर विचार किया जाय । विधेयक पर राय जानने के लिए उसे परिचालित करने का एक संशोधन श्री सिदय्या द्वारा प्रस्तुत किया गया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २२ फरवरी, १९६०/३ फाल्गुन, १८८१ (शक), के लिये कार्यावलि ।

राष्ट्रपति के अभिभाषण सबंधी प्रस्ताव और तत्संबंधी संशोधनों पर अग्रेतर चर्चा, १९५९–६० के लिए अनुपूरक अनुदानों की मांगों पर विचार, दहेज निषेध विधेयक में राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर विचार और संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन पर विचार ।